अष्टम माला, खंड 15 अंक 27

गुरुवार, 3 अप्रैल, 1986
13 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

* [अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। इसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 27, गुरुवार, 3 अप्रैल, 1986/13 चैत्र, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 535, 538, 539, 542, 543, 546 और 547	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	30—191
तारांकित प्रश्न संख्या : 536, 537, 540, 541, 544 545 और 549 से 554	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5061 से 5086, 5088 से 5150, और 5152 से 5254	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	191—197
प्राक्कलन समिति	197
रेल मंत्रालय के पहले प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा अध्याय 5 में की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण	
लोक लेखा समिति	198
की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां तथा 35वां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 198—208

सिंगरेनी कोयला खानों में दुर्घटना

श्री जी० भूपति 198

श्री पी० ए० संगमा 198

श्री धर्मपाल सिंह मलिक 200

श्री सी० जंगा रेड्डी 202

उत्पाद एवं सीमा शुल्कों में और अधिक रियायतों तथा छूटों के बारे में वक्तव्य 208—211

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 208

नियम 377 के अधीन मामले ... . 211—216

(एक) केरल में प्रस्तावित मत्स्य फार्म विकास अभिकरणों तथा खारा जल कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना के लिये अधिक धनराशि आबंटित करने की आश्वयकता

श्री ए० चार्ल्स 211

(दो) प्रस्तावित राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी प्रोजेक्ट में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों तथा अन्य प्रत्याशियों को खपाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु दामनजोड़ी, उड़ीसा, में एक आई० टी० आई० विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी 212

(तीन) कर्नाटक राज्य में सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिये केन्द्रीय सहायता की शेष 200 करोड़ रुपये की राशि को देने की मांग

डा० वी० वेंकटेश 212

(चार) डाक और तार विभाग द्वारा बीमाकृत पार्सलों को बुक करने से पहले वस्तुओं और उनके मूल्य की जांच किये जाने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी 213

विषय पृष्ठ

(पांच) कानपुर जिले में सरकारी क्षेत्र में एक भारी औद्योगिक कारखाना स्थापित करने की मांग

श्री जगदीश अवस्थी 213

(छह्) चम्बल कमांड क्षेत्र विकास परियोजना के लिये राजस्थान सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री शांति धारीवाल 214

(सात) पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य 214

(आठ) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, के कर्मचारियों को गामा विकिरण के खतरे से बचाने के उपाय करने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो 215

(नौ) मिर्च और हल्दी को कृषि मूल्य तथा लागत सूची में सम्मिलित करने और मिर्च का समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग

श्री सी० जंगा रेड्डी 216

(दस) लघु उद्योगों के लिये छूट की सीमा संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग

श्री राम प्यारे पनिका 216

अनुदानों की मांगें, 1986-87 ... ... 217—298

(एक) इस्पात और खान मंत्रालय

श्री भरत देव 217
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 220
डा० ए० कलानिधि 223

विषय	पृष्ठ
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	225
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	227
(दो) ऊर्जा मंत्रालय	
श्री एच० ए० डोरा	249
श्री ब्रह्म दत्त	250
श्री बिपिन पाल दास	254
श्री राम प्यारे पनिका	265
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	269
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	273
श्री गिरधारा लाल डोगरा	278
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	281
श्री एम० रघुमा रेड्डी	285
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	287
श्री राम प्यारे सुमन	292
श्री प्रताप भानु शर्मा	295

लोक सभा

गुरुवार, 3 अप्रैल, 1986/13 चैत्र, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बेकार हुए रेलवे सामान का निपटान

*535. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूटे-फूटे माल-डिब्बों, यात्री डिब्बों, स्लीपरों आदि जैसा बहुत सा बेकार हुआ सामान रेलवे के पास काफी समय से पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या बिना विलम्ब किये इस सामान का निपटान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रद्दी सामान तथा नाकारा चल-स्टाक का निपटान तथा 28.2.1986 को निपटान के लिए बकाया मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) रेलों पर रद्दी सामान के निपटान के लिए पहले ही एक योजनाबद्ध कार्यक्रम मौजूद है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारतीय रेलों पर रद्दी सामान का निपटान

	1983-84 में निपटान	1984-85 में निपटान	1985-86 में (फरवरी, 86 तक) निपटान	28.2.86 को निपटान के लिए बकाया मात्रा
1. मूल्य (करोड़ रुपयों में)	120.04	150.08	174.42	
2. मात्रा				
(i) लौह (मीटरिक टन में)	3,15,917	3,25,703	3,45,000	85,572
(ii) अलौह (मीटरिक टन में)	3,693	3,268	3,738	1,205
(iii) नाकारा चल स्टाक की संख्या				
(क) माल डिब्बे	19,316	19,022	12,586	1,019
(ख) सवारी डिब्बे	1,413	1,148	1,514	313
(ग) रेल इंजन	753	170	361	125
(घ) रेल इंजनों के टेंडर, माल डिब्बों के अन्डर फ्रेम, बोगियां आदि।	530	538	681	54

श्री डाल चन्द्र जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो विवरण रखा है, उसके सम्बन्ध में, मैं पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जो माल बेकार है उसको बेचा जाता है, क्या उसमें ऐसा भी माल होता है जो पुनः उपयोग हो सकता है और दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्टाक 28 फरवरी को बताया गया है, क्या वह पूरा स्टाक आ गया है जो बेकार पड़ा हुआ है तथा इस बेकार सामान को बेचने से जो पैसा आता है, उसको जहां रेल-लाइन नहीं हैं वहां दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है ?

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, जिस स्टाक का उपयोग किया जा सकता है, उसको पहले ही चुनकर निकाल लिया जाता है और बेकार स्टाक को ही आक्शन और टेण्डर के माध्यम से बेचा जाता है तथा जो स्टाक इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें से कुछ स्टाक रेलों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।

श्री डाल चन्द्र जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 28 फरवरी को स्टाक बताया है क्या वह पूरा स्टाक आ गया है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ?

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो 28 फरवरी को बताया है, वह पूरा स्टाक है, लेकिन कुछ स्टाक पाइप लाइन में भी है। मान्यवर पाइप-लाइन की प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसलिए पाइप लाइन में जितना स्टाक है, उसको छोड़कर पूरा स्टाक है।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से खासतौर से जो मीटरगेज लाइन है उसके बारे में जानना चाहती हूं कि उसमें जो सारे सामान रद्दी हो गये है और कबाड़े में जाने लायक हैं और जो ऐसे डिब्बे हैं जो बिल्कुल रद्दी हो गए हैं, उनको आपका बदलने का विचार कब तक है ?

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उस स्टेज के बारे में है जबकि परिवर्तन हो चुका होता है और रॉलिंग तथा स्टाक रद्दी किए जाने हैं।

[अनुवाद]

यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

जो रद्दी किए गए हैं वे स्क्रैप के अन्तर्गत आते हैं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, बहुत समय से मैं चिंतित हूं कि दुर्घटना आदि के कारण क्षतिग्रस्त और विभिन्न स्थानों पर रेलवे लाइनों के किनारे पड़े वैगनों आदि का क्या किया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इन्हें उठाने और रद्दी या किसी और उद्देश्य से इनका इस्तेमाल करने के लिए कोई व्यवस्था है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में कोई जल्दी की जा रही है क्योंकि सालों से ये रेलवे लाइन के किनारे पड़े हुए हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, दुर्घटनाग्रस्त हुए या पुराने पड़ गए वैगनों और रेलगाड़ी के डिब्बों को कबाड़ के ढेर में डाल दिया जाता है। इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी पर इस साल सब कुछ व्यवस्थित और सिलसिलेवार कर दिया गया है। रद्दी हो रहे इन वैगनों और रेलगाड़ियों के डिब्बों का निरीक्षण किया जाता है और उनकी नियमित सूची रखी जाती है ताकि शीघ्र बेकार घोषित करके

उनसे कुछ पैसा वसूल किया जा सके। वस्तुत: यह प्रश्न प्रो० रंगा से पूर्व प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न था जिन्होंने पूछा था कि पाइप लाइन में कितना सामान है। पाइप लाइन में कुछ सामान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि समस्त प्रक्रिया में तेजी लाकर इसे कम किया जाए।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : महोदय, हम देखते हैं कि रेलवे लाइन के आस-पास बेकार हुए वैगन तथा रेल गाड़ी के डिब्बे पड़े रहते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बेकार घोषित करने की बजाय क्या इनका इस्तेमाल आवास परिसर में कोठरियों के रूप में किया जा सकता है।

श्री माधवराव सिंधिया : ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में देशीय चिकित्सा पद्धति के गैर-सरकारी चिकित्सकों का शामिल किया जाना

*538. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में देशीय तथा होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति के गैर-सरकारी चिकित्सकों की सेवाओं का उपयोग करने हेतु योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राज्यों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे परिवार कल्याण कायक्रम में, विशेषकर शैक्षिक और प्रेरणात्मक कार्य के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के गैर-सरकारी चिकित्सकों की सेवाओं का इस्तेमाल करें। आधुनिक चिकित्सा के गैर सरकारी चिकित्सकों को शामिल करने सम्बन्धी सरकारी योजना के अन्तर्गत एकीकृत चिकित्सा के गैर-सरकारी चिकित्सक जो राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ के सदस्य हैं, वे पुरुष नसबन्दी अथवा मिनीलैप्रोटोमी के प्रत्येक मामले में 50 रुपये की रकम लेने के पात्र हैं। सरकार का यह प्रयास है कि इस कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों को बड़े पैमाने पर शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई आबादी चिन्ता का विषय है और उसके बारे में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े हुए वर्ग में आबादी रोकने के लिये सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाये हैं जिनके सही परिणाम मिले हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करने के बारे में यह एक आम प्रश्न है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनेक संघटक हैं जिनमें शिक्षा, अलग अलग व्यक्तियों को प्रेरित करना, प्रोत्साहन तथा तकनीकी सेवाएं शामिल हैं।

देश भर में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों और उप केन्द्रों के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू किया जाता है। हमारे पास इन केन्द्रों में 10 लाख कर्मचारी हैं और उपर्युक्त केन्द्रों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस साल अधिकांशत: सभी माध्यमों से प्राप्त परिवार कल्याण कार्यक्रम के परिणाम पिछले साल के परिणामों से 25—40 प्रतिशत अधिक रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : देहातों में अक्सर पुरुष ही वैद्य का पेशा करते हैं और वहां महिलाओं को उनसे संपर्क करने में संकोच होता है। मैं जानना चाहता हूं कि देहात मे या ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्थिति में सरकार ने महिला कार्यकर्त्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल करने के बारे में क्या सोचा है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। सरकार का इरादा है कि देश भर में सेवा सुविधाओं में महिला चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाए।

श्री पी० कुलनदईवेलू : माननीय मंत्री ने बताया है कि सरकार गैर सरकारी चिकित्सकों को पुरुष नसबंदी और मिनी लेप्रोटोमी के प्रत्येक मामले में 50 रुपए देती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ गैर सरकारी चिकित्सक पुरुष नसबंदी या मिनी लेप्रोटोमी नहीं करते और कुछ लोगों की सूची देकर पैसा ले लेते हैं। अगर सरकार के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं तो क्या ऐसे गैर सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है ?

दूसरी बात, पहले टेलीविजन पर एक दम्पत्ति दो बच्चों, एक लड़का एक लड़की, सहित दिखाए जाते थे लेकिन आजकल दम्पत्ति के साथ एक बच्चा ही दिखाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसी नीति का समर्थन कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : 10 साल बाद आप को एक और मिल सकता है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हमारी एक योजना है जिसके अन्तर्गत एलोपैथी तथा एकीकृत

चिकित्सा पद्धति के गैर सरकारी चिकित्सकों को पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी के एक केस के लिए 50 रुपए दिए जाते हैं। यह धनराशि उन्हें विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद दी जाती है। हमें इस बारे में किसी शिकायत की जानकारी नहीं है और मंत्रालय को भी इस समय इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। सरकार परिवार में दो बच्चों के आदर्श को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब है कि वह एक या दो बच्चे का आदर्श अपनाना चाहती है। हम एक बच्चे के आदर्श को बढ़ावा नहीं दे रहे। लेकिन इस संबंध में हम विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए विभिन्न विचारधाराओं पर परीक्षण कर रहे हैं।

श्री पी० कुलनदईवेल : चीन की तरह एक बच्चा ही काफी है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल बैरवा : इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवार कल्याण प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है कि जो कि राष्ट्र हित के हैं। आज गांवों, कस्बों और शहरों में आबादी इस गति से बढ़ रही है कि इसको रोका जाना बहुत आवश्यक है। आज जो भी परिवार कल्याण के कार्यक्रम है वह वासक्टॉमी और ट्यूबिकटॉमी के माध्यम से होते हैं, लेकिन इससे पहले आयुर्वेद और देशी दवाइयों के माध्यम से परिवार कल्याण के जो कार्यक्रम होते थे, वह भी सफल रहते थे। क्या उन दवाइयों के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने के बारे में विचार किया गया है?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, 1967 में इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक वृहद सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें देश भर के आयुर्वेदिक तथा देशी चिकित्सकों से प्रस्ताव मांगे गए थे। और हमें 200 सुझाव या दावे प्राप्त हुए कि एकीकृत चिकित्सा पद्धति द्वारा गर्भ निरोध सम्भव है। एक समिति बनाई गई और 10 दवाओं को आगे परीक्षण के लिए चुना गया। चार दवाओं की गर्भ निरोधक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। इन दवाओं के कोड नाम इस प्रकार हैं: (1) आयुष—एसी०.4, (2) के० केप्सूल, (3) पिपलियादा योग, और (4) बनजोरी। इन आयुर्वेदिक दवाओं के सम्बन्ध में परीक्षण किए जा रहे हैं और इनके उत्साह जनक परिणाम निकल रहे हैं। हमें आशा है कि दो तीन साल में इनमें से कुछ या सभी दवाओं का हमारे कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है।

डा० जी० विजय रामा राव : परिवार नियोजन की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन बहुत कम हैं मैं जानना चाहता हूं कि अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए क्या सरकार अधिक प्रोत्साहन देगी। दूसरे कुछ मामलों में आपरेशन के बाद सफलता नहीं मिली है। क्या ऐसे असफल मामलों में आप अधिक प्रोत्साहन देगे ताकि दम्पत्ति के विवाद को हल किया जा सके।

श्री एस० कृष्ण कुमार : कार्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर प्रोत्साहन में वृद्धि की

गई है और बहुत-सी प्रोत्साहन योजनाएं अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 'प्रोत्साहन' परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक अंग मात्र है। अधिकांश का मत इस कार्यक्रम में प्रोत्साहनों की भूमिका पर जोर देने के खिलाफ है। हमें इसके शैक्षिक और प्ररक पहलूओं तथा तकनीकी सेवाओं की किस्म में सुधार पर जोर देना होगा। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मांग उत्पन्न की जाय ताकि लोग परिवार नियोजन को अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा मान लें। हम इसको प्रोत्साहन पर आधारित कार्यक्रम बनाना नहीं चाहते।

जहां तक असफलताओं का सम्बन्ध है, परिवार नियोजन का कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसमें गलती की गुंजाइश न हो। लेकिन ये असफलताएं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य तकनीकी निकायों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के अन्तर्गत हैं। परिवार नियोजन सम्बन्धी कोई भी उपाय असफल हो जाता है तो—उदाहरण के लिए बन्ध्यकरण के मामले में एक और आपरेशन किया जाता है—सम्बन्धित व्यक्ति अगर स्वीकार कर ले तो एक और आपरेशन निःशुल्क किया जाता है और वह व्यक्ति निःशुल्क चिकित्सा करा सकता है। अभी इस सम्बन्ध में कोई विशेष क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं दिया जाता। पर इस सम्बन्ध में कुछ सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की प्रतिशतता में वृद्धि

***539. श्री चित्त महाता :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में प्राथमिक विद्यालय-आयुवर्ग, माध्यमिक विद्यालय-आयुवर्ग, कालेज-आयु वर्ग और विश्वविद्यालय आयु वर्ग के छात्रों की दाखिला लेने की प्रतिशतता क्या थी;

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्षों में इस प्रतिशतता में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्ष	तदनुरूपी प्रासंगिक आयु वर्गों में विभिन्न स्तरों पर दाखिल की प्रतिशतता		
	प्राथमिक (6-14)	माध्यमिक (14-18)	कालेज/विश्वविद्यालय (18-24)
1	2	3	4
1980-81	67.5	15.5	3.5
1981-82	68.5	18.5	3.8

1	2	3	4
198?-83	71.4	18.7	3.8
1983-84	76.0	20.0	3.9
1984-85	78.0	22.8	4.0

उपरोक्त सारणी यह दर्शाती है कि छठी योजना के दौरान प्राथमिक, माध्यमिक और कालेज विश्वविद्यालय के आयु वर्गों में छात्रों के दाखिले की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

श्री चित्त महाता : उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों से यह मालूम होता है कि पिछली छठी पंचवर्षीय योजना में नामांकन की संख्या में साढ़े दस प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी भी कितने ही बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में नाम दर्ज कराते हैं मगर उनका शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है, तो शिक्षा को युनिवर्सलाइजेशन करने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मान्यवर, जहां तक एनरोलमेंट या भर्ती का सम्बन्ध है यह संख्या और प्रतिशत बराबर बढ़ते जा रहे हैं। आज कई राज्य ऐसे हैं जहां कोई 93-94 बल्कि 96 तक भी यह प्रतिशत पहुंचा है। लेकिन खेद की बात यह है कि एक तरफ भर्ती बढ़ रही है, लेकिन उनका रिटेंशन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है और पांच साल के बाद जब हम देखते हैं तो जहां उसी कक्षा में सौ की भर्ती हुई थी वहां 30-40 या 45 ही रह जाते हैं। इसलिए यह ड्राप आउट की जो समस्या है वह गम्भीर है। उसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कई बातें सोची गई हैं, कई कदम उठाए जा रहे हैं, उसकी एक लम्बी सूची है, आप चाहें तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन माननीय सदस्य को मैं लिखकर भेजूंगा ताकि उनको पूरा पता चल जाए कि क्या किया जा रहा है और क्या-क्या योजना है। उनका कोई सुझाव हो तो हम उसका भी स्वागत करेंगे।

श्री चित्त महाता : हमारे देश में निरक्षरों की संख्या क्या है ? एक विशेष सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस तरह शिक्षा की गति रहने से अगली 21वीं शताब्दी में हमारे मुल्क का निरक्षरों की संख्या में पहला स्थान आएगा। तो इसे रोकने के लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारी आबादी इसी तरह से बढ़ती गई और हमने शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं किया तो शताब्दी के अन्त तक क्या होगा वह चित्र आपके सामने है। उसी चित्र को सामने रखकर कोशिश यह हो रही है एक तरफ कि आबादी ऐसी न बढ़े जैसी प्रोजेक्ट की जा रही है और दूसरी तरफ शिक्षा का हम ऐसा प्रबन्ध करें कि उसमें निरक्षरता को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करें ताकि शताब्दी के अन्त तक जो चित्र दिखाया जा रहा है उससे बहुत अच्छा चित्र हमारे सामने आए।

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह अच्छा है कि सभी स्तरों पर छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर प्राइमरी स्कूल के स्तर पर, जोकि बुनियादी शिक्षा का स्तर है—और जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा है कि यह शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है—समूचे देश में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए पढ़ने के लिए कमरे नहीं हैं ? वे वास्तव में या तो पशुओं के शेडों में या खुले में अत्यधिक गंदे वातावरण में पढ़ते हैं। यदि आप कई स्कूलों का रिकार्ड देखें तो आप पाएंगे कि एक शिक्षक एक समय में 2 या 3 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है। कक्षाओं में बड़ी भीड़ होती है और शिक्षक-छात्र अनुपात का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस सबका परिणाम यह होता है कि कुछ बहुत अच्छी संख्याओं को छोड़कर मोटे तौर पर सभी स्तरों पर शिक्षा की स्थिति अत्यधिक खराब है और वैसी शिक्षा बिल्कुल नहीं हो सकती जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने अनेक बार बताया है।

इस संदर्भ में मन्त्री महोदय तथा भारत सरकार इन परिस्थितियों में, विशेषकर प्राइमरी स्कूल के स्तर पर सुधार करने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस सदन और देश के समक्ष आज के स्कूलों की स्थिति, उस पुस्तिका के माध्यम से जो हमने प्रकाशित की हैं, और इस सदन में वाद-विवादों के माध्यम से, सामने रखते हुए मैंने उन सभी उपायों के बारे में बताया है जो सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उठाना चाहती है। और मैंने लक्ष्यों के बारे में तथा इस शताब्दी के अन्त तक शिक्षा के जिस रूप की हम कल्पना करते हैं उनके बारे में भी बताया है। इनकी एक लम्बी सूची है। अनेक उपायों पर विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा है, अगले वर्ष से स्कूलों के सुधार के मामले में, पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले छात्रों के मामले में, अधिक संख्या में नाम दर्ज करने के मामले में कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है, और मुझे इन उपायों के बारे में आपको सदन में बताने का एक और मौका मिलेगा। किंतु ऐसा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में सम्भव नहीं होगा। अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं (व्यवधान) मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। मैं सदन को बाद में सूचित कर सकता हूं, और जो मैं बताने वाला हूं उसमें कुछ नई बात नहीं हैं, क्योंकि मैं पहले ही सदन में यह सब बता चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्राप-आउट्स की संख्या का सम्बन्ध है, प्राइमरी स्टेज में 77 परसेन्ट ड्राप-आउट्स होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि इस ड्राप-आउट के प्रभाव को रोकने के लिए क्या प्राइमरी और मिडिल स्टैंडर्ड में सातवीं योजना के अन्तर्गत फूड-फार-एजूकेशन जैसा कोई कार्यक्रम सरकार चलाना चाहती है ताकि बच्चे फूड-फार-एजूकेशन के इन्सेन्टिव में ज्यादा पढ़ सकें और ड्राप-आउट्स की संख्या कम हो सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्यों को सुनकर प्रसन्नता होगी कि पिछले कुछ

वर्षों में ड्राप-आउट भी काफी कम होता जा रहा है और हम आशा करते हैं कि जैसे-जैसे चेतना जागेगी, लोगों को ऐसा लगेगा कि पढ़ाई बहुत आवश्यक है—वैसे ही वैसे ड्राप-आउट भी कम होता जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमको यह भी देखना है कि हम क्या प्रोत्साहन दे सकते हैं। जिसके नतीजे के तौर पर वे लड़के जो स्कूलों में आते हैं वे ड्राप-आउट न हों। (व्यवधान) फूड-फार-एजूकेशन के नाम से तो कोई योजना नहीं है लेकिन मिड-डे मील का एक प्रोग्राम है, किताबें वगैरह देने का भी प्रोग्राम है। और भी कुछ बातें हम सोच रहे हैं लेकिन लागत इतनी पड़ेगी कि हम शायद उतना बोझ न उठा सकें।

श्री राम स्वरूप राम : लाखों टन गेहूं एफ० सी० आई० के गोदामों में सड़ रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उसके बारे में प्रधान मन्त्री जी घोषणा कर चुके हैं कि हमारे ऐसे इलाकों में जहां अन्न की कमी है या बहुत गरीबी है वहां पर अन्न कम दामों में देने का प्रबन्ध किया जाएगा और यह प्रबन्ध होता जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : पूरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, कर्नाटक में एक प्रयोग किया जा चुका है। श्री फैलीरो द्वारा बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त पाठ्य-पुस्तकें, पोशाक, कपड़े आदि की सप्लाई भी छात्रों के लिए मुख्य आकर्षण होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा योजना का वित्त पोषण करने में कठिनाई अनुभव कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या भारत सरकार इस पूरी योजना के लिए वित्त पोषण करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा कि मैंने कहा है, जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है उनकी एक सूची है। अब कुछ राज्यों ने पहले ही उपाय करने आरम्भ कर दिए हैं। कर्नाटक और केरल ने उपाय करने शुरू कर दिये हैं और कुछ अन्य राज्यों ने भी, कुछ उपाय किए हैं। अभी हम इस सबको समेकित कर रहे हैं और अगली योजना में हम पढ़ाई अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकने और स्कूल में नाम लिखाने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए समेकित कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब, सभी राज्यों की स्थिति इतनी भिन्न है कि मेरे लिए यह बताना सम्भव नहीं होगा कि प्रत्येक राज्य में क्या हो रहा है। मैं यह सारी सूचना सभा पटल पर रखने अथवा सदस्य को भिजवाने के लिए तैयार हूं। किन्तु एक प्रश्न के उत्तर में यह कहना सम्भव नहीं है कि यह योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। माननीय सदस्य द्वारा यही पूछा गया है। मैं यह नहीं कह सकता कि एक विशेष कार्यक्रम जो इस समय एक राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। पूरे देश में लागू किया जा सकता है या किया जाएगा। हमें कार्यक्रम का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना होगा कि इसकी लागत और लाभ क्या हैं और उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

विमान किरायों में वृद्धि

*542. **श्री शरद दिघे** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विमान किरायों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक और बढ़े हुए विमान किराये कब से लागू होंगे ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) एयर इंडिया के किराये बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार के अनुमोदन से 18 मार्च, 1986 से, 29 मई 1985 से पूर्व प्रचलित मूल किराये पर लिए जा रहे ईंधन अधिभार में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है। वायुदूत का भी अपने किराये बढ़ाने का इरादा है।

श्री शरद दिघे : माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि मूल किराये पर लिया जा रहा ईंधन अधिभार 10 प्रतिशत है। यह बताया गया है कि माननीय मन्त्री जो ने 9 मार्च को बम्बई हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल का उद्‌घाटन करते समय यह कहा था कि इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया, दोनों को इस वर्ष रिकार्ड लाभ हुआ है। यदि ऐसा है तो विमान किराये बढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश टाईटलर : इससे सदस्यों को प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमें कुछ लाभ हुआ है। हम करदाताओं से एक पैसा भी नहीं लेते; हम स्वयं कमा कर रहे हैं। हम विमान खरीदते हैं और उनकी मरम्मत वगैरह भी करते हैं। मैं सदस्यों का उन कारणों से अवगत कराना चाहूंगा जिनसे हमने किरायों में वृद्धि की है। सबसे पहला कारण तो यह है कि विमानों में प्रयोग होने वाले विमान टरबाइन ईंधन में बिक्री कर तथा अन्य शुल्कों सहित 5442 रुपये प्रति किलोलीटर से 6027.10 रुपये प्रति किलोलीटर की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है 10.7 प्रतिशत वृद्धि। इससे इंडियन एयरलाइन्स की परिचालन लागत में वर्ष 1986-87 में 35 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। अब इस वृद्धि को समायोजित करने के लिए हमने इंडियन एयरलाइन्स को मूल किराये पर के ईंधन अधिभार में 10 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि किराये में वास्तविक वृद्धि 6.3 प्रतिशत हुई। वह भी इसलिए क्योंकि हमें ईंधन की कीमत देनी पड़ती है जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है, जहाज उतारने के लिए और रूट विमान संचालन शुल्क देने होते हैं जो नागर विमानन प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ऐसे विमानों का मूल्य ह्रास होता है, जो हमने अपने धन से खरीदे होते हैं और किसी सरकारी अनुदान से नहीं। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस वर्ष हमें अनुदान के रूप में दी गई सारी राशि वापस ले ली गई है और हमें स्वयं धनोपार्जन करने के लिए कहा गया है। केवल इतना ही नहीं, देश के बाहर के निर्माताओं द्वारा नियंत्रित होने वाली विमान अनुरक्षण सामग्री की कीमत भी बढ़ गई है। इन सभी कारणों से हमें कीमत बढ़ानी पड़ी है।

श्री शरद दिघे : यदि यही कारण है तो मन्त्री महोदय ने किराये बढ़ाने के लिए केवल इंडियन एयरलाइन्स को ही क्यों चुना है, एयर इंडिया को क्यों नहीं ?

श्री जगदीश टाईटलर : एयर इंडिया में किराये आई० ए० टी० ए० द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। हम उनमें वृद्धि नहीं कर सकते।

श्री संतोष मोहन देव : क्या हवाई यात्रा किराये की पड़ोसी देशों से तुलना की गई है।

क्योंकि हम देखते हैं कि प्रति छ: माह में किराया बढ़ा दिया जाता है। पड़ोसी देशों की तुलना में स्थिति क्या है?

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहूंगा कि इंडियन एयर-लाइन्स के किराये पड़ोसी देशों में किराये की तुलना में बहुत सस्ते व कम हैं। मैंने इस सम्बन्ध में थोड़ा अध्ययन किया है। भारत में हवाई-किराया वृद्धि के पश्चात् 1095 किलमीटर तक से अधिक की दूरी के लिए 937 रुपये है। यदि आप कराची से पेशावर मार्ग को लें जोकि 1091 किलोमीटर है तो उसका हवाई किराया 1140 रुपये है। यदि आप बम्बई से कोयम्बतूर जाते हैं जोकि 1017 किलोमीटर है तो हवाई किराया 880/- रुपये है परन्तु यदि आप कराची से लाहौर जाते हैं जोकि उपर्युक्त दूरी से एक किलोमीटर अधिक है, तो किराया 1163 रुपये है। यदि आप गोरखपुर से वाराणसी तक जाते हैं जोकि 157 किलोमीटर की दूरी है तो किराया लंदन-बिर्मिंघम की तुलना में कम है जहां कि किराया 827 रुपये है। इसका अर्थ है कि इंडियन एयरलाइन्स के किराये पड़ोसी देशों और कुछ प्रभावशाली देशों के किराये की तुलना में बहुत कम हैं।

श्री अजय विश्वास : महोदय, इंडियन एयरलाइन्स के किराये में वृद्धि से उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे। मैं जानता हूं कि त्रिपुरा के गरीब और दलित लोग, इलाज व अन्य कार्यों के लिए कलकत्ता जाया करते थे और कलकत्ता व अगरतला के बीच, आठ या दस साल पहले सस्ती विमान सेवा उपलब्ध थी। दो प्रकार की सेवाएं उपलब्ध थीं और एक सेवा सस्ती होती थी। इस प्रकार मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हवाई किराये में नवीन वृद्धि को लागू न करने और अगरतला व कलकत्ता के बीच सस्ती सेवा उपलब्ध कराने के बारे में विचार करेगी।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, किराये अखिल भारतीय आधार पर लागू होते हैं। माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है और मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, क्या मन्त्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि इस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों पर जाने के लिए एक व्यक्ति को जीवन में एक बार किराये में 50 प्रतिशत रियायत दी जाए?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मैं उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के सदस्य को उनके प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना देना चाहूंगा कि उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में किराये, देश के अन्य भागों के किराये की अपेक्षा 17 प्रतिशत कम हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

मोटर वाहन करों को युक्तिसंगत बनाना

***543. श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद ने यात्री और माल करों को मोटर वाहन कर में मिला-कर मोटर वाहन करों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने वाहनों पर प्रति वर्ष कर लगाने के बजाए जीवन में एक ही बार वाहन खरीदते समय स्वैच्छिक रूप से एक मुश्त कर लगाने का प्रस्ताव किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पाइलट) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

परिवहन विकास परिषद ने अपनी अक्तूबर, 1985 की बैठक में मोटरयान करों को युक्तिसंगत बनाने की संभावित वैकल्पिक पद्धति पर विचार किया था जिसमें यात्री और माल कर को एक साथ मिला देना, एक स्थान पर कर वसूलना, कतिपय श्रेणियों के वाहनों के लिए एक मुश्त दर तथा कार, स्कूटर, मोपेड आदि जैसे व्यक्तिगत वाहनों की खरीद के समय एक मुश्त कर के भुगतान की पद्धति की व्यवहारिकता के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिए गए सुझाव भी शामिल हैं। परिवहन विकास परिषद ने सुझाव दिया है कि मोटरयान कर को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित समिति को विभिन्न प्रस्ताव विस्तार से विचार करने के लिए पेश किए जाएं। तदनुसार प्रस्ताव, समिति को भेजे जाते हैं। इसके अलावा एक मुश्त कर के भुगतान के बारे में दिल्ली प्रशासन के सुझाव, राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित किए गए हैं। अधिकांश राज्यों की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : उपाध्यक्ष महोदय, मोटर वाहन करों को युक्तिसंगत बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर इन करों को इकट्ठा करने में जो अनावश्यक खर्च होता है उसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली प्रशासन के इस सुझाव को एक समिति को भेजने के बजाय उस पर क्यों न विचार किया जाए कि सारे जीवन में एक बार एक मुश्त कर लिया जाए। मुझे स्मरण है कि मित्रों के बीच हम समितियों के बारे में विशेषकर सरकारी समितियों के बारे में आम मजाक किया करते थे। हम इसकी तुलना अतिसार से करते हैं और कहते हैं कि दोनों स्थितियों में बैठकें होती हैं, प्रतिवेदन किए जाते हैं और दोनों स्थितियों में विषय को छोड़ दिया जाता है। यह एक प्रसिद्ध मजाक है। इसी प्रकार क्या इसे दूसरी समिति के पास भेजना पड़ेगा। क्या इसे मंत्री महोदय गम्भीरतापूर्वक विचार करके लागू नहीं कर सकते? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इस समिति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या यह चिरस्थाई समिति होने जा रही है। और यदि कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है तो उन्हें रिपोर्ट मिलने की उम्मीद कब है। मेरा अभिप्राय है कि क्या यह वर्त-

मान संसद में हमारी पदावधि को पूरा करने से पहले आएगी या यह अगली संसद में ही प्रस्तुत होगी।

श्री राजेश पाइलट : मैं माननीय सदस्य के मनोभावों से सहमत हूं कि इस देश में एक समय ऐसा था जब आयोग व समितियां एक मजाक बन गए थे। केवल संसद सदस्य ही नहीं अपितु साधारण नागरिक भी यह महसूस करते थे कि ये आयोगों व समितियों का गठन बिना तुक और बिना कारण के किया गया था। सदन में यह अच्छी तरह जाना जाता है कि यह कौन सा समय था; जो इसके लिए जाना जाता है। सरकार इस विषय का महत्व जानती है परन्तु यह राज्य सूची का विषय भी है। वास्तव में हम यहां बैठकर निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों की प्रारम्भ से ही आलोचना की गई है। लोगों के विभिन्न मत हैं। एक आयोग वास्तव में इस बारे में कार्य कर रहा है। जहां तक दिल्ली प्रशासन के प्रस्ताव का सम्बन्ध है हम इससे सहमत हो सकते हैं परन्तु यह भी हो सकता है कि दिल्ली प्रशासन सहमत है और दूसरे पड़ोसी राज्य इससे सहमत नहीं हैं। इसलिए हमने उनका सुझाव सभी राज्यों को भेज दिया है। कुछ राज्य अपनी टिप्पणियां भी भेज चुके हैं। पिछली परिवहन विकास मंडल सभा में, जोकि अक्तूबर 1985 में हुई थी, हमने विभिन्न राज्यों से कुछ सुझाव व राय ली है हम कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रणाली को आसान बनाना व नागरिकों की सहायता करना नितांत आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, केन्द्र-राज्य संबंध बीच में आ जाते हैं और जब हम राज्य सरकारों को किसी अच्छे कार्य का सुझाव देते हैं, तो राज्य कभी-कभी उल्टी कार्यवाही करता है और ऐसी बातों में विपरीत राय देता है। लेकिन इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम सभी गंभीर प्रयत्न कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि अब और अधिक समितियां इस सम्बन्ध में स्थापित नहीं की जायेंगी। हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे और जल्दी ही कुछ करेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मुझे प्रथम पूरक प्रश्न का जवाब नहीं मिला है। क्या कम से कम मेरे कार्यकाल में रिपोर्ट आ जायेगी ? जवाब से तो लगता है कि नहीं आयेगी।

श्री राजेश पाइलट : वह एक निश्चित तिथि चाहते हैं…

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : लगभग किस समय तक आ जायेगी ?

श्री राजेश पाइलट : विकास परिषद की बैठक बुलायी जा चुकी है। यह इस माह की 16 तारीख को हो रही है। हम इस पर दुबारा उन सबंधित राज्यों से विचार विमर्श कर रहे हैं जो इससे सहमत नहीं थे। और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिलाता हूं कि उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले—भगवान उनको लम्बी आयु दे—हम निस्संदेह यह करेंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री का क्षेत्राधिकार कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बड़ी चतुराई से यह पूछा है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कम से कम माननीय मंत्री अपने क्षेत्राधिकार में इसे कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र में उनका क्षेत्राधिकार है। क्या वह शुरू में ही दिल्ली प्रशासन की मोटर गाड़ी कर के एकमुश्त भुगतान करने की सिफारिश को नहीं ला सकते या फिर वैकल्पिक रूप में कर सभी डाकघरों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जाये। आज डाकघरों ने मोटर कर लेने से इंकार कर दिया है। यह काम वहां बन्द हो गया है। वहां आप अपना मोटर गाड़ी कर नहीं जमा करवा सकते। कर प्रमाण के बिना आपको रास्ते में पकड़ न लिया जाये इससे बचने के लिए आपको कर जमा करवाने हेतु भागदौड़ करनी पड़ेगी तथा पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा। जहां पर उनका असली क्षेत्राधिकार है कम से कम वहां वह इसे कर सकते हैं। क्या वह इसे लागू करेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : गत वर्ष तक यह डाकघरों में जमा किया जाता था। इस वर्ष उन्होंने क्यों बन्द कर दिया ? डाकघरों से यह जवाब मिलता है कि आप प्राधिकरण के पास जाइये और वहां एक लम्बी पंक्ति में खड़े होइए। इस समय वे ऐसा कह रहे हैं।

श्री राजेश पाइलट : माननीय सदस्य ने डाकघर के बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसकी जांच करूंगा। दिल्ली प्रशासन का इस कार्य से संबंध है। मैं उनसे बात करूंगा और स्थिति का पता लगाऊंगा।

जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे पूरक प्रश्न का संबंध है, हम मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं जो बहुत पुराना है। समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैं इसे सदन पटल पर रखने की तथा सत्र समाप्त होने से पहले संसद के समक्ष इसे प्रस्तुत करने की उम्मीद रखता हूं। हमने इसके लिए भिन्न-भिन्न राज्यों के विचारों के बारे में पूछा है। वहां पर परिचालकों की विभिन्न श्रेणियां हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। 19.9 से हम इस अधिनियम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वातावरण बदल गया है। स्थिति बदल गयी है। परिचालन हालात बदल गये हैं। इस प्रकार हम एक संशोधित मोटर गाड़ी अधिनियम ला रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य के अनुसार हमारी सरकार का संघ राज्य क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार का संबंध है, समस्या यह है कि दिल्ली प्रशासन निर्णय ले सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश शायद सहमत न हो। आप दिल्ली में कर देते हैं। और गाड़ी उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश कहता है कि आप कर दें। इस प्रकार सारे देश में एक समान नीति बनानी होगी। सभी राज्यों की समान राय होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से इस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : श्रीमान, गाड़ियां खरीदने के संबंध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एक समान कर ढांचा होना चाहिए। हम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कर ढांचे पाते हैं। गाड़ियां खरीदने के समय लोग दमन संघ राज्य क्षेत्र में अपनी गाड़ियों का पंजीकरण कराने जाते हैं। देश में प्रति माह निर्मित गाड़ियों का पांचवां हिस्सा दमन में पंजीकरण के लिए जाता है, जो एक संघ राज्य क्षेत्र है। गाड़ियों का पंजीकरण करवाने हेतु लोग 500 से 600 किलोमीटर दूर दमन में

जाते हैं। वहां पर जाने में हजारों रुपये के मूल्य के पैट्रोल और डीजल को बरबाद किया जाता है। वे पूना, नागपुर, बम्बई आदि स्थानों से गाड़ियों का पंजीकरण करवाने के लिए दमन जाते हैं। इस प्रकार मेरा मुद्दा यह है कि संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य सरकारों को एक समान कर ढांचा रखना चाहिए जिससे कि डीजल और पैट्रोल के अपव्यय को रोका जा सके और वे दमन संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण हेतु नहीं जायेंगे। एक तरफ तो हमारे प्रधान मंत्री चाहते हैं कि डीजल और पेट्रोल की खपत कम होनी चाहिए और दूसरी तरफ, कर बचाने के लिए, लोग इस तरह डीजल और पेट्रोल बरबाद करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या प्रश्न है ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : संघ राज्य क्षेत्र में, यह उत्पादन शुल्क मोटर यानों पर नहीं लगाया गया है। राज्यों में यह 12000 रुपये प्रति ट्रक और कार पर कुछ हजार रुपये लगाया गया है। इस प्रकार इसे बचाने के लिए, लोग हजारों रुपये का पेट्रोल और डीजल बरबाद कर देते हैं। देश में उत्पादित कुल गाड़ियों की गाड़ियां दमन में हर महीने पंजीकृत होती हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह नीति बदली जायेगी।

श्री राजेश पाइलट : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का अभिप्राय समझ गया हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यहां एक समान प्रणाली होनी चाहिए और मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने के लिए यह एक प्रस्ताव है जिसे हम लागू करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान, क्या इसकी जांच करली गयी है कि कर वसूली में न सिर्फ ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जो कुछ राज्यों में बहुत अधिक है, बल्कि असुविधा भी होती है जो यात्रियों की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समाहर्ता की दृष्टि से भी होती है ? क्या इस बात की जांच करली गयी है है कि एक मुश्त अदायगी और उस पर ब्याज कम जटिल और कम असुविधाजनक है और सरकार के लिए बेहतर है ? क्या इसकी जांच कर ली गई है ? यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम रहा है ?

श्री राजेश पाइलट : श्रीमान, माल कर और यात्री कर—यह राज्यों की आय का एक साधन है और जब भी आप इस विषय को लेते हैं, तो राज्य उनकी पूरी ताकत के साथ आयेंगे और यह कहेंगे कि यह उनके हितों को नुकसान पहुंचायेगा।

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की तरफ से हमने पूर्ण गंभीरता के साथ विचार-विमर्श किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी राज्यों की समान राय हो। इसलिए 16 तारीख को दिल्ली परिवहन निगम को पुनः बुलाया गया है और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कुछ ठोस निर्णय लिया जा सके।

[हिन्दी]

मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*546. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उन बड़ी तथा मध्यम, सिंचाई परियोजनाओं के क्या नाम हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं;

(ख) इन परियोजनाओं के प्रस्तावों को सबसे पहले किन तारीखों को केन्द्र को भेजा गया था;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है तथा इनसे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग/द्वारा स्वीकृत परन्तु योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं की सूची।

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	परियोजना की पूर्ण सूचना प्राप्ति की तारीख	अनुमानित लागत	लाभ
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1.	सिंगुर (बृहद)	अक्तूबर, 1977	अगस्त, 1984	42.34	जल सप्लाई सिंचाई का स्थिरीकरण
2.	बुग्गावंका जलाशय स्कीम (मध्यम)	दिसंबर, 1983	मार्च, 1984	7.83	5.20
असम					
3.	पुथीमारी (बृहद्)	अप्रैल, 1978	मई, 1981	25.82	22.039

1	2	3	4	5	6
बिहार					
4.	उत्तर कोइल (बृहद्)	मार्च, 1978	मार्च, 1980	113.77	109.42
5.	मसान (बृहद्)	अक्तूबर, 1980	नवम्बर, 1980	34.72	27.015
6.	सुबर्णरेखा बहूद्देश्यीय (बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल) (बृहद्)	दिसम्बर, 1980	अक्तूबर, 1981	480.90	241.873
7.	सोन आधुनिकीकरण सोपान—1 (बृहद्)	अगस्त, 1983	अगस्त, 1984	246.96	906.00 (कुल)
8.	अपर सरकारी जलाशय (बृहद्)	अक्तूबर, 1982	अगस्त, 1984	123.82	67.67
9.	खुदिया जलाशय स्कीम (बृहद्)	जुलाई, 1982	फरवरी, 1985	5.07	5.463
गुजरात					
10.	सरदार सरोवर परियोजना (बृहद्)	फरवरी, 1980	दिसंबर, 1982	4240.00	1792.00
11.	वतरक (बृहद्)	सितंबर, 1981	अगस्त, 1983	22.00	16.874
12.	खारीकट नहर का आधुनिकीकरण (बृहद्)	मई, 1980	मई, 1983	5.91	10.50 (कुल)

1	2	3	4	5	6
हिमाचल प्रदेश					
13.	भाबोर साहिब सोपान-एक लिफ्ट सिंचाई स्कीम (मध्यम)	मई, 1983	मई, 1985	4.26	3.43
जम्मू और कश्मीर					
14.	रावी नहर (बृहद्)	जून, 1982	मार्च, 1984	62.08	53.927
15.	राजपुर लिफ्ट सिंचाई स्कीम (मध्यम)	सितंबर, 1981	नवम्बर, 1981	7.03	2.43
मध्य प्रदेश					
16.	माहन (बृहद्)	जुलाई, 1979	मई, 1983	39.00	19.04
17.	राजघाट नहर (बृहद्)	अप्रैल, 1979	नवम्बर, 1980	46.15	121.45
18.	सिंध नदी सिंचाई सोपान— दो (बृहद्)	जून, 1979	नवम्बर, 1983	185.00	120.00
19.	नर्मदा सागर (बृहद्)	फरवरी, 1983	दिसम्बर, 1983	1392.85	169.296
20.	गेज (मध्यम)	जून, 1984	सितम्बर, 1984	72.27	4.416
21.	महुआर (मध्यम)	जुलाई, 1984	अगस्त, 1984	22.17	13.775

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
22.	खैरी (मध्यम)	जनवरी, 1984	जनवरी, 1984	4.97	2.798
23.	पजान (मध्यम)	फरवरी, 1983	मार्च, 1984	5.41	2.40
24.	शाहनूर (मध्यम)	जुलाई, 1983	मार्च, 1984	15.24	9.33
25.	हेतवाने (मध्यम)	जुलाई, 1981	अगस्त, 1984	19.[illegible]6	9.116
26.	मुन (मध्यम)	फरवरी, 1983	अगस्त, 1984	13.87	9.287
27.	थेम्बापुरी (मध्यम)	जुलाई, 1981	जुलाई, 1984	5.91	2.685
28.	सेकेल (मध्यम)	सितम्बर, 1983	जुलाई, 1984	3.01	1.975
29.	तराली (मध्यम)	सितम्बर, 1982	सितम्बर, 1984	14.07	8.757
30.	रायगोहान (मध्यम)	जुलाई, 1981	मार्च, 1984	3.18	1.950
31.	जंगमहट्टी लिफ्ट सिंचाई स्कीम (मध्यम)	दिसम्बर, 1981	दिसम्बर, 1984	4.29	2.70
32.	जाम (मध्यम)	दिसम्बर, 1983	फरवरी, 1984	11.75	8.70
33.	मसालगा (मध्यम)	सितम्बर, 1983	नवम्बर, 1985	4.63	2.13
34.	मोरना (मध्यम)	मई, 1983	जनवरी, 1986	9.42	5.329

1	2	3	4	5	6
35.	कार (मध्यम)	अप्रैल, 1981	जुलाई, 1985	8.02	7.394
उड़ीसा					
36.	कानपुर (बृहद्)	सितम्बर, 1981	जनवरी, 1985	86 03	41.407
37.	सपुआ बड़जोरे	सितम्बर, 1983	अगस्त, 1984	8 94	3.752
38.	कुसाई (मध्यम)	मार्च, 1983	अगस्त, 1984	27.03	10 48
पंजाब					
39.	पंजाब सिंचाई परियोजना, सोपान-दो नहरों को पक्का करना (बृहद्)	अप्रैल, 1982	फरवरी, 1986	452.57	327.60
राजस्थान					
40.	गंभीरी नहर पद्धति का आधुनिकीकरण (मध्यम)	जनवरी, 1981	जून, 1982	11.76	—
41.	पचना सिंचाई प्रणाली (मध्यम)	अक्तूबर, 1983	अक्तूबर, 1983	17.45	8.787
42.	बागान सिंचाई स्कीम (मध्यम)	अक्तूबर, 1983	जनवरी, 1984	9.82	5.210
43.	चोली सिंचाई (मध्यम)	जनवरी, 1983	फरवरी, 1985	8.71	5.775

1	2	3	4	5	6
44.	चाकन सिंचाई (मध्यम)	सितम्बर, 1984	दिसम्बर, 1984	4.05	3.01
तमिलनाडु					
45.	अनन्तनार नहर का आधुनिकीकरण (मध्यम)	मई, 1982	दिसम्बर, 1985	3.48	8.906
उत्तर प्रदेश					
46.	मोहदा बांध परियोजना (बृहद्)	अगस्त, 1979	अक्तूबर, 1979	26.75	27.70
47.	माआ बांध का उठाना (ऊंचा करना) (बृहद्)	फरवरी, 1974	मई, 1985	29.69	47.957
48.	ज्ञानपुर पम्प नहर (बृहद्)	अक्तूबर, 1976	फरवरी, 1985	73.39	65.451
पश्चिम बंगाल					
49.	अपर कंगसाबती (बृहद्)	फरवरी, 1976	मई, 1980	43.84	59.115
50.	सुबर्णरेखा बराज (बृहद्)	जनवरी, 1981	फरवरी, 1984	158.55	130.014

अन्य बातों के साथ-साथ वन संरक्षण, पर्यावरण तथा संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद योजना आयोग ये परियोजनाएं स्वीकृत करेगा।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : महोदय, यहां दी गई सूचना में हमें तेलुगू गंगा परियोजना, पोलावरन, येलेरू, पूलूचिन्तला आदि के नाम नहीं मिले। ये बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनायें हैं, जो काफी समय से विचाराधीन है—और केन्द्र से मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं। इस तालिका में इन विषयों को शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, यदि माननीय सदस्य विवरण को देखें, इसमें कहा गया है :

"केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूर परन्तु योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली बड़ी और मध्यम परियोजनाओं की सूची।"

ये परियोजनायें केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूर की गई है और वे योजना आयोग के समक्ष स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

और तब, सूची के अन्त में यदि, माननीय सदस्य पढ़ सकें—मैं अन्तिम तीन पंक्तियां उद्धृत करता हूं :

"अन्य बातों के साथ-साथ वन संरक्षण, पर्यावरण और संसाधनों की उपलब्धता इत्यादि सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त योजना आयोग ये परियोजनायें स्वीकृत करेगा।"

तेलुगू गंगा परियोजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मंजूर नहीं की गई है। इस सदन में मैंने इसके कारण बताये हैं कि यह क्यों विचाराधीन है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मैं मंत्री जी का ध्यान पूछे गए प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, प्रश्न इस प्रकार है :

"विभिन्न राज्यों में उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो केन्द्रीय जल आयोग या केन्द्रीय सरकार अनुमोदन की प्रतीक्षा में हैं;"

प्रश्न इस प्रकार है—फिर मंत्री जी इस प्रश्न का सीधे उत्तर देने की बजाय मुझे उन परियोजनाओं के बारे में सूचना कैसे दे रहे हैं। जिन्हें पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो वैसे हुआ जैसे घोड़े के आगे गाड़ी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह पहले ही 21वीं शताब्दी में चले गए हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना

की तकनीकी स्वीकृति और सरकार द्वारा योजना आयोग से स्वीकृति के मध्य अन्तर को नहीं समझ पाये हैं। वे दो भिन्न चीजें हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या योजना आयोग सबसे ऊपर है ? (व्यवधान) यह केन्द्रीय सरकार है।

श्री बी० शंकरानन्द : आप मुझे सुन सकते हैं। (व्यवधान) योजना आयोग की स्वीकृति से पहले तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है। योजना आयोग चाहे तो···

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक संविधानिक निकाय नहीं है।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि, आप मुझे सुनें, तो मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कितनी परियोजनायें मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही हैं ? (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष बहुत-सी परियोजनायें विचाराधीन हैं—जिनके बारे में अभी तक पूर्ण जानकारी नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि ये विचाराधीन हैं—वह भी क्योंकि राज्य सरकार को अभी जानकारी देनी है - और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाये गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं—। जब तक केन्द्रीय जल आयोग को सारी जानकारी नहीं दी जाती है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आयोग के पास विचाराधीन है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं गया है। मेरा मूल प्रश्न परियोजनाओं के नामों से सम्बन्धित है—जो केन्द्र द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं—न केन्द्रीय जल आयोग द्वारा न सरकार द्वारा।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि चाहे आपने प्रस्ताव भेजा हो। पर इसका यह मतलब नहीं कि वह विचाराधीन है। उनके अनुसार जब आप अपेक्षित सारी जानकारी भेजते हैं—तभी यह विचाराधीन समझा जाता है। यही उनका आशय है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : हमारा प्रस्ताव केन्द्र में अभी तक विचाराधीन है—। वे उन प्रस्तावों के नाम क्यों नहीं बताते जो केन्द्र के विचाराधीन हैं ? उन्हें मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना चाहिए।

महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न किया था, परन्तु वे एक भिन्न प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : ऐसी बहुत-सी परियोजनायें हो सकती हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: परन्तु उनका आशय यह है कि उन्होंने पर्याप्त जानकारी नहीं दी है।

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार के समक्ष, केन्द्र में, बहुत-सी परियोजनायें जानकारी के अभाव

के कारण विचाराधीन हैं। मैं सभी परियोजनाओं के नाम नहीं दे सकता हूं···

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं दे सकते ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनसे पूछूंगा। श्री आचार्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें जानकारी देनी है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : जब प्रश्न स्वीकार किया गया है तो वे उत्तर देने के लिए बाध्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि माननीय सदस्य की किसी विशेष परियोजना में दिलचस्पी है तो मैं उन्हें उसके बारे में सूचना दे सकता हूं···

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं, जब प्रश्न स्वीकार लिया गया है—तो उन्हें सूचना देनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न स्वीकार लिया है। और मन्त्री महोदय कहते हैं कि वे निर्णय लेंगे कि किस प्रकार का उत्तर दिया जाना है—चाहे यह पूर्ण हो या नहीं। यह एक बहुत गंभीर मामला है। यह कैसे हो सकता है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने एक पूर्ण उत्तर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कहते हैं कि वह पूर्ण उत्तर नहीं देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : बड़ी और छोटी सिंचाई परियोजनायें जो स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है, यह प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मुख्य बात यह है कि, उस प्रश्न की भाषा इस प्रकार है : उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्र से स्वीकृति नहीं मिली है ? वे जवाब में उन परियोजनाओं के नाम लेते हैं जिनको पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। मैंने उन परियोजनाओं के नाम नहीं पूछे हैं जिनको पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। मैंने उन परियोजनाओं के नामों के बारे में पूछा है जिनको स्वीकृति दी जानी है। वे अपने जवाब की तुलना मेरे प्रश्न से कैसे करते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : वे वर्तनी सम्बन्धी गलतियों तक का भी समर्थन करेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं जो राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार के पास तकनीकी एवं आर्थिक स्वीकृति के लिए भेजी गई हैं। अधिकांश परियोजनाओं की ठीक ढंग से जांच नहीं की गई है। प्रस्ताव पर कार्यवाही करने एवं स्वीकृति के लिए अभी भी काफी जानकारी की आवश्यकता है। (व्यवधान) इस प्रक्रिया में कुछ परियोजनाएं राज्य सरकार के पास कुछ जानकारी हासिल करने के लिए वापस भेज दी जाती हैं। कुछ जानकारी अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। अतः उन सभी परियोजनाओं के नाम बताने की बजाय मैंने उन परियोजनाओं का जिक्र किया है जिनके बारे में केन्द्रीय जल आयोग को मिली जानकारी पूरी है और जिनको उन्होंने स्वीकृति दे दी है तथा योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। मैंने उनकी सूची दी है।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : प्रश्न की व्याख्या भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। 'स्वीकृति' शब्द का सामान्य अर्थ केवल एक ही है जो उन्हें देना चाहिए और इसके अतिरिक्त उनको कोई हक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न को इजाजत दे दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय के विचार में इस प्रश्न के लिए स्वीकृति' शब्द बहुत स्पष्ट था। अब माननीय मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि यह 'स्वीकृति' नहीं है। जब एक परियोजना को सरकार के पास भेजा जाता है उसमें कुछ कमियां भी रह सकती हैं। 'हमने इसे वापस भेज दिया' यह एक प्रश्न का जवाब देने का ढंग नहीं है। माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहिए था, "हमारे पास बहुत से प्रस्ताव आये हैं जिनमें से कुछ को वापस भेजा जा रहा है। मैं यहां उनका जवाब नहीं दे रहा हूं परन्तु केवल इस विषय पर जवाब दे रहा हूं।" माननीय मंत्री महोदय कह सकते थे कि इस मामले में एक दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता था। प्रत्येक प्रश्न के अर्थ की व्याख्या सामान्य तरीके से की जानी चाहिए। मैं नहीं सोचता कि माननीय मन्त्री को इसे कोई दूसरा अर्थ या कोई तकनीकी अर्थ देने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय पहले ही स्पष्ट कर चुके कि चाहे कोई भी परियोजनाएं··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

यदि आप चाहते हैं तो आधे घण्टे की चर्चा हेतु सूचना दीजिए।

प्रधानमन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, क्या मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर सकता हूं जो कुछ कहा गया है उसके बारे में उनको कुछ भ्रम है? माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि कुछ··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अरे बोलने भी दोगे या बोलते ही जाओगे।

[अनुवाद]

कुछ विषय है जिनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और जिनके सम्बन्ध में राज्यों और केन्द्रीय जल आयोग के बीच पत्र-व्यवहार जारी है। इस बात का जिक्र उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि राज्यों से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी श्रेणी है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग ने राज्यों से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। इस श्रेणी में केन्द्रीय जल आयोग के पास कोई भी मामला निपटारे के लिए विचाराधीन नहीं है। सभी मामले योजना आयोग के पास भेज दिये गये हैं अथवा जहां इनको भेजा जाना था, भेज दिए गये हैं। अतः वास्तव में इनका जवाब सही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप में से एक व्यक्ति अपनी बात कहे तो मैं समझ सकता हूं।

(व्यवधान)

मैं आपको बुला लूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : शायद प्रधान मन्त्री महोदय ने प्रश्न नहीं देखा है। प्रश्न बहुत साधारण है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान बसुदेव आचार्य उन्हें बोलने दीजिए। वे फिर पूछ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गजपति राजू : जो मैं निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि क्योंकि केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष कुछ आपत्तियां हैं (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं और प्रत्येक बार जब कभी यह मामला राज्यों को भेजा जाता है, हमेशा नई आपत्तियां उठाई गई हैं। अतः हम, इस परियोजना पर और इसके साथ देश भर में विचाराधीन अन्य परियोजनाओं, और क्या प्रश्न पूछे जाने हैं, पर भी आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं। इसके बारे में निश्चितता होनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। अतः हमें इस पर आधे घण्टे की चर्चा में विचार-विमर्श करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अलग सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। (व्यवधान) आप आधे घन्टे की चर्चा के लिए

सूचना दीजिये। मैं इस पर विचार करूंगा। आप एक आधे घन्टे की चर्चा के लिए सूचना भेजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपमें से एक व्यक्ति बोलिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे आधे घंटे की चर्चा के लिए सूचना भेज सकते हैं। यदि वे सूचना भेजते हैं, मैं इस पर विचार करूंगा।

अब अगला प्रश्न।

[हिन्दी]

रांची हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाएं

*547. **श्री शिव प्रसाद साहु :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची हवाई अड्डे पर रात्रि में विमान उतरने की सुविधा और टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य दिसम्बर, 1985 में पूरा होना था; और

(ख) क्या यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्य मुख्यतः इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परिधि दीवार को बार-बार क्षति पहुंचाने और निर्माण सामग्री और साज-सामान आदि की चोरी करने के कारण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जून, 1986 के अन्त तक इस कार्य के पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहु : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परिधि दीवार को बार-बार क्षति पहुंचाने और निर्माण सामग्री और साज सामान आदि की चोरी करने के कारण एयरोड्रम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मान्यवर इनका यह उत्तर कि असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ करने के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है स्पष्ट नहीं है। मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी बारे में मैंने पहले भी क्वश्चन किया था, उस समय भी यही उत्तर आया था और अब प्रश्न किया है, तो अब भी यही उत्तर माननीय मन्त्री जी दे रहे हैं, इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग आपका सारा सामान चोरी कर लेते हैं और दीवार तोड़ देते हैं, तो क्या उन लोगों के सम्बन्ध में आपके अधिकारियों ने वहां पर कोई एफ० आई० आर० वगैरह इस सम्बन्ध में थाने में दर्ज कराई है ?

श्री जगदीश टाईटलर : माननीय उपाध्यक्ष जी, पहले जो उत्तर दिया गया था उसके साथ तारीख नहीं दी गई थी कि काम कब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बार हमने बता दिया है कि हवाई अड्डा कब तक तैयार हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेरी एक टीम जनवरी के अन्दर गई थी और दूसरी टीम पिछले हफ्ते गई थी और इस दफा हमने एयरोड्रम पर पुलिस चौकी का इन्तजाम कर लिया है तथा अब रेगुलरली चारों तरफ से पुलिस ने घेरा डाला हुआ है। वहां पर एण्टी सोश्यल एलीमेंट ने दीवार तोड़ी है क्योंकि वहां तीन चार गांव हैं जिनका रास्ता शहर से अगर वे लोग गांव में जाएं, तो दूर पड़ता है, इसलिए वे एयरोड्रम की दीवार तोड़कर रनवे से होकर गांव जाते थे, जो कि गांव का नजदीक का रास्ता होता है। हमने उस दीवार को दस-पंद्रह दफा बनाया था और गांव वालों द्वारा वह दस पन्द्रहों दफा दीवार तोड़ दी गई थी। मान्यवर आप वहां से एम० पी० हैं अगर आप हमारी पहले मदद कर देते, तो शायद यही जवाब आपको दुबारा सुनने को नहीं मिलता। मगर आज मैंने इस हाउस में कह दिया है कि आपका वह हवाई अड्डा नाइट लैंडिंग फेसिलिटी के साथ जून के अन्दर बनकर तैयार हो जाएगा।

श्री शिव प्रसाद साहु : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी को पता है कि बाम्बे या नागपुर से जाने वाले मार्ग पर सारे बिहार में और असम में भी एक मात्र रांची ऐसा हवाई अड्डा है जिस पर एयर बस उतर सकती है। अभी हाल में मौसम खराब होने के कारण कलकत्ता ने कहा कि हमारे यहां मौसम खराब है इसलिए हम यहां नहीं उतरने देंगे इसलिए मजबूरन ऐयर बस को रांची हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा। वह छोटा नागपुर की हृदयस्थली है और प्रधान मन्त्री भी आए दिन जाते रहते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह नाइट लैंडिंग एण्ड टर्मिनल बिल्डिंग जो बन रही है, इसके बारे में ही मेरा प्रश्न था इसलिए कृपया किसी को भेजकर जल्दी से जल्दी सरकार इस कार्य को पूरा कराये और छोटा नागपुर क्षेत्र की तरक्की में सहयोग दें। अतः जो समय दिया गया है क्या उसी समय में क्या यह कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा, यह बताने की कृपा करें ?

श्री जगदीश टाईटलर : सर, इसका जवाब तो मेरे पहले उत्तर में आ गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कुतुब एक्सप्रेस का विभिन्न स्टेशनों पर रुकना

*536. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजरत निजामुद्दीन और जबलपुर के बीच चलने वाली कुतुब एक्सप्रेस रेलगाड़ी, इसके प्रारम्भ होने के समय कितने और कौन से स्टेशनों पर रुकती थी;

(ख) कुतुब एक्सप्रेस रेलगाड़ी इस समय कितने और कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकती है और उसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या इस रेल लाइन पर ऐसा कोई जिला पड़ता है जहां यह गाड़ी किसी स्टेशन पर नहीं रुकती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री श्री (माधवराव सिंधिया) : (क) जब कुतुब नर्मदा एक्सप्रेस गाड़ी शुरू की गई थी, उस समय यह जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच निम्नलिखित 12 स्टेशनों पर रुकती थी:—

कटनी, सतना, माणिकपुर, चित्रकूटधाम कर्वी, बांदा, हरपालपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, राजा-की-मंडी, मथुरा जंक्शन, कोसी-कलां।

(ख) जनता की भारी मांग के कारण इसे और अधिक ठहराव दिये गए थे और अब यह गाड़ी जबलपुर और हजरत निजामुद्दीन के बीच निम्नलिखित 22 स्टेशनों पर रुकती है :—

सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, जैतवार, माणिकपुर, चित्रकूट कर्वी, अतारा, बांदा, महोबा, हरपालपुर, मऊ रानीपुर, झांसी, दतियां, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर जंक्शन, आगरा कैंट, राजा-की-मंडी, मथुरा, कोसी-कलां।

(ग) इस समय ऐसे केवल 3 जिले हैं।

(घ) मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था जिला कस्बों के आधार पर नहीं बल्कि प्राप्त होने वाले यातायात के आधार पर की जाती है।

वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की उत्पादन क्षमता का विस्तार और आधुनिकीकरण

*537. **श्री हरीश रावत :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वाराणसी स्थित लोकोमोटिव वर्क्स की उत्पादन क्षमता का विस्तार करने और इसका आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान क्षमता रेलवे की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

अधिक विश्वसनीयता, उपलब्धता, ईंधन के कम प्रयोग तथा सरल अनुरक्षण सामर्थ्य प्राप्त

करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय तरीके अपना कर प्रौद्योगिकी में चरणबद्ध आधार पर सुधार करने का प्रस्ताव है।

नहरों का आधुनिकीकरण

* 540. श्री विजय कुमार यादव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार में नहरों का आधुनिकीकरण करने हेतु विश्व बैंक के सहयोग से 1300 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उक्त योजना को कार्यान्वित करने का विचार त्याग दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री। (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने विद्यमान सोन नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 1195 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5-5 वर्ष के तीन सोपानों वाली एक परियोजना तैयार की है। 247 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की स्कीम का प्रथम सोपान विश्व बैंक सहायता के लिए विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

*541. श्री कुंवर राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लिखित दिशानिर्देश का पालन करना सरकार के लिए सम्भव नहीं हो पाया है;

(ख) क्या सरकार जनता के सक्रिय सहयोग से शिघ्रातिशीघ्र यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

संविधान के अनुच्छेद 45 में की गई मूल परिकल्पना के अनुसार सभी बच्चों को उनकी 14 वर्ष की आयु तक सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की परिकल्पना है और संचालन सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए प्राथमिक स्तर (कक्षा I से V तक) 95% दाखिला तथा मिडिल स्तर (कक्षा VI से VIII तक) पर 50% दाखिला और वर्ष 1990 तक दोनों स्तरों पर शत-प्रतिशत दाखिला प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 92% दाखिला और मिडिल स्तर पर 53% दाखिला वर्ष 1984-85 तक प्राप्त किये जाने का अनुमान था। सातवीं योजना के दस्तावेज में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा का लक्ष्य वर्ष 1990 तक प्राप्त करने के सम्बन्ध में पुन: बल दिया गया है। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में जारी रहेगा। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की अधिक दर को देखते हुए दाखिले की बजाय बच्चों को स्कूली पढ़ाई में बनाए रखने और अध्ययन की मुख्य बातों की उपलब्धि पर बल देना होगा। लड़कियों और सामाजार्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देकर औपचारिक और गैर-औपचारिक प्रणालियों के संयोजन के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

2. संविधान के अनुच्छेद 45 में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां कक्षा VII और VIII में लड़कों की शिक्षा को अभी नि:शुल्क बनाया जाना है, देश के सभी राजकीय, स्थानीय निकाय और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रारम्भिक स्तर पर सभी बच्चों की शिक्षा आमतौर पर नि:शुल्क है। अनेक राज्यों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए कानून बनाया है किन्तु सामाजार्थिक कारणों और इसकी बड़ी संख्या को देखते हुए दंडात्मक आम तौर पर लागू हुए बिना रह जाते हैं।

3. स्कूल शिक्षा की व्यवस्था अधिकांशत: राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को सलाह तथा कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती रही है। केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित उपायों/कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सरकार को सिफारिश कर उनको लागू करने के सम्बन्ध में आग्रह करती रही है जिस पर सातवीं योजना के दौरान भी बल दिया जाएगा :—

(i) प्रारम्भिक शिक्षा को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (न्यू० आ० का०) में शामिल किया गया है तथा इसे नये 20-सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया था।

(ii) सभी बस्तियों की आवश्यकताओं को सम्भव सीमा तक पूरी करने के लिए कम दूरी पर प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों को खोलना।

(iii) विद्यमान स्कूल संबंधी सुविधाओं के प्रयोग में तीव्रता लाना।

(iv) एकल-शिक्षक वाले स्कूलों को दो शिक्षक वाले स्कूलों में बदलना।

(v) प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार करना।

(vi) व्यापक स्तर पर गैर-औपचारिक/अंश-कालिक शिक्षा की व्यवस्था करना।

(vii) लड़कियों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन मजदूरों तथा गन्दी बस्तियों जैसे लक्षित वर्गों की ओर विशेष ध्यान देना।

(viii) निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें तथा लेखन सामग्री निःशुल्क वर्दियां, विशेषकर लड़कियों के लिए हाजिरी छात्रवृत्तियां तथा मध्याह्न भोजन जैसे प्रोत्साहन।

(ix) पाठ्यचर्याओं के विकेन्द्रीयकरण के जरिए शिक्षा की कोटि को सुधारना तथा इनको बच्चों की आवश्यकताओं, जीवन-स्थिति और पर्यावरण के उपयुक्त बनाना।

(x) कक्षा से कक्षा में उत्तीर्ण होने की बिना ग्रेड वाली स्कूल प्रणाली शुरू करना तथा गतिरोध को समाप्त करना ताकि प्रत्येक बच्चा एक कक्षा को प्रत्येक वर्ष पूरा कर सके तथा तब तक उसकी कक्षोन्नति होती रहेगी जब तक वह कक्षा VIII पूरी करता है, किन्तु इसके लिए सतत आधार पर आवधिक मूल्यांकन और निर्धारण के जरिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय होने चाहिए।

(xi) पर्यवेक्षी तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा नीचे ब्लाक स्तर तक प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासन को विकेन्द्रित करना।

(xii) माता-पिता को शिक्षित करना ताकि बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा के प्रति उनकी उदासीनता को समाप्त किया जा सके।

(xiii) शिक्षक-प्रशिक्षण सहित प्रारम्भिक शिक्षा के लिए जन-संचार साधन का अधिकाधिक प्रयोग।

(xiv) पूरे शैक्षिक वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई सहित अभियान अवधि के दौरान नामांकन बढ़ाने तथा उन्हें पढ़ाई जारी रखने के सम्बन्ध में गहन प्रयासों के लिए, राष्ट्रीय अभियान तैयार करना।

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्कूल के बाहर 80% बच्चे शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों अर्थात असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है, और केन्द्रीय सरकार इन राज्यों में गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है। इस कार्यक्रम को सातवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आठ राज्यों को प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के लिए 64.74 करोड़ रुपये मिलेंगे तथा 11 राज्यों को अतिरिक्त 37,000 कक्षा कमरों के निर्माण के लिए 156.17 करोड़ रुपये मिलेंगे।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ को लुधियाना और जगाधरी से जोड़ना

*544. श्री निरंजी लाल शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चण्डीगढ़ और लुधियाना को सीधी रेल लाइन से जोड़ने और जगाधरी तथा चण्डीगढ़ के बीच सीधी रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) क्या पंजाब सरकार की ओर से भी ऐसा ही कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) लुधियाना को बड़े आमान की एक नई लाइन द्वारा चण्डीगढ़ से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अम्बाला के रास्ते पहले ही एक सम्पर्क मौजूद है। जगाधरी और चण्डीगढ़ के बीच की अल्प दूरी के लिए अच्छी सड़क परिवहन सेवाएं उपलब्ध होने के कारण जगाधरी और चण्डीगढ़ के बीच सीधी गाड़ी सेवा का पर्याप्त औचित्य नहीं है।

(ख) लुधियाना और चण्डीगढ़ के बीच रेल लाइन के लिए पंजाब सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) ऊपर (क) में बताई गई स्थिति को देखते हुए कोई कारंवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का नवीकरण

*545. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिनके नवीकरण का कार्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया है और यह कार्य किन-किन स्थानों के बीच पूरा होना शेष है;

(ख) मुख्य यातायात मार्ग पर पड़ने वाली रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन महत्वपूर्ण रेल लाइनों की क्षमता में वृद्धि हेतु नवीकरण कार्यक्रम को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) अभी भारतीय रेलों पर लगभग 19,550 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण किया जाना है। यह कुल मिलाकर सभी मार्गों पर फैला हुआ है। इसमें से 8450 कि० मी० रेलपथ बड़ी लाइन के मुख्य यातायात मार्गों पर

पड़ता है तथा 5200 कि० मी० लाइन के मुख्य यातायात मार्गों पर।

(ग) 1985-86 में 3200 से अधिक रेलपथ कि० मी० का नवीकरण किये जाने की आशा है और 1986-87 में 3800 रेलपथ कि० मी० का नवीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलपथ नवीकरण का बकाया काम 1995 तक समाप्त कर देने का विचार है।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम की बसों की गति पर अंकुश

*549. श्री के० एस० राव : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों को तेज गति से चलाए जाने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों को चलाने में यातायात प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न सड़कों के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा का पालन किया जाए; और

(ग) क्या सरकार का विचार बस ड्राइवरों द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर बस चलाने को रोकने और दोषी ड्राइवरों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु दिल्ली परिवहन निगम में एक विशेष कक्ष बनाने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां।

(ख) बसों की गति को नियंत्रित रखने की दृष्टि से सभी वाहनों में यांत्रिक स्पीड गवर्नर लगाए जाते हैं जो फ्यूल इंजेक्शन पम्प में ही लगाए जाते हैं। यह वाहनों की गति नियत सीमा तक नियंत्रित रखता है। इसके अलावा बसों में स्पीड लिमिट ब्रैकेट भी लगाए जाते हैं जो वाहनों को नगर के रूटों पर प्रति घंटा 40 कि० मी० से अधिक गति से नहीं चलने देते हैं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने इस प्रयोजन के लिए 16 मोबाइल दस्ते भी तैनात किए हैं और पहले कदम के रूप में दोषी चालकों को मौके पर ही हटा दिया जाता है।

पुणे और अहमदाबाद के बीच रेलगाड़ी चलाना

*550. श्री अनूप चन्द शाह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे और अहमदाबाद के बीच बरास्ता दिवा/वसई एक नई रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जो नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिवा और वसई रोड के बीच का मार्ग केवल माल यातायात के लिए खुला है और यात्री गाड़ियां चलाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है।

[नई दिल्ली और बंगलौर के बीच एक सीधी दैनिक रेलगाड़ी चलाना

***551. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बंगलौर के बीच कोई सीधी दैनिक रेलगाड़ी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई दिल्ली और बंगलौर के बीच एक सीधी दैनिक रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) नई दिल्ली से सप्ताह में दो दिन तथा निजामुद्दीन से सप्ताह में एक दिन गाड़ी उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा-कावेरी सम्पर्क (लिंक) परियोजना

***552. श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री सी० माधव रेड्डी } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी नदियों के जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गंगा-कावेरी सम्पर्क परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) गंगा नदी को कावेरी से जोड़ने की कोई परियोजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। गंगा-कावेरी परियोजना, जिस पर पहले विचार किया गया था, को व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना

***553. डा० ए० के० पटेल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी प्रमुख रेल मार्गों पर चलने वाली कुछ तेज गति वाली मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपने प्रस्थान स्थल और गन्तव्य स्थल के बीच की दूरी तय करने में लगभग उतना ही समय लेती हैं जितना वे आज से 25 वर्ष पूर्व लेती थीं जबकि इस बीच रेल लाइनें दोहरी कर दी गई हैं और भाप से चलने वाले इंजनों का स्थान तेज गति के डीजल इंजनों और बिजली से चलने वाले इंजनों ने ले लिया है और यदि हां, तो जोन-वार, उक्त रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(ख) रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने तथा प्रस्थान और गन्तव्य स्थलों पर उनके ठहरने की अवधि कम करने के लिए 1985-86 के दौरान क्या कदम उठाये गए हैं और 1986-87 के दौरान क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) निम्नलिखित प्रमुख मार्गों पर तेज रफ्तार की कतिपय गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है :—

(1) नई दिल्ली-कलकत्ता मार्ग पर 7/8 तूफान एक्सप्रेस, 13/14 अपर इंडिया एक्सप्रेस और 81/82 ए० सी० एक्सप्रेस।

(2) बम्बई-नई दिल्ली पश्चिम रेलवे मार्ग पर 25/26 ए० सी० एक्सप्रेस।

(3) बम्बई-दिल्ली मध्य रेलवे मार्ग पर 57/58 पठानकोट एक्सप्रेस (अब दादर-अमृतसर एक्सप्रेस)।

(4) नई दिल्ली-मद्रास मार्ग पर 17/18 मद्रास-दिल्ली जनता एक्सप्रेस (अब मद्रास-जम्मू तवी एक्सप्रेस)।

रफ्तार में यह धीमापन गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाने तथा उन्हें अतिरिक्त ठहराव दिए जाने के कारण आया है।

गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतर किस्म की पटरियों, बोगियों का बेहतर अभिकल्प

और डीजल/बिजली रेल इंजनों की अश्व शक्ति बढ़ाने जैसे प्रौद्योगिकीय सुधार करने की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

परम्परा से यात्रियों की यह आदत रही है कि वे अपने गन्तव्य नगरों में सुबह के समय पहुंचते हैं और अपना दिन भर का काम करने के बाद शाम/रात को उन स्थानों से लौटते हैं। इससे रेलें रेकों के पर्यन्तक पड़ाव में कोई अधिक कमी नहीं कर सकतीं। तथापि, रेकों के उपयोग में सुधार करने के लिए रेक सम्पर्कों में परिवर्तन करना एक सतत प्रक्रिया है और हर समय सारणी में अनेक गाड़ियों के पड़ाव में कमी की जाती है। यह बात सवारी डिब्बा उपयोग के आंकड़ों से स्पष्ट है जिनमें नीचे लिखे अनुसार वृद्धि हुई है : —

वर्ष	प्रति वाहन दिन वाहन कि० मी०	
	ब० ला०	मी० ला०
1980-81	314	186
1985-86 (अप्रैल-जून)	367	212
1985-86 (सितम्बर अन्तिम)	372	213

[अनुवाद]

केरल में उर्दू अकादमी

*554. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में उर्दू अकादमी खोले जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तांत्रिक विज्ञान संस्थान बंगलौर द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

5061. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिक विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें 12 केन्द्र शामिल हैं।

(ख) यदि हाँ, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं और सातवीं योजना अवधि में इस कार्यक्रम पर अनुमानित कितना व्यय किया जायेगा; और

(ग) कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, के ब्यौरे तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है। इस समिति की सिफारिशें मिलने के बाद ही राष्ट्रीय मानसिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और इसके उप-आबंटनों पर विचार किया जाएगा।

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों का ठेका

5062. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर विद्यमान बुक स्टालों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी बुक स्टालों के ठेका धारक मुख्य कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के पास कितने बुक स्टाल हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों को बुक स्टाल तीसरी पार्टियों को आगे किराए पर देने की अनुमति है; और

(घ) ऐसे ठेके साधारणत: कितनी अवधि के लिए दिये जाते हैं, और क्या इसमें कोई छूट दी जाती है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) सामान्यत: बुक स्टालों के ठेके 5 वर्ष के लिए दिये जाते हैं। लेकिन, मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी और मैसर्स हिगिनबोथम एण्ड कम्पनी के मामले में ठेकों का नवीकरण 1-1-1985 से 9 वर्ष के लिए किया गया था।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों की निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना का पूरा होना

5063. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के फूलवती और अन्य आदिवासी जिलों में निर्माणाधीन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1986-87 में कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) वित्त वर्ष 1986-87 के अंत तक उनमें से किसी परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त-पोषण तथा कार्यान्वियन राज्य सरकारें करती हैं तथा केन्द्र में परियोजना वार परि-व्ययों का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

(ग) आदिवासी उप-योजना दृष्टिकोण प्रचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते बजटीय आबंटन करती हैं। केन्द्र सरकार दुर्लभ निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने में आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती है।

कोट्टायम (केरल) में होम्योपैथी अनुसन्धान संस्थान के लिए आबंटन

5064. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान कोट्टायम, केरल में होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस अवधि के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) आबंटित की गई धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) इस संस्थान को आबंटित 22.86 लाख रुपयों, जिसमें मुख्य निर्माण कार्य के 4 लाख रुपये (लगभग) भी शामिल हैं, में से वास्तव में 19.3 ` लाख रुपए उपयोग किए गए।

(ग) मुख्य निर्माण कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा मानसिक रोगियों के लिए कोठरियों का निर्माण नहीं किया जा सका।

सिंधु गंगा मैदान में भूमि का जलमग्न होना

5065. श्री मानिक रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर सिंचाई कमान क्षेत्र सहित मुख्यतः भारत-सिंधु मैदान में दोषपूर्ण सिंचाई नहर प्रणाली के कारण प्रतिवर्ष लगभग 70 लाख हेक्टेयर बहुमूल्य सिंचित भूमि जलमग्न हो जाती है और यदि हां, तो पानी की बचत तथा अच्छी भूमि को बचाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भूमि को जलमग्न और क्षारीय होने से रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) क्या यूकेलिप्टस के पेड़ और एल्फा पेड़ लगाकर तथा बदल-बदल कर फसलों की बुवाई करके तथा अन्य उपयुक्त उपाय करके जलमग्न क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया जाएगा और यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार देश में लगभग 3.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जल जमाव से प्रभावित है। राज्यों को, जल निकास सुविधाओं की व्यवस्था, चुनिंदा पहुंचों में नहरों को पक्का करने तथा सतही और भूजल आदि के संयुक्त प्रयोग सहित उपचारी उपायों को हाथ में लेने की सलाह दी गई है।

गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा रेल पटरियों का अनुरक्षण

5066. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल पटरियों का अनुरक्षण कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेल पटरियों के अनुरक्षण का कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंपने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के मेडिकल कालेजों में जम्मू और कश्मीर द्वारा नामनिर्देशित छात्रों का दाखिला

5067. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेजों में विभिन्न राज्यों द्वारा नामनिर्देशित छात्रों को एम० बी० बी० एस० या एम० डी०/एम० एस० में दाखिला दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत मेडिकल कालेजों में जम्मू और कश्मीर राज्य द्वारा नामनिर्देशित कितने उम्मीदवारों को दाखिला दिया गया ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मेडिकल कालेजों वाले राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल में उपलब्ध की गई सीटों में से एम० बी० बी० एस० की कुछ सीटें उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आबंटित करती है जिनमें मेडिकल कालेज नहीं है। इन सीटों के लिए नामांकन संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास विभिन्न राज्यों के छात्रों के लिए किसी भी मेडिकल संस्था में एम० डी०/एम० एस० पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए कोई सीटें नहीं होती हैं।

(ख) 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों में छात्रों के नामांकन के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य को केन्द्रीय पूल में से कोई सीट आवंटित नहीं की गई थी।

कलाईकुण्डा रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर ढका हुआ लम्बा रेल यार्ड

5068. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलाईकुण्डा रेलवे स्टेशन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) पर रेल याडों में अपर्याप्त स्थान होने के कारण सीमेंट की उठाई-धराई में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कलाईकुण्डा रेलवे स्टेशन पर एक ढका हुआ लम्बा रेल यार्ड बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। स्टेशन पर पहले ही एक लम्बी साइडिंग

है जहां रेकों को सम्हाला जा रहा है।

महिला संगठनों को जांच एजेंसियों का दर्जा देने के लिए दहेज-विरोधी कानूनों में संशोधन

5069. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री ग्रार० एम० मोये
श्री बनवारी लाल पुरोहित
: क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दहेज के कारण होने वाली मौतों के मामलों में प्रमाणित स्वयं-सेवी महिला संगठनों को जांच एजेंसियों का दर्जा देने के लिए दहेज-विरोधी कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रमाणित स्वयंसेवी महिला संगठनों को कुछ वित्तीय सहायता देने का है?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी नहीं। फिर भी, संशोधित दहेज निषेध अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संगठनों को न्यायालयों में जहां मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम न हो, दहेज अपराध के बारे में शिकायतें दर्ज करने के अधिकार दिये गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

मुख्य रेलवे स्टेशनों के निकट यात्री निवासों का निर्माण

5070. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग द्वारा देश के मुख्य रेलवे स्टेशनों के निकट यात्री-निवासों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या नाम है जहां ऐसे यात्री-निवासों का निर्माण करने की सम्भावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) पाइलट परियोजना के रूप में नयी दिल्ली स्टेशन पर एक "रेल यात्री निवास" स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है। अन्य स्टेशनों पर इसी प्रकार की सुविधा का विस्तार करना इस पाइलट परियोजना से प्राप्त अनुभव पर निर्भर करेगा।

(ग) नयी दिल्ली स्टेशन में "रेल यात्री निवास" के लिये 1986-87 में 1 करोड़ रुपये के धन का आबंटन किया गया है।

गोवा में विदेशी गवर्नरों की प्रतिमाओं का जन प्रदर्शन

5071. **श्री रेणुपद दास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पहले पुर्तगाली गवर्नर से शुरू करके कुछ गवर्नरों की प्रतिमाएं लोगों को दिखाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की गोवा स्थित दीर्घा में रखी गई है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ऐसी क्या मजबूरी है जिनकी वजह से उनको भारतीय भूमि पर विदेशी गवर्नरों की प्रतिमाओं को लोगों को दिखाने के लिए रखना पड़ा है; और

(ग) इन प्रतिमाओं को आगन्तुक दर्शकों की नजर से कब हटाया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) पुर्तगाली गवर्नरों के चित्र मुख्यतया कला-वस्तुएं हैं और गोआ स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय में प्रदर्शन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार के संग्रह का भाग हैं।

(ग) उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा टीपू सुल्तान की तलवार का जब्त किया जाना

5072. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1986 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में टीपू सुल्तान की तलवार जब्त की है;

(ख) क्या टीपू सुल्तान अनुसंधान संस्थान और श्रीरंगपट्टनम संग्रहालय ने हाल ही में टीपू सुल्तान की तलवार के लिये दावा किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह तलवार उस संग्रहालय को वापस करने का है, और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) क्योंकि तलवार के स्वामित्व के सम्बन्ध में अभी जांच की जा रही है अतः इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेना असामयिक है।

करूर-दिन्डी गुल-मदुरै-तूतीकोरिन बड़ी लाइन परियोजना

5073. श्री ए० जे० वी० वी० महेश्वर राव : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करूर-दिन्डी गुल-मदुरै-तूतीकोरिन बड़ी लाइन परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर दिया जाएगा; और

(ग) परियोजना के निष्पादन के लिए कितना आबंटन किया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) यह एक अनुमोदित रेल परियोजना है।

(ख) तिरूनेलवेलि और मिलन विट्टान के बीच समानान्तर बड़ी लाइन को यातायात के लिये खोल दिया गया है। परियोजना का पूरा होना आगामी वर्षों में उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(ग) मार्च, 1986 तक प्रत्याशित व्यय लगभग 25.43 करोड़ रुपये है और 1986 87 के लिये परिव्यय 3.80 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय

5074. श्री मूलचन्द डागा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिये योग्य न माने जाने वाले 13 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त कर रहे अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों की तरह सरकारी सेवाओं में प्रवेश सहित सभी प्रयोजनों के लिए मान्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो जब इन विश्वविद्यालयों से परीक्षा पास करने वाले छात्रों को अर्हता प्राप्त नहीं माना जाता है तो इन विश्वविद्यालयों को कार्य करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ऐसे 12 विश्वविद्यालय हैं जिन्हें वि० अ० आ० ने आयोग से अनुदान प्राप्त करने के योग्य घोषित करना है। इन विश्वविद्यालयों के नाम, उनकी स्थापना का वर्ष और उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वि० अ० आ० अधिनियम के अनुसार राज्य विधान के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम है। तदनुसार, राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालयों चाहे अनुदान के योग्य घोषित न किया गया हो, द्वारा दी जाने वाली डिग्रियां रोजगार सहित सभी उद्देश्यों के लिए मान्यता प्राप्त हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उन विश्वविद्यालयों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण जिन्हें वि० अ० आ० अधिनियम के खण्ड 12-ख के अन्तर्गत नियमों के अनुसार केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित नहीं किया गया है।
दिनांक 27-3-1986 की यथास्थिति के अनुसार स्थिति)

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना का वर्ष	छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	(I) आन्ध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय	1982	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	(II) श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति (आन्ध्र)	1983	144
3.	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश इटानगर	1985	उपलब्ध नहीं
4.	हिमाचल प्रदेश	हि० प्र० कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	1978	855
5.	केरल	गांधी जी विश्वविद्यालय कोट्टायम (केरल)	1983	उपलब्ध नहीं
6.	मध्य प्रदेश	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय	1983	16324
7.	महाराष्ट्र	अमरावती विश्व-विद्यालय अमरावती (महाराष्ट्र)	1983	25448
8.	उड़ीसा	जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	1981	225
9.	तमिलनाडू	(I) मदर टरेसा महिला वि० वि०/कोडिकलान	1984	उपलब्ध नहीं
10.	तमिलनाडू	(II) अलगप्पा वि० वि० कारायकुडी (त०नाडू)	1985	उपलब्ध नहीं
11.	पश्चिमी बंगाल	विद्यासागर वि० वि०	1981	उपलब्ध नहीं
12.	गोआ	गोआ वि० वि० पणजी	1985	उपलब्ध नहीं

उपलब्ध नहीं—उपलब्ध नहीं—इनमें से कुछ विश्वविद्यालयों ने अभी तक अपने शिक्षण कार्यक्रम शुरू नहीं किये हैं।

[अनुवाद]

अहमदनगर-बीड-पाराली-वैजनाथ नई रेल लाइन का निर्माण

5075. श्री मुरलीधर माने : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर-बीड-पाराली-वैजनाथ नई रेल लाइन के निर्माण के लिये महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और परियोजना को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के स्तर में गिरावट

5076. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि प्रमुख विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय राजमार्गों, जो उनकी राय में अनेक स्थानों पर बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, के रख-रखाव के स्तर में आ रही गिरावट के संबंध में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे स्थानों का पता लगाया गया है जहां राष्ट्रीय राजमार्गों के टूटने की संभावना है;

(ग) वर्ष 1985 के दौरान इन राजमार्गों के समुचित रख-रखाव के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से प्रत्येक स्थान पर कितनी राशि का उपयोग किया गया; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लायक हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और सुधारात्मक कार्यों की संस्वीकृति राष्ट्रीय राजमार्ग की मौजूदा हालत, यातायात सघनता और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर दी जाती है। वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 204 करोड़ रुपए और उनके अनुरक्षण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए समय-समय पर आवंटन की राशि को बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खेलकूद काम्पलैक्स

5077. **श्री अजय मुशरान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य में खेलकूद काम्पलैक्स स्थापित करने हेतु सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से खेल काम्पलैक्स के निर्माण के लिए कोई नया प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक आदर्श इन्टरमीडिएट कालेज खोलने का प्रस्ताव

5078. **श्री राम पूजन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक आदर्श इंटरमीडिएट कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में कोई सहायता मिलेगी; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों की ओर सरकार द्वारा विशेष ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सातवीं योजना में सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय (माडल स्कूल) खोलने की योजना है। ये स्कूल योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन करके और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत स्थान निर्धारित करके ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी छात्रों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

भारत में औषधियों में मिलावट

5079. **श्री एन० वेंकटरत्नम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) अन्य देशों को तुलना में भारत में औषधियों में मिलावट की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में 40 करोड़ रुपये मूल्य की मिलावटी औषधियां प्रतिवर्ष बनाई जाती है; और

(ग) गैर-सरकारी, सरकारी तथा बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियों में औषधियों में मिलावट की प्रतिशतता क्या है;

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा औषधियों के जितने नमूनों का विश्लेषण किया गया उनसे पता चला कि जांच किए गए नमूनों में से 15 से लेकर 18 प्रतिशत नमूने घटिया किस्म के पाए गए थे। वैसे, इस मंत्रालय को यह जानकारी नहीं है कि अन्य देशों में मिलावट की क्या प्रतिशतता है। इसलिए तुलना करना सम्भव नहीं है।

(ख) भारत में 40 करोड़ रुपये के मूल्य की मिलावटी दवाइयां उपलब्ध हैं, इस बारे में इस मंत्रालय के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) औषधियों के निर्माण, वितरण, स्टाक करने और बिक्री को राज्य औषध नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसलिए इस मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

उड़ीसा में खुर्दा रोड में केन्द्रीय विद्यालय भवन

5080. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या उड़ीसा में खुर्दा रोड पर केन्द्रीय विद्यालय भवन अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भवन के निर्माण पर कुल कितनी लागत आई है; और

(ग) केन्द्रीय विद्यालय की सभी कक्षायें वहां पर अब तक स्थानान्तरित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अनुमोदित योजना के अनुसार स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) 30. 11. 85 तक 16, 91, 401 रुपये खर्च किए गए।

(ग) नए भवन में सभी कक्षाओं को स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें विभिन्न कक्षाओं में, जिन्हें इस दौरान दाखिले की अधिक मात्रा को पूरा करने के लिए खोला जाना था, अतिरिक्त सैक्शनों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है।

"सेंटर फार एडवांस मैथेमटिक्स एजूकेशन ट्रेनिंग" (कैसेट) में प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से अध्यापकों का चयन

5081. **श्री अनादि चरण दास :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक अध्यापक शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और चयन का मापदण्ड क्या है और वर्ष 1984, 1985 में "सेंटर फार एडवांस मैथेमेटिक्स एजूकेशन ट्रेनिंग" (कैसेट) में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए अध्यापकों के नाम क्या हैं और इस वर्ष कितने अध्यापक भेजे जाएंगे; और

(ख) उड़ीसा के लिए कितने अध्यापकों का चयन किया गया है?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) "सेंटर फार एडवांस मैथेमेटिक्स एजूकेशन ट्रेनिंग" कैसेट नामक परियोजना के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

अनिवार्य अर्हताएं :

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से गणित में प्रथम श्रेणी अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में मास्टर्स डिग्री अथवा इसके समकक्ष।

(2) मान्यता प्राप्त स्कूल/संस्थान में सीनियर सेकेण्डरी कक्षाओं को अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में शिक्षण का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(3) गणित में ग्रीष्म संस्थानों, अनुस्थापन पाठ्यक्रमों में भाग लेने का अनुभव।

(4) आयु प्रशिक्षण पर जाने की तारीख से 45 वर्ष से अधिक न हो।

(5) अंग्रेजी में अच्छी दक्षता।

वांछनीय अर्हताए :

(1) शिक्षा में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री।

(2) गणित/विज्ञान के सम्बन्धित क्षेत्र में संचालित परियोजना कार्य/किया गया अनुसंधान।

नामजदगियां राज्य सरकारों से आमंत्रित की जाती है तथा अन्तिम चयन मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) की ओर से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद में एक सप्ताह तक चलने वाले सेमिनार में उम्मीदवारों की सहभागिता तथा साक्षात्कार में उनके निष्पादन के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षकों के चयन के लिए अलग से कोई मानदण्ड नहीं है।

वर्ष 1984-85 के दौरान, प्रशिक्षण के लिए चुने गए शिक्षकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष 1985-86 में प्रशिक्षण के लिए किसी भी शिक्षक को परियोजना के अन्तर्गत मुक्त नहीं किया गया है।

(ख) पिछले 5 वर्षों अर्थात 1680-81 से 1984-85 तक कि अवधि के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा से चार शिक्षकों को चुना गया था।

विवरण

1. श्री एच० एल० वर्मा,
पी० जी० टी०
केन्द्रीय विद्यालय, चांदी मन्दिर,
हरियाणा

2. श्री ए० बी० शर्मा,
पी० जी० टी०
केन्द्रीय विद्यालय,
अमजोर, जिला रोहतास (बिहार)

3. डा० एम० एफ० इस्लाम,
प्राध्यापक
सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज,
रांची-834001 (बिहार)

4. श्रीमती जगमोहनी,
शिक्षा निदेशालय,
टी० बी० ब्रांच,
डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली

5. श्री पी० आर० सचदेवा,
पी० जी० टी०,
सरकारी आदर्श स्कूल नं० 2,
लुडलो कैस्टल,
दिल्ली-110054

6. श्री के० एन० ठाकरे,
सहायक शिक्षक,
सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल,
नरोली—36235
(दादरा नागर हवेली)
वाया भिलाद (प० रेलवे)

7. श्री अजसेलम सवौलिरा
विज्ञान प्रमोशन अधिकारी,
उपर खाटला,
अजवाल—796001 (मिजोरम)

8. श्री आर० डी० सिंह,
प्राध्यापक,
सरकारी बहु-उच्च मा० स्कूल,
बिलासपुर—49501 (म० प्र०)

9. श्री एन० आर० सिंघल,
प्राध्यापक,
उप-शिक्षा अधिकारी का कार्यालय,
शिमला (हि० प्र०)

10. श्री आर० बी० अग्रवाल,
प्राध्यापक,
सरकारी बालिका उच्च मा० स्कूल,
गोविन्दपुरा भेल,
भोपाल (म० प्र०)

11. श्री टी० के० श्रीनिवासन,
प्राध्यापक,
राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान,
जबलपुर (म० प्र०)

12. श्री पी० सी० जैन,
प्राध्यापक,
गवर्नमेंट कस्तूरबा गांधी उच्च मा०
स्कूल, इंदौर—452004 (म० प्र०)

13. श्रीमती सी० प्रेमिनी नायर,
प्राध्यापक,
सेट. कारमल कालेज, पेलेस रोड,
बंगलोर—560052

14. कुमारी सी० के० शांता,
प्राध्यापिका, सेट कार्मल कालेज,
पालेन्स रोड़,
बंगलोर—560052

15. डा० एस० बी० राव,
रीडर (गणित),
राष्ट्रीय कालेज, बासावनगुडी,
बंगलोर—560052

16. श्री वाई जी० सिंगागायपेरुमल,
रीडर (गणित),
एन० ई० एस० कालेज, मालेस्वरम,
बंगलोर—560003

17. डा० बी० एस० उपाध्याय,
प्राध्यापक (गणित),
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज,
शामला हिल, भोपाल-13

18. डा० एन० एस० राय,
रीडर (गणित)
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज,
मैसूर—560006

19. श्री एम० एन० गौड़ा,
प्राध्यापक (गणित)
जी० एस० सी०, बांगरपेट,
कोलार जिला,
कर्नाटक

20. डा० पी० के० सतपथी,
प्राध्यापक (गणित)
बी० जे० बी० कालेज,
भुवनेश्वर-751014

21. डा० पी० सी० महापात्र,
प्राध्यापक (गणित)
बी० जे० बी० कालेज,
भुवनेश्वर—751014

22. श्री जगदीश दत्ता, पी०जी०टी०,
गवर्नमेंट बालिका सीनियर स्कूल,
पोर्ट ब्लेयर—7441014

23. श्री एस०पी० मण्डल,
पी० जी० टी० पोर्ट ब्लेयर—
744101 (अण्डमान और
निकोबार)

दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत चलने वाली प्राइवेट बसों के लिए अधिक दर पर भुगतान

5082. **श्री पी० एम० सईद** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट बस आपरेटर्स वैलफेयर एसोसिएशन ने अपनी बसों के लिए दिल्ली परिवहन निगम से तत्काल अधिक दर पर भुगतान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री श्री (राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) एसोसिएशन ने विभिन्न अनुषागी मदों में हुई मूल्य वृद्धि मजदूरी लागत, लाभ मार्जिन इत्यादि के कारण प्रचालन लागत में वृद्धि के आधार पर भाड़ा शुल्क में वृद्धि करने के लिए कहा है।

(ग) कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश की स्वीकृत सिंचाई परियोजनायें

5083. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के लिए छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत की गई बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रगति का ब्योरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेज करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) छठी योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित बृहद और मध्यम परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और कार्य की गति को तेज करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य उपायों के साथ-साथ किये गये उपाय ये हैं: —चुनिन्दा परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करना ताकि उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके, अग्रिम में उपचारात्मक उपाय शुरू करने के लिए अवरोधों का पता लगाने हेतु चुनिन्दा परियोजनाओं का मानीटरी करना, दुर्लभ सामग्री की सप्लाई के लिए सम्पर्क स्थापित करना तथा बाह्य अभिकरणों से सहायता की व्यवस्था करना।

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अनुमोदित अनुमानित लागत	आरम्भ होने की तारीख	छठी योजना के अन्त तक व्यय
1	2	3	4	5
	बृहद			
1.	राजघाट बांध यूनिट	123.22	पांचवी योजना	41.07
2.	हलाली परियोजना	13.06	1978-80	12.33
3.	माही	61.53	1980-81	3.67
	मध्यम			
4.	बाह सिंचाई परियोजना	13.98	1980-81	0.58
5.	सागर सिंचाई परियोजना	10.63	1980-81	0.37
6.	दोराहा टैंक	2.49	1979-80	1.90
7.	कलियासोत सिंचाई	9.33	1978-80	9.50
8.	तिल्लार बांध	5.77	दूसरी योजना	5.14
9.	बुधना नाला	1.99	1978-80	1.77
10.	लखुंदर बांध	4.27	1981-82	1·34

1	2	3	4	5
11.	छिरपनी	8.57	1980-81	3.42
12.	कोसरटेडा टैंक	6.02	1980-81	2.35
13.	कुनवारी लिफ्ट सिंचाई	1.03	1980-81	0.11
14.	बंदिया नाला सिंचाई	1.80	1982-83	0.47
15.	कन्हरगांव टैंक	5.22	1980-81	2.38
16.	दोकरिया टैंक	2.29	अभी शुरू नहीं हुई है	—
17.	देजला देवड़ा टैंक	16.43	1980-81	6.67
18.	जोबट	36.75	1983-84	0.50
19.	बरनई टैंक	4.26	1983-84	0.35

सर्व सेवा संघ प्रकाशन को रेलवे स्टेशनों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री के लिए सुविधायें

5084. **श्री मोती लाल सिंह :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने इस बात की मांग की है कि उन्हें अन्य बुक स्टाल ठेकेदारों की तरह अपनी स्टालों पर पुस्तकें और पत्रिकाएं बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, यदि हां, तो इस पर क्या कारवाई की गई है;

(ख) क्या सर्व सेवा संघ प्रकाशन भी अन्य ठेकेदारों की तरह कुल बिक्री पर 2.5 प्रतिशत की दर से रायल्टी देता है;

(ग) क्या बड़े ठेकेदारों की पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री सर्व सेवा संघ प्रकाशन द्वारा प्लेटफार्म पर की जाने वाली पुस्तकों की बिक्री से हजारों गुना अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सर्व सेवा संघ प्रकाशन को एक सरकारी उपक्रम होने के नाते अधिक सुविधाएं देने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) मैसर्स सर्व सेवा संघ प्रकाशन ने यह अनुरोध किया था कि उन्हें अपने सभी बुक स्टालों से बेची जाने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं

के चयन के मामले में पूरी छूट दी जाये। इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उनके साथ किये गये करार के अनुसार उन्हें केवल कुछ किस्म की ही पुस्तकें और पत्रिकाएं बेचने की अनुमति दी गई है।

(ख) सर्व सेवा संघ प्रकाशन अपनी सकल बिक्री कर 2.5 प्रतिशत रायल्टी के रूप में देता है। दो प्रमुख ठेकेदारों नामत: मैसर्स स० एच० व्हीलर एंड कम्पनी और मैसर्स हिग्गिनवाथम्स द्वारा 3 प्रतिशत रायल्टी देनी अपेक्षित है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उन्हें उनके करार की शर्तों के अनुसार सुविधाएं दी गई हैं।

एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय और विश्रामालय

5085. प्रो० के० वी० थामस : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार एर्नाकुलम रेलवे गुड्स स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय में सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा;

(ग) क्या एर्नाकुलम जंक्शन पर विश्रामालय में कमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) मौजूदा यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एर्नाकुलम माल स्टेशन पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध है। इस स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेरोजगार स्नातकों को रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों का आवंटन

5086. श्री सोडे रमैया : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले जिन स्टेशनों पर मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के स्टाल थे उन पर तीन महीने की नोटिस अवधि के दौरान और इसके बाद बुक स्टाल सुविधा जारी रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) उन स्टेशनों पर सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से कितने बेरोजगार स्नातकों को बुक स्टाल दिए गए हैं और यदि कोई नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पहले जिन स्टेशनों पर मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स के स्टाल थे, उन पर बुक स्टाल आबंटित करने के लिए रेलवे द्वारा दिए गए विज्ञापन के उत्तर में बेरोजगार स्नातकों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा गुण व दोष के आधार पर कितनों को अन्तिम रूप दिया गया ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) मैसर्स गुलाब सिंह एण्ड सन्स ने तीन महीने की नोटिस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था और न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत अभी भी विभिन्न स्टेशनों पर बुक स्टाल चला रहे हैं। मामला न्यायाधीन है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर ठेका देने के काम को अंतिम रूप दिये जाने की कारंवाई स्थगन आदेश के निरस्त होने पर ही की जायेगी।

नई औषधियां और औषधियों के नये संयोजन की स्वीकृति के लिए मार्ग निर्देशन

5088. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नई औषधियों और औषधियों के नए संयोजन की स्वीकृति के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इन दिशा निर्देशों के अनिवार्य घटक नीचे दिए गए हैं :—

(i) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के विभिन्न नियम जिनके अधीन नयी दवा के आयात तथा निर्माण की अनुमति औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा दी जाती है, जो नयी औषधि को अनुमोदित करने के लिए औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 21 के अधीन लायसेंसिंग अथारिटी हैं।

(ii) वे विभिन्न स्थितियां जिसके अन्तर्गत नई औषधि का भारत में क्लीनिकल परीक्षण करना अपेक्षित होता है, बावजूद इसके कि ऐसी दवा अन्य देशों में पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

(iii) वे विभिन्न औपचारिकताएं तथा आंकड़े जो भारत में अलग-अलग चरणों में क्लीनिकल परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होते हैं।

(iv) देश में नयी औषधि के क्लीनिकल मूल्यांकन में लगे प्रायोजक अन्वेषक की जिम्मेदारियां।

(v) देश में क्लीनिकल परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के आवेदन-पत्र के साथ आंकड़े भेजने होते हैं, जिनमें औषधि की कैमीकल एवं फार्मास्युटिकल जानकारी, एनिमल फार्माकोलाजी, एनिमल टोक्सीकालोजी, विदेश से क्लीनिकल परीक्षण की रिपोर्टें, विशेष अध्ययन, यदि कोई किए गए हों, अन्य देशों में औषधि के विनियमित स्तर शामिल हैं।

(vi) दिशा निर्देशों में बताया गया है कि किसी नई औषधि को भारतीय लोगों पर क्लीनिकल परीक्षण करने और बाजार में बेचने के बारे में औषध नियंत्रक (भारत) की अनुमति लेने के लिए प्रत्येक वर्गीकृत अपेक्षा के अन्तर्गत उसकी मात्रा और क्वालिटी सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं।

(vii) भारत में नई औषधि के क्लीनिकल परीक्षणों के लिए अध्ययन जिसे औषध नियंत्रक (भारत) से अनुमोदित करवाना होता है, कि किस्म सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का भी, इन दिशा निर्देशों में उल्लेख किया गया है।

(viii) मनुष्य पर परीक्षण प्रारम्भ करने से पहले जो अध्ययन पशुओं पर होने वाली विषाक्तता के बारे में किये जाने अपेक्षित होते हैं उनसे सम्बन्धित दिशा निर्देशों का ब्यौरा भी दिया गया है।

(ix) अनुमति फार्म जो क्लीनिकल परीक्षणों में भाग लेने के लिए रोगी/उसके रिश्तेदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना होता है, का पाठ भी दिशा निर्देशों में दिया गया है।

(x) दिशा निर्देशों के अनुबंध-7 में उन निश्चित मात्राओं का 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है और यह कम्बीनेशन की किस्म के अनुरूप किया गया है। रजिस्ट्रेशन के प्रयोजन हेतु कम्बीनेशन के प्रत्येक ग्रुप के लिए अपेक्षित विभिन्न आंकड़े भी दिशा निर्देशों में दिये गये हैं।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में अबादा-माल यार्ड का निर्माण

5089. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के पुराने शालीमार-यार्ड को हटाकर हावड़ा जिले के दक्षिण-पूर्व रेलवे के अबादा में रेलवे का एक बड़ा माल-यार्ड का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यार्ड के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या उन लोगों को जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, पर्याप्त मुआवजा दे दिया गया था या अभी भी शिकायतें मिल रही हैं और दावे पेश किए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) सांकराइल (चरण-I) में टर्मिनल यार्ड सुविधा सम्बन्धी निर्माण-कार्य चल रहा है। रेक उतराई के लिए दो लाइन यार्ड का काम पूरा हो गया है। इस यार्ड के लिये प्रवेश अबादा रेलबे स्टेशन से है। इस कार्य के लिये 3.2 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है।

(ग) लगभग 63.30 लाख रुपये राज्य सरकार के पास जमा कर दिये गये हैं जो भूमि के मालिकों को अपेक्षित भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ने लगभग 306 एकड़ भूमि (वास क्षेत्र को छोड़कर) सौंप दी है जिस पर काम चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा वास क्षेत्र की भूमि को अभी सौंपा जाना बाकी है।

संथाल परगना के दुमका मुख्यालय को रेल लाइन द्वारा जोड़ना

5090. **श्री सलाउद्दीन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में संथाल परगना के दुमका मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब तक प्रारम्भ की जायेगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी के कारण इस प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा सकता है।

कर्नाटक राज्य में मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना तथा रेल लाइनों का विस्तार

5091. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में विद्यमान रेल लाइनों का एक छोर से दूसरे छोर तक विस्तार करने

तथा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के कितने प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू योजनावधि के दौरान इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) रेल बजट में दी गई अनुमोदित परियोजनाओं को छोड़कर, जिन पर पहले से ही काम चल रहा है, कर्नाटक राज्य में नई लाइनों के निर्माण/आमान परिवर्तन के अनुमोदन हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है। तथापि, कई नई लाइनों के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ताकि उन परियोजनाओं के वित्तीय फलितार्थों का पता लगाया जा सके।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सम्पूर्ण नदी जल संसाधनों का लाभ समूचे देश को पहुंचाना

5092. **श्री हुसैन बलवाई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ इंजीनियरों ने भारत सरकार को सारे देश की भूमि की सिंचाई के लिए संपूर्ण नदी जल संसाधनों का उपयोग किए जाने संबंधी एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तुत की थी;

(ख) उपर्युक्त परियोजना की मुख्य बातें क्या थीं;

(ग) उपर्युक्त परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) देश के संपूर्ण नदी जल संसाधनों के उपयोग के लिए कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, नदियों को अन्तःसम्बद्ध करने और भण्डारणों के निर्माण हेतु डा० के० एल० राव के गंगा-कावेरी लिंक तथा कैप्टन दस्तूर के गारलैण्ड नहर प्रस्तावों को व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने की प्रणाली को उदार बनाया जाना

5093. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने राज्य सड़क परिवहन निगमों के सम्बन्ध में

वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रणाली उदार बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां; आटोमोबाइल निर्माताओं विशेषकर ट्रक और हल्के व्यावसायिक वाहनों के निर्माताओं को अपनी बिक्री बढ़ाने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा समीक्षा की गई थी और उसने बिल्स रिडिस्काउंटिंग स्कीम और परिवहन ऋणों के लिए रिफाइनेंसिंग स्कीम के तहत कई उपायों की घोषणा की जो 27 दिसम्बर, 1985 से प्रभावी हो गए। उदार किए गए उपाय निम्नलिखित हैं : —

(क) 31 मार्च, 1986 को समाप्त अवधि तक का राज्य परिवहन और अन्य उपक्रमों के लिए निर्धारित 10% डाउन पेमेंट की शर्त को समाप्त करना।

(ख) 30 जून, 1986 तक की संस्वीकृतियों के संबंध में लघु सड़क परिवहन प्रचालकों के लिए रिपपेट की अवधि को मौजूदा 4 वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 5 वर्ष कर दिया गया है।

उड़ीसा में माडल स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय

5094. **श्री बृज मोहन महन्ती**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और क्या उड़ीसा में नये केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो वे कहां-कहां पर खोले जाएंगे; और

(ख) प्रत्येक जिले में इस समय प्रस्तावित माडल स्कूल खोलने के लिए क्या मापदंड हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) प्रत्येक वर्ष कुछ नये केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोले जाते हैं। उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में वर्ष 1986-87 में खोले जाने वाले नये स्कूलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन उन सम्पूर्ण प्रस्तावों को, जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है, को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के अन्दर निर्णय करेगा।

(ख) सातवीं योजना अवधि में प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला जाना है। ये स्कूल पहले उन जिलों में खोले जाएंगे जहां उपयुक्त भवन तथा भूमि उपलब्ध है।

सड़क सुरक्षा के बारे में राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद की सिफारिशों का कार्यान्वयन

5095. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन विकास परिषद् ने राज्यों को सड़क सुरक्षा के बारे में सिफारिशें की हैं और उन पर तुरन्त अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या राजधानी में उक्त सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम ने चालक लाइसेंस देने और वाहनों के लिए भौतिक फिटनेस प्रमाणपत्र देने के सम्बन्ध में नियमों और विनियमों के प्रवर्तन में तेजी लाने के अलावा व्यापक प्रशिक्षण देने के लिए चालक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की है। दिल्ली-चण्डीगढ़ रूट पर यातायात सहायता चौकी स्थापित कर राजमार्ग गश्ती स्कीम लागू की गई है। सड़क सुरक्षा यातायात और परिवहन इंजीनियरिंग समिति, सड़क सुरक्षा उपाय करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए कार्य कर रही है। दिल्ली यातायात पुलिस के अधीन एक सड़क सुरक्षा कक्ष भी खोला गया है जो सड़क सुरक्षा के संदेश को प्रचारित करने के लिए भाषणों, प्रदर्शनों, फिल्म शो, पेंटिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों और सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा देता है। इसके अलावा दो यातायात प्रशिक्षण पार्कों का उपयोग किया जाता है जिसमें से एक पंजाबी बाग और दूसरा बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर है जहां बच्चों को सड़क के नियमों की शिक्षा दी जाती है। सड़क सुरक्षा यातायात और परिवहन इंजीनियरी समिति, सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन पर नजर रखती है।

[हिन्दी]

दिल्ली से अमृतसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को चौड़ा करना

5096. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से अमृतसर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (शेर शाह सूरी मार्ग) को चौड़ा करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : दिल्ली से अमृतसर तक 456 कि० मी० लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के 80 कि० मी० के खण्ड को पहले ही चौड़ा करके चार—लेन का कर दिया गया है। 7.36 कि० मी० में काम चल रहा है। इसके अलावा, 167.67 कि० मी० के खण्ड को चौड़ा करके चार—लेन बनाने का काम शीघ्र ही शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

गुजरात में ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता से बचाव कार्य

5097. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कैरा जिले में, जो आनन्द डेरी समूह के लिए प्रसिद्ध है पोषण तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भैंसें ग्रामीण की तुलना में बेहतर पाई गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने डेरी किसानों के लिए कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि और भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना की सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाओं के जरिये बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) क्या अन्य स्थानों में जहां गुजरात की तरह प्रति व्यक्ति दूध का उपयोग बहुत कम है, ऐसी ही स्थिति पैदा हुई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्ग के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के लिए बिभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें स्कूल पूर्व आयु के बच्चे, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं और आदिवासी क्षेत्रों, शहर की गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग तथा निर्धन ग्रामीण व्यक्ति शामिल हैं।

राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट (1982) के अनुसार दूध का औसतन उपभोग गुजरात में सबसे अधिक (252 एम०एल०) पाया गया था जबकि तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में यह क्रमश: 35 मि० लि०, 9 मि० लि० तथा 2? मि० लि० था। अन्य राज्यों में यह लगभग 75 मि० लि० था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने इसके बारे में जो सुझाव दिया है वह प्रति दिन 150 मि० लि० है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय परमिटों का उपयोग न किया जाना

5098. डा० जी० विजय रामा राव : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह नोट किया था कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय परमिटों का बहुत बड़ा भाग वित्तीय कठिनाइयों के कारण

उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसके लिए उन्होंने सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समस्या का ब्यौरा क्या है और स्थिति से निपटने के लिए कमजोर वर्गों के सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) परिवहन विकास परिषद ने अपनी अक्तूबर, 1985 की बैठक में अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित राष्ट्रीय परमिट जारी करने में अनवरत कमी देखने के बाद यह पाया कि हालांकि अनेक राज्यों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की सहायता के लिए विकास निगमों की स्थापना की है, किन्तु अनुसूचित जातियों/जनजातियों से उत्साहवर्धक उत्तर नहीं मिल रहे हैं। और इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए बहुत थोड़े आवेदन-पत्र आते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के क्रम में परिवहन विकास परिषद की सिफारिश के अनुसार एक कार्यदल को विभिन्न उपायों पर विचार करने का काम सौंपा गया है जिसमें उनको वाहन खरीदने के लिए समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराना भी शामिल है।

एयरक्राफ्ट मेंटेनेन्स इंजीनियरी पाठ्यक्रम (जामिया मिलिया इस्लामिया में) को स्नातक स्तर के बराबर करना

5099. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, दिल्ली के प्रौद्योगिकी विभाग के एयरक्राफ्ट मेंटेनेन्स इंजीनियरी के छात्र अपने पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर के समान करने के संबंध में मांग कर रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों को उनके प्रस्ताव पर वस्तुपरक दृष्टि से विचार करने का आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस आश्वासन को शीघ्रता से लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) इस आशय का अभ्यावेदन किया गया है कि विमान रखरखाव इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के स्तर को बढ़ाकर बी० ई० (वायुयान) रखरखाव कर दिया जाए। जामिया मिलिया के लिए इस पाठ्यक्रम के स्तर को बढ़ाना सम्भव नहीं हुआ है। तथापि वायुयान इंजीनियरिंग में डिग्री स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू करने के सम्बन्ध में जामिया मिलिया के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंत्रालय के परामर्श

से विचार किया जा रहा है।

सामरिक महत्व की नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रावधान

5100. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सुरक्षा की दृष्टि से सातवीं पंचवर्षीय योजना में सामरिक महत्व की नई सड़कों के निर्माण के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश के सामरिक महत्व की नई सड़कों के चल रहे निर्माण कार्यों और उनके विकास के लिए 18 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

उड़ीसा में वायुदूत सेवाएं

5101. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री के० प्रधानी } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय चल रही वायुदूत सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने 'भुवनेश्वर-जयपोर-विशाखापतनम" और "वाराणसी होकर भुवनेश्वर" जैसी नई वायुदूत सेवाएं चलाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और ये सेवाएं कब तक शुरू करने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इस समय वायुदूत उड़ीसा में रूरकेला-भुवनेश्वर-रूरकेला मार्ग पर भुवनेश्वर और रूरकेला के लिए प्रचालन कर रही है।

(ख) भुवनेश्वर-जयपोर-विशाखापत्तनम् और भुवनेश्वर-झारसुगुड़ा-रायपुर मार्ग पर वायुदूत सेवाएं आरम्भ करने के लिए उड़ीसा सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) वायुदूत की 1986 में भुवनेश्वर-जयपोर-भुवनेश्वर मार्ग पर अपनी उड़ानें आरम्भ करने की योजनाएं हैं।

मथुरा-अलवर रेल लाइन का सर्वेक्षण

5102. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा-अलवर रेल लाइन का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) 120 कि० मि० लम्बी इस लाइन की अनुमानित लागत 34.75 करोड़ रुपये है। यह एक अनुमोदित कार्य है और प्रगति पर है।

रक्त घोल का सफल उपयोग

5103. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रोगियों को खून चढ़ाने में रक्त घोल का सफल उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रति वर्ष कितने रोगियों का इस विधि से उपचार किया गया ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को किसी रक्त घोल की जानकारी नहीं है। वैसे, रक्त एकत्र करते समय इसे एक एण्टीकोएगुलेंट घोल के साथ मिलाया जाता है ताकि यह जमने न पाए। इस घोल के घटक अलग-अलग स्थानों तथा देशों में अलग-अलग होते हैं।

कुछ विकसित देशों में "आर्टीफिश्यल ब्लड" नामक एक घोल जिसमें फ्लूरा कार्बन्स होते हैं, पर प्रयोग किया जा रहा है। यह केवल अच्छी आक्सीजन को ले जाने वाला एक साधन है और यह रक्ताधान का स्थान नहीं ले पाया है। ऐसा कोई प्रयोग भारत में नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मानक विशिष्टियां

5104. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए मानक विशिष्टियां क्या हैं;

(ख) गोवा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग मानक विशिष्टियों के अनुरूप हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) किसी भी राष्ट्रीय

राजमार्ग की मानक विशिष्टियां अनेक मुद्दों अर्थात् यातायात, भूखण्ड आदि पर निर्भर करती है और ये मानक, भारतीय सड़क कांग्रेस के सम्बन्धित प्रकाशनों में दर्शाए जाते हैं।

(ख) तीन, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 क और राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 4 क।

(ग) मौजूदा सड़कों का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में किया गया था और इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग मानक के अनुरूप उन्नत करने का काम चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है जो धन की उपलब्धता और पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास सम्बन्धी निर्माण कार्यों की प्राथमिकता पर निर्भर है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों की मृत्यु दर में वृद्धि

5105. डा० फूलरेणु गुहा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों और बच्चियों की मृत्यु का प्रतिशत कितना है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) नमूना पंजीयन पद्धति अनुमानों में नवीनतम वर्ष के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार वर्ष 1978 में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों की मृत्यु दर 143 थी जबकि वर्ष 1982 में इसकी मृत्यु-दर 114 थी। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1980-82 की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और बच्चियों की मृत्यु-दर इस प्रकार थी :—

वर्ष	बच्चों की मृत्यु-दर	बच्चियों की मृत्यु-दर
1980	123	125
1981	119	119
1982	114	114

(घ) सरकार ने शिशु मृत्यु-दर को कम करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनमें स्वास्थ्य से सम्बन्धित मौजूदा आधारभूत ढांचे का विस्तार करना, कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य शिक्षा, रिस्क अप्रोच अंगीकार करना, बच्चों को व्यापक रोग प्रतिरक्षण करना, अतिसार रोगों की रोक-थाम

करना, पोषण की कमी के कारण होने वाली अरक्तता से बचाव तथा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों को पूरक आहार उपलब्ध करना शामिल है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण पर निगरानी रखना

5106. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यकरण पर जिनके लिए राज्यों को भारी अनुदान दिया जाता है, नियमित रूप से निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के खोलने तथा स्टाफ की स्थिति पर ही निगरानी रख रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं और केन्द्रीय सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए राज्य को कोई सहायता नहीं दे रही है।

बिहार में सिंचाई के लिए विश्व बैंक से सहायता

5107. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भूमिगत जल और नहर से सिंचाई की प्रणाली लागू करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति लाने के बारे में सरकार के वक्तव्य को ध्यान में रखकर बिहार में सिंचाई के अन्य कौन से तरीके शुरू करने का विचार किया जा रहा है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार सरकार ने 500 नए नलकूपों के निर्माण, 4012 विद्यमान सार्वजनिक नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा 5212 सार्वजनिक नलकूपों (500 नए नलकूपों सहित) को एकनिष्ठ पारेषण लाइन से जोड़ने के लिए एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस परियोजना को विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है। बिहार सरकार ने सोन नहर प्रणाली सोपान—एक के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य

5108. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सातवीं योजना के दौरान प्राथमिक विद्यालय खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने संसाधनों से इस लक्ष्य को पूरा करें या उन्हें कुछ केन्द्रीय सहायता दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचार क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार की नीति देश की समस्त जनसंख्या की सुविधाजनक पैदल चलने की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराने की है। सातवीं योजना में लक्ष्य नये स्कूल खोलने का नहीं बल्कि अधिक बच्चों को दाखिल करना है। सातवीं योजना का लक्ष्य वर्ष 1990 तक औपचारिक और गैर औपचारिक तरीकों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। राज्यों को एक मुश्त केन्द्रीय सहायता देने के अतिरिक्त, शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों, जम्मू और काश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश, जहां स्कूल से बाहर 6—14 आयु वर्ग के बच्चे देश के कुल बच्चों का लगभग 80% है, को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार के लिए सहायता दी जा रही है।

जल संसाधनों के लिए कर्नाटक का मास्टर प्लान

5109. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जल संसाधनों सम्बन्धी अपना मास्टर प्लान प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) मास्टर प्लान की मंजूरी के लिए आगे क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) कर्नाटक सरकार से जल संसाधन विकास के लिए कोई मास्टर योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अन्तःसम्बद्ध और भण्डारण द्वारा प्रायद्वीपीय नदियों के इष्टतम विकास के लिए राष्ट्रीय परिपेक्ष्य के व्यवहार्यता अध्ययनों के बारे में

एक रूपरेखा योजना प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा छात्रों को सस्ती दरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराया जाना

5110. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो छात्रों को सस्ती दरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना लागू कर रही हैं तथा केन्द्र द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा और स्वरूप क्या है;

(ख) क्या गुजरात राज्य पुस्तक मण्डल ने सस्ती दरों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से पुस्तकों की छपाई के लिए रियायती दरों पर कागज की सप्लाई करने का अनुरोध किया है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) पाठ्य पुस्तक संस्थानों द्वारा छात्रों को सस्ती दरों पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए दी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन, छात्रों को सस्ती दरों पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने की एक योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की छपाई, अभ्यास-पुस्तिकाओं तथा परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को रियायती सफेद मुद्रण कागज का आबंटन शिक्षा विभाग द्वारा कागज नियंत्रण आदेश तथा कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश के प्रावधानों के अनुसार, उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले संभावित कागज की मात्रा के आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

(ख) स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की छपाई के लिए वर्ष 1985-86 के दौरान गुजरात राज्य सरकार को शिक्षा विभाग द्वारा 3900 मी० टन रियायती सफेद मुद्रण कागज की कुल मात्रा आबंटित की गई थी। स्कूली पाठ्य-पुस्तकों की छपाई के लिए स्कूली पाठ्य-पुस्तक गुजरात राज्य बोर्ड को राज्य स्तरीय समिति द्वारा कागज की पूरी मात्रा आबंटित की गई थी।

(ग) पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों से पाठ्यपुस्तकों के मूल्यों पर कड़ा नियन्त्रण रखने का अनुरोध किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ रियायती सफेद मुद्रण कागज के मूल्यों के संदर्भ में होना चाहिए।

[अनुवाद]

दीव और बम्बई के बीच विमान सेवा की मांग

5111. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दीव और बम्बई के बीच हवाई सेवा आरम्भ करने की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यह सेवा कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) वायुदूत द्वारा दीव का सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह महसूस किया गया है कि दीव को, जहां अच्छे समुद्री किनारे हैं एक आकर्षित पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(ख) और (ग) विमान क्षमता के उपलब्ध होने तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए संसाधनों के उपलब्ध होने पर, वर्ष 1986-87 के दौरान वायुदूत की दीव को हवाई सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

भारतीय फोटोग्राफी की एक वीर्घा खोलना

5112. श्रीमती शीला दीक्षित : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फोटोग्राफी का कोई अभिलेखागार/संस्कृति या दीर्घा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार दुर्लभ भारतीय फोटोग्राफी और भारतीय फोटोग्राफी के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी एक योजना बनाएगी ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलहाल, ऐसी कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को हुआ घाटा

5113. श्री काली प्रसाद पाण्डेय }
श्री श्रीरामभूर्ति भट्टम } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को वर्ष 1984-85 के दौरान 13 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस शिपयार्ड को अब तक कुल 34 करोड़ का घाटा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त घाटे को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) घाटा निम्नलिखित कारणों से हुआ :

(I) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण फार्मूला के अनुसार शिपयार्ड द्वारा जहाजों की अलाभकर कीमत का लिया जाना।

(II) मालिकों से लम्बे समय तक चरणबद्ध ढंग से भुगतान न मिल पाने के कारण बैंकों से लिए गए ऋणों पर लम्बे समय तक ब्याज का बोझ उठाना।

(III) सामग्री लागत में वृद्धि, विनिमय दर में अंतर और मुद्रास्फीति के कारण मूल्य वृद्धि।

सरकार ने दोनों शिपयार्डों और नौवहन कम्पनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मूल्य-निर्धारण फार्मूला में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का शिपयार्ड के पूंजीगत आधार की पुन: संरचना करने का भी प्रस्ताव है, ताकि सरकारी ऋणों आदि पर ब्याज के बोझ को कम किया जा सके।

[अनुवाद]

बरसाती रेलवे स्टेशन (जिला जौनपुर) का विद्युतीकरण

5114. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बरसाती रेलवे स्टेशन का प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किये जाने के लिये क्या कदम उठाये गये/उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : बरसाती रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण करने के लिए अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है और निकट भविष्य में ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा औषध-सलाहकार बोर्डों की स्थापना

5115. श्री डी० बी० पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कहा है कि वे लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारियों को औषध "फार्म्यूलेशन" के लिए लाइसेंस मंजूर करने के मामले में सलाह देने हेतु औषध-सलाहकार बोर्ड स्थापित करें;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने औषध-सलाहकार बोर्डों की स्थापना कर ली है; और

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में इस प्रकार के बोर्डों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने औषध सलाहकार समितियों का गठन किया है :—

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू, व कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, दिल्ली प्रशासन, गोवा, मणिपुर, मेघालय और पांडिचेरी।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अंतर्गत यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य में एक औषध सलाहकार समिति हो। लेकिन पहले यथा आयोजित किए गए औषध सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक राज्य में एक औषध सलाहकार समिति होनी चाहिए। यह सुझाव एक सिफारिश ही थी जिस पर भी औषध परामर्शदायी समिति द्वारा विचार किया गया और इसका समर्थन किया गया तथा इसके पश्चात राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों से औषध सलाहकार समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया था।

संस्कृत, वैदिक, बौद्ध और पाली अध्ययन के लिये छात्रों को वित्तीय सहायता

5116. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्कृत, वैदिक, बौद्ध और तिब्बती/पाली अध्ययन को बढ़ावा देने और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा सहबद्ध वित्तीय सहायता देने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई योजना मंजूर की थी;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कितने अध्येताओं को छात्रवृत्तियां दी गई;

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान इन योजनाओं को जारी रखा जायेगा;

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना में इन योजनाओं के लिये कुल कितना आबंटन किया गया है और योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय पालि और प्राकृत के साथ-साथ संस्कृत के विकास संवर्धन और प्रचार, प्रसार के लिए अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करता रहा है। ये कार्यक्रम या तो सीधे ही कार्यान्वित किए जाते हैं या उनके कार्यान्वियन के लिए शैक्षिक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। विभिन्न संस्कृत पाठ्यक्रमों, पालि और प्राकृत में दाखिल छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए राज्यों, स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं:—

(क) 2 स्तर सहित स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। छात्रों को दी गई छात्रवृत्ति की राशि 10 रुपये प्रति माह है। विशिष्ट प्रस्ताव, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अछात्रों की संख्या, जिन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती है तथा इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित राशि दर्शानी होती है, राज्य सरकारों से मांगे जाते हैं।

(ख) संस्कृत (पालि और प्राकृत सहित) को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता परम्परागत आधार पर संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहें चुनिन्दा छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए दी जाती है। छात्रवृत्तियों की दरें 50 रुपये प्रति माह से 150 रुपये प्रतिमाह तक भिन्न-भिन्न होती है, जो उस पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है जिसमें छात्र दाखिल किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुशासित प्रस्ताव उन संगठनों से आमंत्रित किये जाते हैं। शिक्षकों के वेतन छात्रों को छात्र-वृत्तियां, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद, भवनों की मरम्मत और कुछ मामलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहायता दी जाती है।

(ग) वेदों की मौखिक परम्परा की योजना के अंतर्गत 150/-रुपये प्रतिमाह की दर से छात्र-वृत्तियां उन छात्रों को दी जाती है जो वेदों की विशिष्ट शाखा के गहन अध्ययन के लिए चुने हुए वैदिक अध्येयताओं के साथ संबद्ध होते हैं। छात्रवृत्ति छात्र को उस समय तक दी जाती है जब तक वह उप शाखा का अध्ययन कर पाता है। आमतौर पर, छात्र-वृत्तियां छः वर्षों या उससे अधिक वर्षों के लिए होती है।

(घ) शिक्षा विभाग के अधीन राष्ट्रीय संस्कृति संस्था एक स्वायत्त संगठन है जो संस्कृत में पाठ्यक्रम संचालित करता है, शास्त्री (बी० ए० के समकक्ष) से विद्याभारती (डी-लिट) तक के स्तरों के पाठ्यक्रमों में दाखिल चुनिन्दा छात्रों को छात्रवृत्ति या दैनिकी देने के लिए संस्कृत (प्राकृत और पालि सहित) के विश्वविद्यालयों विभागों को वित्तीय सहायता देता है। छात्रवृत्तियों की दरें 50/-रु० प्रतिमाह से 300/-रु० प्रतिमाह के बीच है। इसके अलावा अनुसंधान अध्येयताओं को फुटकर व्यय ग्रहण करने के लिए सहायता दी जाती है।

(ङ) आदर्श पाठशालाओं/शोध संस्थाओं में दाखिल चुनिन्दा छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती है जिनके मामले में भारत सरकार अनुमोदित व्यय का 95 प्रतिशत व्यय ग्रहण करती है। छात्र को देय छात्रवृत्ति की राशि 40/-रु० प्रतिमाह से लेकर 75/-रु० प्रतिमाह तक होती है, जो उस पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है जिसमें छात्र दाखिल किया जाता है।

(च) सात केन्द्रीय विद्यापीठों, जिन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है, में दाखिल योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती है। ये विद्यापीठ विद्यावर्दी (डी-लिट) स्तर तक के पाठ्यक्रम संचालित करते है। छात्रवृत्ति की दर 40/-रु० प्रतिमाह से लेकर 300/-रु० प्रतिमाह तक की होती है, जो उस पाठ्यक्रम पर निर्भर करती है जिसमें छात्र दाखिल किए जाते हैं।

2. क. वर्ष 1982-83 से 1984-85 की तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न संस्थाओं और विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल लगभग 21,200 छात्रों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। इन तीन वर्षों के दौरान इन छात्रवृत्तियों पर होने वाले कुल खर्च का अनुमान 1.25 करोड़ रुपये है।

3. वर्ष 1983-84 और 1984-85 में शिक्षा विभाग ने कर्नाटक में स्थित बौद्ध मठों में दाखिल छात्रों को विशेष रूप से छात्रवृत्तियां प्रदान की। इन छात्रवृत्तियों से इन मठों में रहने वाले छात्र बौद्धिक तथा तिब्बती पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। जिन छात्रों को ये छात्रवृत्तियां प्रदान की गई उनकी कुल संख्या 783 थी और इन्हें 2.35 लाख रुपये के अनुदान की राशि संस्वीकृत की गई।

4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संस्कृति विभाग एक ऐसी योजना चला रहा है

जिसके अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्थाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप-रेखाओं को आधार पर बौद्ध/तिब्बती संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों को शिक्षावृत्तियां/छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5. ये छात्रवृत्तियां चूंकि संस्कृत अध्ययनों को आरम्भ करने के लिए छात्रों को गतिशील बनाने के लिए प्रेरणा का एक स्वरूप है, जो संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अत: विभिन्न पाठ्यक्रमों में चुनिन्दा दाखिल छात्रों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी यह छात्रवृत्तियां निरन्तर दी जाती रहेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्षानुवर्ष दाखिल भिन्न-भिन्न होता है, अतः उन छात्रों की संख्या भिन्न-भिन्न होगी जिन्हें छात्रवृत्तियां दी जाएगी और उन पर जो खर्चा किया जाएगा वह भी वर्षानुवर्ष भिन्न-भिन्न होगा। विशेष रूप से छात्रवृत्तियों पर जो धनराशि प्रयोग की जाएगी उसे उन परिव्ययों में से ही निकाला गया है, जिन्हें उन विभिन्न योजनाओं के लिए अनुमोदित किया गया है जिनके अंतर्गत पालि तथा प्राकृत सहित संस्कृत के विकास, प्रचार और प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है।

इंडियन एयरलाइन्स के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

5117. श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सफाई कर्मचारियों, फराशों, चौकीदारों को पांच वर्ष की सेवा के बाद चपरासियों के पदों पर स्थानांतरित करने संबंधी पत्रिका के अध्याय-7 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों को सफाई कर्मचारी चौकीदार आदि से चपरासी के पद पर स्थानांतरित किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा खरीदी गई होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों का मूल्य

5118. श्री सरफराज अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका ने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने रुपये मूल्य की होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयां खरीदी;

(ख) इस वर्ष दवाइयों की खरीद शीर्ष के अन्तर्गत कम धनराशि खर्च किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दवाइयों के मूल्य भी बढ़ गए हैं, और यदि हां, तो उनके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(घ) होम्योपैथिक दवाइयों के भण्डारण के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पत्तनों में कार्यभार में सुधार करना

5119. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पत्तनों के कार्यभार में सुधार संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और माल के चढ़ाने और उतारने में कार्यरत श्रमिकों के लिये पर्याप्त और नियमित कार्य की व्यवस्था करने हेतु नई प्रणालियां लागू करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सड़क मार्ग से ढुलाई की जाने वाले माल के लिए वर्तमान बहु-उद्देश्यीय परमिटों का समाप्त किया जाना

5120. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की पुनरीक्षा करने के लिए वर्ष 1984 में गठित विशेषज्ञों के एक पेनल ने सुझाव दिया है कि सड़क मार्ग से ढुलाई किए जाने वाले मार्ग के लिए बहुउद्देश्यीय परमिटों को समाप्त किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत सिफारिशें/सुझाव क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यदल ने माल वाहक परमिटों के बारे में यह प्रस्तावित किया है कि सिर्फ दो ही किस्में होनी चाहिए, अर्थात् :—

(I) राज्य के अन्दर की परमिट, और

(II) अन्तर्राज्यीय परमिट।

इनका उपयोग अपने कार्गो ढोने के लिए किया जा सकता है या परमिटधारी की इच्छानुसार इसका उपयोग किराए पर या रिवार्ड पर चलाने के लिए किया जा सकता है।

(ग) अभी सिफारिशें स्वीकार करने या अस्वीकार करने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

व्यस्त मार्गों पर अधिक मिनी बसें चलाना

5121. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट तौर पर चल रही मिनी बसों के किराए में प्रथम बार नवम्बर, 1985 में वृद्धि की गई थी;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम के किरायों के साथ इसमें एक बार पुनः वृद्धि की गई और इन्हें नए किराये ढांचे के समान बना दिया गया;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्राइवेट मिनी बसें, जो विशेषकर अंतर्राज्यीय बस अड्डे को आने-जाने वाले व्यस्त मार्गों पर चलती हैं, प्रायः यात्रियों से ठसा-ठस भरी होती हैं तथा अपनी स्वीकृत क्षमता से दुगने यात्रियों को ले जाती हैं और उसमें यात्रियों को पशुओं की भांति ठूंस-ठूंस कर भरा होता है; और

(घ) यदि हां, तो इन बसों में भीड़-भाड़ कम करने तथा और अधिक बसें चलाने और बस यात्रा को थोड़ा आराम देह बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भीड़-भाड़ के समय इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी मिली है।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने संबंधित प्रचालकों को भीड़भाड़ रोकने के बारे में नियमों का कड़ाई से पालन करने के अनुदेश दिए हैं और उन्होंने जांच के कार्य में भी तेजी लाई है। प्रशासन, पुरानी दिल्ली में संभावित भीड़भाड़ की समस्या पर काबू पाने की दृष्टि से अपने बैटरी चालित बस के बेड़े में भी बढ़ोतरी करने का विचार रखता है। दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम और कुछ प्राइवेट आपरेटरों द्वारा परिवहन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अभी दिल्ली परिवहन निगम और प्राइवेट आपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं पर्याप्त हैं।

पुरानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली बसों में अधिक भीड़ भाड़

5122. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली में बैटरी से चलने वाली बसों में हमेशा भीड़भाड़ रहती है;

(ख) क्या बस निर्माताओं ने विशेषतौर पर यह चेतावनी दी थी कि इन बसों में यात्रियों को खड़े ले जाने की अतिरिक्त क्षमता नहीं है और यदि ऐसा किया गया तो इसमें बसों की कार्यविधि काफी कम हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इन बसों में इस प्रकार की भीड़भाड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का बिचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस प्रकार की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सम्बद्ध एजेंसियों को बसों में भीड़भाड़ रोकने से सम्बद्ध नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रशासन का, 1986-87 के अन्त तक बैटरी बसों की संख्या बढ़ाकर 100 कर देने का प्रस्ताव है, जिससे बसों में भीड़भाड़ कम हो जाने की आशा है।

एयर बस के पुर्जों के निर्माण के लिए एयर बस उद्योगों के साथ करार

5123. श्री के० प्रधानी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने देश में एयरबस के पुर्जों के निर्माण के लिए एयरबस उद्योगों के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इन एयरबसों के पुर्जों के निर्माण करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस करार में दीर्घावधि के लिए प्रौद्योगिकी अन्तरण खण्ड का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) भारत में एयर बस विमान के कुछ पुर्जों तथा घटकों के उत्पादन और उसके पश्चात एयरबस इंडस्ट्रीज द्वारा वापसी खरीद की व्यवस्था के अन्तर्गत मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच व्यापक विचार विमर्श किया गया है। करार पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं।

सातवीं योजना के दौरान राष्टीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण हेतु नियतन

5124. **श्री एस० अलाकोंड्रायुडू :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : सातवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 891.75 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण का सम्बन्ध है, यह गैर योजनागत खर्च है और इसके लिए धन की जरूरतों और उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए धन का प्रावधान किया जाता है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

5125. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकार से अपर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होने के कारण महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण में स्वास्थ्य योजनाओं और अस्पतालों को काफ़ी नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या पिछड़े क्षेत्र कोंकण में विशेषकर रत्नगिरि और सिन्धुदुर्ग जिलों में सामाजिक, संस्थाओं द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) यह सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता

5126. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की अधिकतम सिंचाई क्षमता क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितनी क्षमता की स्थापना की गई है;

(ग) वर्ष 1983-84 के अन्त तक मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती थी और यह अखिल भारतीय प्रतिशतता की तुलना में कितनी है;

(घ) क्या पूर्ण क्षमता की स्थापना हेतु कोई संदर्शी योजना तैयार की गई है और यदि हां तो इसे किस वर्ष तक प्राप्त किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता और राज्य के सीमित संसाधनों की दृष्टि से भारत सरकार का मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता के उपयोग में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) मध्य प्रदेश में चरम सिंचाई क्षमता 102 लाख हेक्टेयर आंकी गई है।

(ख) छठी योजना के अन्त तक लगभग 38 लाख हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई थी।

(ग) 1982-83 के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश में कुल पसली क्षेत्र में से 30.1 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित होने के प्रति मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र वहां के कुल पसली क्षेत्र का 12.3 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) सिंचाई स्कीमों की आयोजना, उनका वित्त-पोषण एवं कार्यान्वयन राज्य सरकारें ही करती हैं तथा राज्य सरकार को एक संदर्शी योजना तैयार करनी होती है। पूर्ण सिंचाई क्षमता का विकास संसाधनों की उपलब्धता तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

विभागीय पत्रिका निकालने पर हुआ व्यय

5127. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स ने उड़ानों की जानकारी के लिए विभागीय पत्रिका के प्रकाशन पर रुपयों में और विदेशी मुद्रा में कुल कितनी धनराशि व्यय की ;

(ख) प्रतिमाह इसकी कितनी प्रतियां छापी गईं ;

(ग) विज्ञापनों से औसतन कितनी मासिक आय हुई; और

(घ) पत्रिका को विदेश में छपवाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की क्षमता

5128. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की क्षमता को बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे देश की अनुमानित मांग किस सीमा तक पूरी की जा सकेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जापान के सहयोग से त्रिवेन्द्रम और बेलगांव में दो नये संयंत्र लगाकर हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की निरोध की मौजूदा वार्षिक उत्पादन क्षमता को 2880 लाख नग से बढ़ाकर 6080 लाख नग करने का प्रस्ताव है। इन दो नये संयंत्रों में प्रत्येक संयन्त्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1600 लाख नग होगी।

(ग) यह अनुमान है कि हिन्दुस्तान लेटैक्स लिमिटेड के विस्तार के बाद 1987-88 में लगभग 70 प्रतिशत मांग पूरी की जा सकेगी।

देश में देवदासी प्रथा

5129. **श्री टी० बशीर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में देवदासी प्रथा अभी भी कायम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुछ राज्यों में, जहां यह समस्या विद्यमान है विशेष कानून है जैसे बम्बई देवदासी प्रथा निवारण और अधिनियम 1934 और मद्रास देवदासी प्रथा (परिवेन्शन आफ डेडीकेशन) एक्ट 1947 जिनके जरिए देवदासी प्रथा निषेध है। कर्नाटक देवदासी प्रथा (परिवेन्शन आफ डेडीकेशन) एक्ट 1982 को भी कर्नाटक राज्य में लागू किया गया है। महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 जिसे अधिक कारगर बनाने के लिए 1978 में संशोधित किया गया था, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू है। इसमें (1) वेश्यालय रखना या किसी स्थान को वेश्यालय के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देना; (2) वेश्यावृत्ति की आय पर गुजर करना; (3) वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं या लड़कियों को ले जाना या फुसलाना और खरीदना; (4) किसी महिला या लड़की को ऐसे स्थान पर रोके रखना जहां वेश्यावृत्ति का धन्धा चल रहा हो; (5) वेश्यावृत्ति के लिए बहका कर ले जाना या इसके लिए आग्रह करना; (6) किसी महिला या लड़की को भगा कर ले जाना; निषेध है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता हुआ दोषी पाया गया, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दण्ड दिया जाएगा।

इस अधिनियम में, ऐसे व्याभिचार में लगे व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए तथा मुक्त की गई महिलाओं और लड़कियों के पुनर्वास, सुरक्षा, उपचार तथा शिक्षा आदि के लिए संरक्षण गृहों और सुधारात्मक संस्थानों की स्थापना करने की व्यवस्था है। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

सड़क दुर्घटना में मार कर भाग जाने के मामले में दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए सहायता के सम्बन्ध में प्रचार

5130. **श्री एन० डेनिस :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मोटर दुर्घटनाओं में शिकार लोगों को समय पर मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट देर से आती है और उसको निपटाने में न्यायिक प्रक्रिया में अधिक समय लगता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लोगों को सामान्य बीमा कम्पनी द्वारा अंशदान किए गए सांत्वनार्थ क्षतिपूर्ति निधि और मोटर दुर्घटनाओं में मार कर भाग जाने की दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए केन्द्र, और राज्य सरकारों द्वारा सहायता देने की सुविधा होने की जानकारी नहीं है;

(ग) क्या 31 मार्च, 1984 में सांत्वनार्थ क्षतिपूर्ति निधि में 2.56 करोड़ रुपये से अधिक बिना वितरित धनराशि पड़ी है क्योंकि लोगों को इस निधि की जानकारी नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना और प्रक्रिया का दूरदर्शन, रेडि

और अन्य माध्यमों से सघन प्रचार अभियान शुरू करने का है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबंधों की शर्तों के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी/शिकार हुए व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के लिए प्रस्तुत किए गए दावों का निर्णय करता है जहां ऐसे वाहन का पता चल जाए। "टक्कर मारकर भागने" की मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में जहां उचित प्रयासों के बावजूद भी वाहन का पता नहीं चलता, वहां तोषण राशि का भुगतान किया जाता है और उस क्षेत्र के प्रमंडल अधिकारी/तहसीलदार के समक्ष दावा पेश करना पड़ता है। दावों को जल्दी निपटाने के क्रम में ये मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं कि "नो फाल्ट लियेबिलिटी" के दावों से संबंधित मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए और तोषण दावों के लिए प्राधिकरण को अधिक से अधिक 2 महीने में मामलों को निपटा देना चाहिए।

(ख) से (घ) तोषण निधि स्कीम जिसके तहत तोषण राशि देय होती है जिसके अक्तूबर, 1982 से लागू किए जाने के समय से इस स्कीम का प्रचार करने के लिए प्रेस रिलीज, रेडियो वार्ता और टेलीविजन साक्षात्कार के माध्यम का उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की एजेंसी के माध्यम से महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर सभी भाषाओं में पोस्टर लगाने की व्यवस्था की गई है। राज्य परिवहन आयुक्तों को जो राज्यों में प्रमुख एजेंसियां हैं। वहां की मातृभाषा में प्रचार करने के लिए सामग्री सप्लाई की जाती है।

तोषण की सुविधा की उपलब्धता और इस प्रयोजन के लिए निधि के अस्तित्व के बारे में नियमित प्रचार माध्यमों से जानकारी दी जाती है। राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक 1056 मामलों का निर्णय हो गया है और सभी योग्य आवेदकों को तोषण राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस पर 28.24 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि परिषद् को दिया गया अनुदान

5131. श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि परिषद् को वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए कितनी राशि का अनुदान दिया गया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि इस संगठन के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त और बकाया धनराशि का भुगतान काफी समय से नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए भी अनुदान दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?।

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारतीय विश्व कार्य परिषद् (भा० वि० कार्य परिषद) को उनके पुस्तकालय के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान 7.50 लाख रुपये का तदर्थ अनुदान दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारतीय विश्व कार्य परिषद् एक पंजीकृत संस्था है जो विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषित है। केन्द्रीय सरकार पुस्तकालय के रखरखाव के लिए इस समय केवल तदर्थ अनुदान ही देती है।

रेल लाइन बिछाने पर किया गया प्रति व्यक्ति व्यय

5132. **श्री हरीश रावत** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा प्रत्येक राज्य में रेल लाइन बिछाने पर पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक प्रति व्यक्ति कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) क्या खर्च की गई इस राशि में भारी असमानता है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस असमानता को दूर करने के लिए क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) नई लाइनों के निर्माण पर किये गये खर्च का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है और ना ही नई लाइनों का निर्माण, आमतौर पर केवल किसी राज्य विशेष में उनके स्थित होने मात्र के आधार पर शुरू किया जाता है। नई लाइनों के निर्माण के मामले में राज्यों से भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

नई रेल लाइनों का निर्माण करने के मापदण्डों के अनुसार निम्नलिखित उद्देश्य पूरे होने चाहिए, यथा :—

(i) नये उद्योगों या खनिज तथा अन्य संसाधनों की निकासी के लिए अपेक्षित परियोजना परक लाइनें;

(ii) उन विलुप्त सम्पर्कों की व्यवस्था करने के लिए जो मौजूदा व्यस्त रेल मार्गों पर संकुलन दूर करने के लिए वैकल्पिक मार्ग बन सकते हों;

(iii) सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण; और

(iv) नये विकास केन्द्र स्थापित करने अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने के लिए विकास लाइनें।

तथापि, नई लाइनों का निर्माण सर्वेक्षण रिपोर्टों की सभी पहलुओं से जांच करने के बाद शुरू किया जाता है बशर्ते योजना आयोग स्वीकृति प्रदान कर दे और संसाधन उपलब्ध हों जिनकी अत्यधिक तंगी है।

[अनुवाद]

व्यापक टीका लगाने के कार्यक्रम के निष्पादन में प्रगति

5133. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में व्यापक टीके लगाने के कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इसके कार्य-निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख) व्यापक रूप से टीके लगाने का कार्यक्रम 1985-86 के दौरान 30 चुने हुए जिलों में शुरू किया गया था। वर्ष के दौरान, इन जिलों में कम से कम 75 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को कवर करने का प्रस्ताव था। नवीनतम प्राप्त सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम कामरूप (असम), कटिहार (बिहार), पूर्णिया (बिहार), अनन्तनाग (जम्मू एवं कश्मीर), कटक (उड़ीसा), कोटा (राजस्थान) तथा नादिया (पश्चिम बंगाल) जिलों में संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहा है।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन अनेक घटकों पर निर्भर करता है जैसे, पर्याप्त कार्मिकों, कोल्ड चेन सुविधाओं, मोबिलिटी तथा जन संचार सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्यक्रम की उपयुक्त आयोजना और व्यवस्था। भारत सरकार इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में आने वाली प्रमुख अड़चनों को दूर करने तथा इसकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए राज्यों की मदद कर रही है।

राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण

5134. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा 1985 में किए गए सर्वेक्षण पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उसके अनुसरण में यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) :

(क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटना जंक्शन पर रेलगाड़ियों के आगमन की अंग्रेजी में जानकारी दिया जाना

5135. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के पटना जंक्शन पर यात्रियों को रेलगाड़ियों के समय पर अथवा देर से आने के बारे में अंग्रेजी की स्लाइडों के माध्यम से जानकारी दी जाती है;

(ख) क्या स्लाइड पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही जानकारी दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कार्य राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों, 1976 के नियमों तथा राजभाषा विभाग द्वारा शुरू किए गए घोषित कार्यक्रम के विपरीत है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारंवाई की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) स्टेशन के एक गेट पर स्थापित इलेक्ट्रानिक संकेतक गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित सूचना केवल अंग्रेजी में ही प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना अक्तूबर, 1985 में एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में की गई थी और ऐसा केवल प्रायोगिक आधार पर ही किया गया है। सूचना देने से सम्बन्धित नियमित माध्यम लाउडस्पीकर और स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय के सामने लगाया गया नोटिस बोर्ड है और इन माध्यमों के जरिये हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सूचना दी जाती है।

बिहार में पुरातत्वावशेषों की खुदाई

5136. श्री कुंवर राम : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इन स्थानों के नाम क्या हैं जहां प्राचीनकाल की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस समय पुरातत्वावशेषों की खुदाई की जा रही है;

(ख) इस खुदाई के परिणामस्वरूप पता लगे ऐतिहासिक तथ्यों अथवा वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान जिन स्थानों की खुदाई करने का विचार है, उनके नाम क्या हैं; और

(घ) क्या कुकीहार और नवादा जिला और गया में अन्य ऐतिहासिक स्थानों पर खुदाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) बिहार के निम्नलिखित स्थानों में इस समय पुरातत्वीय उत्खनन कार्य चल रहे हैं :—

1. तारा दीह, जिला गया;

2. अपसाध और पार्वती, जिला नवादा;

3. पैसरा, जिला मुंगेर;

4. मांझी, जिला सरन; और

5. मनेर, जिला पटना।

(ख) उपलब्ध प्रारम्भिक जानकारी से निम्नलिखित पुरातत्वीय परिणाम प्राप्त हुए हैं :—

1. तारा दीह—लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस पर ताम्रपाषाणयुगीन लोगों ने अधिकार कर लिया और प्रारम्भिक लौह युग और कुषान तथा गुप्त कालों अर्थात् लगभग पांचवीं शताब्दी ईसवी सन् तक लगातार अधिकार बनाए रखा।

2. अपसाध—उत्खननों से पांच तल वाला ईंटों का मन्दिर मिला है और जो भगवान विष्णु को समर्पित है और उसका एक परिक्रमा-पथ भी है। इसका निर्माण परवर्ती गुप्त सम्राट आदित्य सेन ने किया था।

3. पैसरा—उत्खनन में प्रागैतिहासिक समय के पाषाणयुगीन उपकरण उद्योग का पता चला है। साक्ष्य से ज्ञात हुआ कि प्रागैतिहासिक काल के पुरुष ने भी छोटी अस्थायी इमारतें बनाईं।

4. मांझी—उत्खननों से ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दि के प्रारम्भिक अवधि के सांस्कृतिक अवशेषों का पता चला है। इस स्थल पर अधिकार तो शक-कुषाण समय तक बना रहा।

5. मनेर—इस स्थल के उत्खनन से ताम्रपाषाणयुगीन और आरम्भिक ऐतिहासिक अवधि के अवशेषों का पता चला है।

(ग) आगामी तीन वर्षों में जिन स्थलों का उत्खनन किया जाना है इस संबंध में उनका निर्णय अभी लिया जाना है।

(घ) जी, नहीं। सिवाय उपर्युक्त स्थलों में उत्खनन जारी रखने की सम्भावना के।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम के खाता ऋण

5137. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन निगम के गत तीन वर्षों के कुल खाता ऋण कितने हैं;

(ख) सरकारी विभागों अथवा गैर-सरकारी पक्षों की ओर एक वर्ष, दो वर्षों और तीन वर्षों से अधिक समय से कितनी राशि बकाया पड़ी है और इनमें से कुल कितनी धनराशि बट्टे खाते डालने की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारतीय नौवहन निगम लिमि० के पिछले 3 वर्षों के कुल खाता ऋण निम्नलिखित हैं :—

	लाख रुपये
31-3-83 को	6361.52
31-3-84 को	6893.63
31-3-85 को	7501.03

(ख) सरकारी विभागों और निजी पार्टियों की ओर एक वर्ष, दो वर्षों और तीन वर्षों से

अधिक समय से बकाया ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

	1982-83		1983-84		1984-85	
	सरकारी विभाग	निजी पार्टियां	सरकारी विभाग	निजी पार्टियां	सरकारी विभाग	निजी पार्टियां
1. एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्षों से कम समय से बकाया ऋण	62.04	95.12	411.10	56.27	1358.10	43.8
2. दो वर्षों अथवा इससे अधिक लेकिन तीन वर्षों से कम समय से बकाया ऋण	228.06	44.27	343.64	62.20	310.65	45.2
3. तीन वर्षों और इससे अधिक समय से बकाया ऋण	504.86	188.97	42?.25	151.19	417.91	199.11
	794.96	328.36	1176.99	269.96	2086.66	288.11

जिन ऋणों की वसूली संदेहास्पद थी और जो मामले मध्यस्थता के लिए भेज दिए गए हैं अथवा जिन मामलों में कानूनी याचिका दायर की गई है, उनकी राशि 31-3-85 को 491.19 लाख रुपये बनती है और भविष्य में जो राशि बट्टे खाते में डालनी पड़ सकती है वह इस राशि से अधिक नहीं होगी।

(ग) कुछ ऋणों का डूब जाना व्यापार की सहज जोखिम है और इसे किसी व्यक्ति विशेष की असफलता नहीं माना जा सकता और इसलिए ऐसे मामलों में कोई जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जा सकती है।

सरकारी ग्रस्पतालों में सुविधाएं तथा सेवाएं

5138. श्री पी० ग्रार० कुमार मंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं तथा सेवाएं बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं हो सकी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इसके कारण समाज के कमजोर वर्ग पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) क्या सरकार अदा कर सकने की क्षमता के अनुसार अस्पताल सेवाओं के लिए भुगतान करने पर विचार करेगी; और

(घ) क्या सम्पूर्ण स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं संरचना की जांच तथा समीक्षा करने का विचार है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) दिल्ली में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है। मौजूदा अस्पतालों की जरूरतों की निरंतर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं जरूरत होती है, उनकी वित्तीय व्यवस्था के अन्दर-अन्दर वृद्धि भी की जाती है। सरकार ने हरिनगर और शाहदरा में 500 पलंगों वाले दो अस्पतालों और मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर और जफ्फरपुर में 100 पलंगों वाले तीन अस्पतालों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इन अस्पतालों में काम शुरू होने के बाद स्थिति में सुधार होगा। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों का उपचार करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) यह मामला विचाराधीन है।

वार्षिक सड़क करों के भुगतान के एवज में वाहन मालिकों को नई नंबर प्लेटें दिया जाना

5139. श्री पी० ग्रार० कुमार मंगलम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने वार्षिक सड़क करों के भुगतान के एवज में वाहन मालिकों को प्रति वर्ष नया नंबर प्लेट देने का सुझाव दिया है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका में प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या सड़क कर के वार्षिक भुगतान में कटौती देकर उसे आकर्षक बनाने का विचार है; और

(घ) क्या अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए तीन वर्षों तक सड़क कर का भुगतान लिए जाने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अब तक कोई राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद स्थापित नहीं की है।

(ग) और (घ) मोटरयान कर राज्य का विषय है और प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र अपने संबंधित कर अधिनियमों के अनुसार कर लगाते हैं और संचित करते हैं। राज्यों द्वारा लगाए जा रहे मोटर-वाहन करों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित समिति, कर लगाने की वैकल्पिक पद्धति की जांच कर रही है जिसमें व्यक्तिगत वाहनों के लिए कर के प्रारम्भिक चरण में एकमुश्त राशि का भुगतान, कर संचित करके की उचित पद्धति शामिल है। समिति के निष्कर्ष को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बदरपुर रेल फाटक के पास ऊपरी पुल

5140. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदरपुर रेल फाटक के पास जिसके बंद होने पर वहां कई घंटों तक यातायात रुक जाता है एक ऊपरी पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) तुगलकाबाद यार्ड में महरौली-बदरपुर रोड के समपार संख्या 580 पर निचले सड़क पुल की व्यवस्था के काम को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के परामर्श से यह काम योजना, स्तर पर है। काम का प्रारम्भ होना निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य-योजना को अंतिम रूप दिए जाने तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दिल्ली रिवाड़ी के बीच शेष इकहरी रेल लाइन को दोहरा करना

5141. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली-रिवाड़ी मार्ग के शेष इकहरी लाइन वाले भाग को दोहरा करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दिल्ली-रिवाड़ी मार्ग के शेष भाग में अर्थात् गढ़ी-हरसरू और खलीलपुर के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का काम एक अनुमोदित कार्य है तथा निर्माण कार्य चल रहा है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सांविधिक शक्तियां

5142. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को सांविधिक शक्तियां देने, और इंजीनियरिंग संस्थानों को भारतीय चिकित्सा परिषद की तरह मान्यता देने की एक प्रणाली शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या हाल ही में ऐसे इंजीनियरी कालेजों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जहां अध्यापक कम है और यहां सामान भी पूरा नहीं है;

(ग) क्या सरकार का तकनीकी शिक्षा के स्तर में असमानताओं को दूर करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार इंजीनियरिंग कालेजों में आधुनिक-उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराने और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देना सुनिश्चित कराने के लिए एक नीति और कार्यक्रम तैयार कर रही है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सांविधिक शक्तियां प्रदान करने तथा इंजीनियरी संस्थाओं को मान्यता दिलाने की पद्धति को आरम्भ करने से सम्बन्धित मामला फिलहाल विचाराधीन स्तर पर है। इस सम्बन्ध में एक ठोस प्रस्ताव को अभी तैयार किया जाना है।

(ख) जी, हां।

(ग) तकनीकी शिक्षा का समन्वय तथा उसके स्तरों को निर्धारित करना केन्द्रीय सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी रही है। सरकार स्तरों को बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को प्रभावी रूप से निभाने के लिए बहुत इच्छुक है।

(घ) इंजीनियरी कालेजों में प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं को आधुनिक बनाने की योजना केन्द्रीय सहायता से केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से ही आरंभ कर दी गई है। एम० टेक तथा पी० एच० डी० की उच्च अर्हता से सम्बन्धित शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की योजना कोटि

सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

लोहरडगा से टोरी तक नई रेल लाइन बिछाने तथा रांची-लोहरडगा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण

5143. श्री शिव प्रसाद साहू : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहरडगा से टोरी तक नई रेल लाइन बिछाने तथा रांची लोहरडगा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) रांची-लोहारदगा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1974-76 के दौरान यातायात सर्वेक्षण किया गया था। इस परियोजना को वित्तक्षम नहीं पाया गया था। पहले किये गये सर्वेक्षण को, लोहारदगा से टोरी तक इसके विस्तार सहित, अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया गया है। क्षेत्र कार्य पूरा हो गया है। तथापि, रिपोर्ट और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल लाइनों को बदलने के कार्य में प्रगति

5144. श्री गुरुदास कामत : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में रेल लाइनों के गेज बदलने की कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) 1986-87 में प्रत्येक परियोजना में पृथक-पृथक कितनी प्रगति होने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन की अनुमोदित परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) मनमाड-औरंगाबाद-पर्ली-वैजनाथ मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव 1986-87 के लिए परिव्यय की राशि एक करोड़ रुपये है जिसका उपयोग मनमाड और औरंगाबाद के बीच (चरण-I) के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना है।

(2) परभनी-पूर्णा-मुदखेड़ से आदिलाबाद तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव तथा पूर्णा और मुदखेड़ के बीच समानान्तर बड़ी लाइन।

1986-87 में केवल 1000 रुपये के सांकेतिक परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली में अस्पतालों में बिस्तरों की मांग और उपलब्धता

5145. श्री के० एस० राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के लिए दिल्ली में अस्पतालों में बिस्तरों की मांग और उपलब्धता के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं और 1990 के लिए इस बारे में क्या अनुमान है; और

(ख) दिल्ली में अस्पतालों के नाम, वहां पर बिस्तरों की संख्या और उनमें प्रतिदिन देखे जाने वाले बाह्य रोगियों की संख्या सहित, अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिल्ली में अस्पताली पलंगों की मांग के बारे में कोई सही-सही अनुमान नहीं लगाए गए हैं। दिल्ली में इस समय कुल 14656 पलंग उपलब्ध हैं जबकि जनसंख्या 76.28 लाख है। मोटे तौर पर प्रति हजार आबादी के पीछे 2 पलंग आते हैं। यदि इसी अनुमान को ध्यान में रखा जाए तो 1990 में जनसंख्या और पलंगों के बीच अनुपात लगभग 1.83 पलंग प्रति हजार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से रोगी दिल्ली से बाहर के भी आते हैं, पलंगों की वास्तविक आवश्यकता और भी अधिक होगी।

(ख) दिल्ली के मुख्य अस्पतालों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिल्ली में बड़े-बड़े अस्पतालों का ब्यौरा

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	पलंगों की संख्या	प्रतिदिन इलाज को गये रोगियों की औसतन संख्या
1	2	3	4
1.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	1207+174 बेंत के पालने	4175

1	2	3	4
2.	डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	800+101 अतिरिक्त पलंग	3103
3.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस० के० अस्पताल, नई दिल्ली	580+35 अतिरिक्त पलंग	880
4.	कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	259	901
5.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	816	2356
6.	लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, नई दिल्ली	1409	3200
7.	जी० बी० पंत अस्पताल, नई दिल्ली	351	517
8.	हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली	800	1800
9.	कस्तूरबा गांधी महिला अस्पताल, दिल्ली	450	885
10.	नई दिल्ली नगर पालिका अस्पताल, मोतीबाग, नई दिल्ली	100	700

मैसर्स वाडी बन्दर काटन प्रेस के साथ पट्टा समझौता

5146. श्री अनूप चन्द शाह : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास ने मैसर्स वाडी बन्दर काटन प्रेस, बम्बई के साथ पट्टा समझौता समाप्त करने का नोटिस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) मैसर्स वाडी बन्दर कॉटन प्रेस, बम्बई के साथ हुए भूखण्ड के पट्टे के समझौते की अवधि 28 फरवरी, 1985 को

समाप्त हो गई। बम्बई पत्तन के न्यासी मण्डल ने निर्णय लिया है कि मैसर्स वाडी बन्दर कॉटन प्रेस को फिर से पट्टा नहीं दिया जाए। तदनुसार, उन्हें 7-5-85 को पट्टा रद्द करने का नोटिस दे दिया गया।

(ख) पत्तन को उक्त भूखण्ड अपने उपयोग के लिए चाहिए।

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लाभ

5147. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं किंतु बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से निरन्तर कम लाभ मिल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कार्यकरण में कारगर सुधार करने हेतु कोई कदम उठाये गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है और इसके क्या परिणाम मिले हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सिंचाई परियोजनाओं से जल दरों के रूप में लाभ कम रहे हैं क्योंकि वे पूंजीगत निवेशों के अनुरूप नहीं हैं।

(ख) और (ग) सिंचाई कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना दस्तावेज में यह निर्धारित है कि प्रचालन तथा रखरखाव की लागत को पूरा करने तथा निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने हेतु जल दरों की आवधिक संवीक्षा की जाए।

"एड्स" के संदिग्ध रोगी

5148. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुणे और वेल्लोर में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा "एड्स" के संदिग्ध रोगियों का परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो (एक) कितने रोगियों का परीक्षण किया गया है और उनके क्या परिणाम निकले, (दो) संदिग्ध व्यक्ति किस राज्य के थे, और (तीन) इस नई बीमारी के लिए कौन से परीक्षण किये गये थे;

(ग) क्या परीक्षण करने वाले चिकित्सकों को इस बीमारी का उपचार करने का अनुभव था;

(घ) परीक्षणों पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ङ) इस बीमारी को पुन: होने से रोकने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) अधिक खतरे वाले वर्गों अर्थात् जैसे वैश्याओं, समलिंग कामियों तथा नपुंसकों में लगभग 1000 व्यक्तियों की जांच की गई है और इन सभी में एड्स रोग नहीं पाया गया है।

(2) जिन लोगों की जांच की गई वे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और गोवा के हैं। (3) संदेहास्पद सीरा में निम्नलिखित परीक्षण किए गये थे :

(क) ई० एल० आई० एस० ए० (स्क्रीनिंग टेस्ट)

(ख) टी 4 तथा टी 8— एबसोल्यूट कांउन्ट

(ग) टी 4 तथा टी 8 सेलरेश्यों।

सभी व्यक्ति नेगेटिव पाये गये।

(ग) एड्स एक वायरल संक्रमण रोग है और इसलिए इस संक्रमण के उपचार के लिए अभी तक कोई रोगरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है। वैसे, भारतीय डाक्टरों को उस सहयोगी उपचार की जानकारी है जो इस रोग के लिए आवश्यक है।

(घ) यह पता चला है कि इन परीक्षणों के लिए जो किटें इस्तेमाल की गई थीं, वे दान में मिली थीं, इसलिए अब तक इन परीक्षणों पर कितना खर्च हुआ है इसका अब तक कुछ अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) सरकार ने निम्नलिखित निवारक उपाय किए हैं/कर रही है :—

(i) देश में इस रोग पर निगरानी रखी जा रही है।

(ii) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सचेत कर दिया गया है कि वे इस रोग के लक्षणों को ध्यान में रखें और ऐसे सभी संदेहास्पद रोगियों के बारे में सूचित करें।

(iii) राज्य स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालयों को अनुरोध किया गया है कि वे लोगों को, विशेषकर स० टी० डी० क्लीनिकों, ब्लड-बैंकों आदि में आने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें।

(iv) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने वायरोलाजी अनुसंधान संस्थान, पुणे तथा क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैलोर में दो निदान केन्द्र स्थापित किये हैं। मेडिकल कालेजों और अस्पतालों को हिदायतें दी गयी हैं कि यदि वे एड्स का कोई संदेहास्पद रोगी देखें तो उनके सीरा को

जांच के लिए उपर्युक्त केन्द्रों को भेजें।

विदेशों में प्रवेश से पूर्व भारतीयों की "एड्स" सम्बन्धी जांच

5149. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने भारतीयों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति देने से पूर्व उनकी "एड्स" सम्बन्धी जांच को अनिवार्य बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ऐसा पता लगा है कि सऊदी अरब ने एक ऐसा नियम बनाया है जिससे आप्रवासी श्रमिकों को एक ऐसा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वे "एड्स" से मुक्त हैं। थाइलैंड एच० टी० एल० वी० 111 वाइरसों के रोगप्रतिकारक के लिए ऐसे व्यक्तियों की जाँच कर रहा है।

भारत सरकार ने अभी तक विदेशों से आने वाले प्रवासियों के लिए जो एड्स प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं बनाया है। वैसे, स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है।

परिवार नियोजन आप्रेशन के बाद गर्भ-धारण के मामले
और मुआवजे के रूप में दी गई धनराशि

5150. श्री मूल चन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य-वार ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें पति पत्नी में से किसी एक के परिवार नियोजन आप्रेशन कराने के बाद भी बच्चा पैदा हुआ है;

(ख) इस प्रकार के कितने मामलों में लोग मुआवजे के लिए न्यायालय में गये;

(ग) अब तक उन्हें कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) जनता को इस प्रकार की दयनीय स्थिति से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) किये गये अध्ययनों से पता चलता है कि 0.5 प्रतिशत से लेकर 3 प्रतिशत तक महिला नसबन्दी आपरेशन असफल रहे हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) नसबन्दी शत प्रतिशत सुरक्षा प्रदान नहीं करता। नसबन्दी आपरेशनों की क्वालिटी में सुधार लाने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं ताकि इसके असफल रहने की सम्भावना कम हो सके।

बिना भवन के प्राथमिक विद्यालय

5152. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूरे देश में 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय बिना स्थायी भवनों के चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र की सहायता लेने पर विचार करेगी; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय कोष बनाया जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों को सीधे धनराशि आबंटित की जाये ताकि न केवल विद्यालयों को उचित भवन उपलब्ध हो सकें बल्कि प्राथमिक शिक्षा का भी व्यापक रूप से विस्तार किया जा सके ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण द्वारा वर्ष 1978 में आयोजित चौथे अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण के अनुसार 40.10% प्राथमिक स्कूलों के पास पक्के अथवा आंशिक रूप से पक्के भवन नहीं थे।

(ख) और (ग) आठवें वित्त आयोग ने 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्कूलों के लिये 36999 अतिरिक्त भवनों के निर्माण हेतु 15617.52 लाख रुपये की धनराशि हस्तान्तरित करने की सिफारिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूरहित रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत भी सहायता दी जाती है। सरकार स्कूल भवनों के निर्माण के लिए समुदाय से सहायता का भी स्वागत करती है। तथापि इस समय इस कार्यकलाप के लिए प्राथमिक स्कूलों को प्रत्यक्ष आबंटन करने हेतु केन्द्रीय निधि का सृजन करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली के स्कूलों में यौन शिक्षा

5153. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कतिपय स्कूलों में छात्रों को यौन शिक्षा दी रही है, जैसाकि 10 मार्च, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या सरकार इस बात का निर्धारण करने के लिए इस प्रणाली की पुनरीक्षा कर रही है कि क्या इस प्रकार दी गई शिक्षा से किशोरों में यौन-स्वच्छन्दता बढ़ रही है अथवा समाप्त हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं। यौन शिक्षा दिल्ली के स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में प्रदान नहीं की जा रही परन्तु इसे सामान्य शिक्षा के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे/सहायता प्राप्त स्कूलों में सीनियर कक्षाओं के लिए वर्ष में एक अथवा दो बार सफाई, संतुलित आहार जनसंख्या और यौन शिक्षा से सम्बन्धित वृत्त चित्र कुछ पंजीकृत/सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन इस प्रकार के कार्यक्रमों के परिणाम पर निगरानी रखे हुए है।

कुरनूल कडप्पा नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण

5154. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुरनूल कडप्पा नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के बारे में कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश में शुष्क भूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण

5155. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में शुष्क भूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण यह पता लगाने के लिए कराया जाएगा कि कितनी भूमि कृषि योग्य है और कितने भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उसके लिए क्या वास्तविक लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है इसके सम्बन्ध में सूचना कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों में उपलब्ध है। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का, जो देश में जल-भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है, अपनी 87 करोड़ रुपए की समग्र योजना आबंटन में से सातवीं योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के शेष क्षेत्रों को कवर करने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य गाइडों के लिए उच्च तकनीकी प्रशिक्षण

5156. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य गाइडों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने और उनकी सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) (क) : ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ग्राम स्वास्थ्य गाइड एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता होता है जिसे स्वास्थ्य परिवार नियोजन और जच्चा-बच्चा रोग निवारक तथा स्वास्थ्य संवर्धक पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है। उसका कार्य चिकित्सा परिचर्या प्रदान करना नहीं है। वह केवल छुट-पुट बीमारियों का इलाज करता है और आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार प्रदान करता है। वैसे उनकी सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण की एक योजना चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

जबलपुर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए रिंग रोड के निर्माण का प्रस्ताव

5157. **श्री अजय मुशरान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को जबलपुर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने हेतु रिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में शामिल किया गया है।

जलभूतल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट : (क) से (ग) रिंग रोड के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, जबलपुर शहर के निकट एक बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। एक बाईपास को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना अन्य बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय आधार पर इस निर्माण कार्य की प्राथमिकता तथा संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

मध्य प्रदेश के सैक्टरों में वायुदूत सेवा

5158. **श्री अजय मुशरान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन सैक्टरों में वायुदूत सेवा शुरू की जाएगी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को वहां यह सेवा शुरू करने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव पास हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई है और वायुदूत सेवा कब तक शुरू कर दी जाएगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) विमान क्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, वायुदूत की सातवीं योजना अवधि में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्टेशनों को विमानसेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं :

(1) भोपाल (2) रायपुर (3) जगदलपुर (4) बिलासपुर

(ख) निम्नलिखित मार्गों पर वायुदूत सेवायें प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था :—

(1) भोपाल-नागपुर-जगदलपुर-भिलाई-बिलासपुर-सतना-भोपाल।

(2) दिल्ली-ग्वालियर-गुना-भोपाल और वापसी।

(ग) जबकि वायुदूत ने पहले ही दिल्ली-ग्वालियर-गुना ग्वालियर-दिल्ली मार्ग पर सप्ताह में एक तीन दिन की सेवा आरम्भ कर दी है, लेकिन विमान क्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर, चालू योजनाविधि में भोपाल, जगदलपुर, बिलासपुर और रायपुर को जोड़ने की योजनायें हैं।

[अनुवाद]

औषधियों में मिलावट

5159. श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में औषधियों में मिलावट के कितने मामले दर्ज हुए, पता लगाये गए कितनों की जांच की गई तथा शिकायतें सही पाई गईं ;

(ख) उनमें से कितनी औषधियों को जीवन रक्षक औषधियां पाया गया था ;

(ग) औषधियों में मिलावट को रोकने अथवा मिलावट को कम से कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) औषधियों में मिलावट की इस बुराई के उन्मूलन के लिए सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकरणों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जा रही है।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

घटिया और नकली दवाओं के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किये गए हैं जो इस प्रकार हैं :

1. औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को 1982 में संशोधित किया गया था ताकि नकली औषधियों के प्रकोप को रोकने के लिए और अधिक कारगर उपाय किये जा सकें।

2. केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन देश में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री की रिपोर्टों को मानीटर करता है। जब कभी आवश्यक होता है। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संगठन के जोनल कार्यालयों द्वारा राज्य सरकारों को सतर्क किया जाता है और ऐसी रिपोर्टों की जांच करने के लिए उनकी मदद की जाती है।

3. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने तथा स्वास्थ्य सचिवों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पत्र भेजे गए जिनमें उनका ध्यान नकली दवाओं के बढ़ते हुए निर्माण और बिक्री की तरफ आकर्षित करने के साथ-साथ इस बारे में आवश्यक उपाय करने तथा उनके औषधि नियन्त्रण प्रशासन को व्यवस्थित करने के बारे में कहा गया था।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उप मंत्री ने 3 मई, 1983 को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के स्वास्थ्य मन्त्रियों को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने संसद तथा प्रेस दोनों में हुई आलोचना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया था तथा सरकार से आग्रह किया था कि नकली तथा घटिया स्तर की दवाइयों की समस्या को कारगर रूप से रोका जाए। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि केन्द्र सरकार ने एक टास्कफोर्स गठित की थी जिसने राज्य औषध नियन्त्रण संगठनों की कमियों का पता लगाया है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्य नकली दवाइयों की समस्या को उच्च प्राथमिकता दे और इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों के औषध मानक नियन्त्रण तन्त्र को समुचित रूप से तेज किया जाय और मजबूत बनाया जाय।

5. सरकार द्वारा नियुक्त टास्कफोर्स ने उन विभिन्न क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें राज्यों को नकली और घटिया स्तर की दवाइयों के संकट को रोकने के लिए कार्रवाई करनी होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य स्वास्थ्य सचिवों को भी एक पत्र भेजा है जिसमें टास्कफोर्स की विशिष्ट सिफारिशों तथा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई के बारे में लिखा है।

6. नकली दवाइयों की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकारों को इंटेलिजेन्स-कम-लीगल तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

7. नकली तथा मिलावटी दवाइयों के विषय पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद की विभिन्न बैठकों में विचार किया गया जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री अध्यक्ष और राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री सदस्य हैं। इन संयुक्त बैठकों में तथा 22 फरवरी, 1986 को केवल औषध और खाद्य नियमों की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक में परिषद ने "औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन" पर संकल्प पारित किए। इन संकल्पों में राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि घटिया और नकली दवाइयों की समस्या को रोकने के लिए औषध नियन्त्रण तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायें।

खुर्दा रोड जंक्शन पर द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय

5160. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के डिवीजन मुख्यालय खुर्दा रोड जंक्शन पर सैकड़ों यात्रियों के लिए द्वितीय श्रेणी का कोई प्रतीक्षालय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर शीघ्र ही द्वितीय श्रेणी का प्रतीक्षालय बनाने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) खोरधा रोड स्टेशन पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए एक प्रतीक्षालय और यात्री प्लेटफार्मों पर पर्याप्त छादन की व्यवस्था है। दूसरे दर्जे के शायिका टिकटधारी यात्रियों को भी ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालयों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, प्लेटफार्म सं० 2 और 3 के बीच दूसरे दर्जे के एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि धनराशि सुलभ हो।

[हिन्दी]

"भागीरथ" में लेख देने वाले लेखकों को पारिश्रमिक का भुगतान

5161. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक हिंदी पत्रिका "भागीरथ" का नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस पत्रिका के लिए लेख आदि लिखने वाले लेखकों को गत अनेक वर्षों से कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है ;

(घ) प्रत्येक लेख आदि के लेखकों को कितनी राशि देय होती है ; और

(ङ) कितने लेखकों को यह राशि नहीं दी गई है और उन्हें इस राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन तथा विद्युत विकास से सम्बन्धित मामलों पर एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य लेखकों को रचनाओं के लिए एक हजार शब्दों पर 50/-रुपयों की दर से भुगतान किया जाता है। जिन सरकारी कर्मचारियों के लेख पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, उनको भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है।

(ङ) 17 इन लेखकों को देय बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मिट्टी के छोटे बांधों के निर्माण को प्रोत्साहन

5162. **श्री आर० एम० भोये** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी सिंचाई और जल-विद्युत परियोजनाओं के कारण वनों का कटाव, लोगों का विस्थापन, पानी का जमाव और विलवणीयकरण, की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह भी बात नोट की है कि मिट्टी के छोटे बांध पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत तथा आर्थिक दृष्टि से फायदेमन्द हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या प्रगति का मूल्यांकन करने और मिट्टी के छोटे बांधों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए किसी विशेषज्ञ निकाय की सलाह लेना उचित होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) बड़ी सिंचाई तथा जल विद्युत परियोजनाओं सहित विकास परियोजनाओं से वन कटान और लोगों का विस्थापन हो सकता है। हालांकि सिंचाई परियोजनाओं से आम तौर पर जल जमाव तथा लवणीकरण नहीं होता परन्तु सिंचाई प्रक्रियाओं, मृदा स्थितियों और स्थलाकृतिक परिस्थितियों जैसे अनेकों कारणों से कुछ मामलों में ऐसी समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं। छोटे-छोटे बांधों के समर्थन में कुछ राय व्यक्त की गई है।

"बड़े पत्तनों में ड्रेजिंग"

5163. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने बड़े पत्तनों की समस्याओं पर काबू पाने और उनका सामना करने में प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक बड़े पत्तन पर, विशेषकर पारादीप पत्तन पर, कितने ड्रेजर कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या चैनलों की बढ़ती हुई कीचड़ के कारण वहां कुछ समस्याय हैं;

(ङ) क्या राष्ट्रीय शिपयार्डों को या विदेशों को और ड्रेजरों के लिए आर्डर दिये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया पत्तनों पर बड़े पैमाने पर निकर्षण और अनुरक्षण निकर्षण करने के लिए

जिम्मेदार है। वे इन आवश्यकताओं को हर तरह से पूरा करने में समर्थ रहे हैं। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

टूटीकोरिन—पहुंच कैनाल के बड़े पैमाने पर निकर्षण में से ड्रेजिंग कारपोरेशन ने 45 प्रतिशत निकर्षण किया। चट्टान निकर्षण के लिए उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कार्य पूरा-पूरा नहीं किया जा सका।

मद्रास पत्तन—ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ने 1974 और 1979-80 में कुछ मामलों में बड़े पैमाने पर निकर्षण कार्य किया।

पारादीप पत्तन—ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, नौचालन चैनल में प्रतिवर्ष जमा होने वाली गाद का निकर्षण कार्य किया।

न्यू मंगलौर पत्तन—ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया इस पत्तन का पूरा अनुरक्षण निकर्षण कार्य करता है।

विशाखापत्तनम—ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया 21-5-1984 से चालू तेल जेटी पर बड़े पैमाने पर निकर्षण कार्य करता है और इसके निकर्षण कार्य के अप्रैल, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है।

कोचीन पत्तन—बाहरी तथा भीतरी चैनल में अनुरक्षण निकर्षण का काम ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा किया जाता है।

मुरगांव—ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया निर्धारित डूराव बनाए रखने के लिए वर्षा ऋतु के बाद व्यापक निकर्षण कार्य करता है।

कंडला—1984 में एक नई नौचालन नहर खोली गई, जिसमें भारतीय निकर्षण निगम के ड्रेजर काम में लाए गए थे। इससे कंडला पत्तन पर गाद भरने की समस्या कम हो गई है।

कलकत्ता पत्तन—कलकत्ता पत्तन पर अनुरक्षण निकर्षण का काम ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया करता है और इस कार्य में पत्तन के ड्रेजरों की भी मदद ली जाती है।

(ग) पत्तन का नाम	इस समय कार्यरत ड्रेजरों की संख्या (पत्तन और ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया)
1	2
मद्रास	3
पारादीप	शून्य (ठेकेदार के ड्रेजर हटा दिए गए हैं)

1	2
बंबई	9
न्यू मंगलौर पत्तन न्यास	1
कोचीन	3
मुरगांव	2
कांडला	2
कलकत्ता	9
विजाग	5

(घ) चूंकि पारादीप पत्तन पर बालू बिछाने के लिए भारतीय निकर्षण निगम के पास निकर्षण के उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रेजर किराए पर लेना आवश्यक हो गया।

(ङ) जी हां।

(च) मद्रास पत्तन ने चौगुले एण्ड कंपनी को एक ग्रैब ड्रेजर का आर्डर दिया है। कोचीन पत्तन 1500 घन मीटर क्षमता के एक ग्रैब होपर ड्रेजर खरीदने का विचार कर रहा है।

बंबई पत्तन ने एक ड्रेजर यूनिट खरीदने का आर्डर दिया है। ड्रेजिंग यूनिट का आर्डर नार्वे की कंपनी को दिया गया है और बार्ज तथा टगों के आर्डर भारतीय कंपनियों को दिए गए हैं।

नाविकों को निरन्तर रोजगार पर बनाए रखने के लिए भारतीय श्रम संगठन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

5164. डा० सुधीर राय : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नाविकों की भरती केवल एक ओर की समुद्री यात्रा के लिए की जाती है;

(ख) क्या सरकार का नाविकों को निरन्तर रोजगार पर बनाए रखने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वय न का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक छः माह वेतन सहित काम करने के पश्चात् नाविकों को औसतन 40 माह तक बिना काम के बिताने पड़ते हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) भारत में नाविकों को रोटेशन के आधार पर एक बार में 9 महीने के लिए रोजगार दिया जाता है।

(ख) भारतीय नाविकों के रोजगार के नैमित्तिक स्वरूप और किसी एक वर्ष में न्यूनतम अवधि के लिए रोजगार या न्यूनतम आय की गारंटी देने में कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नाविकों के अनवरत रोजगार पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय की शर्तों का पालन करना संभव नहीं है।

(ग) रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण कलकत्ता में सामान्य रोस्टर वाले नाविकों को रोजगार प्राप्त करने के लिए काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

नाविकों की शिकायतों को दूर करने के लिए न्यायाधिकरण

5165. **डा० सुधीर राय** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाविकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करने का विचार है जो कि वाणिज्य पोत नौवहन अधिनियम, 1958 के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत अनिवार्य है;

(ख) क्या ऐसे एक न्यायाधिकरण का गठन वर्ष 1981 में किया गया था जिसका मुख्यालय कलकत्ता में था; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह न्यायाधिकरण अभी भी चल रहा है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) चूंकि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की धारा 150, सरकार को ऐसे अधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है, इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां। कलकत्ता में 18 मार्च, 1981 से एक वर्ष की अवधि के लिए एक अधिकरण स्थापित किया गया था।

(ग) इस अधिकरण की कार्य अवधि 17 मार्च, 1982 को समाप्त हो गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर वडापूजा पुल का निर्माण

5166. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर एर्नाकुलम जिले में वडापूजा पुल का डिजाइन प्राप्त हो गया है और उसे अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक शुरू करने का विचार है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) धारा-

पूजा पुल के सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा इसके निकटवर्ती पहुंच मार्गों का निर्माण करने के भूमि अधिग्रहण के अनुमान की मंजूरी दे दी गई है। ब्यौरेवार अन्वेषण और टेंडर सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सौंपे गए निर्माण कार्य के आधार पर परियोजना अनुमान की मंजूरी दिए जाने के बाद ही इस पुल का निर्माण शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजस्थान को सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता

5167. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान राज्य में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी बार धन की मांग की और प्रत्येक बार कितनी धनराशि की मांग की गई तथा मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया; और

(ख) सिंचाई सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धनराशि को जिन कार्यों पर खर्च किया गया उनका ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है और यह किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती है। अक्तूबर 1982 में, राजस्थान सरकार ने छठी योजनावधि में राजस्थान नहर परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आबंटन मांगा था। इस परियोजना के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई :—

1982-83	—	15 करोड़ रुपये
1983-84	—	15 करोड़ रुपये
1984-85	—	10 करोड़ रुपये

वर्ष 1984-85 में, राज्य सरकार ने पहले दिए गए 10 करोड़ रुपये के अलावा 30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध किया था।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

5168. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आवासीय स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन में आरक्षण के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत क्वार्टर आरक्षित किए गए हैं और इंडियन एयरलाइन्स के पास प्रत्येक श्रेणी के कुल कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं और उनमें से अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर आवंटित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को रिहायशी स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन करने के सम्बन्ध में इंडियन एयरलाइन्स सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपना रही है।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

क्वार्टर की श्रेणी	क्वार्टरों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आबंटित क्वार्टरों की संख्या	प्रतिशतता	सरकारी उद्यम कार्यालयों के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रतिशतता
श्रेणी IV (सरकार की किस्म I और II)	714	109	15.19	10
श्रेणी III (सरकार की किस्म III और IV)	726	60	8.26	5

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेत्रहीनों के लिए निःशुल्क रेल पास

5169. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्रहीनों को निःशुल्क रेल पास जारी किए जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको निःशुल्क रेल पास देने पर विचार करेगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विमान के गुम हो गए टिकटों पर राशि की वापसी

5170. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि किसी यात्री से विमान का टिकट गुम हो जाये तो क्या इस समय टिकट की राशि वापसी की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या टिकट की राशि की वापसी वास्तविक यात्री को क्षतिपूर्ण बांड लेकर की जाती है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जहां तक अन्तर्देशीय सैक्टर का सम्बन्ध है, खोये हुए दस्तावेजों की एवज में वापसी अदायगी की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि इनका यात्रा, वापसी अदायगी या फिर से जारी किए जाने के उद्देश्य से दुरुपयोग किया जा सकता है और जिसके फलस्वरूप निगम को राजस्व की हानि हो सकती है। प्रत्येक टिकट पर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। लेकिन विशेष मामलों में, यात्री से क्षतिपूर्ति बान्ड लेकर अन्तर्देशीय सैक्टर पर खोये हुए टिकटों पर वापसी अदायगी की अनुमति दी जाती है।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय सैक्टर का संबंध है, खोये गए दस्तावेजी पत्र के जारी होने की तारीख से 120 दिन की अवधि की प्रतीक्षा करने के बाद और क्षतिपूर्ति बांड लेकर, ऐसे खोये गए दस्तावेज की एवज में वापसी अदायगी की जाती है।

"कन्डोम" की मांग और उत्पादन

5171. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1985 के दौरान देश में "कन्डोम" की मांग का आंकलन किया है;

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स द्वारा "कन्डोम" का वास्तव में कितना उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या उत्पादन बढ़ाने और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोई नये यूनिट स्थापित किये जायेंगे; और

(घ) क्या "कन्डोम" के निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए

जापान से कोई सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जैसा कि मैसर्स केरल औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लिमिटेड द्वारा आंकलन किया गया था, 1984-85 के लिए 7407.3 लाख निरोधों की मांग थी। इस वर्ष के दौरान हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम ने 2740 लाख निरोधों का वास्तविक उत्पादन किया था।

(ग) और (घ) देश में निरोधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए त्रिवेन्द्रम और बेलगांव में दो नये संयंत्र लगाये जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1600-1600 लाख निरोध होगी। आधुनिक तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने मैसर्स मितसुई एंड कंपनी, जापान और मैसर्स ओकामोटो रिकेन गोमू कम्पनी लिमिटेड, जापान के साथ एक विदेशी सहयोग करार किया है।

खरीद से पूर्व दवाओं की गुणवत्ता की जांच

5172. **श्री तारिक अनवर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दवाओं, सीरम और वैक्सीन की खरीद से पूर्व उनकी गुणवत्ता के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है;

(ख) क्या इन उत्पादों को स्वीकार करने से पहले सरकार की अपनी कोई जांच व्यवस्था है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादों की गुणवत्ता किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन के माध्यम से खरीदी गई औषधियों को मांग कर्ताओं को सप्लाई करने से पहले प्रयोगशाला में पूरी जांच की जाती है।

(ख) मेडिकल स्टोर्स आर्गेनाइजेशन की बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में अपनी जांच संबंधी सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपो, मद्रास में एक केन्द्रीय जीवविज्ञानी प्रयोगशाला भी कार्य कर रही है। नमूनों की सरकार द्वारा मान्य प्रयोगशालाओं में भी जब आवश्यक समझा जाता है तो जांच करायी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान निर्माणाधीन नई रेल लाइनों के निर्माण को प्राथमिकता देना

5173. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देने और इस अवधि के दौरान किसी नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई क्षेत्रीय असंतुलन पैदा न हो;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक राज्य में जहां उक्त कार्य प्रगति पर है, वहां कम से कम एक निर्माणाधीन परियोजना चाहे वह नई रेल लाइन की हो अथवा उसको बदलने की हो, को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य-वार जिन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी उनके नाम क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सातवीं योजना में पिछड़े राज्यों, विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां स्वतंत्रता के बाद रेल लाइन बिछाने का कार्य तो प्रगति पर है लेकिन एक भी नई रेल लाइन पूरी नहीं की गई है, के प्रति बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में रेलवे नेटवर्क के प्रर्याप्त विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए क्या नीति अपनाई गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ङ) संसाधनों की अत्यधिक तंगी और भारी वचनबद्धताओं के हाथ में होने के कारण सातवीं योजना के दौरान नयी परियोजनाएं, 1985-86 के बजट में शामिल की गयी परियोजनाओं को छोड़कर शुरू करने की अपेक्षा चालू महत्वपूर्ण नयी लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। क्षेत्रीय असंतुलन का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि परियोजनाएं किसी राज्य विशेष में उनके स्थित होने के आधार पर शुरू नहीं की जाती हैं। तथापि, उन्हीं परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए रेल परिवहन की मांग की पूर्ति हेतु तथा खनिज और अन्य संसाधनों की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हों, या जो सामरिक महत्व की हों या विलुप्त सम्पर्कों की व्यवस्था से सम्बन्धित हों अथवा जैसा कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में, आवश्यक हों। तथापि, सातवीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं का पूरा होना अन्ततः ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराये गये संसाधनों पर निर्भर करेगा।

प्राचीन उत्कृष्ट कृतियों तथा आधुनिक भारतीय साहित्य के गौरव ग्रन्थों के अनुवाद

5174. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कला परिषद ने प्राचीन उत्कृष्ट कृतियों तथा आधुनिक भारतीय साहित्य के गौरव ग्रन्थों का एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में तथा विदेशी भाषाओं में और विदेशी भाषा

से भारतीय भाषा में किए जाने वाले अनुवादों के प्रकाशन के लिए सातवीं योजना में पर्याप्त राशि आवंटन के साथ परियोजनाओं की मंजूरी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परिषद की सिफारिशों के अनुरूप बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या निर्णय किए गये हैं और उसकी संक्षिप्त रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस समय परिषद के सदस्यों के नाम, उसके कार्य क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण क्या है तथा वर्तमान परिषद के गठन की तारीख और उसकी कार्य अवधि क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राष्ट्रीय कला परिषद ने यह सिफारिश की कि साहित्य अकादमी से यह कहा जाये कि वह रचनात्मक साहित्य का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को प्रोन्नत करे।

(ख) साहित्य अकादमी ने अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। तीन पुस्तकों का तीन विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया था तथा उन्हें प्रकाशित किया गया। छः पाण्डुलिपियां प्रैस में हैं। 12 पुस्तकों का 32 भाषाओं में अनुवाद कार्य सौंपा गया है। अकादमी पुरस्कार प्राप्त अन्य 18 पुस्तकों का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 19 सितम्बर, 1983 को की गई थी। इसका गठन/विधान और कार्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं। इस परिषद के लिए कोई निर्धारित अवधि निश्चित नहीं की गई है। इस परिषद की बैठक फरवरी, 1984 में हुई थी जब कुछ सिफारिशें की गई थी जिस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय कला परिषद का गठन

अध्यक्ष	—	प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष	—	शिक्षा और संस्कृति मंत्री
सदस्य		(1) वित्त मंत्री
		(2) पर्यटन मंत्री
		(3) पर्यावरण मंत्री
		(4) अध्यक्ष, साहित्य अकादमी।

(5) अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी।

(6) अध्यक्ष, ललित कला अकादमी।

(7) महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।

(8) निदेशक, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।

(9) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय।

(10) रचनात्मक कला, अनुसंधान तथा छात्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ विख्यात व्यक्ति

सदस्य सचिव — सचिव, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

2. राष्ट्रीय कला परिषद के कार्य

परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं : –

(क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति तैयार करना,

(ख) कला, पुरातत्व मानव विज्ञान, अभिलेखागार और संग्रहालयों से सम्बन्धित संस्थाओं के कार्यकलापों का समन्वय।

(ग) उन क्षेत्रों और रूपों का पता लगाना जिन पर विशेष ध्यान तथा आयोजन की आवश्यकता है ताकि सततता, सम्बन्धता और भावी विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) संस्थाओं और एजेन्सियों की भावी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी;

(ङ) कोई अन्य नयी राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए सलाह देना;

(च) श्रेष्य भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण; और

(छ) कोई अन्य मामला, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का हो।

आधुनिक माल डिब्बों के आयात से माल ढुलाई को बढ़ाने की योजना

5175. डा० बी० एल० शैलेश
श्री के० प्रधानी
} : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग की वर्षों पुरानी सम्पत्ति को बदल कर तथा आधुनिकीकरण और

प्रौद्योगिकी के दर्जे को बढ़ाने के कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि के लिए तैयार की गई उनके कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उनका अनुमानित परिव्यय कितना है;

(ग) क्या रेल विभाग का विचार इस प्रयोजन के लिए अनेक आधुनिक माल डिब्बों का आयात तथा इस प्रकार के डिब्बों का स्वदेश में निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो उस देश का नाम क्या है जहां से इनका आयात किया जाएगा और इस प्रकार के डिब्बों की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) क्या रेल विभाग अधिक माल डिब्बों की अपनी बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इलाहाबाद में डिब्बा निर्माण एकक स्थापित करने की अपनी पूर्व योजना को फिर से लागू करेगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों के लिए सातवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय 12,334 करोड़ रुपये है। इस राशि के अन्तर्गत रेलों द्वारा लगभग 20,000 कि० मी० रेल पथ का नवीकरण करने, लगभग 3,400 कि० मी० अतिरिक्त मार्गों का विद्युतीकरण करने, 96,000 माल डिब्बों और 1,250 रेल इंजनों की खरीद करने तथा उपयुक्त रूप से लाइन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन बोगियों की सप्लाई के स्रोत की अभी पहचान नहीं की गई है और अभी लागत का पता नहीं चला है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेलवे स्टेशनों पर स्टाल आवंटित करने सम्बन्धी मार्ग निदेश

5176. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर स्टाल आवंटित करने के लिए रेलवे प्राधिकारियों ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है;

(ख) क्या ऐसे स्टालों का आबंटन "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर किया जाता है या कोई अन्य मार्ग निदेश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) ऐसे आबंटनों में सेवा निवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए कोई आरक्षण है; और

(घ) यदि नहीं, तो रेलवे स्टालों के आबंटन के लिए क्या मार्ग निदेश निर्धारित किए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्टालों का आबंटन सामान्यत: प्रेस अधिसूचनाओं तथा/अथवा स्थानीय नोटिसों के माध्यम से आवेदन पत्र आमन्त्रित करके किया जाता है। इन आवेदनों की क्षेत्रीय रेलों पर एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा छान-बीन की जाती है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद आबंटन किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बुक स्टालों के आबंटन के लिए रेल कर्मचारियों के बेरोजगार स्नातक पुत्रों और अश्रितों के बारे में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ विचार किया जाता है।

नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन पड़े प्रस्ताव

5177. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचाराधीन पड़े प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो नये विश्वविद्यालय खोलने संबंधी वर्तमान नीति क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) राज्य सरकारों को नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का किसी प्रकार का औपचारिक अनुमोदन अथवा संस्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, जून, 1972 के बाद स्थापित नये विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के प्रावधान के अनुसरण में केंद्रीय संसाधनों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पात्र घोषित किए जाने की आवश्यकता है। अत: राज्य सरकारें आमतौर पर नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों से पिछले 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टिप्पणियां तैयार करने के लिए आयोग को 6 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को इस आशय का सलाह देते रहते हैं कि वे नये विश्वविद्यालयों की स्थापना पर रोक लगाएं, जिन्हें सुदृढ़ शैक्षिक

विचारों और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही खोला जाना चाहिए।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की योजना

5178. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री प्रताप भानु शर्मा
डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री श्री सुभाष यादव
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए कोई नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के किन-किन भागों में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) क्या कोई विदेशी एजेन्सियां भी सिंचाई परियोजनाओं के लिए आधुनिकतम तकनीकी जानकारी देगी;

(ङ) क्या सरकार पंजाब में इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु कोई प्रोत्साहन देगी;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (छ) आधुनिकीकरण स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है। कुछ परियोजनाएं बाह्य सहायता हेतु प्रस्तुत की जाती हैं।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित गर्भ-निरोधक टीके वैक्सीन का परीक्षण

5179. डा० टी० कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र कनाडा ने सुरक्षित और प्रभावी गर्भ-निरोध टीके का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए उसके क्षेत्र परिक्षणों के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस टीके के प्रयोग के लिए निर्धारित कार्यक्रम क्या है और हमारी इससे जन्म दर में कितनी कमी आने की सम्भावना है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तालमेल से राष्ट्रीय रोग क्षमीकरण संस्थान, नई दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में गर्भ-निरोधक वैक्सीन तैयार करने के कार्यक्रम को आंशिक रूप से धन उपलब्ध कर रहा है। इस वैक्सीन का जानवरों पर किए गए परीक्षण के आशाजनक परिणाम निकले हैं। मनुष्य पर क्लीनिकल परीक्षण, जो 1992 तक हो जाने की सम्भावना है, सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद ही इस कार्यक्रम में इस वैक्सीन को शामिल किए जाने के बारे में विचार किया जाएगा।

हल्दिया में जहाज मरम्मत काम्पलैक्स बनाना

5180. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**
डा० सुधीर राय
: क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हल्दिया में जहाज मरम्मत काम्पलैक्स बनाने के लिए सरकार की योजना तथा कार्यक्रम क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार का सातवीं योजना में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जहाज मरम्मत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजियाबाद दिल्ली ई० एम० यू० सवारी डिब्बे में आग लगने के कारण

5181. डा० गौरीशंकर राजहंस
श्री बनवारी लाल पुरोहित
श्री सुभाष यादव
श्री सी० पी० ठाकुर
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
: क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या 11 मार्च, 1986 को इन्द्रप्रस्थ बिजलीघर के पास गाजियाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली ई० एम० यू० गाड़ी के एक डिब्बे में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने लोग मरे और कितने घायल हुए थे;

(ग) क्या सरकार ने आग लगने के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उक्त गाड़ी में खतरे की जंजीर कार्य नहीं कर रही थी और यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को फिर से न होने देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। 11 यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं और पांच घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी।

(ग) रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(घ) जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) जी, नहीं। खतरे की जंजीर कार्य कर रही थी।

(च) समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा डिब्बों में उपयुक्त चेतावनी पट्ट लगाकर यात्रियों को आग की रोकथाम के बारे में शिक्षित किया जाता है, और उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे मालगाड़ियों में विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं।

उड़ीसा में रेलवे आरक्षण का कम्प्यूटीकरण

5182. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आरक्षण के कम्प्यूटीकरण कार्यक्रम को वर्ष 1986-87 में उड़ीसा में भी लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष रेलवे आरक्षण के कम्प्यूटीकरण के लिए उड़ीसा के कितने रेलवे स्टेशनों को चुना गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। 1986-87 के दौरान केवल बम्बई और कलकत्ता में आरक्षणों का संगणकीकरण शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते। यह कार्यक्रम राज्यवार आधार पर नहीं बनाया जाता है।

पारादीप पत्तन पर डूबे हुए ट्रेजरों के अवशेषों को हटाने के लिए नौ सेना की सहायता के लिए अनुरोध

5183. श्री चिन्तामणि जेना : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पारादीप पत्तन पर डूबे हुए कोणार्क और एच० ओ० टी०-3 ट्रेजरों के अवशेष को हटाने के लिए एक विशेष मामले के तौर पर भारतीय नौसेना से सम्पर्क करने का सुझाव दिया है क्योंकि गैर-सरकारी एजेंसियों को इस काम में कोई रुचि नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां। मुख्य मन्त्री, उड़ीसा सरकार ने अनौपचारिक चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया था कि पारादीप पोर्ट में डूबे कोंकण और एम० ओ० टी०-3 नामक ट्रेजरों के मलवे को हटाने के लिए भारतीय नौसेना से कहा जाए।

(ख) तदनुसार भारतीय नौसेना से मलवा हटाने के लिए कहा गया था किन्तु उन्होंने मलवे के स्थान की विचित्रता के कारण यह कार्य करने की अपनी असमर्थता व्यक्त की।

पूर्वोत्तर रेलवे के खागरिया रेलवे स्टेशन पर रेल टक्कर

5184. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री सुभाष यादव
: क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 मार्च, 1986 को पूर्वोत्तर रेलवे के खागरिया रेलवे स्टेशन पर 67 अप कटिहार बरौनी यात्री गाड़ी 85 अप आसाम मेल के पिछले हिस्से से टकरा गई जिसमें 50 से अधिक यात्री घायल हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कारण रेल सम्पत्ति का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या अभी तक इसकी कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस दुर्घटना के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) 10-3-86 को 18.50 बजे जब 85 अप असम मेल खगरिया जंक्शन स्टेशन की नंबर 1 लाइन पर खड़ी थी तभी 567 अप कटिहार-बरौनी सवारी गाड़ी आई और असम मेल के पिछले हिस्से से टकरा गई। रेल सम्पत्ति को लगभग 50,000 रुपये की क्षति हुई है।

(ग) जी, हां, रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गोरखपुर द्वारा जांच की गई है।

(घ) खागरिया स्टेशन में ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर और केबिन मैन तथा 567 अप सवारी गाड़ी के इंजन कर्मी दल को निलम्बित कर दिया गया है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

इन्दौर में राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र संस्थान स्थापित करने की मांग

5185. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में इन्दौर में चाचा नेहरू बाल अस्पताल में राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र संस्थान स्थापित करने की जनता द्वारा मांग की जा रही है;

(ख) क्या इस बारे में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र संस्थान स्थापित करने के लिए एक स्थान के रूप में चाचा नेहरू बाल अस्पताल पर विचार करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) एक राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

महिलाओं का स्तर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

5186. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में महिलाओं का स्तर सम्बन्धी समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) क्या रिपोर्टों में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और यदि हां, तो कितनी सिफारिशें की गई हैं ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित समिति ने 52 सिफारिशें की थीं। इनमें से 20 सिफारिशें भारत सरकार ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर ली थीं। सरकार ने 19 सिफारिशों में संशोधन करके उन्हें स्वीकार कर लिया था। शेष 13 सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

5187. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के लिए

होस्टल बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक बनाये गए ऐसे होस्टलों की, राज्यवार, संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में भी कामकाजी महिलाओं के लिए कोई होस्टल बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे होस्टल कौन-कौन सी जगह पर स्थित हैं ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) श्रमजीवी महिला होस्टल के निर्माण/विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार स्वयंसेवी संगठनों, सार्वजनिक ट्रस्टों और स्थानीय निकायों को महिला होस्टलों के निर्माण के लिए सहायता देती है। केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 380 होस्टलों के निर्माण की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) उड़ीसा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए 9 होस्टल स्वीकृत किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं०	होस्टल का स्थल	होस्टलों की संख्या
1.	बरीपाडा	1
2.	ब्रह्मपुर	1
3.	भुवनेश्वर	1
4.	कटक	3
5.	धनकनाल	1
6.	रूरकेला	1
7.	सम्बलपुर	1

विवरण

स्वीकृत श्रमजीवी महिला होस्टलों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या

31-3-1986 तक

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	स्वीकृत किए गए होस्टलों की सं०	क्षमता	दिवस केन्द्र सं०	देखभाल सहित होस्टल बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	12	610	1	30

1	2	3	4	5	6
2.	असम	6	425	—	—
3.	बिहार	2	97	—	—
4.	गुजरात	18	802	3	70
5.	हरियाणा	13	937	6	180
6.	हिमाचल प्रदेश	12	425	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1	50	—	—
8.	कर्नाटक	26	1648	2	80
9.	केरल	67	6264	22	615
10.	मध्य प्रदेश	43	2017	7	225
11.	महाराष्ट्र	31	1843	4	134
12.	मणिपुर	6	233	4	130
13.	मेघालय	2	134	1	15
14.	नागालैंड	1	126	—	—
15.	उड़ीसा	9	568	1	10
16.	पंजाब	7	811	—	—
17.	राजस्थान	25	1173	7	180
18.	सिक्किम	2	145	1	30
19.	तमिलनाडू	44	1919	11	295
20.	त्रिपुरा	1	20	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	21	1341	6	175
22.	पश्चिम बंगाल	8	369	2	40
	जोड़	357	21957	79	2239
केन्द्र शासित प्रदेश					
1.	अण्डमान और निकोबार	1	36	—	—

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	25	—	—
3.	चण्डीगढ़	4	454	1	30
4.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
5.	दिल्ली	12	1463	5	130
6.	गोवा, दमन और दीव	2	120	—	—
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
8.	मिजोरम	1	40	—	—
9.	पांडिचेरी	2	96	—	—
	जोड़	23	2234	6	160
	कुल जोड़	380	24191	85	2399

उड़ीसा में कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे हुए स्वयंसेवी संगठन

5188. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगे हुए हैं; और

(ख) उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं; जिन्हें केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है और प्रत्येक को कितनी धनराशि मिलती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उड़ीसा में निम्नलिखित स्वयंसेवी संगठन कुष्ठरोधी कार्य में लगे हुए हैं :

(1) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान, औलतपुर, बैराई, जिला कटक

(2) हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, उड़ीसा राज्य शाखा, रेड क्रास भवन, भुवनेश्वर

(3) मयूरभंज लेप्रोसी होम, मिशन हाऊस, डाक बरीपाढ़ा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा

(4) सेरंगों क्रिश्चियन अस्पताल, डाक सेरंगों, बारास्ता गंजम जिला, गंजम, उड़ीसा

(5) ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, छतरपुर, गंजम, उड़ीसा

(6) कुष्ठ केन्द्र, भारसुगुदा, सम्बलपुर, उड़ीसा।

(7) पुरी शहरी कुष्ठ परियोजना, सदरथानालेन, दित्तादत्ता, पुरी

(8) कुष्ठ सहायता समिति, परलेदन्मेड, गंजम उड़ीसा

(9) दिव्या जीवन आरोग्य केन्द्र जलनी, पुरी।

(ख) केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के नामों की सूची और उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान एस० ई० टी० केन्द्रों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को दिए गए सहायता अनुदान का विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम	वर्ष 1985-86 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश		
1.	हिन्द कुष्ठ निवारण संघ, करीम नगर	1,55,172
2.	कुष्ठ मिशन अस्पताल, विजियानगरम्	1,83,585
बिहार		
3.	सन्तल पहाड़िया सेवा मंडल, वैद्यनाथ, देवगढ़	8,35,703
4.	राजेन्द्र कुष्ठ नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान, मैरवा (सिवन)	13,98,810
5.	सिंहभूम नवजीवन मंडल, घटशिला	1,75,000
6.	कुष्ठ सेवा समिति, कपासिया	2,80,950
7.	गांधी कुष्ठ निवारण प्रतिष्ठान, रोहताश	4,91,607

1	2	3
8.	भारत सेवाश्रम संघ, जमशेदपुर	3,37,101
गुजरात		
9.	बड़ौदा जिला कुष्ठरोधी संघ, बड़ौदा	2,02,328
महाराष्ट्र		
10.	कोठारा कुष्ठ अस्पताल, अमरावती	17,833
11.	महाराष्ट्र लोकसेवा मंडल, नरेली, नन्देड़	12,220
12.	हेयथानंथाविटे मेमोरियल कुष्ठ सेवाएं, कागल	1,63,824
13.	रिशार्डशन कुष्ठ अस्पताल, मिराज	85,610
केरल		
14.	होली क्रास कॉनवेंट, कोट्टायम	54,894
15.	दमिअंन कुष्ठ संस्थान, त्रिचूर	1,91,196
16.	सेंट फ्रांसिस कुष्ठ केन्द्र, सेररातल्ले	89,314
17.	पूअर लप्रोसी अस्पताल, सेररातल्ले	2,09,650
कर्नाटक		
18.	जनता ट्रस्ट, यादगीर	1,55,795
तमिलनाडू		
19.	क्रिश्चियन फेलोशिप कुष्ठ अस्पताल	
20.	रेवथाक्कुप्पम, हेनरी जेक ग्रामीण केन्द्र, आरावली	3,25,826
21.	दयापुरम् कुष्ठ केन्द्र, मनमुदुराई	80,600
22.	कुम्बाकनम हिन्दू मिशन अस्पताल, कुम्बाकनम	
23.	लेप्रोसी मिशन अस्पताल, वदाथोराए, सलूर	50,105

1	2	3
मध्य प्रदेश		
24.	गांधी मैमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, बलरामपुर	1,00,000
उत्तर प्रदेश		
25.	पूर्वांचल सेवा संघ, देवरिया	1,00,000

इंडियन एयरलाइन्स की एयर बसों में इंजन खराब होने की दर में वृद्धि

5189. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री वाई० एस० महाजन
श्री कमला प्रसाद सिंह
: क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के एयर बस विमानों के इंजन खराब होने की दर में अचानक अत्यधिक वृद्धि रिकार्ड की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी बार इंजनों में खराबी आई;

(ग) इसके क्या कारण थे;

(घ) क्या ऐसे विमान अभी भी वारंटी के अन्तर्गत हैं और क्या इस सम्बन्ध में निर्माताओं को सचेत किया गया है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके क्या विचार हैं; और

(ङ) विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) विमान में इंजन खराब होने की 1984 में 7 और 1985 में 3 घटनाएं हुईं।

(ग) इंजन खराब होने की घटनाएं बियरिंग के खराब होने, टर्बाइन ब्लेड की उच्च दवाब, विमानन नियंत्रण यूनिट और विमानन ईंधन पम्प, गियर बॉक्स, न्यूमेटिक चालन मोटर इत्यादि में टूटने के कारण वापसी यंत्र की खराबी की वजह से हुईं। कुछ मामलों में, इंजिन को भौतिक कम्पन अथवा इंजिन को खड़ा करने के लिए उसे बन्द कर देने के कारण हुईं। इन्हें औद्योगिक समस्याओं के रूप में माना जाता है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) कारण का पता लगाने के लिए मुख्य त्रुटियों अथवा खराबियों की तत्काल जांच की

जाती है और जहां आवश्यक होता है, उपयुक्त उपचारी कार्रवाइयां की जाती हैं।

बम्बई मंडल से नमक की रेल रेकों में ढुलाई

5190. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे के नये अनुदेशों के अनुसार बम्बई मंडल में नमक धोवन केन्द्रों से नमक ढुलाई को थोड़े-थोड़े माल डिब्बों में न करके पूरी रेल गाड़ी से की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि पूरी रेलगाड़ी से नमक की ढुलाई करना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बम्बई मंडल में नमक धोवन केन्द्रों से ढोए जाने वाले नमक की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या थोड़े-थोड़े डिब्बों में नमक की ढुलाई की सुविधायें बहाल की जायेंगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां। पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर सीमा रेलों के गन्तव्य स्टेशनों के लिए नमक की ढुलाई रेक भार में की जा रही है ताकि वह वहां शीघ्र पहुंच जाये।

(ख) जी, हां।

(ग) संसाधनों की तंगी को देखते हुए, माल यातायात की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मात्रा की ढुलाई करने के लिए रेक भार में संचलन करके परिवहन क्षमता का अधिकतम उपयोग करना जरूरी है। नमक को रेक भार में ढोया जा सकता है। तथापि एक अस्थायी अवधि के दौरान फुटकर लदान की अनुमति देने के लिए इस शर्त में छूट दी गयी है ताकि व्यापारियों को रेक भार में यातायात प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने के लिए समय मिल जाये।

सिंचाई परियोजनाओं का किस्म नियंत्रण

5191. **श्री शान्ता राम नायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में किस्म नियंत्रण पर कड़ी नजर रखने के लिए कोई विशेष तंत्र है; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान इस प्रकार के तंत्र द्वारा प्राप्त किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सिंचाई परियोजनाओं की

आयोजना, वित्त पोषण तथा निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा कोटि नियंत्रण का रखरखाव भी वही करती हैं।

मंजूरी के लिए लम्बित पश्चिम बंगाल की सिचाई परियोजनाएं

5192. डा० फूल रेणु गुहा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी के लिए कुछ सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से निम्नलिखित परियोजना रिपोर्टें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई हैं :

क्रम सं०	परियाजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	लाभ (हजार हैक्टेयर)	वर्तमान स्थिति
	2	3	4	5
1.	अजय जलाशय परियोजना	102.79	40.5	स्पष्टीकरण भेजने हेतु टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।
2.	तीस्ता बराज परियोजना (चरण-1 का द्वितीय उपचरण)	111.60	162.0	—तदैव—
3.	दोलोंग जलाशय परियोजना	18.23	22.0	—तदैव
4.	सुबर्णरेखा बराज परियोजना	158.55	130.01	राज्य सरकार से प्राप्त टिप्पणियों के उत्तरों की केन्द्रीय जल आयोग में जांच चल रही है।

1	2	3	4	5
5.	कंग्सबती परियोजना का आधुनिकीकरण	311.58	367.2 (कंग्सबती जलग्रहण कमान सहित)	राज्य सरकार को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त करनी है।
6.	अपर कंग्सबती परियोजना	43.84	59.12	—तदैव—

स्कूल कार्यक्रमों में कम्प्यूटर का ज्ञान और अध्ययन

5193. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल कार्यक्रमों में कम्प्यूटर की शिक्षा और अध्ययन के लिए "साफ्टवेयर" बनाने का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्कूल कार्यक्रमों में कम्प्यूटर शिक्षा और अध्ययन में कौन से विषय में इस समय "साफ्टवेयर" उपलब्ध है और इसका प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) क्या इसके प्रभाव के बारे में कोई पुनर्निवेशन प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या इस कार्यक्रम का और विस्तार किया जा रहा है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी०वी०नरसिंह राव) : (क) और (ख) स्कूलों के कार्यक्रमों में संगणक साक्षरता और अध्ययन के लिए सोफ्टवेयर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है जिसको इस समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा समन्वित किया जा रहा है। वर्ष 1985-86 के दौरान देश में गणित, भौतिकी-विज्ञान, जीव-विज्ञान और रसायन-विज्ञान जैसे विषयों और भाषा, ग्राफिक पीढ़ी सुविधा, आंकड़ा आधार और फैलाव-सीट से सम्बन्धित कुछ सामान्य उद्देश्य कार्यक्रमों पर 10 सोफ्ट वेयर पैकेज तैयार करके स्कूलों में वितरित किये गये हैं।

(ग) परियोजना का मूल्यांकन अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है जिसकी अन्तिम रिपोर्ट 1986 के मध्य तक प्राप्त होने की आशा है।

(घ) आने वाले वर्षों में सी० एल० ए० एस० एस० परियोजना के विस्तार की सीमा का निर्णय वर्ष-प्रतिवर्ष के आधार पर किया जायेगा, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

बाधा सिंचाई परियोजना

5194. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सातवीं योजना के दौरान बाधा सिंचाई परियोजना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कितनी राशि आबंटित की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने बाघ समन्वित चरण-एक परियोजना, जिसमें बाघ परियोजना एक घटक के रूप में शामिल है, प्रस्तुत की है। बताया गया है कि इस पर अन्वेषण चल रहा है। राज्य सरकार को इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करनी है।

डा० पी० वी० मण्डलीक स्मारक अस्पताल के लिए केन्द्रीय सहायता

5195. प्रो० मधु दण्डवते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के रत्नागिरि जिले के राजापुर ताल्लुक औरी में डा० पी० वी० मण्डलीक अस्पताल ने केन्द्रीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के अधीन डा० पी० वी० मांडलिक अस्पताल, मातरू मन्दिर उरई, तालुक राजापुर, जिला रत्नागिरि के लिए मातरू मन्दिर, देवरूख से एक आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त हुई है।

(ख) संस्था का आवेदन अधूरा है और संस्था से कहा गया है कि वह अतिरिक्त सूचना प्रदान करे। महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। ये सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद नियमों की विभिन्न शर्तें पूरी होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।

भूमिगत जल की खोज

5196. डा० बी० एल० शैलेश : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान कोई भूमिगत जल खोज

कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसे किस क्षेत्र में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लागू करने का विचार है और भूमिगत जल विकास के माध्यम से किन-किन अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विकास किया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान देश में भूजल अन्वेषण के लिए लगभग 400 अन्वेषकवेधन छिद्रों के वेधन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी राज्यों में कार्य करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सातवीं योजना के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 100 वेधन छिद्रों का वेधन किया जाएगा जिससे 20,000 वर्ग किमी० क्षेत्र कवर किया जाएगा। देश में कुल कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को लगभग 5 लाख वर्ग किमी० आंका गया है।

दिल्ली के कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों और योग्यताओं को विश्वविद्यालय के विभागों में उनके समकक्ष अध्यापकों से अलग करना

5197. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कालेजों के अध्यापकों की योग्यताओं और उनके वेतनमानों को विश्वविद्यालय के विभागों में उनके समकक्ष अध्यापकों से अलग करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में निर्णय लिया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसा निर्णय लेने के क्या कारण हैं जबकि यह कोठारी आयोग की सिफारिशों जिसने कालेजों और विश्वविद्यालय के विभागों के अध्यापकों के लिए वेतनमानों और योग्यताओं में समानता की सिफारिश की थी, के विपरीत है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 1973 में वेतनमानों में संशोधन करते समय, दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों और विभागों के प्राध्यापकों के लिए एक समान वेतनमान संस्वीकृत किए गए थे। तथापि, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए न्यूनतम अर्हताएं डाक्टोरल डिग्री निर्धारित की गई थी, जबकि कालेज के प्राध्यापकों के लिए एम० फिल या समकक्ष डिग्री रखी थी। 1973 में निर्धारित अर्हताओं के इस अन्तर में संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नन्दयाल में नूनेपल्ली में ऊपरी पुल

5198. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र-प्रदेश सरकार से नन्दयाल में नूनेपल्ली में एक ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और उसे कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) नन्दयाल में मौजूदा समपार सं० 183 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण को राज्य सरकार के साथ लागत की संयुक्त भागीदारी के आधार पर स्वीकृति दी गयी है। राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1985 में यह इच्छा व्यक्त की थी कि ऊपरी सड़क पुल का स्थान बदल कर नूनेपल्ली के निकट समपार सं० 185 पर कर दिया जाये। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि समपार सं० 185 पर यातायात का घनत्व बहुत कम है और उस स्थान पर लागत की भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का औचित्य नहीं है।

कैंसर के उपचार के लिए विटामिन-सी का उपयोग

5199. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जर्मन के शोधकर्ताओं के अनुसार कैंसर रोधी औषध के रूप में किसी समय अत्यन्त उपयोगी समझी जाने वाली विटामिन-सी से न तो कैंसर रोग से बचाव होता है और न ही उसका प्रकोप कम होता है; और

(ख) क्या शोध के निष्कर्षों के अनुसार विटामिन-सी वस्तुतः रोगियों की शोध जीवनावधि भी कम कर देती है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को उस प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है जिस में यह कहा गया है कि सर्जिकल यूनिवर्सिटी हास्पीटल, हैमवर्ग, पश्चिमी जर्मनी के डा० थी० वार्नर की अध्यक्षता में डाक्टरों के एक दल ने प्रायोगिक पशुओं में यह पाया गया कि विटामिन "सी" छोटी छोटी आंतों में रसायन से उत्पन्न ट्यूमर को न तो रोकती है और न इसके विकास की गति को धीमा करती है अथवा रोकने में भी मदद नहीं मिलती है। इस अध्ययन का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। कैंसर

की रोकथाम करने में विटामिन "सी" के महत्व के बारे में कोई एक राय नहीं है। इस थेरापी के कुछ समर्थक भी हैं और कुछ निदंक भी हैं।

स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर कार्मिकों को प्रशिक्षण

5200. **श्री सलीम शेरवानी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्नातकोत्तर स्तर पर कम्प्यूटर कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए देश में विभिन्न तकनीकी महाविद्यालयों में क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ऐसे कितने तकनीशियन/प्रशिक्षित व्यक्तियों के उत्तीर्ण होने की आशा है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उत्तर स्नातक स्तर पर संगणक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वार्षिक दाखिला क्षमता 885 के क्रम में है। उन तकनीशियनों और प्रशिक्षित व्यक्तियों, जिनके सातवीं योजना के अन्त तक उत्तीर्ण होने की आशा है। की संख्या 2900 के क्रम में है।

इंडियन एयरलाइन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

5201. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस में प्रत्येक श्रेणी/संवर्ग में पदों को भरते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: आरक्षित 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत कोटे का पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणी/संवर्गवार प्रतिशतता कितनी है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 28-2-1986 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
"क"	1598	141	8.82	11	0.68
"ख"	4085	431	10.55	107	2.61

1	2	3	4	5	6
"ग"	5992	788	13.15	211	3.52
"घ"	6187	1220	19.71	280	4.52
(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)					
सफाई कर्मचारी	400	313	78.25	9	2.52

रेलों में बेहतर यात्रा सुविधाएं

5202. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित सुविधाओं के स्तर सम्बन्धी समिति ने रेलों में बेहतर यात्रा सुविधाओं के लिए कोई सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां।

(ख) समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। बहरहाल, सिफारिशों का सारांश विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

समिति की सिफारिशों का सारांश

1. गाड़ियों में स्थान की किस्मों की संख्या कम की जानी चाहिए ताकि वर्तमान 8 किस्मों के बजाय भविष्य में केवल 5 किस्में ही रहें।

2. अधिकतम स्थान की व्यवस्था और सुविधाओं में सुधार करने के दोहरे प्रयोजन के लिए वातानुकूल शयनयान, वातानुकूल कुर्सीयान, गैर-वातानुकूल शयनयान और गैर-वातानुकूल सीटों के सवारी डिब्बों के लिए मानक नक्शे तैयार किए गये हैं। इन मौलिक नक्शों को मिश्रित सवारी डिब्बों के अनुकूल बनाकर संघटित किया जाएगा।

3. अधिक शौचालयों के लिए जनता की निरन्तर मांग को देखते हुए, प्रस्तावित नक्शे के अनुसार 3-टियर शयनयानों में, यात्री स्थान में कटौती किए बिना 4 के बजाय 5 शौचालयों और कुल 7 वास-बेसिनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में सामान्यः रोशनी के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए।

5. पढ़ने की बत्तियों के अभिकल्प और रोशनी के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए ।

6. दूसरे दर्जे के शयनयानों में पंखों की संख्या प्रति कक्ष 2 से बढ़ाकर 3 कर दी जानी चाहिए ।

7. सभी सवारी डिब्बों में मूल सुविधाओं, जैसे थाली रैक की व्यवस्था की जानी चाहिए; सभी दर्जों के शयनयानों में लिनइन कक्षों की व्यवस्था की जानी चाहिए; स्वच्छ पेय जल के लिए पानी के कंटेनरों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

8. अधिक पानी की मांग को पूरा करने के लिए 3 टियर शयनयानों में सिरोपरि जल भंडारण की सुविधा बढ़ायी जानी चाहिए ।

9. बेहतर स्वच्छता के लिए तथा सफाई और अनुरक्षण को सरल बनाने के लिए सभी दर्जे के सवारी डिब्बों के शौचालयों में सतही फर्श में सुधार किया जाना चाहिए ।

10. बेहतर सुरक्षा और संरक्षा के लिए बोडी साइड के दरवाजों में अतिरिक्त सलाखें, सीटों के नीचे सामान बांधकर रखने के लिए छतले, उत्तम डिजाइन के अर्गल आदि जैसी फिटिंगों की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

ऐशियाटिक सोसाइटी द्वारा चलाया गया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

5203. **डा० सुधीर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता मे अनेक नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या अधिकारियों ने उन पाठ्यक्रमों में अब नये सदस्यों के प्रवेश पर रोक लगा दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐशियाटिक सोसायटी ने निम्नलिखित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ किये हैं :

(i) पांडुलिपि विज्ञान में एम० फिल पाठ्यक्रम

(ii) भारतीय संस्कृति और सभ्यता सहित प्राच्य अध्ययन में एम० फिल पाठ्यक्रम

(iii) केन्द्रीय संस्कृत संस्थान की पाठ्यचर्या के अनुसार संस्कृत में स्नातकोत्तर आचार्य पाठ्यक्रम उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों को शुरू करने का औचित्य यह है कि इनमें से कोई भी भारत के विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता। उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित पाठ्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में संस्कृत अध्ययन को पुन: शुरू करना है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय निम्नलिखित कारणों से नये सदस्यों को शामिल नहीं किया जा रहा है :

(i) जगह की कमी।

(ii) सदस्यों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ की कमी; और

(iii) नये सदस्यों के प्रवेश का मामला निर्णयाधीन है।

कनिष्क विमान दुर्घटना से सम्बन्धित मुआवजे के लिए पंजीकृत मामले

5204. श्री एन० डेनिस : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1985 में हुई कनिष्क विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में मुआवजे के कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं; और

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो निपटा दिये गये हैं तथा मृतकों के सम्बन्धियों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) कुल मिलाकर 294 मामले क्षतिपूर्ति के लिए पंजीकृत किये गए हैं जिन में से 192 मामले कनाडा में पंजीकृत किए गये हैं।

(ख) यात्रियों के 53 मामले जिनमें कनाडा का एक मामला भी शामिल है, अंतिम रूप से निपटा लिये गए हैं। 5 दावों का निपटान अंतिम रूप से किया गया है। भारत में क्षतिपूर्ति के लिए 2.26 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है जिसमें से 1.84 करोड़ रुपये की राशि अदा कर दी गई है। 41.97 लाख रुपये की शेष राशि दावेदारों को देने के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। कनाडा में एक दावे के सम्बन्ध में 75,300 अमरीकी डालर का भुगतान कर दिया गया है।

कर्मीदल के 29 मामलों का भी निपटान कर दिया गया है और 79.99 लाख रुपये की राशि अदा कर दी गई है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों द्वारा चिकित्सा के लिए रोगियों के घरों में जाना

5205. श्री सरफराज अहमद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के डाक्टरों को चिकित्सा के लिए रोगियों के घरों में जाने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या डाक्टरों को इस सम्बन्ध में कोई परिपत्र भेजा गया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका से मिली सूचना के अनुसार उनके डाक्टर रोगियों को देखने उनके घरों पर नहीं जाते क्योंकि औषधालयों में कार्यभार की अधिकता होती है तथा उन्हें इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई भत्ता नहीं मिलता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं

5206. श्री अमर सिंह राठवा : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के अधिकतर आदिवासी क्षेत्रों और विशेषकर गुजरात में सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं और वे केवल वर्षा पर निर्भर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों के लोगों को अपने उपयोग के लिये पेयजल भी उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में नलकूप लगाने, उठाऊ सिंचाई योजना लागू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में और विशेषकर गुजरात में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सातवीं योजना में इन योजनाओं के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) देश के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई तथा पेयजल की सुविधाएं सामान्यतया कम हैं। आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत सिंचाई के विकास हेतु आदिवासी-उपयोजना क्षेत्रों के लिए आबंटन किए जाते हैं। गुजरात में 0.49 लाख हैक्टेयर सहित छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में लगभग 6.60 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी।

(ङ) चूंकि आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए निधियां प्रत्येक वर्ष कई स्रोतों से प्रदान की जाती हैं, अतः योजना के लिए समग्र रूप से किए गए वास्तविक प्रावधानों को बता पाना सम्भव नहीं है। तथापि, भूजल विकास कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण तथा गवेषण शुरू करने के लिए केन्द्रीय भूजल बोर्ड के वास्ते सातवीं योजना आवंटन में 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

कालीकट क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज में सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए केरल का अनुरोध

5207. **श्री टी० बशीर :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कालीकट इंजीनियरिंग कालेज की सुविधाओं में सुधार करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा

5208. **श्री टी० बालगौड़ :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारतीय हवाई अड्डों पर हथियारों की तस्करी, विस्फोटों और हवाई तोड़-फोड़ से पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए अधिकांश आधुनिक उपकरणों का आयात किया जा रहा है और इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा; और

(ग) क्या सुरक्षा कर्मचारियों का राष्ट्रविरोधी तत्वों के सांठ-गांठ रोकने के लिए अन्तर्रा-

ष्ट्रीय हवाई अड्डों से समय-समय पर उनका स्थानान्तरण किया जाता है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जबकि श्रीनगर और बम्बई में विमान के आरम्भिक और मोड़ के स्टेशनों पर हर प्रकार के विमान की जांच सूची, अथवा डोरफ्रेम धातु खोजी यंत्र, हस्तधारित धातु खोजी यंत्र, एक्सरे सामान निरीक्षण प्रणालियों जैसे आधुनिक उपकरणों और विस्फोटकों को सूंघने वाले कुत्तों की मदद से उड़ान पूर्व तोड़-फोड़ विरोधी जांच करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किये जाते हैं, तथापि 14 हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा वाष्प विश्लेषकों की सहायता से भारत निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी का प्रयास रोकने के लिए पर्याप्त सतर्कता बरती जाती है। भोजन और मदिरा जो विमान में लाई जाती है उसकी भी तोड़फोड़ सामग्री की जांच करते समय, जांच की जा सकती है। केवल उन्ही यात्रियों के सामान को विमान पर लादा जाता है जो वास्तव में यात्रा करते हैं।

(ख) जी, हां। सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है और सुरक्षा कर्मियों को नवीनतम घटनाओं से अवगत कराया जाता है।

(ग) उनके प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए, विमान क्षेत्रों पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों को बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाता है। तथापि उन कार्मिकों को कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है जो अवांछनीय पाये जाएं।

सभी विश्वविद्यालयों को एकीकृत नियन्त्रण के अधीन लाने का प्रस्ताव

5209. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे देश के सभी विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय सरकार के एकीकृत नियन्त्रण में लाया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सभी विश्वविद्यालयों को अपने नियन्त्रण में लाने के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धनबाद डिवीजन में भर्ती और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटे का अनुरक्षण

5210. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1986 तक गत दो वर्षों में पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में श्रेणी-वार कुल कितने व्यक्ति भर्ती किए गए;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी वार कितने प्रतिशत व्यक्ति भर्ती किए गए ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नौवहन कम्पनियों को हुई हानि

5211. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नौवहन कम्पनियों को भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक कम्पनी को कितनी हानि हुई; और

(ग) सरकार का विचार इन कम्पनियों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है जिससे कि उन्हें हानि न हो ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) नौवहन विकास निधि समिति से ऋण लेने वाली नौवहन कम्पनियों को वर्ष 1984-85 के दौरान हुआ घाटा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) नौवहन उद्योग में चल रही मन्दी को ध्यान में रखते हुए नौवहन कम्पनियों को क्रमशः नौवहन विकास निधि समिति और वाणिज्यिक बैंकों को देय 1982-83 तक के वर्षों की बकाया राशियों के भुगतान की तारीख पुनः निर्धारित करने की अनुमति दे दी गई है। उपर्युक्त के अलावा, कार्गो सहायता के कुछ उपाय किए गए हैं जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सी० एण्ड एफ० के आधार पर निर्यात और एफ० ओ० बी० आधार पर आयात करने का सौदा तय करें। आयात लाइसेंसों के मामले में भारतीय जहाजों का उपयोग करने के लिए आयातकों को और पूरक लाइसेंसों के मामले में भारतीय जहाजों का उपयोग करने वाले निर्यातकों को भी कुछ रियायतें दी गई हैं।

विवरण

नौवहन विकास निधि समिति से ऋण लेने वाली नौवहन कम्पनियों को उनके तुलन पत्र के अनुसार वर्ष 1984-85 के दौरान हुए घाटे की राशि दर्शाने वाला विवरण

		(करोड़ रुपये)
1.	मुगल लाइन लिमिटेड	20.18
2.	इंडोसीनिक नौवहन कम्पनी लिमि०	4.83
3.	ठाकुर नौवहन कम्पनी लिमि०	4.23
4.	दामोदर बल्क कैरियर्स लिमि०	19.49
5.	सेवनसीज ट्रांसपोर्टेशन लिमि०	7.08
6.	रत्नाकर नौवहन कम्पनी लिमि०	9.08
7.	डेम्पो स्टीम शिप्स लिमि०	21.29
8.	निर्वान नौवहन कम्पनी लिमि०	0.96
9.	स्ट्रीम लाइन नौवहन कम्पनी लिमि०	1.07
10.	इंडिया स्टीम शिप कम्पनी लिमि०	37.60
11.	सुरेन्द्र ओवर सीज लिमि०	8.96
12.	ह्योडे नेवीगेशन लिमि०	2.20
13.	सिंधिया स्टीम नेवीगेशन लिमि०	1.07
14.	सोलानी नौवहन कम्पनी लिमि०	0 39

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति

5212 श्री पराग चालिहा : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति कब गठित की गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति में अब आसाम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लिए क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का गठन 1-1-1986 से किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

उड़ीसा में मुख्य अभियंताओं के कार्यालय स्थापित करने के सुझाव

5213. श्री के० प्रधानी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने सुझाव दिया था कि उड़ीसा की तालचेर-सम्बलपुर संपर्क, कोरापुट-रायगढ़ संपर्क, जखपुर-बांसपानी रेल संपर्क और उचेश्वर रेलवे वर्कशाप जैसी चालू परियोजनाओं के संदर्भ में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय उस राज्य में स्थापित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य इंजीनियरों के कार्यालय कलकत्ता, बिलासपुर और वाल्तेर में इस दृष्टि से रखे गये हैं ताकि सम्बद्ध अधिकारियों के उत्तरदायित्व वाली भिन्न-भिन्न परियोजनाओं के निष्पादन, आयोजन करने तथा समन्वयन में सुविधा हो। कार्य की दृष्टि से ऐसी कोई समस्या महसूस नहीं की गई है जिसकी वजह से इन मुख्यालयों को अन्यत्र ले जाने की आवश्यकता हो। प्रसंगवश, इनमें से किसी कार्यालय के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाने में एक बड़ी संख्या में कार्यालय कर्मचारियों का स्थानान्तरण करना पड़ेगा जो कदाचित व्यावहारिक न हो।

मनुचेश्वर कारखाना एक अपर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के अधीन है जिसका मुख्यालय मनुचेश्वर में है।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल

5214. श्री एस० पलाकोंड्रायुडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने अस्पताल हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के और अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के और अधिक अस्पताल खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई अस्पताल नहीं है।

(ख) और (ग) रक्षा मन्त्रालय द्वारा डी० आर० डी० ओ० काम्प्लेक्स हैदराबाद में 100 पलंगों वाला एक अस्पताल बनाए जाने का प्रस्ताव है जिसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल के रूप में चलाए जाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय को सौंपा जाएगा। रक्षा मन्त्रालय द्वारा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ट्रक पार्किंग काम्प्लैक्स

5215. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रक पार्किंग काम्प्लैक्सों के लिए अनुमति दी गई है/निर्माण करने का विचार है तथा ये कहां पर स्थित हैं ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : अब तक मध्य प्रदेश में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक पार्किंग कम्प्लैक्स बनाने का अनुमोदन नहीं किया गया है। तथापि राजमार्गों के साथ-साथ सुविधाओं/पार्किंग स्थानों का प्रावधान करने के बारे में राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अभी इन पर अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा सहायता के लिए की गई मांग

5216. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए कोई विशिष्ट मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 खर्च के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी-II स्वास्थ्य योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

छठी योजना के दौरान उड़ीसा सरकार के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम सम्बन्धी

केन्द्रीय खर्च इस प्रकार है :···

वर्ष	केन्द्र द्वारा सप्लाई की गई मशीनरी और उपकरणों की लागत	दी गई नकद सहायता
1980-82	280.23	—
1981-82	120.45	21.92
1982-83	297.99	75.00
1983-84	248.48	—
1984-85	191.07	87.83
कुल :	1138.23	184.73

केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा किये गए खर्च के लेखा परीक्षा आंकड़ों के मिल जाने पर राज्यों को केन्द्रीय सहायता का अन्तिम निर्धारण किया जाता है।

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के लिए अल्पकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम

5217 : **श्री आर० एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण :** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के लिए अवर स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर समान पाठ्यक्रम और अल्पकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम निर्धारित करने का है ताकि योग्य उम्मीदवार जो परम्परागत रूप से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर सके।

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के उपबन्धों के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अर्थात आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों के लिए समान पाठ्यक्रम पहले ही निर्धारित कर दिए हैं लेकिन अल्पकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कालेजों को सहायता देने सम्बन्धी योजना

5218. **श्री अजय विश्वास :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कालेजों को सहायता करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा के कालेजों को दिसम्बर, 1985 तक कोई सहायता दी गई है क्योंकि ये सभी कालेज आदिवासी क्षेत्र में स्थित हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी, हां। छठी योजना अवधि के दौरान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार की गई एक योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा राज्य में पांच कालेजों को 31 दिसम्बर, 1985 तक 1.76 लाख रुपये की धनराशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राहक सेवाओं के लिए विमानन उद्योग की सलाहकार समिति

5219. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करता है कि एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइंस और वायुदूत की ग्राहक सेवाओं के लिए एक सलाहकार समिति बनाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइंस ने अभी हाल में चारों क्षेत्र में से प्रत्येक में क्षेत्रीय सलाहकार समितियां गठित की हैं। ये समितियां, जिसके सार्वजनिक जीवन में विभिन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और विमान से यात्रा करने वाले लोग सदस्य हैं, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में सुधार करने के सुझाव देंगी और ग्राहक सेवा से विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में लाभदायक प्रतिसंभरण भी उपलब्ध करेंगी। एयर इण्डिया और वायुदूत की ऐसी समितियां नहीं है।

1986-87 के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्य

5220. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 1986-87 के लिए राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : प्राथमिक स्तर (कक्षा I—V) में अतिरिक्त दाखिले के लक्ष्य योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्यय को ध्यान में रखते हुए वार्षिक तौर पर तय किये जाते हैं। वर्ष 1986-87 के लिए उन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

हिम सागर एक्सप्रेस की बारम्बारता को बढ़ाया जाना

5221. श्री के० मोहन दास : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-तवी और कन्याकुमारी के बीच चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को स्वीकृति

5222. श्री सोमनाथ रथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1986-87 के लिए 240 नई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्न्धी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) इन परियोजनाओं का राज्य-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1986-87 के लिए आवंटित की गई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्र० सं	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1986-87 के लिए आवंटित की गई समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं की संख्या
1.	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	10
3.	बिहार	23
4.	गुजरात	7
5.	हरियाणा	5
6.	हिमाचल प्रदेश	6
7.	जम्मू और काश्मीर	4
8.	कर्नाटक	8
9.	केरल	6
10.	मध्य प्रदेश	34
11.	महाराष्ट्र	11
12.	मणिपुर	3
13.	मेघालय	3
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	24
16.	पंजाब	9
17.	राजस्थान	8

1.	2	3
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडू	13
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	27
22.	पश्चिम, बंगाल	19
	केन्द्र शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	3
3.	चंडीगढ़	—
4.	दादर और नगर हवेली	—
5.	दिल्ली	2
6.	गोवा दमन और दीव	1
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	1
9.	पांडिचेरी	—
	जोड़	240

उड़ीसा द्वारा शिक्षा के लिए अतिरिक्त साधनों की मांग

5223. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराए जाने की कोई मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे किस सीमा तक पूरा किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) 7वीं योजना के दौरान उड़ीसा सरकार से शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि उड़ीसा के शिक्षा और युवक सेवा मन्त्री ने नई दिल्ली में दिनांक 23-24 जनवरी, 1986 को हुए राज्य शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में अपने भाषण में केन्द्र से सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्यों को वर्ष 1990 तक प्राप्त करने हेतु राज्य की सहायता करने का अनुरोध किया।

(ग) उड़ीसा जोकि शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में से एक है, गैर-औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष सहायता के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहा है। प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। सातवीं योजना के दौरान उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

त्रिवेन्द्रम (केरल) रेलवे स्टेशन के पुरमबोक कैम्पस से कुछ परिवारों को हटाना और उनका पुनर्वास

5224. श्री ए० चार्ल्स : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन कैम्पस के रेलवे पुरमबोक में रह रहे लगभग तीस परिवारों को खाली कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस कैम्पस में ये परिवार कितने समय से रह रहे हैं; और

(ग) क्या उन लोगों को आवास के लिए वैकल्पिक स्थान देने अथवा किसी दूसरे ढंग से उनका पुनर्वास करने को कोई योजना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग दस वर्ष।

(ग) जी, नहीं। यह रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है।

बाल साहित्य के लिए स्वायत्त संगठन की स्थापना का सुझाव

5225. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक नीति संबंधी कार्य दल ने बाल साहित्य के लिए एक स्वायत्त संगठन स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक नीति से सम्बन्धित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट मे बच्चों के लिए साहित्य के विकास के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक मोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन को स्थापित करने की सिफारिश की है। यह संगठन पुस्तकें लिखने और अनुवाद करने के अतिरिक्त अनुश्रवण, समन्वय, आयोजन तथा देश की सभी भाषाओं में बाल पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता देने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कार्यदल की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटखल और लालाघाट खंड में रेल सेवा पुनः चालू करना

5226. **श्री सुदर्शन दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कटखल और लालाघाट सेक्शन पर यात्री गाड़ी रेल सेवा मई, 1985 से बन्द कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेल सेवा कब तक पुनः चालू किए जाने की सम्भावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) कटखल-लालाघाट खंड पर रेल पथ पुनःस्थापन कार्यों के कारण 4-10-1985 से गाड़ी सेवाओं को अस्थायी रूप से बन्द कर दिया गया था। 28-3-1986 से ये गाड़ियां पुनः चला दी गई हैं।

पूर्व रेलवे के साहिबगंज सेक्शन में गाड़ियों का डीजलीकरण

5227. **श्री गदाधर साहा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के साहिबगंज सेक्शन में पहले डीजल के इंजनों से चलाई जा रही कुछ गाड़ियां, जो हावड़ा से शुरू होती हैं और बारास्ता बर्दवान और अंडाल होकर दानापुर, कुइल होती हुई रामपुर-हाट पर समाप्त होती हैं, अब भाप के इंजनों से चलाई जा रही है, और इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर फिर से डीजल इंजनों से गाड़ियां चलाने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) रेलों पर माल की ढुलाई के भारी दबाव के कारण 53/54 गौड़ एक्सप्रेस, 327/328 हावड़ा-दानापुर फास्ट पैसेंजर

और 317/318 रामपुर हाट-वर्धमान पैसेंजर गाड़ियों से डीजल रेल इंजन हटाकर उनमें भाप रेल इंजन लगाये गये थे।

(ग) 1-5-86 से 53/54 गौड़ एक्सप्रेस तथा 317/318 रामपुर हाट-वर्धमान पैसेंजर गाड़ियों में पुन: डीजल रेल इंजन लगाये जाएंगे। फालतू डीजल रेल इंजन उपलब्ध होने पर 327/328 फास्ट पैसेंजर गाड़ी में डीजल रेल इंजन लगाने के बारे में विचार किया जाएगा।

सातवीं योजना पाठ्यचर्या के अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामान्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य पेय जल आदि सम्बन्धी सिद्धांत

5228. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए हाल ही में बनाई गई पाठ्यचर्या में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामान्य पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पेय जल मल व्ययन सम्बन्धी सिद्धान्तों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या संतुलित आहार के सिद्धांतों के साथ फाइलेरिया, मलेरिया, डायरिया के खतरे को भी शामिल किया गया है; और

(ग) क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण में परिवार कल्याण तथा परिवार, समुदाय और देश के आर्थिक, सामाजिक और भौतिक विकास के क्षेत्र में इसके महत्व को भी शामिल किया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वर्ष 1986 में रा० शै० अनु० प्र० परि० द्वारा तैयार की गई प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नामक एक कार्य ढांचे में सभी स्तरों पर स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया गया है। इन पाठ्यक्रमों में जिन्हें रा० शै० अनु० प्र० परि० द्वारा तैयार किया जा रहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामान्य पर्यावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य, पेय-जल, मल-व्ययन के सम्बन्ध में, तैयार किए जाने वाले अनिवार्य अध्ययन निष्कर्षों को शामिल किया जाएगा।

(ख) रा० शै० अनु० प्र० परि० द्वारा तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम में इन पर तथा अन्य विषयों को सम्भावित रूप से शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यचर्या में शामिल किए गए व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्यावरण सम्बन्धी स्वास्थ्य, तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण के सिद्धांतों सहित स्वास्थ्य से सम्बन्धित विषय-वस्तु, विचारों और मूल्यों पर कार्यवाही, परिवार कल्याण तथा सामान्य कल्याण के लिए किए गए प्रयासों के लिए इसकी प्रासंगिकता के सन्दर्भ में की जाती है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

5229. **श्री टी० बशीर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार का यह आम निर्णय है कि क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को रिलीज किए गए अनुदानों को उपकरणों की खरीद के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए न कि निर्माण अथवा अनुरक्षण कार्य के लिए। तथापि, केरल सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र त्रिवेन्द्रम की शासी निकाय को केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए अनुदान को अपने पूरे विवेकानुसार इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है बशर्ते कि उसके इस्तेमाल के पैटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर ली जाए और इस शर्त पर कि उपकरणों के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त सहायता नहीं दी जाएगी।

बिजली के इंजनों की देश में मांग और उनका निर्यात

5230. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप के महाप्रबन्धक के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत शीघ्र ही बिजली इंजनों का निर्यात शुरू कर देगा; और

(ख) यदि हां, तो इस समय बिजली के इंजनों की देश में अनुमानित मांग कितनी है और कितने इंजन फालतू हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) महाप्रबन्धक, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना, चित्तरंजन द्वारा जनवरी, 86 में प्रेस को दिए गए वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इस समय भारतीय रेलों पर बिजली रेल इंजनों की मांग चि० रे० का० में उपलब्ध क्षमता से अधिक है, इसलिए निकट भविष्य में इनके निर्यात की सम्भावना नहीं है कि चि० रे० का० की क्षमता प्रतिवर्ष 60 से बढ़ाकर 100 करके तथा भेल को रेल इंजनों का आर्डर देकर वर्तमान कमी को पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके साथ-साथ अत्याधुनिक अभिकल्पों के अनुरूप बिजली रेल इंजनो के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के उपाय किए गए हैं।

क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, डिबरूगढ़ और त्रिपुरा के लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण

5231. **श्री अजय विश्वास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिबरूगढ़ स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र द्वारा उन उद्देश्यों जिनके लिए इस केन्द्र के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया था की प्राप्ति के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्र ने त्रिपुरा की आम जनता और आदिवासियों के स्वास्थ्य का कोई सर्वेक्षण शुरू कराया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मलेरिया के रोगियों का पता लगाने तथा रोग के उपचार में लोगों की सहायता करने के लिए केन्द्र में एक मलेरिया क्लीनिक शुरू किया गया है। मलेरिया रोगियों का सर्वेक्षण तथा मच्छर वैक्टरों का पता लगाने का काम खास-खास क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। इस केन्द्र का क्लारोक्वीन को सहन करने वाले पी-फालसीपरम मलेरिया का अध्ययन करने तथा मलेरिया की उच्च दर वाले क्षेत्रों में क्लीनिकल परीक्षण करने का प्रस्ताव है। एक नासाग्रथनी कैंसर टास्क फोर्स बना दिया गया है। नासाग्रथनी कैंसर की व्यापकता तथा प्रकोप का पता लगाए जाने के लिए एक विवरणात्मक एपिडेमियोलाजीकल अध्ययन शुरू करने का निश्चय किया गया था। हिस्टोपैथालॉजीकल निदान के लिए मानकीकृत नामावली तथा मानदण्ड तैयार करने के लिए नवम्बर, 1985 में पैथालोजिस्टों की एक उप समिति की एक बैठक हुई थी। नासाग्रथनी कैंसर के कारणों से सम्बन्धित पर्यावर्णिक पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए इस केन्द्र के वैज्ञानिकों का एक दल कोहिमा के निकट अंगामी ग्राम के आदिवासियों के घरों पर गया था। कार्सिनोजेनस का पता लगाने के लिए स्मोक ड्राइड मीट और सूट के नमूनों की जांच की गई। अन्य प्रस्तावित अध्ययनों में नासाग्रथनी कैंसर को रोकने के लिए सीरोऐपिडेमियोलाजी, इम्युनोलॉजी, इम्युनो-जेनेटिक्स, रेडियो थेराप्युटिक एवं केमोकेराप्युटिक परीक्षण शामिल हैं।

क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग के इलाज के लिए बहु-औषधि उपचार पर अनुसंधान तथा क्लीनिकल परीक्षण करने का प्रस्ताव है। आर० एम० आर० सी० के अन्तर्गत अनुसंधान सम्बन्धी जो अन्य अध्ययन करने का प्रस्ताव है, उनमें आदिवासी लोगों पर यूरोलिथाईसिस तथा जेनेटिक अध्ययन शामिल हैं।

केन्द्र ने लाहोल में 35 एकड़ का एक आयताकार भूखण्ड का अधिग्रहण किया है जिस पर

इसका स्थायी भवन तथा कर्मचारी क्वार्टर बनाए जाएंगे।

बायोकैमिस्ट्री, इम्युनोलॉजी एवं वायरोलॉजी जैसी विभिन्न प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं और जरूरी उपकरण लगा दिए गए हैं।

मौजूदा भवन में एक पुस्तकालय की स्थापना की जा चुकी है। इसमें काफी सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं जोड़ी जा चुकी हैं ताकि इसे एक बढ़िया संदर्भ पुस्तकालय बनाया जा सके।

विभिन्न विषयों में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी प्रयोगशाला तकनीशियन, स्तर के तकनीकी कर्मचारी नियुक्त किए जा चुके हैं और उनके सम्बन्धित विषयों विशेषकर मलेरिया अनुसंधान और इम्युनोलॉजी में उन्हें प्रशिक्षण देने का काम देश के विभिन्न उन्नत संस्थानों और केन्द्रों में पूरा हो चुका है।

(ख) से (घ) यह केन्द्र एक नया केन्द्र है और इसने नागालैंड क्षेत्र में सर्वेक्षण करना प्रारम्भ कर दिया है। अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद त्रिपुरा में सवक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

रामपुर रजा पुस्तकालय

5232. श्री सलीम आई० शेरवानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामपुर रजा पुस्तकालय वस्तुगत जांच के लिए और कितने समय तक बन्द रखा जाएगा क्योंकि यह पहले ही लगभग दो वर्षों से बन्द पड़ा है;

(ख) क्या बहुमूल्य पुस्तकों, मूल पाण्डुलिपियों को, जो विश्व में दुर्लभ हैं, पुस्तकालय के बन्द रहने और दीमकों के कारण नुक्सान पहुंचा है; और

(ग) क्या पुस्तकालय बोर्ड का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो इसे अन्तिम स्वरूप कब तक दिया जाएगा ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) रामपुर रजा पुस्तकालय बन्द नहीं है। तथापि बहुमूल्य पाण्डुलिपियों को सीलबन्द कर दिया गया है। पुस्तकालय के अधीन उन अनुसंधान अध्येयताओं को वह सामग्री मुहैया करने की व्यवस्था की जाती है जिसे वे देखना चाहते हैं।

(ख) सरकार के नोटिस में ऐसी बात नहीं आई है।

(ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार से नामांकनों के प्राप्त होने पर पुनर्गठन को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

भारतीय पुस्तक संवर्धन परिषद द्वारा भारतीय साहित्य सम्बन्धी मानक पुस्तकें प्रकाशित करने का सुझाव

5233. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुस्तक संवर्धन परिषद ने विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं में मानक पुस्तकें प्रकाशित करने की कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का स्वरूप और रूपरेखा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) परिषद के इस समय कौन-कौन सदस्य हैं और उसके क्रियाकलाप और कृत्य क्या हैं;

(घ) क्या परिषद ने सातवीं योजना के लिए कोई सिफारिशें की हैं और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उन सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है और सातवीं योजना में इसके क्रियाकलापों के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्, जिसका गठन सितम्बर, 1983 में किया गया था, ने राष्ट्रीय पुस्तक नीति पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 25-3-1986 को प्रस्तुत कर दी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठित भाषाओं की पुस्तकों (संसार की प्रतिष्ठित भाषाओं सहित) के अनुवाद को बढ़ावा देने की योजनाएं तैयार करने तथा प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास और सांस्कृति, दर्शन आदि पर विशिष्ट भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने की सिफारिश की है।

(ग) भारत सरकार के दिनांक 15-9-83 के संकल्प में निहित राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद के गठन और कार्यकरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) कार्यदल ने सातवीं योजना अवधि में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए; विश्व की चुनिन्दा भाषाओं का आधुनिक भारतीय भाषाओं में रूपान्तरण विभिन्न भारतीय भाषाओं में बाल पुस्तकों के विश्वकोष को तैयार करने का काम शुरू करना और मातृ-भाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना। सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

परिषद के कार्य

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद के कार्य होंगे :—

(1) उच्च शिक्षा के क्षेत्र सहित देश की सम्पूर्ण आवश्यकताओं के संदर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित करना;

(2) पुस्तक उद्योग और व्यापार की प्रोन्नति के उपायों के सम्बन्ध में सलाह देना;

(3) लोगों में पढ़ने की आदत विकसित करना;

(4) विशेष रूप से बच्चों और ग्रामीण निरक्षरों से सम्बन्धित साहित्य के निर्माण को प्रोन्नत करना;

(5) विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहित करना और सामान्य रूप से लेखकों के हितों की रक्षा के लिए उपाय सुझाना;

(6) विशेष रूप से विकासशील देशों में भारतीय पुस्तकों के निर्यात के लिए सम्भावनाओं और अवसरों का पता लगाना;

(7) एक ऐसी राष्ट्रीय पुस्तक नीति बनाना जिसमें पाठकों की रुचियों का मधुर मिश्रण हो;

(8) पुस्तक प्रवर्धन, पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक विक्रय से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करना;

(9) अनुसंधान, सर्वेक्षण, अध्ययन और विशेष परियोजनाएं शुरू करना और प्रोन्नत करना, ताकि ऊपर बताए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिल सके;

(10) भारतीय लेखकों को विशेष रूप से उच्च शिक्षा के स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें लिखने और उनके प्रकाशन के लिए भारतीय प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के उपायों के सम्बन्ध में सलाह देना; और

(11) सरकार को ऐसे मामलों पर सलाह देना अथवा ऐसे अन्य कार्य करना जो सरकार द्वारा इसे भेजे जाएं।

2. परिषद का गठन

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद का गठन निम्नलिखित होगा :—

(1) अध्यक्ष (भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष को; राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है।

(2) सदस्य सचिव (परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा)

पदेन सदस्य

(3) शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(4) वित्त सलाहकार, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय।

(5) उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(6) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(7) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।

(8) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।

(9) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक प्रतिनिधि।

(10) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि।

(11) वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि।

(12) साहित्य अकादमी का एक प्रतिनिधि।

(13) निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।

पुस्तक उद्योग संघ

(14) भारतीय प्रकाशक संघ का एक प्रतिनिधि।

(15) भारतीय प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संघों के फेडरेशन का एक प्रतिनिधि।

(16) अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का एक प्रतिनिधि।

(17) भारतीय लेखक संघ का एक प्रतिनिधि।

(18) से (34) ऐसे अन्य व्यक्ति जो 17 से अधिक न हों।
(इसमें 5 सहयोजित व्यक्ति होंगे)
जो भारत सरकार द्वारा लेखन, प्रकाशन और पुस्तक वितरण से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत किए जाएंगे।

हावड़ा-बम्बई, मद्रास-नई दिल्ली, मद्रास-हावड़ा और मद्रास-बम्बई के बीच राजधानी की तरह की एक्सप्रेस गाड़ियां चलाना

5234. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी बड़े शहरों को जोड़ने के लिए हावड़ा-बम्बई, मद्रास-नई दिल्ली, हावड़ा-मद्रास और मद्रास-बम्बई के बीच राजधानी की तरह की एक्सप्रेस गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री श्री (माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन मार्गों पर राजधानी जैसी एक्सप्रस गाड़ियां चलाने के लिए विशेष किस्म के सवारी डिब्बों की जरूरत होगी। इसके अलावा रेलपथ को मजबूत करना पड़ेगा तथा सिगनल उपस्कर आदि में आशोधन भी करना पड़ेगा जिनके लिए संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, इस प्रकार की गाड़ी तमिलनाडु एक्सप्रेस नई दिल्ली और मद्रास के बीच चल रही है।

आसाम में धीमी, दूभर और जोखिम भरी रेल यात्रा

5235. **श्री पराग चालिहा** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के उत्तर और दक्षिण के भागों में रेल यात्रा बड़ी धीमी, दूभर और जोखिम भरी है; और

(ख) यदि हां, तो आसाम के भीतर रेल सेवा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, नहीं

बहरहाल, कुछ क्षेत्रों में भू-भाग/रेल पथ की हालत के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर प्रतिबन्ध है। संसाधनों की स्थिति को देखते हुए आसाम में रेल पथ की हालत, सामान्य सवारी डिब्बों तथा रेल सेवाओं में सुधार करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये गये हैं।

हावडा और भुवनेश्वर के बीच एक दिवस कालीन रेल गाड़ी चलाना

5236 **श्री राधाकांत दिगाल :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और भुवनेश्वर के बीच एक दिवसकालीन रेलगाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रस्ताव वर्ष 1986-87 के दौरान क्रियान्वित किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्षय रोग से ग्रस्त मजदूरों की चिकित्सीय जांच

5237. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षय रोग से ग्रस्त मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की चिकित्सीय जांच योजना कागजों तक सीमित घोषणा है;

(ख) इस योजना से वास्तव में कितने मजदूरों को लाभ हुआ है; और

(ग) क्या दिल्ली में स्वयंसेवी स्वास्थ्य संगठनों सहित ई०एस०आई०/सी०जी०एच०एस० के औषधालयों तथा अन्य अस्पतालो के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को क्षय रोग निरोधी दवाएं निःशुल्क बांटी जाएंगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) क्षय रोग से ग्रस्त मजदूरों की शारीरिक जांच करने की कोई योजना नही है। वैसे, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र बदरपुर, लाल कुआं, पंचमुखी मंदिर, लक्कडपुर (सूरजकुंड) खनन और स्टोन-क्रशिंग आपरेशन के परिणामस्वरूप क्षय रोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की जांच करने के लिए चिकित्सा दल भेजे गये थे। इन चिकित्सा दलों ने लगभग 1600 व्यक्तियों की जांच की।

1962 से एक राष्ट्रीय क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षय रोग से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाना तथा उनका उपचार करना है ताकि संक्रामक व्यक्तियों को असंक्रामक बनाया जा सके तथा सक्रिय और असंक्रामक रोगी संक्रामक न बन जाएं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा तथा स्वास्थ्य की सभी मौजूदा संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक आधार पर जिला क्षयरोग कार्यक्रम चलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक जिला क्षय रोग केन्द्र खोला जा रहा है। नवम्बर, 1985 तक 364 जिलों में जिला क्षयरोग केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। क्षय रोगियों के आपाती तथा सर्जिकल उपचार के लिए देश में लगभग 45,700 पलंग कार्यरत हैं। प्रभावकारी क्षय रोग रोधी औषधि उपलब्ध करके रोगियों के घरों पर उपचार करने पर मुख्य बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम 50:50 हिस्से के आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित श्रेणी-II योजना है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए 1985-86 के दौरान 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1986-87 के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

1983-84 के दौरान 8 जिलों में रिफैम्पीसिन और पाइराजिनामाइड युक्त अल्प अवधि रसाय चिकित्सा औषध विधान मार्गदर्शी अध्ययन के आधार पर शुरू किया गया था। इस समय मार्गदर्शी परियोजना 18 ज़िलों में चलाई जा रही है।

क्षय रोग/वक्ष क्लीनिक/क्षय रोग अस्पतालों/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों/केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों तथा स्वैच्छिक निकायों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों सहित संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में स्थित सरकारी अस्पतालों में क्षय रोग-रोधी औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को पेंशन

5238. श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं की, राज्यवार संख्या क्या है और प्रत्येक राज्य में उनमें से कितनी महिलाओं को पेंशन दी गई है; और

(ख) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक निराश्रित विधवा को पेंशन का लाभ दिलाने की कोई योजना बनाई है ?

युवा कार्य और खेल तथा कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह राज्य योजना है।

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

राज्यों में कार्य कर रहे स्वयंसेवी कार्यवाही ब्यूरो

5239. **श्री शांता राम नायक** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितने स्वयंसेवी कार्यवाही ब्यूरो कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनके कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) गोवा, दमन और द्वीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दादर और नगर हवेली के केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में, 28 स्वयंसेवी कार्य ब्यूरो कार्य कर रहे हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

स्वयंसेवी कार्य ब्यूरो में एक समिति है जिसमें स्वयंसेवी संगठनों से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राज्य समाज कल्याण सलाहकारी बोर्डों के सदस्य शामिल हैं। राज्य समाज कल्याण सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष, अनिवार्य रूप से समिति का अध्यक्ष, होता है। ब्यूरो का दैनिक कार्य एक प्रशिक्षित कौंसिलर द्वारा किया जाता है। वे उन महिलाओं को आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं जो सहायता के लिए ब्यूरो से अनुरोध करती है।

2. ब्यूरो निवारणात्मक से लेकर पुनर्वासात्मक तक सेवाएं प्रदान करता है और कुछ मामलों को जहां तक सम्भव हो, न्यायालय से बाहर सलाह-मशवरे के जरिये ही निपटाने का प्रयास करता है।

3. ब्यूरो पारिवारिक सलाह मशवरा देने, अल्पगृह सुविधाएं, मनोचिकित्सीय सहायता तथा विभिन्न एजेंसियों के जरिये कानूनी और पुलिस सहायता जैसी सेवाएं प्रदान करता है और मामलों की रजिस्ट्रेशन, जांच-पड़ताल तथा सत्यापन सम्बन्धी कार्य करता है।

4. राज्य स्तरीय स्वयंसेवी कार्य ब्यूरो पारिवारिक सलाहकारी केन्द्रों के कार्यों की देखरेख

भी करता है जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण कार्यों में लगे स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं।

कुपोषण के कारण पूरी तरह से शारीरिक विकास न हो पाना

5240. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पोषण प्रतिष्ठान (एन० एम० आई०) के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कुपोषण के कारण कितने लोगों का पूरी तरह से शारीरिक विकास नहीं हुआ है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है ?

युवा कार्य और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय पोषाहार प्रतिष्ठान ने कोई वार्षिक पोषाहार सर्वेक्षण नहीं किया है। फिर भी, राष्ट्रीय पोषाहार प्रबोधन ब्यूरो ने सर्वेक्षण किए हैं। उनके परिणाम निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :—

बच्चों (1—4 वर्ष) का गोमेज वर्गीकरण (प्रतिशतता)

राज्य	सर्वेक्षण वर्ष	सामान्य	मध्यम	संतुलित	गम्भीर
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1981	15 5	47.6	33.0	3.9
	1982	12.6	43.0	38.5	5.9
	1983	18.9	43.4	33.5	4.2
गुजरात	1979	11.5	43.3	36.2	8.0
	1980	5.2	41.3	43.6	9.9
	1983	11.8	31.1	46.1	11.0

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	1980	13.3	46.3	35.5	4.9
	1981	14.1	45.2	35.2	5.5
	1982	13.8	43.4	37.2	5.6
केरल	1979	20.3	48.5	28.5	4.7
	1980	22.1	54.6	18.6	4.7
	1982	31.8	49.3	17.4	1.5
महाराष्ट्र	1979	10.0	39.7	38.9	11.4
	1981	15.8	39.9	38.2	6.0
	1982	13.6	38.8	40.7	6.9
उड़ीसा	1979	15.4	36.0	36.4	12.2
	1980	12.3	41.3	39.8	6.6
	1983	18.3	43.4	32.5	5.8
तमिलनाडु	1981	10.1	45.5	39.0	8.4
	1982	16.1	44.1	34.6	5.2
	1983	17.9	46.2	30.1	5.8
उत्तर प्रदेश	1979	20.8	52.0	21.3	5.9
	1980	20.4	46.6	27.5	5.5
	1981	21.1	49.8	27.7	1.4
पश्चिम बंगाल	1979	11.0	49.8	35.4	3.8
	1980	11.8	50.7	35.0	2.5
	1981	17.2	48.8	31.9	2.1

सरकार ने बच्चों और महिलाओं की पोषाहार स्थिति में सुधार लाने के लिए पूरक पोषाहार कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०), मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, पौष्टिक रक्त क्षीणता के विरुद्ध रोगनिरोधन, राष्ट्रीय सेवा नियन्त्रण कार्यक्रम, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न का वितरण जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। मूल्यांकन अध्ययनों से पता चला है कि जहां समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं शुरू की गई थीं उन क्षेत्रों में स्कूल पूर्व बच्चों में कुपोषण में उल्लेखनीय कमी हुई है।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए वर्दी के कपड़े की खरीद में अनियमितता

5241. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए वर्दी के कपड़े, जो भंडारों में सड़ रहे हैं, की खरीद में करोड़ों रुपए की अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वर्दी के कपड़े की खरीद में किसी अनियमितता की सूचना नहीं मिली है। तथापि, यह सूचना मिली है कि विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी के डिजाइन और मानक में परिवर्तन किए जाने के कारण छंटनी योग्य वर्दी/कपड़ा जमा हो गया है। लगभग 2.11 लाख रुपए की कीमत की कुछ मदें, जो उपयोग में लाने के लायक नहीं पाई गई थीं, उन्हें अब नीलाम कर दिया गया है, यद्यपि निगम ने अपनी यूनिटों को उन मदों को उपयोग में लाने के निर्देश जारी किए हैं, जो उपयोग में लाए जाने के लायक हैं।

एयर इंडिया के कार्यकरण में सुधार

5242. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के कार्यकरण में सुधार किया जा रहा है तथा इसे और अधिक व्यावसायिक और इसका कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है; और

(ख) क्या यह बात सुनिश्चित की जाएगी कि भारतीय तथा विदेशी यात्रियों के साथ एक समान शिष्ट व्यवहार किया जाएगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) यद्यपि एयर इंडिया में कम्प्यूटरीकरण सहित कई विषयों में प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस समय एयर इंडिया के समक्ष कोई ऐसा व्यापक प्रस्ताव नहीं है।

(ख) एयर इंडिया किसी भी आधार पर यात्रियों में भेद-भाव नहीं करती। शिष्टाचार सुनिश्चित करने की दृष्टि से एयर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और यात्री सेवा कार्यक्रम चलाती है और सभी सम्बन्धितों को परिपत्र भेजकर इस पहलू पर जोर देती है।

भारतीय हवाई अड्डों पर विदेशी विमान कंपनियों के लिए न्यूनतम यात्री यातायात

5243. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली जैसे किसी भी हवाई अड्डे से विदेशी विमान कम्पनी के विमानों की उड़ानों के लिए औसत न्यूनतम यात्री यातायात की क्या गारंटी दी गई है;

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कलकत्ता में बी० ए० सी० एस० ए० एस० के विमानों से इनकी उडानें बन्द होने की तिथि तक वास्तव में कितने यात्रियों ने यात्रा की; और

(ग) क्या कलकत्ता से विदेशी विमान कम्पनियों के विमानों की उड़ानें पुन: शुरू कराने के लिए सरकार द्वारा नई पहल की जाएगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारत के किसी हवाई अड्डे से परिचालन करने के लिए किसी भी विदेशी एयरलाइन के लिए किसी औसत न्यूनतम यात्री यातायात की गारंटी नहीं दी गई है।

(ख) वर्ष 1982, 1983, 1984 और 1985 के दौरान कलकत्ता में बी० ए० और एस० ए० एस० पर वास्तविक यात्री यातायात नीचे दिया गया है :—

	ब्रिटिश एयरवेज		एस० ए० एस०	
वर्ष	उठाए गए	उतारे गए	उठाए गए	उतारे गए
1982	7,093	6,259	4,303	3,751
1983	3,660	3,713	7,596	6,808
1984	4,051	2,999	8,587	8,142
1985	4,545	4,239	467*	787*

*केवल जनवरी, 1985 के लिए 3-2-85 से परिचालन बन्द कर दिया गया था।

(ग) सरकार, पहले की तरह, विदेशी सरकारों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाओं के लिए करार करते समय कलकत्ता पर रुकने की पेशकश करती रहेगी। तथापि, विदेशी एयरलाइन जिस हवाई अड्डे से परिचालन करेगी, उसे चुनने का विकल्प उस सम्बन्धित एयरलाइन के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ दिया जाना है, जैसा कि एयर इंडिया को विदेशों में हवाई अड्डों पर परिचालन करने का विकल्प दिया जाता है।

मुरारई स्टेशन पर दार्जिलिंग मेल तथा गौड़ एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था

5244. **श्री गदाधर साहा :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहेबगंज लाइन पर मुरारई स्टेशन के यात्रियों को उक्त स्टेशन पर दार्जिलिंग मेल, गौड़ एक्सप्रेस तथा अन्य महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के न रुकने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुरारई स्टेशन पर उन रेलगाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) मुरारई एक छोटा स्टेशन है जो 7 जोड़ी सवारी तथा 1 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा सेवित है। इस स्टेशन पर प्राप्त यातायात से वहां पर लम्बी दूरी की अधिक तेज गाड़ियों को ठहराने का औचित्य नहीं बनता।

एवरो हवाई उड़ानों को बोइंग उड़ानों में बदलना

5245. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हवाई उड़ानों को एवरो के बोइंग में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक कर दिया जाएगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) पट्टे पर विमानक्षमता के प्राप्त होने तथा पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने पर, इंडियन एयरलाइंस की, इलाहाबाद, गोरखपुर, तेजपुर, दीमापुर और नासिक से होकर बी-737 प्रचालनों को प्रारम्भ करने की योजना है।

ब्रिटिश निर्माता द्वारा रेलवे के लिए बताए गये सड़क एवं रेल वाहन का प्रयोग

5246. **श्री एन० डेनिस :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ब्रिटिश और दक्षिण एशियाई व्यापार संघ के व्यापार मिशन के एक सदस्य, ब्रिटिश निर्माता द्वारा सरलता से और अधिक उत्पादक कार्य वाले एक सड़क-एवं-रेल वाहन तथा एक 'केन कटर' का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 17-1-1986 को रेलवे बोर्ड में मैसर्स ब्रुक मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, सकली (यू० के०) ने उनके द्वारा निर्मित सड़क/रेल रिकवरी वाहनों के संबंध में श्रव्य-दृश्य का एक संक्षिप्त तकनीकी प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में केन कटर को शामिल किया गया था।

उक्त प्रदर्शन में यह संकेत दिया गया था कि उनके द्वारा निर्मित सड़क एवं रेल वाहनों का प्रयोग दुर्घटना स्थल तक राहत प्रबन्ध पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। ये वाहन दुर्घटनास्थल के लिये उपलब्ध पहुंच मार्गों के अनुरूप सड़क और रेल पटरियों दोनों पर चल सकते हैं।

इंडियन एयरलाइंस की सेवा के स्तर में गिरावट आना

5247. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में तथा हवाई अड्डों पर भी सेवा के स्तर में काफी गिरावट आई है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध हाल ही में कर्तव्यों की अवहेलना बरतने अथवा खराब सेवा के लिए कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या "चैकिंग-इन" में विशेष रूप से एयर बस उड़ानों के लिए अधिक समय लगता है; और

(घ) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। तथापि, यात्रियों की असुविधा के कुछ मामले हुए हैं, जिनकी तत्काल जांच की गई थी और पर्याप्त निवारक उपाय किए गए थे।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं है।

मुगल सराय-खड़गपुर सैक्शन के बीच नीलांचल एक्सप्रेस के यात्रियों की सुरक्षा

5248. **श्री अनादि चरण दास** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि संगचल टिकट निरीक्षक रात के दौरान मुगलसराय-खड़गपुर सैक्शन के बीच नीलांचल एक्सप्रेस के आरक्षित डिब्बों के दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं जिससे स्थानीय यात्री अन्दर आ जाते हैं जिसके कारण यात्रियों के लिए असुरक्षा पैदा हो जाती है और उन्हें असुविधा होती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विशेषकर आगामी भीड़-भाड़ के मौसम के दौरान उपर्युक्त जंक्शनों के बीच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) चल टिकट परीक्षकों को इस आशय के अनुदेश हैं कि रात में जब मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां अपने अनुसूचित ठहरावों पर रुके तब प्लेट-फार्म की ओर पड़ने वाले आरक्षित सवारी डिब्बों के दो दरवाजों में से केवल एक ही दरवाजा खोला जाये ताकि केवल आरक्षित स्थान वाले सदाशयी यात्री ही उन सवारी डिब्बों में प्रवेश कर सकें। रात्रि में यात्रियों की सुरक्षा की देखरेख करने के लिए नीलांचल एक्सप्रेस में सशस्त्र मार्गरक्षियों की व्यवस्था कर दी गई है।

(ख) कानून और व्यवस्था का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है और रेलें राज्य सरकारों के सहयोग से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास करती रहेगी।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा औषधियों का परीक्षण

5249. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके पास औषधियों का परीक्षण करने के लिए अपनी प्रयोगशालाएं नहीं हैं; और

(ख) ऐसी प्रयोगशालाओं से विहीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को औषधियों के परीक्षण के लिए अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर दबाव डालने की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केवल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में सभी प्रकार की औषधियों की जांच सम्बन्धी सुविधाएं हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और केरल राज्यों में कतिपय श्रेणियों की औषधियों की जांच करने की सीमित सुविधाएं हैं। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई जांच सम्बन्धी सुविधा नहीं है।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्, केन्द्रीय और राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्रियों की एक समिति, ने जुलाई, 1983 में हुई 9वीं बैठक में एक संकल्प पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी

सिफारिश की गई कि प्रत्येक राज्य में सभी प्रकार की औषधियों की जांच करने के लिए अपनी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। तदनुसार राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करें। औषध जांच प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरणों की एक सूची भी राज्य सरकारों को अपनी प्रयोगशालाओं को उपकरणों से लैस करने के लिए भेज दी गई थी। केवल औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए 22 फरवरी, 1986 को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से आग्रह किया कि वे औषध नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाएं जिसमें औषध जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करना/उन्हें उपकरणों से लैस करना भी शामिल है।

आन्ध्र प्रदेश में उपरि-पुलों का निर्माण

5250. **श्री एस० पल्ला कोड्रायुडू** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कोई उपरिपुल का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण रेलवे तथा राज्य सरकार द्वारा लागत की संयुक्त भागीदारी के आधार पर किया जाता है। रेल-सड़क यातायात की आवश्यकताओं, राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही प्रस्तावों को वर्षानुवर्ष के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। आन्ध्र प्रदेश में 8 ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण पहले ही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त निददवोले, कावली तथा पेंदुर्ती में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण कार्य को 1986-87 के रेल बजट में शामिल किया गया है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्य समय में परिवर्तन के कारण असुविधा

5251. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के कार्य समय में किए गए परिवर्तन के कारण सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों और अन्य लाभार्थियों को हो रही कठिनाई की जानकारी है;

(ख) क्या कार्यालय जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए पुराना कार्य-समय बहाल करने

और इस प्रकार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों को सुबह और सायं दोनों समय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के बहुत से लाभार्थियों को इस मांग की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में पुराना समय लागू किया जाए। इस सम्बन्ध में संगत सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि जो औषधालय पहले दो पारियों के आधार पर 12 घण्टे कार्य कर रहे थे वे फिर से पुराने समय के अनुसार कार्य करेंगे और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्य औषधालयों में सामान्य समय के बाद भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध किए जाने के प्रयास किये जाएंगे।

मैनपुरी तम्बाकू से कैंसर होना

5252. **श्री साइमन टिग्गा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैनपुरी तम्बाकू के चबाने से कैंसर होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) इस संबंध में किए गए अनुसंधान का ब्योरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) काफी अर्से तक किसी भी किस्म के तम्बाकू के चबाने से कैंसर, विशेषकर ओरल कैविटी हो जाने का अंतर बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में किये गये एपिडेम्यालोजिकल अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों को तम्बाकू चबाने की आदत थी उनके मुंह में कैंसर होने की घटनाओं की दर बहुत अधिक थी। मैनपुरी का तम्बाकू चबाने से खतरा बहुत ही अधिक था जबकि इसकी तुलना में पत्ती वाला किस्म का तम्बाकू चबाने से खतरा कम था।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने पहले से ही कुछ परियोजनाएं चला दी हैं/शुरू कर दी हैं जिनका उद्देश्य एक तम्बाकू रोधी शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावकारिता की जांच करना है। कुछ अध्ययनों के परिणामों और कुछ अन्य अध्ययनों के उद्देश्यों और तरीकों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

विवरण

जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् पहले से ही

परियोजनाएं चालू कर दी हैं/शुरू कर दी हैं जिनका उद्देश्य तम्बाकू रोधी शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावकारिता की जांच करना है। किये गये कुछ अध्ययनों और कुछ परियोजनाओं के उद्देश्यों और तरीकों के परिणामों से पता चला है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आ गई है जिन्होंने तम्बाकू की आदतों को कम कर दिया है। ओरल कैविटी में कैंसर पूर्व घावों की घटनाओं की दर से यह पता चलता है कि इन व्यक्तियों में काफी कमी आई जब उनकी तुलना उसी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों पर 10 साल बाद अध्ययन किए गए। दिल्ली के शहरी बस्तियों और फरीदाबाद की एक औद्योगिक यूनिट में कुछ अध्ययन किये गए हैं। इस कार्यक्रम की अवधि के दौरान और 6 मास बाद किये गये सर्वेक्षणों से पता चला है कि तम्बाकू इस्तेमाल करने वालों की दर 65.8 प्रतिशत से घटकर 60.8 प्रतिशत हो गई है।

मत्स्य नौकाओं के निर्माताओं को वित्तीय सहायता

5253. **श्री एन० डेनिस :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्य नौकाओं के निर्माताओं को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक कम्पनी/संगठन-वार कितनी राशि मंजूर की गई है?

जल भू-तल परिवहन विभाग में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में पंजीकृत फिशिंग ट्रालर्स के निर्माताओं को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के ट्रालर्स के निर्माण के लिए आर्डर लेने पर ट्रालर की लागत के 33% की आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता निर्माण के निम्नलिखित चरणों में जारी की जाती है :—

चरण	प्रतिशतता
(i) आर्डर देने पर	10%
(ii) कील डालने पर	30%
(iii) 50% स्टील इरेक्शन	20%
(iv) लांचिंग	25%
(v) डिलीवरी	15%

यह स्कीम नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से चलाई जाती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नौवहन विकास निधि समिति द्वारा फिशिंग ट्रालर्स के निर्माताओं को जारी की गई ट्रालर निर्माण आर्थिक सहायता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान नौवहन विकास निधि समिति द्वारा भारत में फिशिंग ट्रालर्स के निर्माताओं को जारी की गई ट्रालर निर्माण आर्थिक सहायता

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	फिशिंग ट्रालर कम्पनी का नाम	शिपयार्ड का नाम	ट्रालरों की संख्या	1983-84	1984-85	1985-86
1.	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स डान फिशरीज (प्रा०) लिमी०	मैसर्स एन० एन० शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स (प्रा०) लिमी० बम्बई	एक	—	3·88	11.64
2.	मैसर्स लीला सीफूड्स (प्रा०) लिमी०	—वही—	एक	—	3.88	11.64
3.	मैसर्स अन्नाई फिशरीज (प्रा०) लिमी०	मैसर्स चौगुले एण्ड क० गोवा	एक	—	14.34	9.20
4.	मैसर्स रेनबो सीफूड्स (प्रा०) लिमी०	—वही—	दो	—	7.18	23.36
5.	मैसर्स कोलम्बिया सी फूड्स (प्रा०) लिमी०	—वही—	दो	—	17.93	20.88

1	2	3	4	5	6	7
6.	मैसर्स श्रीनिवास सी फूड्स लिमी०	मैसर्स एलकाक एशडाइन एण्ड कम्प., भावनगर	दो	—	—	21.08
7.	मैसर्स श्रिम्प इंडिया लिमी०	मैसर्स भारती शिपयार्ड प्रा० लिमी० बम्बई	दो	—	—	26.98
8.	मैसर्स गुजरात फिशरीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमी०	मैसर्स एलकाक एशडाइन एण्ड कम्प०, भावनगर	दो	—	—	21.42
9.	मैसर्स गुलगादा मेरीन (प्रा०) लिमी०	मैसर्स एन० एन० शिपबिल्डर्स एव इंजीनियर्स, बम्बई	एक	—	—	15.52
10.	मैसर्स वेल्डन फिशरीज लिमी०	मैसर्स ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स, काकीनाडा	दो	—	—	41.54
11.	मैसर्स ट्रापिकल शिपिंग कम्प० (प्रा०) लिमी०	— वही —	दो	—	—	14.32
12.	मैसर्स गोल्डन प्रोटीन्स लिमी०	—वही—	दो	—	—	5.72
13.	मैसर्स वरुण मेरीन प्रोडक्ट्स (प्रा०) लिमी०	—वही—	दो	—	—	20.05
14.	मैसर्स फोर सीज़न फिशरीज लिमी०	मैसर्स एलकाक एशडाइन एण्ड कम्प० लिमी० भावनगर	दो	—	—	21.08

1	2	3	4	5	6	7
15.	मैसर्स वी० बी० सी० एक्सपोर्ट्स (प्रा०) लिमी०	—वही—	दो	—	—	21.08
16.	मैसर्स यमुना सीफूड्स (प्रा०) लिमी०	मैसर्स ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स, काकीनाडा	एक	—	—	11.46
17.	मैसर्स एकामा मेरीन्स लिमी०	मैसर्स भारती शिपयार्ड प्रा० लिमी० बम्बई	दो	—	—	26.98
18.	मैसर्स कोस्टल ट्रालर्स लिमी०	—वही —	दो	—	—	26.98
19.	मैसर्स ऊषा सी फूड्स (प्रा०) लिमी०	मैसर्स ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स काकीनाडा	एक	—	—	2.91
20.	मैसर्स सर्व शक्ति फिशरीज	मैसर्स एलकाक एशडाइन एण्ड कम्प० लिमी० भावनगर	दो	—	—	22.85
21.	मैसर्स ओसन प्रोडक्ट्स एण्ड शिपिंग (प्रा०) लिमी०	मैसर्स चौगले एण्ड कम्प० गोवा	दो	—	—	6.66
22.	मैसर्स येडु गिरी सी फूड्स लिमी०	मैसर्स भारती शिपयार्ड प्रा० लिमी० बम्बई	चार	—	—	14.66
23.	मैसर्स रिलायंस सी फूड्स (प्रा०) लिमी०	मैसर्स ईस्ट कोस्ट बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स काकीनाडा	एक	—	—	2.91

1	2	3	4	5	6	7
24.	मैसर्स फिशिंग लिमी०	—वही—	एक	—	—	2.91
25.	मैसर्स तोशीना सी फूड्स (प्रा०) लिमी०	—वही—	एक	—	—	2.91
26.	मैसर्स रघु सी फूड्स (प्रा०) लिमी०	—वही	एक	—	—	2.91
27.	मैसर्स श्री मुरगन फिशरीज (प्रा०) लिमी०	मैसर्स चौगले एण्ड कम्प०, गोवा	एक	—	—	3.12
28.	मैसर्स बैंकटेश्वर फिशरीज (प्रा०)लिमी०	—वही—	एक	—	—	12.46
			कुल :	—	47.21	425.23

छिड़कने वाले सिंचाई उपकरण की खरीद के लिए किसानों को दी गई राज सहायता

5254. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छिड़कने वाले सिंचाई उपकरण की खरीद के लिए किसानों को कोई राज सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो राज सहायता किस दर से दी जाती है और इसका उपकरण की लागत से क्या सम्बन्ध है;

(ग) क्या उक्त उपकरण की ऊंची लागत को देखते हुए राज सहायता में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का ड्रिप सिंचाई उपकरण की खरीद के लिए राज सहायता देने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत सातवीं योजना में छोटे तथा सीमान्त किसानों को छिड़काव सिंचाई उपस्करों के लिए आई० आर० डी० पी० पैटर्न पर 40,000 रुपए प्रति यूनिट की लागत-सीमा के आधार पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी तथा सब्सिडी दरों में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रयोजन के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा प्रचलित स्कीमों के अंतर्गत भी सब्सिडी उपलब्ध है। जल संसाधन मंत्रालय की स्कीम में ड्रिप सिंचाई उपस्कर के लिए सब्सिडी भी शामिल हैं।

———

11.59 म० पू०

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए –(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह चिल्लाएंगे तो कोई भी बात कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं की जाएगी। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको एक एक करके बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह मेरी समझ में नहीं आया। कृपया बैठ जाइए। ममता जी मैं आपको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

12.00 मध्याह्न

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप चिल्लाएंगे तो किसी बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए । मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझ नहीं पाया। इसे कैसे कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जाएगा ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी बैठ जाइए तभी मैं आपको बुलाऊंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने हाथ उठायें और मैं एक-एक करके आपको बुलाऊंगा। श्री पुरुषोत्तमन ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : रेलों में सीटों के आरक्षण के लिए जारी किये गए नए फार्म ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है ।"

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : जी हां, मैंने नोटिस दिया है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री विक्कम पुरुषोत्तमन: इसे केवल हिन्दी में मुद्रित किया गया ।" पहले ये हिन्दी अंग्रेजी दोनों में मुद्रित किये जाते थे । एक तरफ अंग्रेजी में तथा दूसरी तरफ हिन्दी में मुद्रित किये जाते थे ।

(व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : ममता जी यदि आप बैठ जायें मैं तभी आपको बुलाऊंगा ।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन: गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों को कठिनाई ही नहीं होती है—अपितु

वे फार्म भर नहीं पाते।

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय वह ठीक कह रहे हैं।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन: प्रभारी मन्त्री उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अनुदेश जारी करें कि फार्म दोनों भाषाओं अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेजी में मुद्रित किये जायें। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : माननीय सदस्य श्री मनोरंजन हाल्दर को भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी) के कार्यकर्त्ताओं द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही बुरी तरह पीटा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य की कानून तथा व्यवस्था का मामला है। यह राज्य का विषय है।

कुमारी ममता बनर्जी : वह संसद सदस्य है, यह अत्यन्त गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे मिल सकती हैं। मैं आपसे चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे मुझे भी उतनी ही चिन्ता है। मैंने आपको बताया कि आप मुझे मिल सकती हैं। यह राज्य का विषय है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) :यदि इस सभा के किसी सदस्य को पीटा जाता है तो सभा को उस पर ध्यान देना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी क्यों चिल्ला रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे मार्ग दर्शन चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे मिलें। मैं भी इस मामले पर चिन्तित हूं।

(व्यवधान)

प्रो० एम० आर० हाल्दर (मथुरापुर) : महोदय···व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : आप उनकी बात सुनते क्यों नहीं आप भी सदस्य हैं। हर व्यक्ति सदस्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें सुन लिया है। इसीलिए उन्हें मिलने को कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे भी इस बारे में चिन्ता है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में मुझे आपका पत्र भी मिला था। मैं भी इस बारे में काँफी चिंतित हूं। आप मुझे मिलें। मैं आपसे चर्चा करूंगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : इसकी पुलिस जांच करानी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही पत्र दे चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यदि संसद सदस्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, तो क्या लाभ है—

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : जब तक आप अपना निदेश नहीं देते तब तक पत्र लिखने वाले सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेगें अथवा उसी तरह चिल्लाते रहेंगे। कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिल्ला क्यों रहें हैं। शिकायत सम्बन्धी आपका पत्र मुझे मिला था। पश्चिम बंगाल में आपके साथ क्या हुआ स्थिति आपने बतायी है।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें अपनी बात कहने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं कि उन पर हमला किया गया।

श्री भागवत झा आजाद : आपको उनकी बात जरूर सुननी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं ?

प्रो० एम० आर० हाल्दर: 30-3-86 को मैं श्री एस० आर० वापुल्ली एम० एल० के साथ तथा कुछ ब्लाक प्रधानों के साथ पात्चर प्रतिमा पुलिस थाने के अन्तर्गत हेरम्बा गोपालपुर अंचल गया था जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां एस० डी० बी के सरकारी दौरा करने और कार्यकर्त्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने के बाद वापस जाते समय क्यूएयुरी बाजार के निकट में हम पर सी० पी० एम० के नेताओं तथा उनके 100 समर्थकों तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा घातक हत्यारों के साथ हमला किया गया तथा वहां पर हमें शाम के 6.30 सायं से रात को 9.30 तक रोका गया। इस घटना में मैं दो ब्लाक उपाध्यक्षों सहित जख्मी हो गया। उन लोगों ने अपने दल के नारों के साथ-साथ हमें मार देने के लिए भी नारे लगाए।

उसके बाद जब उस क्यूएयुरी बाजार पहुंचे तथा चाय पीने के लिए चाय की दुकान में प्रवेश किया तो अपराधी लोगों ने फिर अपनी पार्टी के नारे लगाये तथा चाय की दुकान का घेराव कर लिया तथा दुकान के शेड पर अन्धाधुन्ध पथराव शुरू कर दिया जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई।

फिर 11 बजे रात्रि रायदीघी पहुंच कर हमने जिला पुलिस प्रशासन को तथा आर० टी० के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को सन्देश भेजा बेशक मामला पश्चिम बंगाल विधान सभा में उठाया गया जिसके बाद कांग्रेस की ओर से सभा से बहिर्गमन किया गया परन्तु अभी तक भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस प्रकार पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं पहले ही आपका पत्र प्राप्त कर चूका हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक हैं परन्तु आपने सभा में नई परिपाटी शुरू की है। इसका भविष्य में भी पालन करें। (व्यवधान)

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : श्रीमन एक समस्या मैं आपके ध्यान में यह ला रहा हूं कि केरल में सरकारी क्षेत्र का उपक्रम जो पहले भारत हिन्दुस्तान इंसेक्टोसाइड्स (कीटनाशक) लिमिटेड एक सरकारी उपक्रम के अधीन है सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, बन्द होने की स्थिति में है। इसका कारण यह है कि स्वास्थ्य विभाग, जो मलेरिया उन्मूलन के लिए अपनी सारी जरूरत की चीजें इससे खरीदता था, उसने अपनी नीति बदल दी है —पहले भारत सरकार द्वारा यह खरीद की जाती थी। अब इन्हें निजी क्षेत्र से खरीदा जाता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुझे लिखित में दें मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : मैंने इसे पहले ही दे दिया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन मैंने योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री ए० के० पंजा के विरुद्ध एक विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपका पत्र अग्रेषित कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : कल एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने सदन को गुमराह किया है। उन्होंने बताया था कि भगवानपुर-नादीपुर में एक विशेष योजना है···

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : श्रीमन मैंने भी एक विशेषाधिकार सम्बन्धी सूचना दी है और आपको मेरी बात भी सुननी है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया मुझे बात समाप्त करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले से ही आपके विशेषाधिकार के प्रस्ताव को मन्त्रालय में भेज दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : श्रीमन, कल उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार के कारण योजना में देरी हो गई थी और राज्य सरकार उसके लिए जिम्मेवार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रकार पूरा विवरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले से ही इसे मन्त्रालय को भेज दिया है आप इसे फिर से क्यों उठा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप जान-बूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसके तथ्यों को जानने के लिए इसे पहले ही अग्रेषित कर दिया है। मैं इस पर विचार जानने के लिए इसे करूंगा कृपया बैठिये।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्रीमन उपाध्यक्ष···

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह स्थगन प्रस्ताव के बारे में है ?

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, नहीं, मेरी बात सुनिये मुझे बताने दो कि जो कर्मचारी उच्च शक्ति माइक्रो-वेव ट्रांसमीटर के पास काम करते हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी आज्ञा नहीं दूंगा अगर आप इसी तरह खड़े होते रहेंगे।

मैं एक-एक को अवसर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन, जो कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलैक्ट्रोनिक्स की गाजियाबाद इकाई में उच्च शक्ति माइक्रो-वेव-ट्रांसमीटर के पास कार्य करते हैं—उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप मेरा ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव या अल्प सूचित प्रश्न में किसी का भी चयन कर सकते हैं मैंने आपको व्यापक चयन दे दिया है इससे आपको समझने में आसानी रहेगी आपने अल्पसूचित प्रश्न, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव में से कम से कम एक सूचना को तो स्वीकार किया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने पहले से ही इस मामले से सम्बन्धित मन्त्रालय से उल्लेख किया था। उन्होंने देखा है कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। तथापि मैं समझता हूं कि एक नियम 377 के अधीन पहले से ही ले लिया गया है।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : श्रीमन, मैंने पहले ही इसे 377 के नियम के अधीन रखा है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे उससे खुशी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह नियम 377 के अधीन स्वीकार किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन आपका विनिर्णय क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई तथ्य नहीं है इसलिए मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया। पहले से ही मैंने इस विषय को मन्त्रालय को भेज दिया है। इसमें कोई तथ्य नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप तथ्य को सुनिश्चित करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

प्रो० मधु दण्डवते : किसी न किसी रूप में इस पर विचार कीजिए। मैंने कई विकल्प दिये हैं। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : समाज के लिए समाचार पत्र मुख्य स्त्रोत हैं और कल ही हमने पंजाब के नाजुक विषय पर चर्चा की थी और समाचार पत्र में एक भी पंक्ति प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि वे कल हड़ताल पर थे और वह उचित मजदूरी चाहते हैं। मजदूरी बोर्ड ने उन्हें अन्तरिम सहायता तक नहीं दी थी और इसे कुछ समय बाद कुछ सिफारिशों के साथ आना चाहिये। हमें इस पर अवश्य चर्चा करनी चाहिये और हम समाचारपत्रों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : कल मन्त्री जी ने इस विषय में उत्तर दे दिया है। पहले से ही उन्होंने इस विषय का उल्लेख किया है। कृपया बैठिये।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे अवश्य ही इसका उत्तर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले से ही इस पर चर्चा हुई है और मन्त्री जी ने बताया था कि इसे पहले ही मजदूरी बोर्ड को भेज दिया गया है। इस पर विचार किया जायेगा यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, त्रिपुरा में जासूसी गतिविधियों के संबंध में परसों मैंने अध्यक्ष जी को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर इसमें कुछ बात है तो मैं इस पर विचार करूंगा हां मुझे कुछ नहीं मिला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपनी पारी का धैर्यपूर्वक इन्तजार कर रहा हूं। मैं उनके जैसा केवल खड़ा नहीं होना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष ने कहा है—कार्यवाही वृतांत के अभिलेख से आपको पता चलेगा—कि "मुझे सूचना दो" मैंने ध्यानाकर्षण की एक सूचना दी है जो त्रिपुरा में जासूसी गति-विधियों के संबंध में है। यह एक सीमावर्ती राज्य है जहां स्थिति नाजुक है। आप उस संबंध में जानते हैं। समाज विरोधी और पृथकवादी कार्यवाहियाँ वहां घटित हो रही हैं, जासूसी कार्यवाहियाँ वहां चल रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है। एक संगठन मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है जो प्रतिबंधित संगठन है बिना किसी खंडन के यह समाचार पत्रों में आया है। त्रिपुरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष से सचिव को एक पत्र मिला है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं सारांश में बताइये। मैं कोई विवरण नहीं चाहता हूं ••आप इस तरह लम्बा भाषण नहीं जारी रख सकते।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपको उस सदस्य से आज्ञा लेनी है··· (व्यवधान) वह जो कुछ कहना चाहते हैं उनको आज्ञा है। यह बहुत गम्भीर मामला है··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : श्रीमन··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप श्री मनोरंजन हाल्दर को आज्ञा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैने कई सदस्यों के भाषणों को पहले से सुना हुआ है मैं सभी पांच सौ

सदस्यों को इस प्रकार आज्ञा नहीं दे सकता ··

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं एक बहुत ईमानदारी से अपील करना चाहता हूं। उन लोगों का आपस में झगड़ा समाप्त हो गया है और हमारे पर जो आरोप लगा है उससे हम स्वतन्त्र हो गये हैं। हम पर दोष लगाये गये हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.18 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली तथा सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मैडिसन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और इन्हें सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2351/86]

(3) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मैडिसन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मडिसन, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2352/86]

(5) सेंट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्धा, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2353/86]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 14—चौदहवां सत्र, 1984
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2354/86]
(दो) विवरण संख्या 10—पन्द्रहवां सत्र, 1984
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2355/86]
} सातवीं लोक सभा

(तीन) विवरण संख्या 7—पहला सत्र, 1985
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2356/86]
(चार) [विवरण संख्या 7— दूसरा सत्र, 1985
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2357/86]
(पांच) विवरण संख्या 4—तीसरा सत्र, 1985
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2358/86]
(छह) विवरण संख्या 3—चौथा सत्र, 1985
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—2359/86]
} आठवीं लोक सभा

वायुनिगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और एयर इण्डिया जम्बो जेट विमान "कनिष्क" की दुर्घटना की जांच के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वायुनिगम अधिनियम, 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एयर इंडिया कर्मचारी सेवा (संशोधन) विनियम, 1985, जो 14 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच०क्यू०/66-12 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(दो) एयर इंडिया कर्मचारी (प्रकीर्ण ऋण) संशोधन विनियम, 1985, जो 9 नवम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच०क्यू०/58-19 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० —2360/86]

(2) एयर इंडिया के जम्बो जेट विमान "कनिष्क" की दुर्घटना की जांच के बारे में सर्वश्री डी० एन० रेड्डी और आर० एम० भोये द्वारा 27 फरवरी, 1986 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विवरण

लोक सभा में 27 फरवरी, 1986 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 81 के भाग (ख) के उत्तर में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

(एक)	एयर इंडिया द्वारा किया गया व्यय	—	2,73,78,068/- रुपए
(दो)	सरकार द्वारा किया गया व्यय	—	शून्य
(तीन)	अन्य देशों द्वारा किया गया व्यय	—	इस बारे में न तो भारत सरकार ने और न ही एयर इंडिया ने कोई बिल प्राप्त किया है।

कनिष्क को बदलने के लिये किसी विशेष विमान के बारे में भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

[श्री जगदीश टाइटलर]

2. हिन्दी अनुवाद में समय लगने तथा बीच में छुट्टियां पड़ने के कारण शुद्धि की सूचना देने में यह विलम्ब हुआ है और उसके लिये खेद है।

एजूकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1984-85 तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखे आदि

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्रीमती सुशीला रोहतगी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एजूकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एजूकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०—2362/86]

(3) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपयुक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० —2363/86]

(5) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2364/86]

(7) (एक) बोर्ड आफ प्रेक्टीकल ट्रेनिंग, (इस्टर्न रिजन) कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ प्रेक्टीकल ट्रेनिंग (इस्टर्न रिजन), कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० —2365/86]

(9) (एक) इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2366/86]

(11) (एक) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० —2367 । 86]

(13) (एक) विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे परीक्षित लेखे।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

(दो) विक्टोरिया मैमोरियल हाल, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2368/86]

(15) (एक) सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2369 / 86]

(17) इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2370/86]

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा और इण्डियन काउन्सिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2371/86]

(2) इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं* को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या—एल० टी० 2372/86)

———

12.20 म० प०

प्राक्कलन समिति

रेल मन्त्रालय के पहले प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा अध्याय 5 में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं रेल मन्त्रालय—रेलों द्वारा विनश्वर वस्तुओं के परिवहन के बारे में पहले प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) के अध्याय 1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों तथा अध्याय 5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

———

*वार्षिक प्रतिवेदना तथा लेखापरीक्षित लेखे 6 मार्च, 1986 को सभा पटल पर रखे गए थे।

12.20½ म० प०

लोक लेखा समिति

[अनुवाद]

की गई कार्यवाही सम्बन्धी 33वां और 35वां प्रतिवेदन

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिए अंशदान की अनियमित छूट के बारे में समिति के 174वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 33वां प्रतिवेदन।

(2) रेल इंजनों के उपयोग के बारे में समिति के 167 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में 35वां प्रतिवेदन।

12.21 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

सिंगरेनी कोयला खानों में दुर्घटना

[अनुवाद]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : मैं श्रम मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें: -

"सिंगरेनी कोयला खानों में हानि कर कार्बन मोनोक्साइड युक्त गैस के अचानक रिस आने के कारण हाल ही में हुई दुर्घटना, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक मौतें हुई हैं और अनेक अन्य व्यक्ति प्रभावित हुए हैं तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय।"

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : आन्ध्र प्रदेश राज्य के करीम नगर जिले में रामागुंडम में स्थित सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड की गोदावरी खानी संख्या-9 इंकलाइन में दूसरी पारी के दौरान, 27 मार्च, 1986 को रात 8.20 बजे एक खनन दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना सीम संख्या-4 के वर्किंग पैनल संख्या-7 में उसी सीम से पैनल संख्या-8 के फायर सीलों से जहरीली गैसों के निकलने से हुई। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों में से, 12 व्यक्ति प्रभावित हुए और इन्हें बचाया गया और इनमें से छह व्यक्तियों की कम्पनी के अस्पताल में पहुंचने से पहले मृत्यु हो गई। बचाव कार्यों के दौरान, 8 अधिकारी (महा प्रबंधक और दो अवर प्रबंधकों सहित)

जहरीली गैसों से प्रभावित हुए और एक खनन सरदार की बाद में मृत्यु हो गई। इस तरह कुल सात व्यक्ति मारे गये और 13 व्यक्ति प्रभावित हुए। इनमें से, जिनका अस्पताल में इलाज किया गया, 12 की छुट्टी कर दी गई और एक व्यक्ति को अभी अस्पताल में रखा गया है।

खान में काम करने वाले प्रभावित व्यक्तियों के बचाव के लिए तुरन्त उपाय किये गये। खान के अन्य भागों में काम करने वाले अन्य सभी कार्मिकों को भी तुरन्त वापस बुला लिया गया।

हैदराबाद क्षेत्र के दो खनन सुरक्षा उपनिदेशक दुर्घटना स्थल में 28-3-1986 को पहुंचे। बाद में खनन सुरक्षा निदेशक, हैदराबाद क्षेत्र और खान सुरक्षा महानिदेशक ने भी स्थिति को आंकने और समुचित सलाह देने के लिए दुर्घटना स्थल का दौरा किया। खान सुरक्षा निदेशक, हैदराबाद क्षेत्र, खान सुरक्षा अधिनियम, 1952 के अधीन जांच पड़ताल कर रहा है।

प्रबन्धतंत्र से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, दिवंगत व्यक्तियों के परिवारों को अंत्येष्टि व्यय के लिये अनुग्रह पूर्वक भुगतान किया गया और कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन देय मुआवजे का आंशिक भुगतान किया गया है।

खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों में खानों में कर्मकारों की सुरक्षा के लिए प्रावधान हैं। खान सुरक्षा महानिदेशक और उनके अधिकारी खानों के सम्बन्ध में सांविधिक उपबंधों को लागू करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशक को खानों में निरीक्षणों में वृद्धि करने और सुधार नोटिसों, निषेधात्मक आदेशों को जारी करने, अभियोजन दायर करने आदि सहित खान अधिनियम के अधीन अन्य कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खान प्रबन्धतंत्र उपयुक्त निवारक उपाय करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के निरीक्षण तंत्र को मजबूत करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलमाइन्स में काम करने वालों का एक बड़ा इतिहास है। ये लोग माइन्स के अन्दर जाकर करीब आठ से दस घण्टे काम करते हैं और कोयला निकालते हैं। गोदावरी खानी से एन०टी०पी०सी० और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को कोयला सप्लाई करते हैं। वहां से दूर-दूर तक कोयला ट्रांसपोर्ट होता है। छोटी-छोटी इंडस्ट्री को भी कोयला सप्लाई करते हैं। यह कोयला श्रमिकों की वजह से माइन्स से बाहर आ रहा है। इन श्रमिकों की वजह से वहां पर हजारों लोगों को एम्प्लायमेंट मिला हुआ है। लेकिन श्रमिकों की सुख सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

सबसे बड़ी समस्या उनके बच्चों के लिये रहन-सहन और पढ़ाई-लिखाई की है। उनके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। घर से माइन्स तक रोड की व्यवस्था नहीं है। बस की व्यवस्था नहीं है। झोंपड़ियों में वे लोग रहते हैं। मैं केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की निन्दा नहीं कर रहा हूं, कोल माइन्स में पिछले पचास साल से काम कर रहे हैं और लोग वहां मर रहे हैं। कोल मिनिस्ट्री

[श्री जी० भूपति]

ने जो पुराने मेजर्स लिए हैं, वही अभी भी लागू हैं। उनमें कोई चेंज नहीं आया है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि उसमें परिवर्तन आना चाहिए। श्रमिक मर रहे हैं, लेकिन कोई फार्मूला अभी तक नहीं बनाया गया है। जब 27 मार्च को यह इन्सीडेंट हुआ, तो मैं वहां गया था। वहां के मजदूरों से बातचीत करने पर पता चला कि माइन्स में कार्बन मानोक्साइड गैस निकल रही है। जब इसके लिए अधिकारियों को कुछ मेजर्स लेने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि यह प्याज की डली अपने साथ रखो। कोई मेजर्स वहां पर नहीं ली गई और कारोबार चल रहा है। मैं विवाद में नहीं जा रहा हूं, यह विचार करने की बात है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां से कोई एक्सपर्ट लोग भेजें, जो वहां की स्थिति का जायजा ले सकें। यहीं पर ही नहीं पूरे देश में, जहां-जहां पर माइन्स हैं, वहां किसी श्रमिक की मृत्यु न हो, आपको ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। वे लोग हर महीने कोल माइन्स में जाकर चैकअप करें। मन्त्री जी क्या कदम उठायेंगे, वे क्या मेजर्स लेंगे, इस बारे में जब वे जवाब दें, तो वे कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जो दुर्घटना हुई है 27 तारीख को, उसमें 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 13 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और इस प्रकार की काफी दुर्घटनाएं कोलियरी में होती रही हैं। यह हमारे सामने इतिहास है। और ये दुर्घटनाएं होती क्यों हैं ? उनका कारण बहुत ही स्पष्ट है। कोलियरीज में जो कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होती है, उसके पैदा होने की वजह है आक्सीजन की डैफीशियेन्सी। जहां आक्सीजन की कमी हो जाएगी और दबाव बढ़ जाएगा, तो वहां पर यह गैस पैदा हो जाती है और गैस पैदा होने के बाद, वहां पर जो व्यक्ति काम करते हैं, उनका दम घुटने लगता है। सफोकेशन होता है और सफोकेशन की वजह से बेहोशी होती है और उसके बाद आदमी की डैथ हो जाती है। इसके साथ यह भी वजह हो सकती है कि कई बार बिजली के शोर्ट सर्कट होने की वजह से या बीड़ी, सिगरेट जो लोग पीते हैं, उससे कार्बन मोनोक्साइड गैस के अन्दर अगर आग लग जाए, तो नीले फ्लेम बनते हैं और उससे भी दुर्घटना के चान्सेज बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस प्रकार की दुर्घटनाएं पहले भी बहुत हुई हैं और वे इसी तरह से होती रहें और साधारण तरीके से उनको कम्पेंसेट कर दिया जाए या फुनरल एक्सपेंसेज थोड़े-बहुत दे दिये जाएं और अखबारों में एक-दो दिन बाद खबर आने के बाद मामला खत्म हो जाए, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में मन्त्री महोदय को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। यह मैंने आपके सामने कहानी रखी है कि यह दुर्घटना कैसे होती है और कार्बन मोनोक्साइड कैसे पैदा होती है, क्यों पैदा होती है और उसके क्या रीजन्स हैं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री जी से कुछ चीजें पूछना चाहूंगा प्रश्न के तौर पर। इन तमाम हालात को देखते हुए, इस सम्बन्ध में मन्त्री जी, उनका कार्यालय और उनका मन्त्रालय क्या कदम उठा रहा है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मेरे थोड़े से सुझाव हैं और उनके बाद मैं प्रश्न रखना चाहूंगा। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो कोलियरीज हैं, उनमें आक्सीजन के गैस सिलेंडर रखे जाते हैं या नहीं ? अगर नहीं रखे जाते हैं, तो उनको रखा जाना चाहिए और कुछ समय बाद उन आक्सीजन सिलेंडरों को ब्लास्ट किया जाए ताकि आक्सीजन की कमी

की वजह से जो कार्बन मोनोक्साइड गैस पैदा होती है, उसका असर कम हो। आक्सीजन सिलेंडरों को कुछ समय के बाद ब्लास्ट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि आग बुझाने के यंत्र इन खानों के अन्दर रखे जाने चाहिए और बाकायदा ढंग से इन यंत्रों पर कुछ मुलाजिम नियुक्त किए जाएं ताकि वे इस पर नजर रख सकें। इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर कुछ इस प्रकार के डेंजर सिगनल लगाए जाने चाहिए कि जब गैस का रिसाव हो और गैस निकलती हो, तो वे डेंजर सिगनल इसको बता दें ताकि लोग दुर्घटना से बच सकें। इस सम्बन्ध में भी मन्त्री महोदय गम्भीरता से सोचें।

ये तो मेरे सजेशन्स थे। अब मैं मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड के खिलाफ इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं क्योंकि मन्त्री महोदय का जो वक्तव्य आया है, उसमें इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। और अगर कम्पनी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज हुआ है तो क्या कोई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं या नहीं हुए हैं और वह मुकद्दमा किस धारा के तहत दर्ज किया गया है ?

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि इस दुर्घटना को हुए करीब एक हफ्ता हो चुका है और इस एक हफ्ते के दौरान—जैसा कि मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत सीनियर आफिसर मौके पर गये और उन्होंने वहां इन्सपैक्शन किया और इंक्वायरी की—प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के आधार पर इस दुर्घटना के क्या कारण मिले और प्राइमाफेसी तौर पर कोई लोग दोषी नजर आये या नहीं आये ?

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि कोलियरीज में काम करने वाले हर व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है या नहीं ? मुझे इसका ज्ञान नहीं है। इस कोलियरी में काम करने वाले हर व्यक्ति का बीमा है या नहीं है। अगर बीमा होता है तो मैं यह सजेशन देना चाहता हूं कि काम करने वाले लोगों का बहुत हैवी बीमा किया जाए क्योंकि वहां दुर्घटना के काम बहुत होते हैं ताकि दुर्घटना होने पर बीमा कम्पनी दुर्घटना में शिकार लोगों को बाकायदा ढंग से कम्पेनसेट कर सके।

मन्त्री जी ने कम्पेनसेशन के बारे में कहा कि कुछ दिया है। तो सरकार ने यह कम्पेनसेशन किस रेट से और कितना दिया है, क्योंकि इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई बात नहीं दी गई है ? आगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसी दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को या तो मृतक लोगों को कितना कम्पेनसेशन देने का विचार रखती है ?

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नीक है, लेटेस्ट सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या उनको अडोप्ट किया जा रहा है और क्या इस माइंस में जहां कि यह दुर्घटना हुई, वहां लेटेस्ट सेफ्टी मेजर्स उपलब्ध थे या नहीं थे ? अगर थे तो क्या उनको अडोप्ट किया गया या नहीं किया गया ?

इसके साथ ही क्या वहां कार्बन मोनोक्साइड गैस के डेंजर सिगनल लगे हुए थे या नहीं ?

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि यदि इस दुर्घटना के मामले में आपको कम्पनी के मेनेजमेंट की

[श्री धर्मपाल सिंह मलिक]

गल्ती मिलती है कि उह मेनेजमेंट की गल्ती से दुर्घटना हुई तो क्या सरकार उस मेनेजमेंट को डिबार करने का कोई विचार रखती है ?

12.34 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जो डिसीज्ड वर्कर्स हैं, जिनकी कि मृत्यु इस दुर्घटना में हुई, उनके नेकस्ट किथ एण्ड किन, उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की नौकरी उनके एवज में देने का विचार सरकार रखती है या नहीं ताकि उनके परिवारों को आगे के लिए कुछ लाभ मिल सके ?

सरकार क्या वर्तमान माइंस एक्ट में कोई कमी महसूस करते हुए उसमें कोई तरमीम करने का विचार रखती है जिससे कि इस एक्ट की फुलप्रूफ बनाया जा सके और आयन्दा इस प्रकार की दुर्घटना न हो ?

आखिर में मैं यह पूछना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कि आंध्र प्रदेश सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है और आंध्र प्रदेश सरकार इस बारे में कोई रुचि नहीं ले रही है, तो क्या यहां से आंध्र प्रदेश सरकार को कोई निर्देश भेजे गये हैं कोई कार्यवाही करने के लिए ?

मैं मन्त्री जी से यह सब पूछना चाहूंगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, यह दुर्घटना 27 मार्च को हुई। अभी मेरे मित्र ने जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि आंध्र प्रदेश में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। एक दुर्घटना 1947 में हुई थी और दूसरी दुर्घटना अब हुई है। इस तरह से वहां की सरकार को दोष देना ठीक नहीं है, सारी जानकारी के बाद ही कोई बात कहनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दुर्घटनास्थल पर 29 तारीख को पहुंचा और मैंने स्वयं वहां का निरीक्षण किया। उसमें कुछ मैनेजमेंट की गलतियां नजर आती हैं और उसके माफिक कुछ एक्शन लेना होगा। जिस 9 नम्बर की बौली में दुर्घटना हुई, उस स्थान पर सात पैनल चल रहे हैं, कोई उनको पैनल बोलता है, कोई उनको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैनल एक से लेकर पैनल 6 तक कोयला निकालने के बाद उनको दीवारों के साथ फायर प्रूव सील कर दिया गया था, ताकि गैस लीकेज न हो और 13 मार्च को सातवें पैनल से कोयला खत्म होने के बाद आठवें पैनल से कोयला निकालने के लिए सातवें पैनल को उन्होंने ठीक ढंग से फायर प्रूव सील कर दिया, दीवारों से। उसके कारण 30 सितम्बर 1985 के दिन उस पैनल के सरफेस पर एयर ब्लास्ट हुआ और उसके कारण जमीन अन्दर चली गई, 100 फुट अन्दर चली गई और सरफेस के ऊपर से अन्दर आदमियों को काम

करते हुए देखा जा सकता था। यह जो बौली खुदी है वह 30 मीटर अन्दर है, तो सरफेस के अन्दर जो बौली हुई, 30 सितम्बर, 1985 को यह बौली गिरी और जो रोड था वह रोड भी खत्म हो गया, 200 स्क्वायर फीट तक क्रेक्स ऊपर भूमि पर आ गए और इन क्रेक्स के कारण 4 महीने तक ऊपर की आक्सीजन अन्दर जाती रही और जब 13 मार्च को उन्होंने सातवें पैनल को सील कर दिया तो उस हवा के दबाव में जो कार्बन मोनोआक्साइड 3 महीने से बनी हुई थी, वह ऊपर निकली और जो सूराख थे क्रेक्स के, उनसे ऊपर निकली। वहां पर वकीलपल्ली एक गांव का नाम है, उस गांव के लोगों ने उस हवा को ग्रहण किया और उनको कै होने लगी, बदबू आने लगी, आंखों में दर्द होने लगा, इस कारण 17 मार्च को वे लोग मैनेजमेंट के पास गए और बताया कि इस तरह की हवा यहां से निकल रही है, गैस निकल रही है, उसके कारण आंखें दर्द दे रही हैं और बच्चों को, बड़े बूढ़ों को कै हो रही है, वोमेटिंग हो रही है, इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए। इस पर वहां के मैनेजमेंट ने इस साल 17 मार्च को दूसरी जगह से बुल्डोजर लाकर 30 सितम्बर, 1985 तक जो बौली गिरी थी, जो क्रेक्स हुए थे जमीन के ऊपर तल पर, उनको साफ करना शुरू किया, उन गड्ढों की भर्ती करनी शुरू कर दी। तीन दिन तक बुल्डोजर चला और चौथे दिन बुल्डोजर बन्द हो गया। फिर तीन दिन बाद शुरू हो गया और इससे पहले जो ऊपर की हवा अन्दर गई थी वह बुल्डोजर से बन्द करने के बाद कार्बन मोनो-आक्साइड, सी० ओ० गैस, वह 13 तारीख को अन्दर से बन्द हुई और 17 तारीख को ऊपर से बन्द हो गई। इस कारण जो कार्बन मोनो-आक्साइड बन चुकी थी, तीन महीने से कोयले से बनी हुई, वह ऊपर की आक्सीजन लगने के कारण कार्बन डाइ-आक्साइड गैस बन चुकी थी। अब 13 तारीख को अन्दर से बन्द और 17 तारीख को ऊपर से बन्द होने के कारण जो सातवें पैनल को सील किया गया था, वहां से लीकेज शुरू हुआ। इस दुर्घटना के 4 दिन पहले से वहां के लेबरर, श्रमिक, कार्मिक लोगों ने जाकर मैनेजमेंट से शिकायत की कि हमारे आंखों से पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, इसका क्या कारण है, बताइए। इस पर मैनेजमेंट ने बताया कि कुछ नहीं है, चले जाइए, सब ठीक है। मैनेजमेंट ने बताया कि तीन पाइप लगा दिए हैं, एक पानी का, एक हवा का और एक तीसरा पाइप, इस तरह से तीन पाइप उन्होंने लगा दिए हैं।

उन्होंने कहा कि हवा आने का हमने टैस्ट किया है, उसमें कुछ नहीं है। लोग तो यह कह रहे थे कि हमारी आंखों में दर्द हो रहा है और हम काम नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ने वर्कर्स को प्याज दिया और कहा कि यह कार्बन मोनोक्साइड को चूस लेगा। इस तरह मैनेजमेंट ने वर्कर्स से चार दिन तक काम करवाया। लेकिन चार दिन पहले से ही बू आ रही थी। 27 तारीख को यह दुर्घटना हुई और तीस तारीख को एयर-ब्लोज के कारण जमीन के ऊपर बहुली खुदी और क्रैक्स होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया। 13 तारीख को बन्द किया तो 17 तारीख को कार्बन मोनोक्साइड बाहर आ गया। वकील-पल्ली के लोगों ने इसको महसूस किया और मैनेजमेंट को बता दिया। उसके बाद मैनेजमेंट ने बंद किया। दीवारों में क्रैक होने के कारण और मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना हुई। इसके लिए मैनेजमेंट को रिस्पान्सिबल ठहरा सकते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बहुली में जो कोयला निकाला जा रहा है, वहां पर आक्सीजन का सिलेंडर था या नहीं। अगर नहीं था तो उसका क्या कारण है। बू आने के बारे में जब मैनेजमेंट को बता दिया तो मैनेजमेंट ने लेबोरेटरी होने के बाद भी एक्जामिनेशन क्यों नहीं किया। अगर हवा थी तो दुर्घटना क्यों हुई, इसका क्या कारण है।... (व्यवधान) मैं यह भी

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

पूछना चाहता हूं कि सैल्फ रेसक्यु का इस्तेमाल वर्कर्स के लिए क्यों नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जो सातवीं लाश थी उसको चौबीस घंटे के बाद क्यों लाया गया। हमको यह भी पता चला है कि पूरे देश में बिहार के धनबाद में ही रेसक्यु स्टेशन है। वल्लमपली में था, लेकिन इक्वीपमेंट होने के कारण शायद नहीं चला। इतनी बड़ी सिंगरेनी कोलीयरी है तो वहां पर ऐसा स्टेशन क्यों नहीं बना सकते। चार दिन से जो बू आ रही थी, सैफ्टी आफिसर ने उसके बारे में क्या रिपोर्ट दी। रिपोर्ट अगर ठीक आई है तो इस दुर्घटना का क्या कारण है। मैं चाहता हूं कि सेफ्टी आफिसर केन्द्र सरकार की ओर से होना चाहिए, मैनेजमेंट का कभी नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट का सेफ्टी आफिसर उनके खिलाफ कभी भी रिपोर्ट नहीं दे सकता है। वह तो रिपोर्ट को भी बदल सकता है। वर्कर्स ने शिकायत की, लेकिन शिकायत रजिस्टर में नहीं है। जब हमने रजिस्टर में देखा तो कहते हैं कि कोई शिकायत नहीं है। हास्पिटल में जाकर हमने वर्कर्स से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने मैनेज-मेंट को बता दिया था लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं, मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सेफ्टी के जो आफिसर होते हैं, केन्द्र सरकार की ओर से हर बाहुली में, उनको तनख्वाह पर लगाने के लिए आपको क्या आपत्ति है। उनका आदमी होने के कारण उनके माफिक लिख सकता है और अपने पेपर को बदल सकता है। इसलिए आइन्दा सेफ्टी आफिसर को केन्द्र सरकार की ओर से नियुक्त करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं।··· (व्यवधान) दूसरी जगह पर काम करने वाले दो वर्कर यहां के वर्कर्स को बचाने के लिए गए थे। एक तो मलय्या और दूसरा प्रभाकर रेड्डी है। सातवीं लाश को बचाने के लिए वह गया क्योंकि प्रभाकर रेड्डी ने समझा कि वह जिन्दा होगा। वह दूसरी जगह काम करता है। उन्होंने चूंकि रिस्क लिया है इसलिए उसकी फेमिली के बारे में आपको सोचना चाहिए। वह उस जगह काम नहीं करते थे वल्कि दूसरी जगह से जिनको बुला भेजा है। वे मरे तो नहीं लेकिन उन्होंने तीनों को बचाया है इसलिए आप उसको क्या रिवार्ड देने वाले हैं। इसके साथ ही जो वर्कर दूसरी जगह से आकर, वर्कर्स को बचाता है, अपनी जान बचाकर, आज वह अस्पताल में है, उसको और उसकी फेमिली को आप क्या रिवार्ड घोषित करने जा रहे हैं। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि आइन्दा इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आप क्या-क्या इंसट्रूमैंट्स देने जा रहे हैं, क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

वहां पर एक किलोमीटर की परिधि में एन० टी० पी० सी०, और एफ० सी० आई० यानी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया भी है और उनके कारण वहां की हवा बहुत पोल्यूट हो रही है, गोदावरी का पानी बिल्कुल खराब हो गया है और लोग बहुत परेशान है। यदि आप वहां जाकर देखें तो 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको सूरज नजर नहीं आएगा। वहां के मजदूरों को जो कोयला दिया जाता है, जब वे उसको चूल्हे में डालते हैं तो उसके चार या तीन घंटे बाद आग पैदा होती है। इसलिए आप कोयले की बजाए उन्हें कोक देने के आदेश दे सकते हैं या हर मजदूर को गैस दी जा सकती है। इससे कोयला जलने से जो कार्बन-मोनोक्साइड गैस पैदा होती है, और तीन-चार घंटे का समय लगता है, उससे बाजार में कुछ दिखाई नहीं देता, हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उससे बचा जा सकेगा। इसलिए वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि मजदूरों को कोयले के स्थान पर कोक या गैस-कनैक्शन दिए जाएं जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो

सके। क्योंकि मजदूर देश का धन हैं और कोयला देश का सोना है, और हमें दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने आपके सामने जो सुझाव रखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनका स्पेसिफिक आन्सर इस सदन में दें।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : सभापति महोदय, मैं उन संसद सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने खोजी प्रश्नों के दौरान भविष्य की कार्रवाई के लिए भी बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। श्री भूपति ने उल्लेख किया कि पहले भी खतरा था, इस विशेष पैनल में खतरा नोट किया गया था। प्रबंध तंत्र के ध्यान में यह बात लाई गई थी। यह सच है क्योंकि खतरा नोट किया गया था और इसे प्रबन्ध तंत्र के ध्यान में लाया गया था। पैनल संख्या 8, जहां दुर्घटना हुई थी छोड़ दिया गया था। यह मार्च 1986 में हुआ था, सिर्फ एक महीना पहले। उन्हें सील किया गया था। आग से सील किया गया था। वहां कार्य कर रहे लोगों को कुछ अन्य पैनल में ले जाया गया था। अतः पैनल संख्या 8 में दुर्घटना हुई थी जिसे छोड़ दिया गया था। गैस रिसी थी और इसने दूसरे पैनल संख्या 7 को प्रभावित किया जहां दुर्घटना नहीं घटी। हानि हुई थी क्योंकि दुर्घटना एक पैनल में हुई है और उसने दूसरे पैनल को प्रभावित किया है। यह सही स्थिति है।

दूसरा प्रश्न यह उठा था कि क्या खानों में पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां और सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। मैं इसका दावा नहीं करना चाहता हूं कि पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं और क्या नहीं हैं। इसलिए इसका दावा करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। परन्तु मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ व्यवस्था मौजूद थी और शायद प्रबन्ध तंत्र ने सोचा कि वे पर्याप्त थे। लेकिन दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। कभी-कभी पर्याप्त सुरक्षा और निवारक उपायों के होते हुए भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। दुर्घटनाओं से बचा नहीं जा सकता। मुझे बताया गया है कि खानों में संवेदनशील गस डिटेक्टर जैसे सुरक्षा उपाय उपलब्ध थे। इन संवेदनशील गैस डिटेक्टरों का प्रयोग किया जा रहा था और मुझे बताया गया है कि प्रति घंटे, गैस की जांच की जा रही थी। और निरापद दीप, जिसका माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया है, भी उपलब्ध थे और मैं बहुत सी बातों में नहीं जाऊंगा। बचाव कार्यों में प्रशिक्षित सक्रिय व्यक्ति भी उपकरण सहित स्थानों के पास मौजूद रहते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : परन्तु वहां उपकरण नहीं हैं।

श्री पी० ए० संगमा : जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हमारी खानों में आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। मुझे बताया गया है कि कई स्थानों पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, इसका कारण यह है कि इन आधुनिक उपकरणों का निर्माण हमारे देश में नहीं होता है और इन उपकरणों का आयात करना पड़ता है।

अब, कोल इंडिया ने एक समिति का गठन किया है तथा इन सिंगरेनी कोयला खानों ने भी निवेदन किया है कि उनकी कोयला खानों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि भारत की सभी कोयला खानों में आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों की जरूरत का और इनकी अनुपस्थिति में कितना

[श्री पी० ए० संगमा]

खतरा होगा तथा इन पर कितनी लागत आयेगी का अध्ययन किया जा सके। क्योंकि ये देश में उपलब्ध नहीं हैं हमें इनका आयात करना होगा। अतः ये सब कार्य चल रहे हैं और ये कार्य कोल इंडिया द्वारा किये जा रहे हैं।

जहां तक इस खान विशेष में इस प्रकार की दुर्घटनाओं के होने का संबंध है, मेरे पास जो आंकड़े हैं, गत पांच वर्षों में केवल 1985 में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, और गत पांच वर्षों में यह दूसरी दुर्घटना हुई है। परन्तु अगर हम सिंगरेनी कोयला खान को समग्र रूप से लें तो आंकड़े निस्सन्देह भिन्न हैं—मैं इस खास बात के बारे में बात कर रहा हूं, परन्तु अगर हम आंकड़ों पर, जो देश की खानों में हो रही दुर्घटनाओं के आंकड़ों की ओर देखें और अगर हम विश्व के अन्य भागों में होने वाली दुर्घटनाओं से उनकी तुलना करें, तो आंकड़े तुलनीय हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इनसे संतुष्ट हैं। हमें अवश्य ही दुर्घटनाओं से बचना है और हमें ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जहां तक भी दुर्घटना न हो।

आपको सिर्फ तुलनात्मक विवरण देने के लिए, 1984 में भारतीय खानों में प्रति हजार व्यक्ति मृत्यु दर 0.32 हैं जबकि बेलजियम में यह 0.97 है, चेकोस्लोवाकिया में यह 0.49 है, जापान में यह 3.87 है, संयुक्त राज्य अमरीका में यह 0.63 है और पश्चिम जर्मनी में यह 0.40 है। सभी देशों की कुल मिलाकर यह स्थिति है और हम अपने देश में इस पर काबू कर सके हैं। कम से कम दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, इसे गत कई वर्षों से हम नियन्त्रित रख सके हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि हमारे देश में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने तथा उन पर काबू करने के लिए गम्भीर प्रयास करने की अवश्य ही जरूरत है।

मेरे विवरण में ही कई उपाय सुझाये गए हैं। मैंने बताया है कि निरीक्षणों को और तेज करना चाहिए तथा और अधिक निषेधात्मक आदेश जारी करने चाहिए एवं मुकदमे चलाये जाने चाहिए। ये सभी कार्यवाही खान अधिनियम के अन्तर्गत की गई हैं और मैंने निर्देश दिए हैं कि उन्हें तेज किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मेरे विचार से श्री रेड्डी ने जो सुझाव दिया है वह बहुत ठीक है। श्री रेड्डी ने कहा है कि हमें खानों में और अधिक बचाव स्टेशन तथा बचाव कक्ष खोलने चाहिए। मैं श्री रेड्डी के सुझाव से सहमत हूं और मैं और अधिक बचाव स्टेशन तथा बचाव कक्ष खोलने की आवश्यकता महसूस करता हूं। वास्तव में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का यह आंकलन करने के लिए कि कितने बचाव स्टेशन कक्ष स्थापित किए जाएं। सरकार द्वारा गठन किया गया है और हमारी मंशा यह है कि बचाव स्टेशन कम से कम एक किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हो। यह भारत सकार की इच्छा है और हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

जहां तक इस खास खान का सम्बन्ध है, हमारे यहां दुर्घटना प्रवण खानों तथा बचाव उपायों का पता लगाने का सर्वेक्षण करने सम्बन्धी एक योजना अथवा व्यवस्था है। यह योजना वास्तव में धनबाद कोयला खानों के लिए बनाई गई थी लेकिन भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि

इस योजना को सिंगरेनी कोयला खानों पर भी लागू किया जाए। हम इसे सिंगरेनी में भी लागू करने जा रहे हैं।

इसके बाद प्रश्न था कि क्या कुछ लोगों पर अभियोजन चलाये गये हैं अथवा किसी भी व्यक्ति पर कोई अभियोजन नहीं चलाया गया है। हम अभियोजन चलाते रहे हैं। जहां तक सिंगरेनी कोयला खानों का सम्बन्ध है, गत 5 वर्षों में···(व्यवधान) आप अब के बारे में पूछ रहे हैं। गत 5 वर्षों में, हमने 8 मामलों में अभियोजन चलाए हैं। जहां तक वर्तमान दुर्घटना का सम्बन्ध हैं, मैंने बताया है कि खानों के निदेशक को इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। वह मामले की जांच कर रहे हैं। कौन-से कदम आगे उठाए जा सकते हैं उनके बारे में खानों के निदेशक से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही सोचा जाएगा। इस समय वह इस सबकी जांच कर रहे हैं।

एक अन्तिम मुद्दा उनको दिये गये मुआवजे के बारे में पूछा गया है। जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, प्रत्येक को 500 रुपये अंतिम संस्कार खर्च तथा 10,000 रुपये का अन्तरिम मुआवजा मृतक व्यक्ति के लिए दिया गया है। यह सम्पूर्ण मुआवजे का एक अंश होगा जिसके लिए उनके वारिस मुआवजा अधिनियम के तहत हकदार होंगे। यह किया गया है।

परन्तु मैं उन अधिकारियों की प्रशंसा को रिकार्ड में लाना चाहता हूं जो घटना स्थल पर मौजूद थे। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, प्रभावित हुए 12 व्यक्तियों में से, 6 व्यक्ति मर गये हैं तथा अन्य प्रभावित हुए हैं। 6 व्यक्ति ऐसे थे जो वहां कार्य कर रहे थे। सातवां व्यक्ति जो मारा गया है यह वह व्यक्ति है जो उन्हें बचाने के लिए गया था। अतः बचाव कार्य तुरन्त शुरू हो गया था। जो 8 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं उनमें महाप्रबन्धक, प्रबन्धक और दो अवर प्रबन्धक सम्मिलित हैं। उन्होंने लोगों को बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया कि वे स्वयं उससे प्रभावित हो गए। अतः मैं उनकी तुरन्त कार्यवाही के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मेरा मूलभूत प्रश्न यह है कि 30 सितम्बर, 1985 को···

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : मैं आपकी सरकार की तरफ से उत्तर दे रहा हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप मेरी सरकार हैं। वह मेरी सरकार नहीं हैं। वास्तव में, सभी हमारी सरकारें हैं।

[हिन्दी]

हमारी गवर्नमेंट क्या, कोई भी हों जो गलत करता है, उसको सजा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न पूछने के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाता।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मेरे मूलभूत प्रश्न का जवाब नहीं आया। 30 सितम्बर, 1985 को बहुली ऊपर के तल से गिरी है, उसके कारण अन्दर आक्सीजन आ गया है, इसका क्या कारण है? मजदूरों ने चार दिन पहले बतला दिया था कि वहां से बदबू आ रही है और उसका नोटिस भी उन्होंने दिया। फिर भी उनको ब्याज देकर जबरदस्ती काम करने के लिए भेजा गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको कुछ कहना है?

श्री पी० ए० संगमा : दुर्घटना के वास्तविक कारण के बारे में मैं अब कुछ नहीं बता सकूंगा। जब तक कि हमें जांच, जो चल रही है, उसके बारे में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो जाता, मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं बता सकूंगा कि क्या कारण था।

श्री सी० जंगा रेड्डी : जांच होनी चाहिए। आप उस स्थान पर अपने निरीक्षक भेजें।

1.00 म० प०

उत्पाद एवं सीमा शुल्कों में और अधिक रियायतों तथा छूटों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, बजट बाद के विचार-विमर्श के सन्दर्भ में मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों एवं सीमा-शुल्कों में और रियायतों तथा छूटों की घोषणा करना चाहता हूं जिससे सामान्य रूप से उद्योग को तथा विशेष रूप से लघु उद्योग को मदद मिलेगी।

लघु उद्योग में "बाडी बिल्डर्स" के अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है। प्रस्ताव है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाने के लिए निर्धार्य मूल्य की संगणना में से चैसिस का मूल्य निकाल दिया जाए। इस उद्योग को शामिल करने के लिए एक विशेष लघु उद्योग स्कीम आरम्भ किए जाने का भी प्रस्ताव है जो शीघ्र ही अधिसूचित कर दी जाएगी। मैं विशेष प्रयोजन वाले सभी मोटर वाहनों पर इस छूट को

लागू किए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं, छूट प्राप्त कतिपय अन्ततः उत्पादों के संघटकों के सम्बन्ध में छूट को बहाल करने का प्रस्ताव भी करता हूं जैसे मूल रूप से जल संचालन के लिए डिजाइन किए गए विद्युत-चालित पम्पों, जल-शीतकों (वाटर-कूलरों) 25 पी० टी० ओ० (पावर टेक आफ) हार्स पावर तक की शक्ति वाले कृषि ट्रेक्टरों तथा अन्य छूट प्राप्त मोटर-वाहनों, जैसे आयुध फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित मोटर वाहनों, विद्युत चालित वाहनों, मिट्टी के तेल के चूल्हों तथा प्रेशर कुकरों।

चमड़ा उद्योग की मदद करने के प्रयोजनार्थ गल-चर्म निचोड़ पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत किया जा रहा है। बिजली की तारों और केबलों पर शुल्क मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से घटाकर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं, मिट्टी के तेल के दबाव से जलने वाले लाटेनों के लिए गैस मैंटलों, गैर-विद्युत प्रेसों/पीतल की प्रेसों, हुरीकेन लालटेनों, फ्लैक्स और रैमी फाइबर, तांबे और पीतल के बर्तनों, फर्नीचर आदि में प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक-बेंतों (केनों) आदि जैसी अनेक छोटी-छोटी वस्तुओं को भी केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से पूर्ण रूप से छूट देने की व्यवस्था कर रहा हूं। इसी प्रकार, चिरी हुई लकड़ी की वूल, लकड़ी के चूरे, रेलवेज और ट्रामवेज के लकड़ी के स्लीपरों और स्लेटों के फ्रेमों, ब्रुशों के हैंडलों, माचिस की तिलियों, माचिस की डिब्बियों आदि के लिए लकड़ी की परतों आदि जैसी लकड़ी की कुछ वस्तुओं और और सिल्लियों और टाइलों से भिन्न मारबल की सभी किस्मों पर, ऐसी ही छूट उपलब्ध कराई जा रही है।

मैंने कतिपय ज्ञात क्षेत्रों के सम्बन्ध में जहां माल का निर्माण विद्युत की सहायता के बिना किया जाता है, उत्पादन शुल्क में छूट देने की व्यवस्था की थी। प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, मैं पहनावे की वस्तुओं तथा कपड़े की तैयार कतिपय वस्तुओं, काजल, कुमकुम, जस्तेदार लोहे की ब्रेक्टों तथा बिजली की सहायता के बिना निर्मित कतिपय अन्य वस्तुओं को छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

नए वर्गीकरण के अन्तर्गत थोक को अध्याय 28 अथवा 29 के अन्तर्गत आने वाले रसायनों के रूप में जो मॉडवेट योजना के अन्तर्गत आते हैं, वर्गीकृत किया गया है। थोक औषधियों को शुल्क से छूट देना आवश्यक नहीं था क्योंकि पूरा मॉडवेट इन अध्यायों के अन्तर्गत उपलब्ध था। यह अभिवेदन किया गया है कि ये थोक औषधियां कई औषधियों तथा दवाइयों के उत्पादन में इस्तेमाल की जा रही है जिन्हें शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है और इस प्रकार इन्हें मॉडवेट से लाभ नहीं होगा। इस अनभिप्रेत विसंगति को दूर करने के लिए मैं थोक औषधियों को उत्पादन शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

जैसी कि मैंने पहले घोषणा की है, कारखाने में ही होने वाले खपत पर दी जाने वाली राहत मॉडवेट स्कीम के अन्तर्गत आने वाली निविष्टियों पर भी दी गई है जब उनका ऐसे अन्ततः उत्पाद के निर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर ही इस्तेमाल किया जाता है और जिस पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देय होता है। मैं, कुछ मामलों में कारखाने में ही होने वाली खपत की सुविधा को भी लागू करना

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

चाहता हूं जहां अन्तत: उत्पाद मॉडवेट स्कीम के अन्तर्गत नहीं आता है। यह छूट कागज गत्ते के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जले हुए चूने तथा सोप स्टोन वूल टाप/यार्न के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कार्डेडवूल, एक्रीलिक फाइबर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक्रीलोनीट्राइल, वस्त्रों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कार्बन डाई-सल्फाईड उत्पादक गैस तथा नाइट्रोजन, डी० एम० टी० के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली पेराएक्सीलीन तथा चीनी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सल्फर डाई-आक्साइड लाईम तथा क्लीन गैस के सम्बन्ध में लागू की जा रही है। मैं पोलिस्टर फाइबर तथा सूत के निर्माण में इस्तेमाल में आने वाले मोनों एथिलिन ग्लाइकोल पर लगने वाले शुल्क तथा कागज और गत्ते के उत्पादन से इस्तेमाल आने वाली फिटकरी, गुड़ के गोंद, फोर्मेलडाइड तथा चीनी मिट्टी पर लगने वाले शुल्क का क्रेडिट दिए जाने की भी व्यवस्था कर रहा हूं।

मैं सिन्थेटिक बुने हुए थैलों, पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाले डाए-कैल्शियम फास्फेट, कृषि ग्रेड के जिंक सल्फेट, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों में इस्तेमाल होने वाले हाई-स्पीड डीजल तेल, शुल्क प्रदत्त कागज से प्राप्त अवशिष्ट कागज तथा सूत की बुनी हुई बेल्टिंग बशर्ते कि उसको संसाधित न किया गया हो, के सम्बन्ध में उत्पादन-शुल्क से छूट देने की व्यवस्था कर रहा हूं।

बजट प्रस्तावों में ऐसी पेपर मिलों को राहत देने की योजना का भी समावेश है जो गैर-पारम्परिक कच्ची सामग्री इस्तेमाल करती हैं मैं उस योजना में परिवर्तन कर रहा हूं ताकि 7501 से 12000 मीट्रिक टन की निकासी के अतिरिक्त स्लैब की व्यवस्था की जा सके जिस पर बजट में प्रस्तावित 1200 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बजाए 1000 रुपए प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगाया जाए।

परियोजनाओं के लिए आयात किए गए माल पर सीमाशुल्क की समान दर पर निर्धारण करने की सुविधा देश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त लाभदायक रही है। तथापि, वर्ष 1985 में बनाए गए परियोजना आयात विनियमों में और संशोधन करना आवश्यक हो गया था। सुमेलित पद्धति पर आधारित तथा दिनांक 28 फरवरी, 1986 से लागू की गई सीमा शुल्क की नई टैरिफ को ध्यान में रखते हुए, परियोजना आयात विनियमों को, जिनमें निकासी से पूर्व करारों के पंजीकरण की आवश्यकता में ढील दिए जाने सम्बन्धी उपबन्ध है, पुनः जारी किया जा रहा है ताकि मेलों, प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने के लिए आयात किए गए जैसे माल पर भी, जिसकी पहले ही से निकासी की गई हो, रियायती दर पर निर्धारण किए जाने का लाभ मिल सके। परियोजनागत आयात के लिए टैरिफ शीर्ष में प्रयोग की गई व्याख्याओं को परिभाषित किया जा रहा है ताकि इसके विषय में अस्पष्टता अथवा विवाद को कम करने में सहायता मिल सके।

सीमाशुल्क के सम्बन्ध में, अंगूरों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, अंगूरों को पैक करने में प्रयोग किए जाने वाले गार्ड पेपर को मूल्यानुसार लगभग 200 प्रतिशत के सीमाशुल्क से पूर्ण छूट दी

जा रही है बशर्ते कि ऐसे पेपर को, जब उसका आयात किया जाता है, अंगूरों की पैंकिग के लिए प्रयोग किया जाए।

उपर्युक्त सभी मामलों में अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं और इन्हें यथासमय सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : बच्चों के खाने वाले बिस्कुट का भी ध्यान रखिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क्या मैं कह सकता हूं कि यह पूरी सूची नहीं है। यह सदन का अन्यथा अधिक समय लेगा। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैंने उसको नोट कर लिया है।

1.06 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) केरल में प्रस्तावित मत्स्य फार्म विकास अभिकरणों तथा खारा जल विकास अभिकरणों की स्थापना के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से देश में मत्स्यपालन विकास की योजना बनाई जाती है और उसे कार्यान्वित किया जाता है। केरल के लिए प्रस्तावित सातवीं योजना के अन्तर्गत देश में मत्स्यपालन के विकास की राष्ट्रीय योजना में सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने दो नये मत्स्य फार्म विकास अभिकरणों और तीन खारा जल कृषक विकास अभिकरणों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। झींगा मछली और फिश कल्चर के विकास के लिए उपयुक्त खारा जल क्षेत्रों की उपलब्धता के बारे में केरल का स्थान देश में तीसरा है। इसके लिए सातवीं योजना में बहुत कम धनराशि रखी गई है। अतः अनुरोध है कि विशेषरूप से रोजगार के मामले में केरल के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाए और इन परियोजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जाए।

(दो) प्रस्तावित राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी प्रोजेक्ट में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों तथा अन्य प्रत्याशियों को खपाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने हेतु दामनजोड़ी, उड़ीसा में एक आई० टी० आई० विद्यालय खोलने की आवश्यकता

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : उड़ीसा का कोरापुट जिला देश का सबसे बड़ा दूसरा जिला है जहां मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति के लोग रहते हैं यह देश का सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है जो देश में कुछ छोटे पूर्वी राज्यों की अपेक्षा जनसंख्या और क्षेत्र में बड़ा है। वहां पर पहले से ही राज्य तथा केन्द्र सरकार की अनेक परियोजनाएं विद्यमान हैं और कुछ परियोजनाओं के निकट भविष्य में आरम्भ किए जाने की आशा है। नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी विश्व की एक सबसे बड़ी कम्पनी है और जब तक यह पूरी होगी इसकी अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक हो जाएगी।

स्थानीय लोगों को तकनीकी शिक्षा नहीं दी जाती है इसलिए विगत में परियोजना में स्थानीय लोगों को बहुत कम संख्या में रोजगार उपलब्ध किया गया था हालांकि भारत सरकार श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों पर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें नियुक्त करने के लिए इच्छुक थी।

नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी में भविष्य में रोजगार के व्यापक अवसरों को देखते हुए मैं माननीय इस्पात और खान मन्त्री का ध्यान एच० ए० एल० के लिए सुनाबेड़ा में खोले गए स्कूल की तरह दामनजोड़ी में तुरन्त आई० टी० आई० स्कूल खोलने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य लड़कों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों को भी विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा सके और इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए आरक्षित कोटा पूरा किया जा सके और स्थानीय बेरोजगारी समस्या का भी समाधान किया जा सके।

(तीन) कर्नाटक राज्य में सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सहायता की शेष 200 करोड़ रुपये की राशि को देने की मांग

डा० बी० वेंकटेश (कोलार) : कर्नाटक में 175 तालुकों में से 154 तालुकों में सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 1.59 करोड़ लोग और 90 लाख पशु प्रभावित हुए हैं। उत्पादन में लगभग 45 लाख टन खाद्यान्न की कमी हुई है। जब तक दक्षिण पश्चिमी मानसून जून में नहीं आती तब तक राहत रोजगार पर रोज 15 लाख लोगों का भरणपोषण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य में कोलार जिले में सभी तालुक कई वर्षों से सूखे से सबसे अधिक प्रभावग्रस्त हैं।

राज्य सरकार ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू किए हैं और पूरे राज्य में 100 पशु शिविर खोले हैं। प्रत्येक शिविर में 1000 पशुओं की देखभाल की जाती है। इसके अलावा 26,000 नलकूपों

की खुदाई द्वारा पीने के पानी की सप्लाई से इसके सभी संसाधन समाप्त हो गए हैं।

250 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध करने के बावजूद केवल 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है जोकि मांगी गई सहायता का $\frac{1}{4}$ भाग भी नहीं है।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि स्थिति का स्थल पर जायजा लिया जाए और कर्नाटक को तुरन्त 200 करोड़ रुपये की सहायता दी जाए।

[हिन्दी]

(चार) डाक और तार विभाग द्वारा बीमाकृत पार्सलों को बुक करने से पहले वस्तुओं और उनके मूल्य की जांच किए जाने की आवश्यकता

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : सरकार ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल पहुंचाने के लिए डाक विभाग में बीम पार्सल की सुविधा प्रदान की है। डाक नियमों के मुताबिक अधिकतम दस हजार रुपये की कीमत का माल बीमा पार्सलों द्वारा भेजा जा सकता है चाहे पार्सल का वजन जितने भी किलो हो। डाक विभाग इन पार्सलों का चार्ज वजन के हिसाब से वसूलता है और प्रत्येक पांच सौ ग्राम पर डाक भार पांच रुपया पचहत्तर पैसे लिया जाता है। बीमा शुल्क वसूलने का नियम एक रुपया प्रति सैकड़ा है। मुख्य रूप से बीमा पार्सलों में कोटा साड़ी, बनारसी साड़ी, पैंट पीस, हैंडलूम कपड़े और चांदी भेजे जाने का प्रावधान है। किन्तु इन डाक पार्सलों के माध्यम से भारी बहुमूल्य चीजें कम कीमत दिखा कर भेजी जाती हैं जिससे सरकार को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये के कर का नुक्सान होता है। इन पार्सलों के माध्यम से कभी-कभी नशीली और गैर-कानूनी वस्तुओं की आसानी से तस्करी की जाती है और वास्तविकता यह है कि पार्सल का बीमा वास्तविकता से कम कीमत का कराया जाता है। इससे डाक विभाग को डाक व्यय की भारी हानि उठानी पड़ती है। उदाहरणार्थ दस किलो चांदी यदि पार्सल से भेजी जाती है तो उसका बाजार मूल्य चालीस हजार होता है किन्तु अधिकतम राशि के प्रतिबन्ध के कारण उसका बीमा मूल्य दस हजार बता कर कर चोरी की जाती है और बीमा शुल्क में भी केवल सौ रुपया लिया जाता है जबकि चार सौ रुपये होता है।

अत: मैं संचार मंत्री जी से मांग करता हूं कि रेल विभाग की तरह डाक विभागा में भी कर्मचारी के सामने माल दिखाने के साथ ही बीमा करने का अधिकार दिया जाए।

(पांच) कानपुर जिले में सरकारी क्षेत्र में एक भारी औद्योगिक कारखाना स्थापित करने की मांग

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : उत्तर प्रदेश का लगभग 5 वर्ष पूर्व घोषित कानपुर देहात जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ उद्योग शून्य जिला है। यद्यपि उक्त जिला में लघु औद्योगिक इकाइयां लगाने का प्रयास हो रहा है, परन्तु वह अपर्याप्त है। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी बहुत कम मिल रहे हैं।

[श्री जगदीश अवस्थी]

अतः यह आवश्यक है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा पिछड़ापन दूर करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वेक्षण करा कर एक वृहत् उद्योग लगाने की व्यवस्था करे, जिससे जनपद में एक औद्योगिक अवस्थापनात्मक आधार बन सके और उसके पूरक उद्योग लगें ताकि स्थानीय बेरोजगार लोगों को काम मिल सके।

(छह) चम्बल कमांड क्षेत्र विकास परियोजना के लिए राजस्थान सरकार को अधिक वित्तीय सहायता देने की मांग

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : चम्बल कमाण्ड एरिया विकास कोटा द्वारा कोटा व बूंदी जिले की करीब 5 तहसीलों की लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। चम्बल के पानी को कोटा बैराज में रोक कर तथा अरबों रुपये खर्च कर कोटा में बैराज बनाया गया तत्पश्चात बाईं मुख्य नहर को बूंदी जिले की सिंचाई हेतु तथा दाईं मुख्य नहर को कोटा जिले की सिंचाई के पश्चात् मध्य प्रदेश को पानी देने हेतु निर्माण किया गया। इस योजना के पहले चरण में हजारों किलोमीटर की नहरें बनाई गईं तथा हजारों एकड़ भूमि पर भूमि सुधार का कार्य किया गया। इन सब कार्यों को करने हेतु विशाल प्रशासनिक इन्तजाम किया गया तथा करोड़ों रुपये की मशीनरी विदेशों से खरीदी गई एवं लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हेतु सारे प्रबन्ध किए गए।

परन्तु बड़े खेद के साथ सभापति महोदय, यह निवेदन करना पड़ रहा है कि उपरोक्त सभी इन्तजाम दूसरे चरण को लागू न करने के कारण धीरे-धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर की नहरें टूट गई हैं, नहरों में सिल्ट भर गया है, मिट्टी भर गई है तथा सिंचाई क्षमता आधी से भी कम रह गई है। आज सारी नहरों की मरम्मत तथा लाइनिंग की सख्त आवश्यकता है तथा नहरों के पास के रास्तों पर सड़कों का बनाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार जिन खेतों पर भूमि सुधार कार्यक्रम किए गए हैं उनका भी पुनर्निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना को चलाने हेतु तथा पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकार को अधिक धनराशि उपलब्ध कराये ताकि इस योजना का दूसरा चरण लगभग 75 करोड़ रुपये का है तथा जिसको क्रियान्वित करना एवं वर्तमान ढांचे को कारगर बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

[अनुवाद]

(सात) पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : पीयरलेस जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय कलकत्ता में है, एक गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान है। इसकी 38 शाखाएं

और 31 संगठन कार्यालय हैं। इसमें 4000 कार्यालय कर्मचारी और 4 लाख क्षेत्र-कर्मचारी काम करते हैं; और इसके 2 करोड़ से अधिक प्रमाणपत्रधारी हैं।

भारत सरकार ने 12-12-1978 को एक कानून बनाया—प्राइज चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम (बेनिंग) अधिनियम, 1978 और राज्य सरकार को इसे लागू करने के लिए निदेश दिया। तथापि यह कम्पनी कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामला ले गई और निषेध आदेश प्राप्त किया और इस प्रकार सरकार को निर्णय को लागू करने से रोक दिया। विगत समय में, भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनी के मामलों की पूरी जांच की थी और कम्पनी को न केवल कारोबार करने की मंजूरी दी थी बल्कि इसके विस्तार में सहायता की। 1973 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता से डिपाजिट स्वीकार करने के मामले में इसे अधिकतम सीमा से भी छूट दे दी थी तथा इस प्रकार कम्पनी को असीमित कारोबार करने की अनुमति दे दी थी। केवल कुछ वर्षों के बाद कम्पनी के अपने कारोबार को बन्द करने के लिए कहना कल्पना से बाहर की बात लगती है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय में 17-2-86 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 14-3-86 को निर्णय दिया कि कम्पनी अपना कारोबार नहीं कर सकती क्योंकि यह प्राइज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट, 1978 के क्षेत्राधिकार में आता है तथापि न्यायालय ने तीन सप्ताह के लिए इस आदेश पर अमल को रोक दिया।

इन परिस्थितियों में 4000 कर्मचारियों, 4 लाख क्षेत्र कर्मचारियों और 2 करोड़ से अधिक प्रमाणपत्रधारियों की किस्मत अधर में लटक गई है। केवल कम्पनी का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करके ही उन्हें बर्बादी से बचाया जा सकता है। यह बताना जरूरी है कि कम्पनी के पास 660 करोड़ रुपये की परिसम्पत्ति है। इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के द्वारा इस विपुल सम्पत्ति को राष्ट्र की प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(आठ) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद के कर्मचारियों को गामा विकिरण के खतरे से बचाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : गाजियाबाद में स्थित भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी० ई० एल०) कारखाने में माइक्रोवेव रडार एसेम्बली तथा परीक्षण विभाग में काम करने वाले असुरक्षित कर्मचारियों और इंजीनियरों को भारी पैमाने पर गामा विकीरण के खतरे का सामना करना पड़ता है जो संदूषित परमाणु बिजलीघरों में पाए जाने वाले खतरे से भी कई गुना अधिक है।

कर्मचारियों के स्वास्थ्य को इससे भारी क्षति पहुंच सकती है। इससे धीरे-धीरे कैंसर हो सकता सकती है। विकिरण के प्रभाव से नपुंसकता भी हो सकती है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं कि इस विशेष परिवेश में किस प्रकार से मजदूर प्रभावित हो रहे हैं। इसमें कई रोग असाध्य हैं।

[श्री एडुआर्डो फैलोरी]

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए और बी० ई० एल०, गाजियाबाद के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(नौ) मिर्च और हल्दी को कृषि मूल्य तथा लागत सूची में सम्मिलित करने और मिर्च का समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित करने की मांग

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आंध्र प्रदेश में मिर्च का उत्पादन बहुत अधिक है। लेकिन मिर्चों का बाजार फसल की कटाई बहुत अनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर के महीने में इसकी कीमत 1600 रुपये प्रति क्विटल थी। उसके पन्द्रह दिनों बाद, मूल्य 700 रुपये तक नीचे आ गया। लेकिन दो और तीन महीनों के बाद, फिर यह बढ़कर 2,000/- प्रति क्विटल हो जाएगा, जबकि सारा उत्पादन बिचौलियों के हाथ में उपभोक्ता को बढ़े हुए मूल्य पर खरीद करनी होगी, जबकि उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य वास्तविक उत्पादकों को नहीं मिलेगा।

अतः मैं भारत सरकार से मिर्च और हल्दी को कृषि मूल्य आयोग की सूची में शामिल करने और समर्थन मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विटल से कम न होने की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह मसाला मंडल को सलाह दे कि वह शीघ्र ही मिर्च को समर्थन मूल्य पर खरीद ले।

(दस) लघु उद्योगों के लिए छूट की सीमा सम्बन्धी निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं इसको पढ़ने से पहले माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं, जो मांग मैं रखने जा रहा हूं, उसको उन्होंने कल ही पूरा कर दिया है, बल्कि इससे भी आगे वे बढ़ गए।

सभापति जी, इस वर्ष 1986-87 की एक्साईज की नई नीति के कारण लघु उद्योगों पर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले वर्ष उत्पादन की सीमा 20 लाख रुपये थी, जो अब घटा कर 7.5 लाख कर दी गई है, जबकि कच्चे माल की कीमत बढ़ गई है। परिणामस्वरूप लघु उद्योगों का विकास नहीं हो सकेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी।

अतः सरकार से पुनर्विचार करने की मांग करता हूं कि वह ऐसी नीति अपनाए कि लघु उद्योगों पर संकट न आ सके।

1.20 म०प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87

इस्पात और खान मन्त्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा इस्पात और खान मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान के मामले को लेगी। अब मन्त्री जी वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलोर दक्षिण) : कृपया मेरे दल के एक सदस्य को पांच मिनट का समय दीजिए उसके बाद मैं तीन मिनट लूंगा, क्योंकि मैंने अपना कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

सभापति महोदय : सूची उस दिन समाप्त हो गई थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हमारे पास बोलने के लिए समय व सदस्य दोनों ही हैं। बोलने के लिए सदस्य और समय दोनों ही उपलब्ध हैं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : आप प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट का समय दीजिए।

श्री शरत् देव (केन्द्रपाड़ा) : परसों वाणिज्य मन्त्रालय पर चर्चा के दौरान और आज इस्पात और खान मन्त्रालय पर हो रही चर्चा के दौरान मैंने जो कुछ सुना है उससे मैं यह महसूस करता हूं कि ये दोनों विभाग एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और परस्पर निर्भर हैं। अगर आप उनके कार्य को देखें और इसकी छानबीन करें तो आप पायेंगे कि दोनों समान रूप से कार्य कर रहे हैं। वाणिज्य में हमारा सम्बन्ध मुख्यतः चार या पांच मदों पर ही है। और उनका कार्यनिष्पादन शनैःशनैः 4 तक ही रह गया है। यही मामला इस्पात के साथ है। यद्यपि हम देश की आधुनिक आधारभूत संरचना पर बोल रहे हैं, हम इस्पात का मूल्य जानते हैं। लेकिन इस पहलू में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत केवल चार इस्पात संयंत्र हैं और यह बहुत ही हैरानी की बात है कि वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। जब हम बाहर से आधुनिक प्रौद्योगिकी को लाने की हमेशा बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या कारण है कि सरकार विदेशी प्रौद्योगिकी को इस्पात के उत्पादन में सुधार लाने के लिए लाना चाहती हो जबकि परिणाम कुछ नहीं निकलता है।

अब मैं केवल अपने राज्य विशेषकर राउरकेला के बारे में ही कहना चाहता हूं। कल कांग्रेस (आई) के मेरे माननीय मित्र बोल रहे थे और उन्होंने यह कहा कि दो चरणों में विस्तार का प्रस्ताव आया है। विस्तार से पहले एक चरण को पहले ही रद्द कर दिया गया है और दूसरे चरण को दो भागों में विभाजित किया गया था और उसके बारे में भी अनिश्चितता की स्थिति है, क्योंकि वह भारत सरकार के विचाराधीन है दूसरे, अधिकांश इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादन से जो लाभ प्राप्त

[श्री शरत् देव]

होता है वह रद्दी उत्पाद के मूल्य से काफी कम होता है जिसे इस्पात संयंत्रों से बाहर फेंक दिया जाता है जहां माफिया का एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है और लाखों रुपये कमा रहा है।

इसलिए मैं यह नहीं समझ सकता कि जब तैयार उत्पाद से इतनी अच्छी राशि नहीं मिल पाती, तब रद्दी सामग्री से एक अच्छी राशि मिल रही है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को देखें और इस रद्दी सामग्री को माफिया ग्रुप के हाथ में जाने से रोकें इसे अपने हाथ में लें और इस प्रकार से राज्य को कुछ अधिक राजस्व मिले।

मैं राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थिति के बारे में मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह बिजली की कमी के कारण अभी भी 40 से 50 प्रतिशत क्षमता से काम करता है। रक्षित विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन, जिससे 70 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, गिर गया है। इसी तरह विद्युत उत्पादन में राज्य का हिस्सा भी कम हो गया है। जिसके कारण यह पूरा इस्पात संयंत्र घाटा उठा रहा है।

अब हम आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं। अगर आप राउरकेला इस्पात संयंत्र में जायें—जिसको मैं देखने व जांच करने के लिए गया था—तो आप देखेंगे कि यद्यपि उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी आधुनिक मशीनों को खरीद लिया गया है, उनमें से अधिकांश बेकार पड़ी हैं और काम उन्हीं पुरानी जर्मन की मशीनों से किया जाता है। जिसका कारण यह है कि हम समुचित तकनीशनों और कर्मकारों को प्रशिक्षण दिये बिना ये आधुनिकतम मशीनें ला रहे हैं।

मैं मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अल्युमिनियम की एक बड़ी फैक्टरी 'नालको' उड़ीसा में स्थापित हो रही है। लेकिन वहां अल्युमिनियम प्रौद्योगिकी नाम की कोई विषय नहीं है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय को राउरकेला क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज में शुरू करें।

कल प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि जितने भी भारतीय उद्यमी एवं वैज्ञानिक विदेशों में चले गये हैं हम उन सबको आमन्त्रित करने जा रहे हैं परन्तु यहां क्या हो रहा है ? इस्पात संयंत्र के अधिकारियों द्वारा राउरकेला क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज से निकले विद्यार्थियों का साक्षात्कार उनके अपने ही कैम्पस में लिये जाने की परिपाटी थी। लेकिन अब इस परिपाटी को नहीं अपना रहे हैं और वे तकनीशनों तथा इन्जीनियरों को बाहर से ला रहे हैं। प्रतिभावान लोगों को, जिनको राउरकेला इस्पात संयंत्र में यह राष्ट्र निर्माण के काम में लगाया जा सकता था, बाहर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। मेरा अनुरोध है कि मन्त्री महोदय इसकी भी जांच करें।

अब मैं दूसरे इस्पात संयंत्र की बात करता हूं जिसका वायदा उड़ीसा के लिए किया गया था। मैं नहीं जानता कि हम जो कुछ यहां कहते हैं उसका कोई अर्थ होता है या नहीं, विशेषरूप से मन्त्री जी इस सभा में जो उत्तर देते हैं क्या उसका कोई मूल्य होता है। दूसरे संयंत्र की मंजूरी जनता शासन के दौरान दी गई थी। लेकिन उसके लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति ली जानी थी जो कि अन्ततः

1980-81 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दी थी। दिल्ली में यह घोषणा की गई थी कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लग रहा है। उड़ीसा विधान सभा में मुख्य मन्त्री ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की उड़ीसा को इस पूजा उपहार अर्थात दूसरे इस्पात संयंत्र की घोषणा की थी। इसको पारादीप पत्तन पर बनाया जाना था। लेकिन अचानक यह खबर मिली कि इसको दैतारी ले जाया गया है। कारण यह बताया गया कि पारादीप एक तूफान ग्रस्त क्षेत्र है। अब वह एक बड़ा उर्वरक संयंत्र लगा रहे हैं। यही नहीं, भारत सरकार बालासौर में रक्षा प्रतिष्ठान का निर्माण कर रही है जो तूफानग्रस्त क्षेत्र आता है। इस तूफान के कारण उड़ीसा को इस इस्पात संयंत्र से क्यों वंचित किया जाना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर पिछले वर्ष इस संयंत्र के बारे में दिये गये थे। पिछले साल सभी मन्त्रियों ने यह उत्तर दिया था कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लगने जा रहा है। गत वर्ष इस्पात मन्त्री ने उड़ीसा दौरे के दौरान यह आश्वासन दिया था कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लगेगा। इस सम्बन्ध में जब राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया था तब मन्त्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया था—"हां मैंने कहा था। हम वचनबद्ध हैं कि उड़ीसा में हम दूसरा इस्पात संयंत्र लगाने जा रहे हैं। लेकिन अब इस्पात और खान मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट देखने से पता चला है कि दूसरा इस्पात संयंत्र खटाई में पड़ गया है। अब वह उड़ीसा में नीलांचल इस्पात निगम के नाम से स्पंज लोह कारखाना लगाने जा रहे हैं। कल मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि इस सम्बन्ध में जानकारी लेने के लिए कोई भुवनेश्वर में घूम रहा है लेकिन आपको यह हैरानी होगी कि वह भी अब नहीं घूम रहा है, शायद वह अब और कहीं है। इतना ही नहीं बल्कि हमने सुना है कि इस्पात निगम को उड़ीसा से हटाने की और उन अधिकारियों को 'नेलको' में खपाने का षडयंत्र रचा जा चुका है। इसलिए मैं केवल कल की चर्चा के बारे में याद करवाता हूं जो पंजाब के बारे में हो रही थी जब हम राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखण्डता की बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से क्षेत्रीयवाद की बातें होती रहीं, यदि इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जाता रहा तो दूसरे राज्य में भी पंजाब जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मैं इस सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उड़ीसा में सातवीं पंच-वर्षीय योजना में दूसरा इस्पात संयंत्र नहीं लगाया गया तो उड़ीसा में इसके जो भी परिणाम होंगे, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि हजारों की संख्या में पढ़े-लिखे लोग वहां रहते हैं। केवल यही बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अगर वहां इस तरह की खबर जाती है कि उड़ीसा को दूसरे इस्पात संयंत्र से वंचित किया जा रहा है और यदि वहां कोई आन्दोलन होता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकेगा। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल किस तरह के आंदोलन होते हैं। अन्तत: आप देखेंगे कि आन्दोलन के कारण कुछ निर्दोष विद्यार्थियों को जेल में रखा जाता है। मैं कहता हूं कि ये मन्त्री जो देश को वायदे देते रहते हैं। जो* * आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां इस परियोजना की लागत 5,000 करोड़ रुपये होगी, वहां उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यदि वह इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए दृढ़ नहीं है तो वह इस संयंत्र के नाम से पहले ही 7 करोड़ रुपये क्यों खर्च कर चुकी है? मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय धन को इस प्रकार बर्बाद करने का उसको क्या अधिकार है। यदि इस धन को कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर खर्च किया गया होता तो कम से कम कुछ

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल से दिया गया।

[श्री शरत् देव]

लोगों को लाभ प्राप्त होता। लेकिन यह करने की बजाय, क्या हो रहा है कि वे हर समय···**···लोग होते हैं। जब कभी संसद में प्रश्नकाल के समय मन्त्री स्वीकारात्मक उत्तर देते हैं कि हां, हम तैयार हैं और उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगने जा रहा है। "इसलिए अपना भाषण समाप्त करने से पहले एक बार फिर मैं केन्द्रीय सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र नहीं लगाया गया तो केन्द्रीय सरकार को भीषण परिणामों का सामना करना होगा और उड़ीसा के लोग इसको कम गम्भीर नहीं मानेंगे। मैं यह बात आपसे कह सकता हूं कि वे पंजाब के रास्ते जा सकते हैं।

सभापति महोदय : मन्त्रियों के सन्दर्भ में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया है, उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये। यह असंसदीय है।

श्री शरत देव : वे हैं** महोदय। मेरे पास बहुत साक्ष्य हैं। मन्त्री महोदय का यह उत्तर है जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि एक दूसरा इस्पात संयंत्र लगाया जाने वाला है। इसलिये, यदि ऐसा नहीं है···**···तो इसमें बात ही क्या है? क्या इस**का सम्बन्ध उड़ीसा के लोगों से नहीं है?

सभापति महोदय : चूंकि यह···**···असंसदीय है, इसलिये इसे कार्यवाही वृतांत से निकाला जाता है।

(व्यवधान)

श्री शरत देव : आप कह सकते हैं कि यह···**···है। भारत सरकार···**···दूसरे इस्पात सयंत्र के नाम से उड़ीसा के भागों की है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, इस समय मैं वास्तव में असंमजस में हूं क्योंकि अपने अच्छे मित्र श्री शरत देव, जो उड़ीसा से हमारे नये सदस्य हैं, के अभिभाषण के बाद मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कि मैं उनके भाषण का क्या उत्तर दूं। मुझे बोलना तो बहुत कुछ है किन्तु मैं अपना भाषण सीमित ही रखूंगा क्योंकि मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं समय को ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्दों पर ही बोलूंगा। चूंकि मैं आपको यह आश्वासन दे चुका हूं कि मैं भाषण नहीं दूंगा, इसीलिये मैं असमंजस में हूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं भाषण दे सकता हूं। माननीय सदस्य के भाषण से कुछ शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिये गये हैं। किन्तु मैं एक बात कहूंगा, महोदय···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : **को कार्यवाही वृतांत से निकाला नहीं गया है।

सभापति महोदय : उसे कार्यवाही वृतांत में नहीं रखा गया है। यदि इसका प्रयोग किया गया तो, उसे भी निकाल दिया जाएगा।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, केवल उड़ीसा में ही नहीं, अपितु पूरे देश में इस समय विरोधी दलों में उनके मुकाबले का कोई भी नेता नहीं है,···**···, उस कला में···** ··, लोगों को बेवकूफ बनाने में। मेरे विचार से केवल उड़ीसा में ही नहीं, अपितु पूरे देश में उन जैसे बहुत ही थोड़े व्यक्ति होंगे। मेरे विचार से इस कला में उनके मुकाबले का कोई नहीं है। अनेक अवसरों पर, चुनाव के समय और चुनाव के दौरान—उन्होंने कितने झूठे वायदे किये और यह सुखद तस्वीर खींची कि उड़ीसा आपके राज्य महाराष्ट्र के बराबर हो जाएगा किन्तु उड़ीसा राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको पता है। वह उड़ीसा के मुख्य मन्त्री रहे हैं। वह केन्द्रीय मन्त्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह अनेक परियोजनाएं उड़ीसा में लायेंगे। किन्तु कुछ भी नहीं हुआ।

श्री शरत देव : वायदे उन्होंने नहीं, प्रधान मन्त्री महोदय ने किये थे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अपने मन्त्री महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है। वह एक न्यायवादी व्यक्ति हैं। वह एक योग्य प्रशासक हैं। उनके व्यक्तित्व में एक कुशल प्रशासक की क्षमता है तथा उन्हें तकनीकी ज्ञान भी है क्योंकि वह स्वयं एक इन्जीनियर रहे हैं। हमें उनसे बहुत सी आशायें हैं। उड़ीसा की जनता यदि एक और इस्पात संयंत्र लगाने की मांग करती है; तो यह ठीक ही है। उड़ीसा इसके योग्य है। उड़ीसा में एक और इस्पात संयंत्र लगाने के लिए एक अच्छा स्थान है। अपनी जोरदार मांग प्रस्तुत करते हुए मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे पता है कि सरकार वित्त सम्बन्धी कितनी कठिनाई के दौर से गुजर रही है। किन्तु उड़ीसा की सहायता करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। उड़ीसा एक उपेक्षित तथा निर्धन राज्य है। आपको मालूम है कि वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। उड़ीसा के निर्धन रहने का ऐतिहासिक कारण है। उसकी यह स्थिति चिरकाल से चली आ रही है। वहां की जनता स्वप्न देखती है और उनका स्वप्न साकार करने का हर सम्भव यत्न किया जाना चाहिए और वह स्वप्न है, उड़ीसा में एक और इस्पात संयंत्र स्थापित करना। इस परियोजना को पूरा करने की प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिये। किन्तु इसके साथ ही, जहां हम इस्पात का उत्पादन अधिकाधिक बढ़ाना चाहते हैं; वहां हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादन लागत न बढ़े और वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर सके। इसे लोगों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाये। इसका कोई लाभ नहीं होगा कि उत्पादन तो अधिकतम किया जाये पर साथ ही उत्पादन लागत बढती जाए और इस्पात का मूल्य भी बढ़ता जाए। इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में हमने बड़ी प्रगति की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक समय में हमारे यहां केवल 14 लाख टन इस्पात का उत्पादन होता था। इस समय इसका उत्पादन बढ़कर 80 लाख टन हो गया है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है और यह उत्पादन आशा से बहुत कम है। 1955-56 में जब यत्र-तत्र इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा रहे थे, उस समय राउरकेला उनमें सबसे अधिक पुराना था और यही संयंत्र प्रथम सरकारी संयंत्र था। इसकी आधारशिला भारत की योजनाओं के जन्मदाता और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। महोदय, आपको पता ही है कि वह सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना और लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के कितने बड़े समर्थक थे। ये परियोजनायें

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाला गया।

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

शनैःशनैः लोकतांत्रिक समाजवाद लाने में सहायक हैं।

इसके सम्बन्ध, में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है जबकि बोकारो, भिलाई आदि जैसे अन्य संयंत्रों के सम्बन्ध में उनके आधुनिकोकरण की योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा उन्हें व्यवहारिक रूप दिया जा रहा है। उड़ीसा के पास लौह अयस्क का विशाल भण्डार तया अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं। अतः उड़ीसा ऐसा राज्य है जहां एक ही नहीं अपितु दो और इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं। किंतु मुझे पता है कि धन जुटाने में कठिनाई होगी। किसी विदेशी सहयोग से इसको पूरा किया जा सकता है। दूसरी समस्या इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की है। हमारी प्रौद्योगिकी कालातीत हो चुकी है और कोई आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। किन्तु इसका कोई बहाना नहीं लेना चाहिए। दक्षिण कोरिया में वही झोंका-भट्टी प्रौद्योगिकी अपनाई गई है और वह आश्चर्यजनक कार्य कर रही है। किंतु भारत में हमारे संयंत्र क्यों नुकसान में चल रहे हैं ? इसलिए क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी प्रबन्धकों का उत्तरदायित्व और भी अनेक बातें होनी चाहिएं। मेरा केवल इतना ही अनुरोध है कि हमारे माननीय मन्त्री महोदय राउरकेला, बोकारो तथा भिलाई के मुख्यालयों का दौरा करें। मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि है वह वहां गये ही नहीं हैं। किंतु बजाय इसके कि वह वहां सुबह जायें और दोपहर में लौट आयें; उन्हें चाहिये कि वे प्रत्येक इस्पात संयन्त्र में दो या तीन घण्टे ठहरें। मुझे उनकी क्षमता पर भरोसा है। वह इन इस्पात संयंत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें। यदि ऐसा हो सका तो मैं कह सकता हूं कि उनमें सुधार अवश्य होगा और उन्हें बता सकता हूं कि कुछ अधिकारियों की पूरी जानकारी के बावजूद वहां किस प्रकार उठाईगिरी और चोरी हो रही है। अपने सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण के लिए एक नया रवैया अपनाना होगा।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने नई प्रौद्योगिकी के बारे में कहा था। हमारे देश में कोयले का पर्याप्त भण्डार है; तथापि आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से 20 से लेकर 30 लाख टन कोयला आयात करना पड़ता है। इसलिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करना होगा जिससे कि अपने यहां का कोयला उपयोग में लाया जा सके।

अब मैं 'बालको' और 'नालको' के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 'नालको' उड़ीसा में कोरापुट जिले के अनुगोल और दामाजोदी दो स्थान में कार्यरत हैं। 'बालको' सम्बलपुर जिले के पैंकमाल स्थान में स्थित है। 'बालको' का कार्य केवल ग्रेफाइट अयस्क निकालने तक ही नहीं सीमित रहना चाहिये अपितु यह एक संघटक परियोजना होनी चाहिये।

मैं एक बार पुनः अनुरोधपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि स्थानीय हितों के साथ-साथ रोजगार आदि के मामले में स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जाती रही है। स्थानीय हितों की उपेक्षा की जाती है, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को कोई प्राधिकार नहीं प्रदान किया जाता है। उड़ीसा ने क्या अपराध किया है। उड़ीसा में बुद्धिमान अधिकारी, तकनीशियन, कर्मचारी तथा अन्य लोग हैं। क्या उनमें से किसी भी व्यक्ति में ऐसी योग्यता नहीं है जो भारत के इस्पात संयंत्र को चला सके ?

अतः मेरा अनुरोध है कि स्थानीय हितों का समुचित ध्यान रखा जाये और स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जायें। मेरा यह भी अनुरोध है कि सही परिप्रेक्ष्य में लोगों की शिकायतों का अध्ययन किया जाये और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए निष्ठापूर्ण यत्न किया जाये।

इस्पात संयंत्रों में नयी प्रौद्योगिकी अपनायी जा चुकी है किन्तु शताब्दी के अन्त तक भी हमारी उत्पादन क्षमता 220 लाख टन हो जायेगी। लक्ष्य तो यह रखा गया है कि शताब्दी के अन्त तक उत्पादन क्षमता 1000 लाख टन हो जाये। जापान, जिसने हमारे साथ-साथ इस क्षेत्र में काम करना आरम्भ किया था, हमसे कहीं आगे बढ़ गया है। चीन की उत्पादन क्षमता 500 लाख टन तक पहुंच गई है। अतः यह हमारे लिए एक चुनौती भरा कार्य है। हमें अधिक उत्पादन करना होगा और मितव्ययता अपनानी होगी तथा अनेक प्रकार के अन्य कार्य करने होंगे। हमारे पास सभी साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास लौह अयस्क है, हमारे पास कोयला उपलब्ध है। प्रश्न यह उठता है कि नये ढंग से कार्य किस प्रकार आरम्भ किया जाये और ढंग से तथा कुशलतापूर्वक किस प्रकार कार्य का प्रबंध किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि मैंने जो भी मुद्दे उठाये हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों से संबंधित चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया।

इस्पात अर्थव्यवस्था का अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राष्ट्र का औद्योगिक विकास प्रमुख रूप से इस्पात के उत्पादन और उसकी सप्लाई पर आश्रित है। 1985 में हमने इस्पात का आयात किया है और यदि हम 1989-90 तक मांग की प्रवृत्ति और मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गये उत्पादन लक्ष्य के आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि केवल इस्पात के आयात का खर्च लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बैठेगा। कुछ दिन पूर्व मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर हो रही चर्चा का उत्तर देते हुए हमारे वाणिज्य मन्त्री ने कहा था कि यदि आयात का यही रवैया रहा तो 1985-86 में व्यापार असंतुलन 7.000 करोड़ रुपये का हो जाएगा तथा 1989-90 में 20,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम 1989-90 में 6,000 करोड़ रुपये का इस्पात आयात करने के लिए रुपया कहां से लायेंगे?

इसकी पृष्ठभूमि में, हमें इस्पात का उत्पादन बढ़ाना होगा। इस लक्ष्य को बड़े पैमाने के उद्योग से पूरा नहीं किया जा सकता है। विजाग इस्पात संयंत्र, जिसके 1989-90 में पूरा हो जाने की संभावना है, एक सीमा तक ही समस्या का समाधान कर पाएगा। हमें लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने के कार्य को प्रोत्साहन देना होगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लोहे की कतरन पर अतिरिक्त आयात शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देने से मौजूदा 60 लघु इस्पात संयंत्र बन्द

[डा० ए० कलानिधि]

होने की स्थिति में आ गये हैं। सरकार भी चाहती है कि लोहे की कतरन का आयात कम कर दिया जाये। अब, सरकार विद्युत 'आर्क' भट्टी के माध्यम से स्पंज लोहे का उत्पादन बढ़ाने को बढ़ावा देना चाहती है। यदि इस काम में सफलता मिल जाती है तो केन्द्र लघु इस्पात संयंत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगा।

इसके अलावा इस्पात के मूल्य नित्य प्रति बढ़ रहे हैं। 1980-85 के दौरान इस्पात का मूल्य 14 गुणा बढ़ा है। 9-1-1986 को कोयले के मूल्य में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से यह संभावना है कि इस्पात उत्पादन मूल्य 191 रुपये प्रति टन बढ़ जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि इस्पात का मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप इंजीनियरी के सामानों के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस्पात मन्त्री ने अपना पद भार संभालने के तत्काल बाद कहा था कि इस्पात संयन्त्रों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस्पात की उत्पादन लागत में कटौती की जाए क्योंकि यह भारत में सबसे अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं और उनमें कितनी सफलता मिली है। मैं चाहता हूं कि मंत्रीगण इस बात को महसूस करें कि वास्तव में कार्यकरण में कितनी बाधायें आती हैं और स्वयं को वाक पटुता से बचाने की चेष्टा करें।

तमिलनाडू में सबसे अधिक ढलाई कारखाने हैं। केवल कोयम्बतूर में 600 से अधिक ढलाई कारखाने हैं। कच्चे लोहे की अत्यधिक कमी के कारण वे ठीक ढंग से काम करने में असमर्थ हैं। 'सेल' (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) को अपना भण्डार गृह कोयम्बतूर में खोलना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन ढलाई कारखानों को कच्चे लोहे की पर्याप्त सप्लाई की जाये। ढेलाई उद्योग के अभ्यावेदन इस्पात उपभोक्ता परिषद को दिये जाने चाहिए जिसके अध्यक्ष हमारे मन्त्री महोदय हैं।

महोदय, भूतपूर्व इस्पात मन्त्री श्री वसंत साठे ने यह घोषणा की थी कि सेलम इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए जिस पर 45 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा, स्वीकृति दे दी गई है। किंतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में सेलम इस्पात संयंत्र के लिए कुल 16 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। दूसरे शब्दों में सेलम इस्पात संयंत्र का विस्तार कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भी नहीं किया जा सकेगा। सातवीं योजना में तमिलनाडु को सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं दिया गया। मैं यह मांग करता हूं कि सातवीं योजना में कम से कम सेलम इस्पात संयंत्र का विस्तार पूरा कर लिया जाये। कुछ सदस्यों ने उड़ीसा का उल्लेख किया है। मुझे अपने राज्य की चिंता है, जहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। सेलम इस्पात संयंत्र को री-रोलिंग संयंत्र में भी बदल दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे पर्याप्त निधि दें जिससे इस इस्पात संयंत्र का सपना साकार हो सके।

मैं सरकार के विचारों को समझने में असमर्थ हूं। अचानक ही सरकार को ईस्को के कर्मचारियों की दशा की सुध आई और उन्होंने इस बड़े एकक को केवल 9 करोड़ रुपए का मुआवज़ा

देकर अधिग्रहीत कर लिया। किंतु अब सरकार ईस्को की आवश्यकताओं तथा इसके कर्मचारियों के जीवन यापन के प्रति ठण्डी पड़ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ईस्को का क्या करना चाहती है और कर्मचारियों को बेरोजगारी से बचाने के लिए क्या करने का विचार है।

मैं माननीय मन्त्री जी को केन्द्र के अधिकार-क्षेत्र से बाहर की खानों में अव्यवस्था से अवगत कराना चाहूंगा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार ने कुछ खानों को लाइसेंस दिया है। जब उद्यमी पूंजी निवेश कर लेते हैं और खनन कार्य करने लगते हैं तो सरकार उन्हें यह घोषणा करके आश्चर्य में डाल देती है कि सरकारी प्रयोजन के लिए इन क्षेत्रों की आवश्यकता है। इससे ऐसी खानों में लगाए गए धन और कर्मचारियों की क्या दशा होती है उससे राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं होता।

मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की इन निरंकुश गतिविधियों की ओर कुछ ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी राज्य सरकार की सनक के कारण बलि का बकरा न बनें।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय मैं सीधे ही उन बातों की ओर आता हूं जो मुझे कहनी हैं अब कर्नाटक को एक आशा है। वह इसलिए कि विशाखापटनम इस्पात संयंत्र स्थापित करने का निर्णय आठवें दशक के शुरू में श्री पंत के नेतृत्व में लिया गया था। यह उनके दिमाग की उपज है और मुझे विश्वास है कि वे इसे नष्ट न होने देंगे।

पूरे सदन को यह जानकारी है कि इस विषय पर सदन में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। मैंने ही यह बात लगभग चार बार कही है। अब यह सही समय है कि मैं इसे दोहरा दूं और यह मांग करूं कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कोई निर्णय ले।

17 अप्रैल, 1970 को इस सदन में यह घोषणा की गई थी कि विशाखापटनम इस्पात संयंत्र, विजयनगरम इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र शीघ्र ही स्थापित किए जायेंगे।

हमें प्रसन्नता है कि विशाखापटनम और सेलम इस्पात संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

डा० ए० कलानिधि : एक शुद्धि कीजिए। सेलम इस्पात संयंत्र अब इस्पात संयंत्र नहीं है। यह केवल रि-रोलिंग संयंत्र है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : जो कुछ भी है। वहां पर लगभग 200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, विशाखापटनम में 1200 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और इस वर्ष भी विशाखापटनम के लिए 800 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

विशाखापटनम जैसी एक जगह अर्थात हास्पेट की कल्पना करिए जहां पर लौह अयस्क निकाला जा रहा है और कर्नाटक सरकार ने 9000 एकड़ भूमि अर्जित की है। उन्होंने कृषि की भूमि अर्जित की है। अब यह भूमि बेकार पड़ी है और उस पर लगभग 8-9 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

लेकिन भारत सरकार ने उस पर निवेश सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं लिया है।

मुझे अपने उड़ीसा के मित्र द्वारा दिया गया भावुक भाषण याद है किंतु मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा और मुझे विश्वास है कि श्री पंत इसका कारण समझते हैं। इसलिए मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। यदि मैं कर्नाटक के लोगों की भावनाओं का यहां उल्लेख न करूं तो मैं अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगा। वहां के लोग अत्यन्त निराश हैं। वे बेचैन हो गए हैं। वे सुसंस्कृत और शांत लोग हैं। किंतु शांति और धैर्य की भी एक सीमा होती है। मुझे नहीं मालूम कि इसका परिणाम क्या होगा क्योंकि यह काम वास्तव में अत्यन्त कठिन हो गया है। आपने स्थानीय दैनिक समाचारपत्रों में अवश्य पढ़ा होगा। वे कर्नाटक के संसद सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ दल को भारी समर्थन दिया है। 28 में से 24 सीटें उस दल को मिली हैं। आप कर्नाटक के संसद सदस्यों से पूछिए कि इस मामले में कर्नाटक के लोगों के क्या विचार हैं। 15 वर्ष बीत चुके हैं। किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

मैं माननीय मंत्री जी से इस परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। अन्यथा क्या आप ये परियोजना समाप्त कर रहे हैं ? मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

उस दिन प्रश्नकाल के दौरान माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वे चल रही परियोजनाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं।

मुझे उस सबमें कोई रुचि नहीं है। मैं केवल हां या ना में जानना चाहता हूं ताकि मैं कर्नाटक के लोगों को बता सकूं कि भारत सरकार का यह इरादा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय 4 करोड़ कन्नडियों को निराश नहीं करेंगे।

केवल एक बात और है। हाल ही में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि इस्पात की कीमतें बढ़ाई जायेंगी। अभी कल ही माननीय सदस्य श्री भट्टम यह बता रहे थे कि पिछले 3 वर्षों में इस्पात की कीमतों में 10 गुना वृद्धि की गई है। जब कभी वृद्धि की गई है, वह वृद्धि सीमांत नहीं थी। 40 से 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। लोगों को स्टील की बढ़ी हुई कीमतों के कारण पहले ही परेशानी उठानी पड़ती है। यह अत्यन्त आवश्यक वस्तु है जिसकी हमें हर काम के लिए आवश्यकता होती है। अत: कृपया अब कुछ समय के लिए इसकी कीमतों में वृद्धि न करें। अन्यथा सारा काम ठप्प हो जाएगा।

अंत में मैं लघु इस्पात संयंत्रों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत सरकार अब लघु इस्पात संयंत्रों के लिए लाइसेंस नहीं देगी। हमें स्टील की आवश्यकता है। हमारे पास पहले ही स्टील की कमी है। जापान जैसा एक छोटा देश जोकि लौह अयस्क लाइम स्टोन तथा स्टील बनाने के काम आने वाली सभी वस्तुओं का आयात करता है। 1000 लाख टन स्टील का उत्पादन करता है जबकि हम केवल 100 लाख टन स्टील का उत्पादन करते हैं। जई स्थित ऐसी

हो तो हमें स्टील की आवश्यकता होती है और जब तक हमारे पास स्टील न हो हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सकते। अतः लघु इस्पात संयंत्रों के लिए अधिक लाइसेंस दिए जायें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभारी हूं और मैंने उनके द्वारा कही गई बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम उनकी टिप्पणियों से लाभान्वित होने का पूरा प्रयास करेंगे।

उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब देना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। किंतु मैं उनमें से यथासम्भव अधिक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मेरी सहयोगी श्रीमती राम दुलारी सिन्हा के आने से मेरा काम काफी आसान हो गया है और उन्होंने खनन क्षेत्र के बहुत से मुद्दों का पहले ही निपटान कर लिया है।

कुछ माननीय सदस्य जैसे श्री पी० सी० सेठी ने अपने गहन अनुभव एवं जानकारी के आधार पर अपनी बात कही है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि वे कई वर्षों तक इस्पात मन्त्री रहे हैं इसलिए सदन में दिए गए उनके भाषण और सुझावों में अनुभव की छाप है। मैं उन सदस्यों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस्पात मन्त्रालय के लिए धन के आबंटन में वृद्धि करने को कहा है। यह तो असली मुद्दा है और इस चर्चा का एक लाभ यह है कि वे यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक मन्त्रालय को अपने श्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद अपनी सभी सीमाओं में रहकर एक पूर्ण तंत्र के बोच काम करना पड़ता है। मैं यह बात मानने के लिए उनका आभारी हूं कि एक अकेला मंत्रालय अपनी सीमाओं के भीतर रहकर क्या कर सकता है।

अनेक माननीय सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे हैं। मैं यहां पर उन सभी का जिक्र नहीं करूंगा। किंतु श्री जयपाल रेड्डी यहां पर बैठे हैं और श्री जायनल बशर तथा मेरे अन्य मित्र भी। उनमें से कई व्यक्तियों ने पत्र लिखे हैं। श्री सिदनाल ने अभी अभी कहा है। उनमें से कुछ ने सदन को यह याद दिलाया है कि 1969-70 में जब मैं इस मन्त्रालय में था तो हमने "दक्षिण" में तीन इस्पात संयंत्र लगाने का पहली बार निर्णय लिया था। इसलिए आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कर्नाटक एवं उड़ीसा के सदस्यों द्वारा इस मामले में व्यक्त की गई भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या आप इसे दोहरायेंगे क्योंकि बिजली फेल हो गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आपको ऊपर का प्रकाश कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं कह रहा था कि मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मैं बाद में उन सभी परियोजनाओं के बारे में कहूंगा जिनके सम्बन्ध में यहां प्रश्न उठाये गए हैं। किंतु मैंने यहां पर ऐसे ही इसका उल्लेख करना चाहा कि बात चाहे विजयनगर की हो, विशाखापटनम की, सेलम की, मैंने इन एककों में प्रारम्भ से दिलचस्पी ली है और इस मामले में आपके आने पर मुझे प्रसन्नता हुई है। सीमायें मैंने पहले ही बता दी हैं किंतु हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

इन वर्षों में भारत में इस्पात उद्योग किस प्रकार पनपा उसका भी उल्लेख किया गया है। किंतु मैं सभी सम्भावनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसमें बहुत समय लग जाएगा। किन्तु निश्चित रूप से ये इस्पात संयन्त्र जो कि पंडित जी के समय में शुरू हुए साहसपूर्ण कदम थे क्योंकि ये तीनों एक साथ सरकारी क्षेत्र में शुरू किये गए। आज हम पीछे मुड़कर देखें तो पायेंगे कि यदि ये तीनों इस्पात संयन्त्र न होते तो हमें सैकड़ों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी होती।

2.00म० प०

ये संयन्त्र उस समय की नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित किये गए थे। उदाहरण के लिए राऊरकेला इस्पात संयन्त्र में लगाए गए एल० डी० कनवरटर उस समय बिल्कुल नए थे। आज वे एक सामान्य वस्तु हैं किंतु उस समय वे इस्पात उद्योग में नये-नये थे।

अब हमें ऐसा लगता है कि हमारे संयन्त्र बहुत पुरानी तकनीक के हैं जिसका कुछ अंश अप्रचलित हो चुका है। इसलिए मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए इस सुझाव से सहमत हूं कि हमें इनमें नियमित रूप से पूंजी निवेश करते रहना चाहिए।

मुझे बताया गया है कि जापान के इस्पात संयन्त्र बिक्री का 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष अपने संयन्त्रों में ही लगाते हैं। मुझे निश्चित आंकड़े नहीं मालूम किन्तु असली बात यह है कि अधिकतम उत्पादन स्तर बनाये रखने के लिए संयन्त्रों का निरन्तर नवीकरण किया जाता है।

जब हम छठी योजना को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस योजना में इस्पात उद्योग को विकास की गति निश्चित रूप से धीमी रही है। जब हम उत्पादन के आंकड़े देखते हैं······

(बिजली चली गई)

क्या आप मुझे बिना माईक के सुन सकते हैं? दिक्कत यह है कि आप में से ज्यादातर इस तरफ होने चाहिए थें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्रीमान, अतिभार के कारण उनकी नैया डूब रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : छः समेकित इस्पात संयन्त्रों के बिक्री योग्य इस्पात का कुल उत्पादन 1980-81 में 63 लाख टन से बढ़कर 1984-85 में 70 लाख टन हो गया। छोटे इस्पात संयन्त्रों के सम्बन्ध में भी उत्पादन कम बढ़ा, 1980-81 में 16 लाख टन से 1984-85 में 19 लाख टन तक हो गया अर्थात पांच वर्षों के दौरान सिर्फ 3 लाख टन की वृद्धि हुई। यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयन्त्रों के तुलनात्मक आंकड़ों पर गौर करें तो वहां पांच वर्षों में 5 लाख टन की वृद्धि थी।

वित्तीय मामलों में भी स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं आंकड़ों में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं

पर 1984-85 में आकर ही सेल (भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड) भारी घाटे की स्थिति से सीमांत लाभ की स्थिति में आया। यहां पर तकनी की मुद्दे भी हैं।

2.05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

तकनी की दृष्टिकोण से चाहे वह झोंका– भट्ठी में हो अथवा ऊर्जा संरक्षण इत्यादि में हों—छठी योजना में कोई खास सुधार देखने में नहीं मिला और हमारे संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय दक्षता स्तर से काफ़ी नीचे कार्य कर रहे थे। हमारे इस्पात उद्योगों में उत्पादकता नीचे ही बनी रही जबकि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयन्त्रों में मानव शक्ति 1983-84 में 2.39 लाख से बढ़ कर 1984-85 में 2.49 लाख हो गई।

देश में इस्पात की स्थिति की बेहतरी के लिए 1985-86 में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। छः समेकित इस्पात संयन्त्रों में बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन जो 1984-85 में 70 लाख टन था, बढ़ कर 1985-86 में 78 लाख, टन होने की सम्भावना है। और 1986-87 में इसके 90 लाख टन तक जाने की संभावना है। आपने यह पिछले पांच वर्ष के उत्पादन को देखकर आप ऐसा कह रहे हैं।

श्री जगतरक्षकन ने कहा है कि पिछले दो वर्षों से लघु इस्पात संयन्त्रों को भारी मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस बात से परिचित हैं या नहीं की लघु इस्पात संयन्त्रों के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है अर्थात 1984-85 में यह 19 लाख टन था और 1985-86 में यह 24 लाख टन हो गया। पिछले पांच वर्षों के 3 लाख टन वृद्धि के मुकाबले में अब एक वर्ष में 5 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। यह कुछ हद तक देश के कई भागों में विद्युत की स्थिति सुधरने के कारण और कुछ हद तक स्क्रेप की अधिक मात्रा उपलब्ध होने और इस सक्रेय का अधिक आयात करने के कारण सम्भव हुआ है। इन कारणों की वजह से इस्पात का बाजार मूल्य भी गिर गया है। इस्पात की उपलब्धता में सुधार हुआ है और मई, 1985 से मार्च 1985 के बीच विभिन्न मदों के खुले बाजार में मूल्यों में 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति टन गिरावट आई है। मुझे यह जानकर हैरानी है कि वाद-विवाद के दौरान एक भी सदस्य ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है। इसकी उपलब्धता कितनी है, इसका पता हमें संकट की सूचनाएं कितनी बार आती हैं और हम उपभोक्ता परिषदों की बैठकें कितनी बार हुई हैं। इन बैठकों के बारे में मेरी अपनी राय यह है कि उपलब्धता कहीं बेहतर है।

एक माननीय सदस्य : आयात के कारण भी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हां, यह नीति का ही हिस्सा है। उत्पादन बढ़ गया है। आपात भी थोड़े से बढ़ गए हैं। मैं आपात सम्बन्धी आंकड़ों पर आऊंगा लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ अंश तक उपभोक्ता उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करने के योग्य होते हैं।

अलोह क्षेत्र में भी मेरे साथी यह जानकर खुश होंगे कि अलोह धातुओं की उपलब्धता की स्थिति

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

भी ठीक है और अलौह क्षेत्र में डाउन स्ट्रीम (अनुप्रवाह) उद्योगों को उन धातुओं का उपयोग करने में मदद मिली है जो उपलब्ध हैं तथा अपने उद्योगों का विकास करती हैं।

अब मैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इसके सुधार पर आता हूं। वर्ष 1985-86 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने कार्य निष्पादन में वास्तविक रूप से तथा वित्तीय रूप से उन्नति की है। बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 1984-85 से 52.80 लाख टन की तुलना में 1985-86 में 60 लाख टन होने की सम्भावना है। अर्थात 5 वर्ष में 5 लाख टन की तुलना में एक वर्ष में लगभग 7 लाख टन वृद्धि इस वर्ष में यह वृद्धि हुई है। यह एक भारी वृद्धि है। 1986-87 में इसे 72 लाख टन तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है जो इस वर्ष के 60 लाख टन के आधार पर 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी और मैं बिक्री योग्य इस्पात की बात कर रहा हूं, न कि धातुपिण्ड इस्पात की। कृपया इस पर ध्यान दें। अब क्षमता उपयोग पिछले वर्ष के 73 प्रतिशत से बढ़ाकर इस वर्ष 79 प्रतिशत किये जाने की सम्भावना है। मैं उस माननीय सदस्य को नहीं जानता जिसने कहा था "हां, अच्छा है, आपने क्षमता बढ़ायी है। लेकिन आपने पहले यह क्यों नहीं किया।" मैंने सोचा कि किये गए सुधारों के बारे में ईर्ष्यालु ढंग से सहमति दी गई है। इस प्रकार, निस्सन्देह यहां तकनीकी निष्पादन में भी सुधार हुआ है। मैं ऊर्जा उपभोग और झोंका भट्ठी उत्पादकता आदि के बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन निस्सन्देह उत्पादन के साथ-साथ तकनीक निष्पादन के इन सभी तत्वों में भी सुधार हुआ है मुझे पक्का विश्वास है कि सदन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इस वर्ष की वित्तीय स्थिति और लाभ के बारे में ध्यान देगा।

पिछले वर्ष, 4 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इस वर्ष फरवरी माह तक, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का लाभ 113 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था। माननीय सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि वर्ष 1985-86 के प्रथम अनुमान के अनुसार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के चार इस्पात संयन्त्रों का लाभ 150 करोड़ रुपये हो जाएगा। इसने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को ऋण और ब्याज की बकाया राशि चुकाने के योग्य बना दिया है।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि हम 4 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कीमतों में वृद्धि के कारण है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सिर्फ यही नहीं है। मैं आपको एक वक्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न का बाद में उत्तर देते हुए बताऊंगा। एक माननीय युवा साथी ने मुझे सलाह दी थी कि जो कुछ भी मैं कहूं सावधानीपूर्वक कहूं। उसने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड पिछले वर्ष से आदान लागत को खपाने में कितना सक्षम हो गया है।

श्री बिपिन पाल दास : आपने इसके लिए क्या किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह उत्पादन बढ़ने से हुआ है। मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आपको इन मजदूरों को धन्यवाद देना चाहिए, प्रबन्धकों को धन्यवाद देना चाहिए, और आपको उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। मैं सोचता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबन्धक गण, निगम कार्यालय, और सभी इकाइयों को इसके निष्पादन के लिए धन्यवाद चाहिए। श्रीमान, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अब सरकार और इस्पात विकास फंड की ऋण तथा ब्याज की सारी अदायगी कर दी है। यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड इसके पूंजी निवेश कार्यक्रम के लिए साधनों का सरकार की बजट सहायता लिए लिए बिना खुद निर्माण करने लगेगी।

श्रीमान, मेरा विचार है कि, एक माननीय सदस्य, श्री लक्ष्मण मलिक ने मिश्रधातु इस्पात संयंत्र में हड़ताल के बारे में चर्चा की थी। मैं सिवाय दो बातों के इस विशेष हड़ताल के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। एक बात यह है कि हड़ताल के बावजूद, मिश्रधातु इस्पात संयंत्र के लक्ष्यों की पूर्ति हो चुकी है और इस सफलता के लिए मैं विशेषतया मिश्रधातु संयंत्र के श्रमिकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस संयंत्र के कुछ समय तक बन्द रहने और धीमा चलने इत्यादि के बावजूद यह एक सफलता है और उन्होंने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रबन्ध किया है।

अब, जो दूसरी बात इस समय हमें देखनी पड़ेगी वह यह है कि मिश्रधातु इस्पात संयंत्र में नई नियुक्तियों की बजाय उन्हीं मजदूरों को पुनः काम पर लगाया जाता है। यह उपलब्धि करने तथा उसके बाद उत्पादन को कम न होने देने के लिए मैं कामगारों को धन्यवाद देना चाहूंगा। यह बहुत अच्छा अनुभव रहा है तथा उन्होंने इस हद तक प्रबन्धकों के साथ सहयोग दिया है।

महत्वपूर्ण बात यह है इस्पात क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को ध्यान मे रखते हुए इस्पात क्षेत्र के लिए नई नीति तैयार की जाये। कुछ सदस्यों ने विश्व में लगभग 70 करोड़ टन इस्पात उत्पादन का उल्लेख किया है। मुझे विश्वास है कि उन्हें विदित है कि यह उत्पादन पिछले 10 वर्षों से स्थिर रहा है, यह बढ़ा नहीं हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। वास्तव में हो क्या रहा है कि पश्चिम के औद्योगिक देशों में इस्पात उद्योग में एक तरह की स्थिरता रही है तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समायोजन होता है तथा कुछ विकासशील देशों में उत्पादन में वृद्धि हो रही है। चीन तथा कोरिया का उल्लेख किया गया है। इन दोनों क्षेत्रों में इस्पात उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसमें परिवर्तन हुआ है तथा माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि 1985 में उत्पादन 1984 की उपेक्षा 10% वृद्धि हुई है। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हल्के इस्पात को वरीयता दी जा रही है इस्पात उत्पादन के ढंग में परिवर्तन हुआ है। मात्रा अधिक न हो, परन्तु किस्म अच्छी है। उत्पादक गुणता में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है और इस बात पर हमें ध्यान देना है। नीति निर्धारण में इस पहलू पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 1985 में चीन में उत्पादन 1984 की अपेक्षा 1985 में 10% अधिक हुआ उसकी तुलना में भारत में वृद्धि 14% रही। 1985 में 1984 की तुलना में हमारा विकास खराब नहीं

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

रहा। परन्तु महत्वपूर्ण यह रही है जैसा कि अभी-अभी बताया कि हल्के तथा कोटिड इस्पात को वरीयता दी जा रही है, मात्रा बेशक अधिक न हो। परन्तु गुणवत्ता बेहतर है। उत्पादित माल की गुणवत्ता धीरे-धीरे सुधर रही है तथा हमें इस बात का ध्यान रखना है।

मैं उन मित्रों के विचार से सहमत हूं कि स्थिर उपभोग्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी तथा उसके साथ इस्पात उत्पादन की मांग बढ़ेगी परन्तु हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि किस तरह के इस्पात की मांग है। नीति निर्धारण में हमें इस तथ्य पर ध्यान देना है।

अन्य महत्वपूर्ण घटना यह हुआ है कि 7वें दशक में तेल के मूल्यों में दो मूल्य वृद्धियों से पश्चिम का इस्पात उद्योग स्थिर हो गया है तथा पश्चिम को उत्पादिका में समायोजन तथा सुधार लाया जाना है तथा उसके लागत मूल्य को कम करना आवश्यक है तथा अक्षम और पुराने इस्पात संयंत्र को बन्द करना है ताकि इस्पात उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा की जा सके। बढ़ हुए तेल के मूल्य की चुनौती को इन देशों ने इस प्रकार स्वीकार किया है।

हमें भी वैसी ही नीति अपनानी है। मांग में अन्तर हो सकता है, तेल के मूल्य बढ़ सकते हैं तथा कच्चे माल में तदानुकूल वृद्धि हो सकती है। इस परिस्थिति में या तो मूल्य बढ़ाते पड़ते हैं अथवा लागत मूल्य को कम करना आवश्यक है। परिस्थिति का सामना करने के ये दो ही तरीके हैं। यदि मूल्य कम करने हैं तो पूरे देश में एक मूल्य होना चाहिए। यदि हमें लागतें कम करनी हैं तो हम अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते हैं। अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। हमारा उद्योग रुग्ण उद्योग हो जाएगा। हमारा देश ऐसा नहीं कर सकता, हम सबकी यही राय है।

भारत में समस्या यह है कि हमारा उद्योग संरक्षित है तथा इसे प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। अतः हमें नीति निर्धारण के लिए इस सभा में एकमत स्थापित करना है ताकि हम प्रतिस्पर्धा कर सकें। जब तक हम इस बारे में एकमत नहीं बनाते हमारा इस्पात उद्योग मजबूत नहीं हो सकता। और कोई दबाव नहीं है। सभा में हम देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सरकारी क्षेत्र को मजबूत तथा सक्षम बनाने पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छी किस्म के माल का उत्पादन हो सके तथा बिना मूल्यों के अधिक बढ़ाये विश्व में प्रतिस्पर्धा कर सकें। फिर भी यह हमारा साझा उद्देश्य है। ऐसा हम अनुशासन से कर सकते हैं। वैसा अनुशासन हमें सुनिश्चित करना चाहिए। ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस समय इस बारे में सर्वसम्मति चाहिए।

आखिर, इस देश में उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा चुका है। हमारी नीति का उद्देश्य क्या है। सभा में बोलने वाले सभी व्यक्तियों ने कहा है कि इस्पात के मामले में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। हमारे पास कच्चा माल है, शिल्प विधि है कुशल जन शक्ति अतः कोई कारण नहीं है कि हम आत्मनिर्भर न हों। हमें आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए तथा उस उद्देश्य के लिए हमें एक कार्य की योजना बनानी चाहिए। इस समय हमारी कार्य योजना इस प्रकार है।

दूसरी बात यह है कि हम इस्पात का उपभोक्ता मूल्य, तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं ताकि दोनों को स्थिर आधार पर रखा जा सके। फिर हमें अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखना है माल की गुणवत्ता तथा उसके मूल्य के बारे में भी। और यही मुख्य उद्देश्य है जिन्हें इस्पात क्षेत्र प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

श्रीमान, मांग की राशि पर चर्चा की गई तथा श्री सेठी जी से जोकि इस समय विद्यमान नहीं हैं। ने पूछा था कि क्या 1989-90 में कमी 9 लाख टन की होगी अथवा कोई अन्य आंकड़े होंगे। सातवीं योजना के कार्यकारी दल के अनुसार कमी 9 लाख टन की होगी। कई सदस्यों ने 1999-2000 के लिए कमी को 53 लाख टन बताया। यह आंकलन दो वर्ष पूर्व हुए थे। सातवीं योजना तैयार होने के बाद मांग पर फिरसे विचार किया गया तथा औद्योगिक क्षेत्र में विशेषत: पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में ऐसा किया गया। इन सभी पर ध्यान देते हुए प्राथमिक अध्ययन से पता चलता है मांग और उपलब्धता में कमी ऊपर दर्शाये गये आंकड़ों से बहुत अधिक होगी, विशेष रूप से 8वीं और 9वीं योजना के दौरान सभी सदस्यों का यही कहना है। श्री पटेल तथा कुछ अन्य सदस्यों ने इसका उल्लेख किया। अध्ययन से भी यही पता लगता है।

आयात के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अर्थात हमारा आयात 15 लाख टन है तथा वह कम होगा। योजनाओं के आगे बढ़ने के साथ उसमें कमी होगी। कमी 1994-95 में 9 लाख से कम होकर 5 लाख रह जाता है फिर 53 लाख हो जाता है। बहुत से सदस्य यह सोचकर बोले जैसे 53 लाख टन की आयात होगी। ऐसी बात नहीं है। 53 लाख टन की कमी है जिसे हमें पूरा करना है। इसे इसी रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी योजना की दृष्टि से यह कमी है जिसे हमें उत्पादन बढ़ा कर पूरा करना है। यह यदि कमी बढ़ जाती है अथवा भावी अध्ययन 53 लाख टन से अधिक कमी का पता चलता है तब हमें इस बात पर ध्यान देना है उस कमी को पूरा करने के लिए हमारा उत्पादन बढ़े। इस मामले में मैं हार मानने वाला नहीं।

इस समय 53 लाख टन कमी उत्पादन बढ़ाने के हमारे प्रयासों की मांग करती है। हम किस प्रकार कमी को पूरा करते हैं तथा इस समय हमने उसके लिए क्या परियोजनाएं हाथ में ली हैं? पहली बात तो यह है कि पहले से स्थापित संयंत्रों से अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाये।

बहुत से मित्रों ने दुर्गापुर, रूरकेला तथा बर्नपुर के आधुनिकीकरण की बात की है। इन्हें कार्य शुरू करने के पांच वर्ष के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यह पहली बात है। (व्यवधान) आधुनिकीकरण तथा विस्तार। दुर्गापुर तथा बर्नपुर के आधुनिकीकरण के लिए धन आवंटित किया जा चुका है। (व्यवधान) श्री पाणिग्रही जी, वह कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ।

बर्नपुर के आधुनिकीकरण के बारे में तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि बोकारो तथा भिलाई की क्षमता को 40 लाख टन किया जा रहा है। एक माननीय सदस्य ने भिलाई का उल्लेख किया था। भिलाई तथा बोकारो, दोनों को 40 लाख टन की क्षमता तक बढ़ाया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार की क्या स्थिति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति ने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने परियोजनाओं की कार्यान्विति में देरी आदि का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं मानता हूं कि हमें इन त्रुटियों को कम करना है। उससे लागत बढ़ती है तथा परियोजनाएं महंगी पड़ती हैं। अतः परियोजनाओं की क्रियान्विति पर हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम यही कार्य कर रहे हैं। हमें सभी परियोजनाओं को समय पर सम्पादित करना है।

परन्तु आप स्वीकार करेंगे कि इस्पात संयंत्र बहुत बड़े उपक्रम हैं तथा उन्हें समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों की पूर्ति समय पर हो। यह आवश्यक है यदि कार्य निजी क्षेत्र का हो अथवा सरकारी क्षेत्र का ठेकेदार समय पर कार्य करे। अतः इसका अभिप्राय है कि कार्य में अनुशासन तथा कार्यकुशलता लाई जाये जैसी कि औद्योगिक समाज में होती है। औद्योगिक सोसाइटी का क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि हर कोई एक कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर तथा समय पर माल प्राप्त हो। परन्तु यदि थोड़ी भी ढील रह जाती है तो परियोजना पीछे रह जाती है। अतः इस तरह के अनुशासन का पूरा किया जाना आवश्यक है।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : संविदा अधिनियम में संशोधन करिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं चाहता हूं कि अधिनियम के संशोधन से समस्याओं का समाधान हो जाये। मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र वकील हैं अथवा नहीं मुझे सन्देह है कि वह वकील हैं। परन्तु इन समस्याओं को केवल कानूनों में संशोधन करके हल नहीं किया जा सकता। रवैये में परिवर्तन की आवश्यकता है तथा मुझे विश्वास है कि उनमें परिवर्तन हो रहा है।

रूरकेला तथा बोकारों के संयंत्रों के आगे विस्तार की चर्चा की गई है। जहां पर भी ऐसे अवसर हैं वहां पर हम संयंत्रों का और विकास करेंगे। परन्तु उस पर अतिरिक्त पूंजी नियोजन आवश्यक होगा, अतः हमें क्या आंशिक पूंजी नियोजन से उपलब्धि हो सकती है तथा हमें संसाधनों की स्थिति देखनी होगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : क्या आप रूरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार की समीक्षा करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आधुनिकीकरण नहीं। मैं आधुनिकीकरण तथा विस्तार में भेद कर रहा हूं। मैं आधुनिकीकरण की बात स्वीकार करता हूं। मैं उन संसाधनों को स्वीकार करता हूं जिसे योजना में स्वीकार किया गया है। मैं बड़ी खुशी से और भी स्वीकार करूंगा। इसके लिए व्यवस्था है। ऐसा किया जाएगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मान लीजिए धनराशि न हो।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसकी व्यवस्था की गई है। कठिनाई तो यह है कि प्रो० दण्डवते देर से

आते हैं। वह सब सुन नहीं पाए कि मैंने पहले क्या कहा। वह अपने आप निष्कर्ष निकाल कर तत्काल वक्तव्य देते हैं। यह हमारे लिए एक मुसीबत है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : तो मैं मुसीबत का पात्र हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : आधुनिकीकरण से केवल क्षमता का उपयोग बढ़ सकता है। विस्तार का क्या होगा? बहुत से विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार राउरकेला का विस्तार नहीं हो सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विस्तार नहीं हो सकता। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि हमें यह देखना होगा कि कितने निवेश की जरूरत है; क्या मामूली निवेश से पर्याप्त विस्तार हो सकता है और क्या योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय को इस योजना में इस अतिरिक्त व्यय को स्वीकार करने के लिए मनाया जा सकता है; यदि नहीं तो मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी और अगर उससे काम नहीं बना तो कोई कुछ नहीं कर सकता।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप हम मौजूदा संयंत्रों में विशाखापत्तनम संयंत्र में क्षमता को और बढ़ा सकते हैं और हम नए संयंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। विजाग संयंत्र के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हम निर्धारित अवधि अर्थात् 1990 तक इसे पूरा कर लेंगे, क्योंकि मेरे मित्रों ने उस मुद्दे का उल्लेख किया है। मैं दो-तीन माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए निर्माण कार्य के पूरा होने और वित्तीय आबंटन की तारीख में परस्पर सम्बन्ध से सम्बन्धित इस मुद्दे की चर्चा बाद में करूंगा।

अब लघु इस्पात क्षेत्र तथा सहायक क्षेत्र का भी उल्लेख किया गया था। अभी-अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। हम उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं और उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस साल वहां पिछले साल की अपेक्षा बेहतर काम हुआ है। हमें यह भी देखना है कि चाहे समेकित इस्पात संयंत्र हों, लघु इस्पात संयंत्र हो या रि-रोलिंग मिलें हों ये सभी संतुलित और एकीकृत ढंग से काम करें। मैं जानता हूं कि तैयार की गई इस रि-रोलिंग क्षमता में कुछ कठिनाइयां हैं, जो रि-रोल किए जाने वाले अन्तिम उत्पाद की मांग से अधिक है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन समस्याओं को हमें हल करते जाना है परन्तु हम यथा सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि इन तीनों क्षेत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए और उन्हें संतुलित ढंग से विकसित किया जाए। मेरे विचार से सदन मुझसे सहमत होगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और 12,00 करोड़ रुपए की एक विशेष धनराशि का उल्लेख किया गया था। मेरे विचार से श्री मलिक ने इसका उल्लेख किया था। मेरे विचार से आधुनिकीकरण परियोजना की अनुमानित लागत वास्तव में 1000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए प्रतिस्थापन और नवीकरण के लिए चाहिए। इस तरह केवल 1200 करोड़ रुपए की जरूरत है और यह 1200 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च नहीं किए जाएंगे। सम्भवतः इसी बात को लेकर उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ। मैं समझता हूं कि मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

राउरकेला के बारे में उड़ीसा के बहुत से मित्रों ने विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि उड़ीसा के बाहर के किसी मित्र ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन उड़ीसा से आए सभी मित्रों ने विचार व्यक्त किए हैं और यह अच्छी बात है कि आन्ध्र प्रदेश के बाहर के कुछ मित्रों ने विशाखापत्तनम के बारे में कहा है। इस योजना में आधुनिकीकरण योजना का आरम्भिक अध्ययन किया गया है और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने इस संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह कब तक हो जाएगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं··· (व्यवधान) हम दुर्गापुर और राउरकेला दोनों के आधुनिकीकरण के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है हम शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे। मैं कोई तारीख निर्धारित करना नहीं चाहता, क्योंकि इससे कुछ पक्षों के साथ चल रही हमारी समझौता वार्ता कमजोर पड़ सकती है। हम ऐसा क्यों करेंगे ? तारीख के सवाल को छोड़ दिया जाए। आप मुझ पर विश्वास करिए कि मैं इसे यथा सम्भव शीघ्र पूरा करूंगा।

उड़ीसा के सदस्यों ने लौह-अयस्क खानों और पारादीप बन्दरगाह के सम्बन्ध में समस्याग्रस्त क्षेत्र का उल्लेख किया है। इस समस्या को मैं समझता हूं। लेकिन भारतीय इस्पात प्राधिकरण के संयंत्रों का सम्बन्ध है, वे उन रक्षित खानों से यथासम्भव लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जिनमें उन्होंने पूंजी लगाई है। कुछ माननीय सदस्यों ने पारादीप बन्दरगाह के लिए दक्षिणी कोरिया की योजना का उल्लेख किया है। इसकी जांच की जा रही है। हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था और मैंने इसे स्पष्ट कर दिया था। मेरे विचार से इसके अलावा मैं और कुछ नहीं सकता। किन्तु समस्या वास्तव में है, क्योंकि स्वाभाविक है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के संयंत्र अपनी रक्षित खानों से स्वभावतः निकालते हैं और विकसित हो जाने पर वे अपनी रक्षित खानों से अधिकाधिक माल निकालते जाएंगे और इससे अन्य खानों को कोई अन्तर नहीं पड़ता है। पारादीप बन्दरगाह में बड़े पोतों के आने जाने की क्षमता से निर्यात में बाधा पड़ती है। मैं समस्या को समझता हूं। परन्तु मुझे भय है कि इसके लिए आपको दूसरे मन्त्रालय से भी अनुरोध करना पड़ेगा।

डा० कलानिधि और रंगाराजन जी ने 'इस्को' बर्नपुर के बारे में उल्लेख किया है। 'इस्को' संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि आबंटित नहीं की गई है। इसमें आधुनिकीकरण से अधिक कुछ करना है। संयंत्र का पुनःस्थापन करना है। इसके लिए हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय और तकनीकी सहायता कहां से मिल सकती है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जापानी इस्पात उद्योग के साथ कुछ विचार विमर्श किया है। एक जापानी जल बर्नपुर आया है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के बाद वे लौट गए हैं। धनराशि के बारे में निर्णय लेने के बाद ही हम निर्णय ले सकते हैं। हमने धनराशि के स्रोत का पता लगा लिया है। समय से पहले मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता।

लेकिन मैं उन मित्रों की दिलचस्पी के बारे में जानता हूं जिन्होंने इस पर विचार व्यक्त किए हैं। उनकी चिन्ता में मैं भी शामिल हूं, क्योंकि बुरी हालत में होने के कारण इस संयंत्र को शीघ्र पुनःस्थापित करने की जरूरत है और यह काम शीघ्र ही किया जाना चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही चाहते हैं कि मैं इस्पात संयंत्रों का दौरा करूं। मैं राउरकेला और अन्य इस्पात संयंत्रों का दौरा कर चुका हूं। मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी है कि इन संयंत्रों में औद्योगिक सम्बन्धों का वातावरण बहुत सकारात्मक और रचनात्मक है। मैंने आमतौर पर वहां देखा कि प्रबंधक वर्ग, मजदूर संघ और श्रमिक इस जरूरत के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि देश की आशाओं के अनुरूप उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी लाने के लिए काम करना चाहिए। मेरे विचार से आज सभी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे जैसे गरीब देश में जहां हजारों करोड़ रुपए की पूंजी इस्पात संयंत्रों में लगी हुई है, इस्पात क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों का उत्तर-दायित्व बनता है कि वे देश को इस पूंजी का पर्याप्त प्रतिफल दें। यह नुकसान नहीं सह सकता और यह लक्ष्य अधिक उत्पादन और अधिक उत्पादिता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और यह भी मजदूर संघों के पूर्ण सहयोग से सम्भव है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि अब यह सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के माध्यम से इन इस्पात संयंत्रों में वांछित काम का वातावरण उत्पन्न करना सम्भव है। मेरे दौरे के बाद भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अध्यक्ष ने विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के साथ दो बैठकें की थीं और उनसे विस्तार से विचार-विमर्श किया था। मेरे विचार से इसके परिणामस्वरूप रवैये में भी परिवर्तन होगा। इसलिए मूल सवाल यह है। यह आधुनिकीकरण के लिए पैसा लगाने मात्र का सवाल नहीं है। यह तो मशीन चलाने वाले आदमी के रवैये में परिवर्तन करने का सवाल है, क्योंकि वास्तव में वही महत्व रखता है। जब तक वह संयंत्र, मशीनरी और देश द्वारा लगाई गई पूंजी से अधिकतम प्राप्त कर लेने के लिए स्वयं को समर्पित करने का निर्णय नहीं ले लेता तब तक कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हमारा ध्यान उसकी तरफ है। मुझे बहुत खुशी है कि वहां मैंने अपने दौरे के दौरान अपनी आशा के अनुरूप वातावरण पाया। मैं इस सदन के सभी सदस्यों से, खासकर मजदूर संघों से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों से, अनुरोध करता हूं कि वे इस्पात संयंत्रों में इस उत्साह को बनाए रखें ताकि हम अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस मामले में हम सब एकमत हैं। कोई मतभेद नहीं है। इसलिए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें सहयोग करना होगा।

विजय नगर इस्पात संयंत्र और दैतारी इस्पात संयंत्र के बारे में सवाल उठाया गया था। इसी तरह सैन्दजीनीर मिल, सेलम का सवाल उठाया गया था। गाजीपुर में कोल्ड फार्म्ड सेक्शन प्रोजेक्ट का सवाल भी उठाया गया है। इन सभी परियोजनाओं का अपना इतिहास अपनी पृष्ठभूमि है। शीघ्र ही इन परियोजनाओं के पूरे होने के बारे में इन क्षेत्रों की जनता की आकांक्षाओं को मैं समझ सकता हूं। मैं उनके प्रतिनिधियों की भावनाओं को भी समझता हूं जिन्होंने इस बारे में कभी-कभी यहां कुछ कड़वी बातें कही हैं ; मैं इसको अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि धनराशि की कमी है तो मैं एक स्पष्ट तथ्य बता रहा हूं। इस मामले में मैं कोई बेईमानी या धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूं। यह तथ्यों का एक विवरण है। मामले का तथ्य यह है कि मन्त्रालय ने योजना आयोग के समक्ष सातवीं योजना में इन परियोजनाओं को अपने प्रस्तावों में प्रस्तुत किया था और

हमने सबके लिए धनराशि मांगी थी।

डा० ए० कलानिधि : जब वसंत साठे थे तो उन्होंने सेलम परियोजना के लिए अधिक धन-राशि आबंटित की थी पर अब केवल 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह विषमता क्यों है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वह यहां मौजूद हैं। चाहे वह हों या मैं हम सभी संयुक्त रूप से उत्तर-दायी हैं। पर सवाल यह है कि एक निश्चित धनराशि से आप भिलाई या बोकारो की कार्यक्षमता बढ़ा कर 40 लाख टन करने का कार्य शुरू करें। आप राउरकेला और दुर्गापुर का विस्तार करने का कार्य शुरू करें, आप 'इस्को' को पुनः स्थापित करने की कोशिश करें। आप विशाखापत्तनम पर कार्य शुरू करें। मेरे विचार से आप इस बात से सहमत होंगे कि पूंजी निवेश करना इस तरह बेहतर होगा कि जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है वे समय पर पूरी हो जाए तथा उनके लिए धनराशि या संशोधनों की कमी न हो। 10 परियोजनाओं को शुरू करके समय पर पूरा न करने से बेहतर यही होगा कि तीन परियोजनाओं को शरू करके समय पर पूरा किया जाए। मान लो देरी हो जाएं—और इस तरह की देरी अक्सर हो जाती है। हमें सिंचाई, बिजली आदि परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों में भी इसका अनुभव है। इसके कारण लागत में होने वाली वृद्धि और निर्माण कार्य को पूरा करने में होने वाले विलम्ब की जानकारी आप सबको होगी। तो कुछ कांट-छांट करनी ही होगी। ऐसा नहीं है कि मानों दैतारी को छोड़ दिया गया है या विजय नगर को छोड़ दिया गया है लेकिन आबंटित राशि इतनी कम हो कि उससे इतने बड़े संयन्त्र में कुछ नहीं किया जाये।

डा० ए० कलानिधि : क्या आप इसे निश्चित अवधि में पूरा कर सकते हैं ? क्या आप केवल 16 करोड़ रुपये निर्धारित करके इसे सातवीं योजना में पूरा कर सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह निर्धारित समय नहीं है। परन्तु विजाग के लिए निर्धारित समय 1990 है। मैं यह कहना चाहता हूं कि विजाग को 1990 तक पूरा करना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पैसा कहां है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आप ठीक कहते हैं ! यहाँ तक कि विजाग के लिए भी पैसे का सवाल आता है। पहले ही पैसे की कमी है। अतः यदि कुछ अधिक पैसा आता है तो प्रश्न यह है कि क्या इससे उस कमी को पूरा किया जाए अथवा तीन और इस्पात संयन्त्र शुरू किये जाएं ? आपको इस पहलू पर विचार करना पड़ेगा।

श्री शरत देव : आप वचन क्यों देते हैं ? आपके पास संसाधनों की कमी है। यदि यह सम्भव नहीं है तो वचन मत दीजिये। हमारा प्रश्न यह है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रत्येक व्यक्ति पैसे के हाथों लाचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसे प्रश्न मत पूछिए। उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दीजिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आप देयतारी विजयनगरम को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं हैं। क्या

आपने यह निर्णय कर लिया है कि कौन सी प्रौद्योगिकी अपनायी जाए ? इस उद्देश्य के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी अपनाई जानी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही बता चुके हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी । वे सब कुछ स्पष्ट कर चुके हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समय मुझे झांसा देने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता । मैंने वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी है । मेरा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में बात करने का क्या फायदा है ? ईमानदारी की बात यह है कि देयतारी और विजयनगरम दोनों के लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं जिनसे इन दोनों परियोजनाओं के विषय में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता । अतः अब यह स्थिति है । क्या भविष्य में संसाधन क्षेत्र में स्थिति सहज हो जाती है, यदि हम कुछ और जुटा सकते हैं, वह हमें देखना है । किन्तु आज यह स्थिति है । और मैं अकेला इसे नहीं बदल सकता । (व्यवधान)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : इस बात की क्या उम्मीद है कि भविष्य में आप इसे आरम्भ कर देंगे ? आपने विजयनगरम् को 15 साल के लिए स्थगित कर दिया है । उड़ीसा को आपने 8 साल के लिए स्थगित कर दिया है । फिर क्या उम्मीद है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृष्ण अय्यर महोदय, मन्त्री महोदय के भाषण में व्यवधान मत डालिए । उन्हें भाषण समाप्त करने दीजिये । अन्त में स्पष्टीकरण के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने आज इसका जिक्र इसलिए किया है ताकि उम्मीद बधी रहे। (व्यवधान) महोदय मैं अपने कथन पर दृढ़ हूं; मैं विचलित होने वाला नहीं हूं; निःसंदेह मैं जबाब दे रहा हूं । बीस वर्ष से भी अधिक समय से मैं इस संसद में रहा हूं, और कम से कम मैं अपने साथी सदस्यों के साथ शिष्ट व्यवहार तो कर सकता हूं । हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में चौबे जी ने कहा कर्मचारियों की संयुक्त कमेटी द्वारा कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं । हम उन प्रस्तावों की जांच कर रहे हैं । इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता । समस्यायें सभा की, जानी पहचानी हैं । श्रम की अधिकता है । घाटा होता ही रहा है । अतः हमें यह जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या किया जा सकता है । परन्तु कम्पनी के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं को नकारने में कोई तथ्य नहीं हैं । विजाग पर होने वाले अनुमानित खर्च के बारे में मैं पूरे अनुमानित खर्च का ब्यौरा नहीं देना चाहता । अलग-अलग परिस्थितियों में अनुमानित खर्च अलग-अलग होता है । परन्तु कुछ भ्रांति दिखाई पड़ती है । क्योंकि कई सदस्यों ने 7500 करोड़ रुपये का जिक्र किया है । संशोधित परियोजना के बारे में अब अनुमानित खर्च, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, 6000 करोड़ रुपये है । मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं ताकि इस सम्बन्ध में कोई भ्रम न रहे ।

भट्टम श्रीराम मूर्ति महोदय ने परियोजना के लिए हितकर तथा इसके आवश्यक अंग के रूप में यूनीवर्सल बीम का उल्लेख किया था । हम देश में यूनीवर्सल बीम नहीं बनाते हैं । इसकी मांग बहुत अधिक नहीं है । इसका उत्पादन किये जाने के बाद मांग ज्यादा हो सकती हैं । किन्तु आज भी इसका उत्पादन दूसरे ढंग से किया जाता है । जब आवश्यकता होती हैं इसकी गढ़ाई की जाती है । यह अच्छी

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

बात होती किन्तु संसाधनों की कमी के कारण और पूंजीगत लागत को नीचे लाने के लिए तथा पूंजीगत लागत को कम करने के लिए यह रास्ता चुना गया था। यही कारण है कि यूनीवर्सल बीम बनाने का विचार त्याग दिया गया था। मेरे विचार मेंइससे उस योजना की केन्द्रीय स्कीम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

पैसे की आवश्यकता सम्बन्धी प्रश्न पर आते हुए, यह वही प्रश्न है जो जयपाल रेड्डी महोदय द्वारा उठाया गया है— अपने हिसाब किताब में वे बहुत सही हैं। मेरा अभिप्राय हैं कि इसके लिए 7000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पहले ही 2000 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। अन्य 2500 करोड़ रु० इसके लिए उपलब्ध करा दिये गए हैं तथा बाकी बचा पैसा कहां से आयेगा। जैसे कि भट्टम श्रीराम मूर्ति महोदय ने स्वीकार किया है, प्रधान मन्त्री महोदय ने इस परियोजना के लिए अधिक पैसा दिलाने के लिए व्यक्तिगत रुचि ली हैं। पिछले वर्ष उन्होंने इसमें कुछ दिलचस्पी ली, इसे 800 करोड़ रुपये मिले। इस वर्ष उन्होंने रुचि ली और इसके लिए निर्धारण 200 करोड़ रुपये से 700 करोड़ रुपये बढ़ गया। दो वर्षों में इसे 1500 करोड़ रुपये मिले हैं। मेरे विचार में पिछले पांच वर्षों में छठी योजना के अन्त तक समस्त खर्च इसे 1500 करोड़ रुपये रु० मिला था। अतः आप बढ़े हुए खर्च एवं आबंटन की गति देख सकते हैं। आप और मुझे इकट्ठे और भट्टम श्रीराम मूर्ति महोदय को विशेष तौर पर यह देखना है कि हम निर्माण गति को बढ़ायें, कि वातावरण अच्छा रहे, कि परियोजना जो हम समय पर पूरा करे और यदि दिल्ली में हम इस प्रकार की राय पैदा करते हैं, तब और अधिक पैसा मांगने के लिए मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, यहां अन्तर है, आंकड़ों का अन्तर है। हमें आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अतः, यदि हम और 'राज्य सरकार' और विशेष तौर पर वे लोग स्थानीय लोगों पर बहुत प्रभाव रखते है, सभी मिल कर पूर्ण सहयोग दें तो मेरे विचार में एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता हैं। इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुये कम से कम कोई भी व्यक्ति वित्त मन्त्रालय और योजना आयोग के पास तो जा ही सकता है और कह सकता है कि देखिये यह एक परियोजना हैं जिसका निर्माण हम इतनी जल्दी कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, इमारत निर्माण की गति में व्यापक सुधार हुआ है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका पहला चरण 1988 तक पूरा कर दिया जाए और दूसरा चरण 1990 तक। परन्तु हम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि श्रमिक असन्तोष को कम से कम किया जाये, काम नहीं रुके, कोई बन्द न हो इत्यादि। और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और मेरे विचार में केवल यही एक रास्ता है जिसके जरिये इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए मैं और अधिक पैसा प्राप्त कर सकता हूं।

कुछ विद्युत परियोजनाओं का जिक्र किया गया था…

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : यदि इस कमी को सहयोग से दूर किया जा सकता है तो हम अवश्य सहयोग देंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आप सहयोग देते हैं केवल तब ही खजांची को राजी करने की

उम्मीद की जा सकती है।

श्री के० एस० राव : क्या सहयोग करने का तात्पर्य केवल श्री भट्टम से है अथवा राज्य सरकार से भी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने 'राज्य सरकार का उल्लेख किया है।

एक माननीय सदस्य : श्री के० एस० राव सहित।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कम से कम इस मामले में के० एस० राव महोदय को मत खींचिये। विद्युत संयन्त्र में आग लग गई थी और यह प्रश्न उठाया गया था कि इससे संयन्त्र को चालू करने में देर तो नहीं हो जाएगी। मुझे मिली सूचना के अनुसार बी० एच० ई० एल० ने विश्वास दिलाया है कि इससे संयन्त्र को चालू करने में देर नहीं होगी।

तब रोजगार सम्बन्धी प्रश्न उठाया गया है। यह मामला सभा में उठाया जा चुका है और मेरे विचार में इस प्रश्न पर मुझे आपका समय बरबाद करने की जरूरत नहीं है।

परन्तु एक ही बात जो मैं कहता हूं यह है कि यदि विजाग को एक सक्षम इकाई होना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी उत्पादकता अधिक हो। हम सभी यह जानते हैं कि विजाग में वस्तुत: पूंजीगत व्यय अधिक है। इसकी प्रतिपूर्ति का एक तरीका यह है कि उत्पादकता बढ़ाई जाए ताकि हम एक निश्चित मूल्य पर इस्पात का उत्पादन कर सकें और इस्पात की कीमत संसार के अन्य भागों में लगाये जा रहे दूसरे इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित इस्पात के मूल्य के तुलनात्मक हो और यही हमारा सबका उद्देश्य है और इसलिए हमें रोजगार के लिए कतिपय मानदण्ड निर्धारित करते वक्त भी इसे ध्यान में रखना होगा।

श्री भट्टम श्रीराममूर्ति ने पोहांग इस्पात संयंत्र का बहुत ही प्रशंसा के साथ जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वहां 90 लाख टन इस्पात का उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं कि 90 लाख टन इस्पात के उत्पादन में कुल कितना रोजगार उपलब्ध होना चाहिए? यह ठेकेदार के द्वारा काम पर लगाये गये लोगों सहित 20,000 लोगों का रोजगार है। 90 लाख टन इस्पात के उत्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा लगाये गये मजदूरों और संयंत्र के मजदूरों की कुल संख्या 20,000 है और यदि हम इसे उत्पादकता का स्तर मान लेते हैं, तो भी विजाग इस्पात संयंत्र में रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या 7000 आयेगी। परन्तु हम उस संख्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमारी संख्या 15000 के लगभग है। स्वयं संयंत्र में ही यह 13000 के बराबर है। यही आंकड़े आज वहां हैं। इसी संदर्भ में जब विस्थापित लोगों का जिक्र आता है जिनकी समस्याओं के प्रति हम सभी के प्रति सहानुभूति है, तो स्वभावत: इसमें भी उनके प्रशिक्षण, उनकी शिक्षा पर विचार करते हुए हमें यथा सम्भव प्रयास करना है। हमें इस स्थिति में प्रशिक्षण और प्रवेश दोनों के सम्बन्ध में इस प्रकार की छूट देनी चाहिए। परन्तु अन्तत: यह आशा की जाती है कि सभी प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों में से रोजगार पाने वालों की संख्या 5000 के स्तर तक पहुंच जायेगी। यही अनुमान मैं देना चाहता हूं।

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : क्या आप उन्हें प्रशिक्षण देने के बारे में सोच सकते हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जहां कहीं भी सम्भव होता है शर्तों में छूट दी जा रही है ताकि उन्हें प्रशिक्षण मिल सके।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनकी इसमें कोई रुचि नहीं मालूम हो रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री वी० एन० पाटिल ने मुद्रण में एक गलती का जिक्र किया है। मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। मुद्रण में एक गलती हुई है और उन्होंने जिस गम्भीरता से इस विषय को पढ़ा है उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में लाइसेंस शुदा छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या 196 के स्थान पर गलती से 1196 मुद्रित हुई है। मैं उनकी अध्ययनशीलता को दाद देता हूं।

अब, विद्युत-चाप-भट्टी छोटे इस्पात संयंत्र और इस उद्योग की उन्नति हेतु कुछ प्रोत्साहनों की आवश्यकता के बारे में कुछ जिक्र किया गया है। आज देश में स्पंज लोहे के उत्पादन के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और यह स्पंज लोहा किसी हद तक स्क्रेप लोहे का स्थान ले सकता है। अन्यथा, स्क्रेप लोहे का आयात करना पड़ेगा क्योंकि हम अपने छोटे इस्पात उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्क्रेप लोहा मुहैय्या नहीं कर सकते हैं। आज लाइसेंस रद्द किए जाने के उपरान्त, औद्योगिक लाइसेंस तथा आशय पत्रों द्वारा 12 लाख टन की क्षमता के मुकाबले मार्च, 1985 तक पंजीकरण द्वारा हम अब तक 60 लाख टन की क्षमता का स्तर प्राप्त कर चुके हैं। अब स्पंज आयरन लिमिटेड, जो सरकारी क्षेत्र का उद्यम है तथा जो 60,000 टन स्पंज लोहे का 30,000 टन की दो इकाइयों के जरिए उत्पादन कर रहा है, के बारे में आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यह मुनाफा कमा रहा है। मैं यहां केवल एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूं, वह यह है कि स्पंज लोह और विद्युत चाप भट्टी इस्पात निर्माण के एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है। अभी तक यह कांच भट्टी और कन्वरटर ही है। अब स्पंज लोहा और विद्युत चाप भट्टी भी हैं। इस प्रकार यह एक वैकल्पिक तरीका है। इस तरीके की महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसमें अपने गैर कुकिंग कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए आप देश के ऐसे क्षेत्रों जहां पर्याप्त मात्रा में लोह अयस्क उपलब्ध है परन्तु कुकिंग कोयले के भण्डारों से काफी दूर है, में भी निर्माण इकाइयां लगा सकते हैं। अतः इसमें छितराव तथा विकेन्द्रीकरण की संभावनाएं हैं और हमें यह जांच करनी है कि कैसे हम इसका उत्तम उपयोग कर सकते हैं। परन्तु इससे कतिपय सम्भावनाएं बढ़ती हैं जिन्हें मैं सोचता हूं कि मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

बहुत संक्षिप्त में, मैं उन बहुत छोटे इस्पात संयंत्रों का जिक्र करना चाहूंगा कि जिन्हें मन्त्रालय ने महत्व दिया है और जिसके परिणामस्वरूप हमने विद्युत चाप भट्टी और स्पंज लोह उद्योग के लिए विकास परिषद स्थापित की है। जिनमें रुचि रखने वाले लोग शामिल हैं। इसी प्रकार हमने एक

इस्पात सलाहकार परिषद भी बनाई है जो इस्पात और इस्पात उपभोक्ता परिषद से सम्बन्धित अर्थ-व्यवस्था के समस्त प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

इस समय तमिलनाडु के दो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि कोयम्बटूर फाऊन्डरी उद्योग को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वास्तव में फाऊन्डरी एसोसिएशन को प्रतिनिधित्व मिला है। आल इंडिया फाऊन्डरी एसोसिएशन ने उपभोक्ता परिषद में प्रतिनिधित्व किया है। हम हर एक राज्य को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। परन्तु यदि कोयम्बटूर फाऊन्डरी का कोई विशेष कठिनाई है तो अवश्य ही हम उन कठिनाइयों पर ध्यान देंगे।

महोदय, कीमत का प्रश्न श्री जयपाल रेड्डी, श्री कृष्ण अय्यर और डा० कलानिधि ने उठाया है। वर्ष 1985-86 में कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और मैंने सोचा था कि इसकी वजह से, कोई भी कीमतों का जिक्र नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैं पाता हूं कि हमारे कीमत बढ़ाने में असफल होने के बाद भी कीमतों की बात मेरे माननीय मित्रों के दिलो-दिमाग से दूर नहीं की जा सकी है।

3.00 म० प०

मैं अपने साथी को बता देना चाहता हूं कि फरवरी, 1985 में इस्पात की कीमतों में हुई वृद्धि से लेकर अब तक स्टील अथारटी आफ इंडिया लिमिटेड ने उपकरों, कोयला और बिजली पर लेवी तथा रेल भाड़े में वृद्धि के कारण आदानों की लागत में 170 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है।

एक सीधा प्रश्न मुझसे पूछा गया था, "क्या आपके पास इस्पात की कीमतों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?" फिलहाल कोई नहीं है। इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : 'फिलहाल' का मतलब कब तक से है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भविष्य के बारे में कौन जानता है ? मैं एक बार दत्ता सामन्त के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए बम्बई जा चुका हूं ! (व्यवधान) यही मैं कहता हूं, पहले भूतकाल से अब भविष्य में, और इस विषय में वर्तमान।

डा० वी० एस० अरूणाचलम की अध्यक्षता में हमने एक विज्ञान सलाहकार समिति गठित की है। श्री अरुणाचलम रक्षा मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। हाल ही में इस समिति ने दो-दिवसीय बैठक की है। मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि भारतीय इस्पात उद्योग की कच्चे माल इत्यादि की अनेक समस्याएं हैं जो विदेशी विशेषज्ञों द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती। इन समस्याओं को हमने अपने आप सुलझाना है और एक समस्या जो उठी है वह अधिक राख वाले कोयले की है। श्री दामोदर पांडेय और कुछ दूसरे साथी ऐसा सुझाव देते हुए लगते हैं कि हमें कोक कोयले का आयात नहीं करना चाहिए। यह है कि जहां आपूर्ति अपर्याप्त हैं, हम कोक कोयला आयात करते हैं। यह भी एक वास्तविकता है कि जब कोक कोयले का प्रयोग किया जाता है, तो झोंका-भट्ठी की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ जाता है लेकिन कोक कोयले का आयात करने का यही मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि आपूर्ति अपर्याप्त है और इसलिए हम घरेलू कोक कोयले की उपलब्धता को ध्यान में

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

रखते हुए इस विषय पर विचार करेंगे। मुझे आशा है कि सदन मेरे साथ सहमत होगा कि हमने कोक कोयले के आयात से झोंका-भट्ठी की उत्पादकता बढ़ने की सम्भावना का परीक्षण करना चाहिए, आयातित कोक कोयले की ऊंची कीमत को ध्यान में रखते हुए। इन सभी बातों का संतुलन बनाते हुए, मैं सोचता हूं कि हमने इस विषय पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन खनन विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम 1985 से 2000 तक 15 वर्ष के लिए एक भावी योजना चाहते हैं, और इसके लिए हमें खनन विभाग में एक ऐसी विचारशील इकाई की आवश्यकता है जो देश में उपलब्ध भण्डारों, उनकी समाप्त होने की गति, विश्व में उपलब्ध भण्डारों, कीमत स्तर, विश्व और देश की प्रवृत्तियों आदि को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बना सकें। इन सब बातों तथा तकनीकी सुधारों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने एक 15 वर्षीय योजना बनानी है।

श्री के० एस० राव : विचारशील इकाई में किन व्यक्तियों को लिया गया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम इसे स्थापित करेंगे और फिर आपको बता देंगे।

दूसरी बात जो सदन जानना चाहेगा वह यह है कि सस्ते विद्युत केन्द्रों की खोज में हमने जाम्बिया से बातचीत की थी। जाम्बिया के राष्ट्रपति ने प्रधान मन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि दक्षिण —दक्षिण सहयोग के उदाहरण के तौरपर भारत और जाम्बिया को एल्युमिनियम उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए। हमने इस योजना का स्वागत किया और जनवरी, 1966 में इस मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक दल जाम्बिया भेजा और उन्होंने इस भट्ठी को स्थापित करने के सम्भावित स्थानों का दौरा किया और अब तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करना पड़ेगा जिससे कि विशेष प्रस्ताव उभर सकें। लेकिन उनके दौरे की प्रारम्भिक प्रतिक्रिया यह है कि प्रत्यक्षत: यह एक ऐसा विचार है जिसका अनुसरण करने में फायदा है। आप सब देश मे बिजली की लागत और गुण को जानते हैं। अलौह क्षेत्र, उदाहरण के तौर पर, अल्युमिनियम क्षेत्र में विद्युत की भारी खपत है, और इसलिए विश्व के दूसरे भागों में भी सस्ती विद्युत की खोज करने की आवश्यकता है। अगर यह प्रस्ताव साकार हो जाता है तो उस अवस्था में मैं सदन को बता दूंगा।

जहां पर जम्मू-कश्मीर में खनिज अनुसंधान के बारे में उल्लेख किया गया है। मुझे लगता है श्री काबुलो चले गए हैं। वास्तव में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा जम्मू-कश्मीर का सर्वेक्षण किया गया है और पहले से ही कुछ खनिजों का विदोहन किया जा रहा है।

श्री मोदी ने राजस्थान में टंग्स्टेन निक्षेपों के विदोहन का जिक्र किया है। यह पहले से ही किया जा रहा है और राजस्थान खनिज अन्वेषण निगम ने इस क्षेत्र के निक्षेपों के मूल्यांकन का कार्य आरम्भ कर दिया है बकि राजस्थान टंग्स्टेन खनन निगम ने राजस्थान के नागौर जिले में निक्षेपों की खोज

और विदोहन का कार्य शुरू कर दिया है। इसी तरह राजस्थान में चूने के पत्थर के निक्षेपों का इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया है—"आप चूना पत्थर का आयात क्यों करते हैं? आप चूना-पत्थरों का प्रयोग क्यों नहीं करते?" निश्चित रूप से अच्छी किस्म का चूना-पत्थर पाया गया है और एल० डी० परिवर्तकों में अच्छी किस्म के चूना-पत्थर की आवश्यकता होती है। खोज का कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से नागौर और जैसलमेर जिलों को इन निक्षेपों के विस्तृत परीक्षण के लिए किया गया है।

डा० कलानिधि चाहते हैं कि केन्द्र द्वारा खान-मालिकों को राज्यों से बचाया जाये। इस वाद-विवाद का परिणाम कुछ भी हो लेकिन डा० कलानिधि ने केन्द्र द्वारा राज्यों को अनुशासित किये जाने की जरूरत महसूस की है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।

खेतड़ी तांबा परियोजना के बारे में कुछ अनियमितताओं का यहां विशेष उल्लेख हुआ। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कथित कदाचारों के 8 मामलों की छानबीन का जा रही है और मैं सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि प्रत्येक अपराधी अधिकारी को विधिवत् सजा दी जाएगी।

अन्त में, श्री सोडी ने बस्तर जिले में टिन निक्षेपों का जिक्र किया है। अब यह 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम द्वारा विदोहन के लिए आरक्षित कर दिया गया है। यह खनन निगम इसका खनन करेगा और उसने भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से रामपुर जिले में टिन प्रगलन प्रदर्शन संयंत्र भी स्थापित किया है। इस संयंत्र के लिए टिन अयस्क बस्तर से प्राप्त किया जाता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : रामपुरा-आगुचा परियोजना की क्या स्थिति है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्रीमती सिन्हा इस बारे में पहले ही बता चुकी हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : चन्देरिया में बहुत दूर स्थापित किया जा रहा है, जिससे एक्सपेंडीचर बहुत ज्यादा होगा और सरकार को नुकसान होगा। अगर कोई बनिया होता, तो वही लगाता, जैसा मैंने अभी कहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राजस्थान में बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं। आप चिन्ता न करें। उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता था क्योंकि इससे उनका

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

मामला कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी वे चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा जी इसे मजबूत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको री-कंसीडर करने के लिए निवेदन किया था।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : तथ्य यह है कि विदेशी सलाहकारों ने, जिन्होंने रामपुरा-अगूचा परियोजना की जांच की थी, दो स्थलों को देखा था और चन्देरिया को बेहतर स्थल पाया क्योंकि वहां पर सस्ता जल उपलब्ध है और उत्पादन लागत कम होगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास : रामपुरा-अगूचा सस्ता सस्ता पड़ेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पास आंकड़े और तथ्य मौजूद हैं। अतः कभी-कभी मैंने कतिपय प्रश्नों को सुना है, अगर मेरे कुछ मित्रों ने उन्हें पूछा है। तो मैं उनके मामले को सभा में कमजोर नहीं बनाना चाहता। परन्तु अगर फिर भी सीमा से परे मुझ पर दबाव डाला जाता है और बार-बार पूछने पर मुझे उत्तर देना पड़ता है तो मुझे बताना पड़ेगा। अतः ऐसे मित्रों से मेरा निवेदन है कि जब मैं उत्तर देना अच्छा नहीं समझता तो कृपया वे प्रश्न न पूछें।

मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनने तथा चर्चा के दौरान बहुत अच्छी विनोदपूर्ण नोकझोंक के लिए मैं सभा का धन्यवाद करता हूं। मैं एक बार फिर से सदस्यों को आश्वासन दूंगा कि उनके सभी सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा और जहां सम्भव होगा उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर दिये गये सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा, जब तक कि कोई माननीय सदस्य यह न चाहे कि उसका कोई कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाए···मैं अब कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 84 और 85 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1986-87 के लिए इस्पात और खान मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
84	इस्पात विभाग	4,72,50,000	1,24,80,50,000	23,62,50,000	6,25,02,50,000
85	खान विभाग	19,16,52,000	1,12,48,83,000	95,82,61,000	5,08,45,17,000

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87* [—जारी]

ऊर्जा मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 से 25 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है।

सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित किये जा चुके हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो, 15 मिनट के

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों की संख्याएं लिखी हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

इस प्रकार प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्याओं को दर्शाने वाली एक सूची तुरंत सूचना-पट पर लगा दी जायेगी। यदि किसी सदस्य को उस सूची में कोई गलती मिले तो उसे उसकी सूचना अविलम्ब सभा पटल पर कार्यरत अधिकारी को देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में, ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 23, 24 और 25 के सामने दिखाने गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत वर्ष 1986-1987 के लिये ऊर्जा मंत्रालय से

सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	13 मार्च, 1986, को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
(1)	(2)	(3)		(4)	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
23.	कोयला विभाग	24,76,37,000	2,36,63,84,000	1,23,81,87,000	10,33,24,18,000
24.	विद्युत विभाग	36,69,55,000	2,45,81,00,000	1,83,82,74,000	12,22,25,00,000
25.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग	15,95,89,000	58,33,000	79,79,46,000	3,91,67,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एच० ए० डोरा बोलेंगे।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय में तीन विभाग हैं अर्थात् कोयला विभाग, विद्युत विभाग और गैर-परम्परागत तरीकों द्वारा विद्युत उत्पादन विभाग।

3.12. म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

शुरू में ही मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपये की धनराशि का नियतन किया गया है। इसमें से 2091.95 करोड़ रुपये की राशि राज्य क्षेत्र में है और बाकी की 16.05 करोड़ रुपये की राशि संघ शासित क्षेत्रों के लिए है।

गैर-परम्परागत तरीकों से उत्पन्न होने वाली विद्युत कई गुना है और जो समय मुझे दिया गया है वह इसके सभी पहलुओं पर बोलने के लिए शायद पर्याप्त न हो। अतः, मैं अपने को ग्रामीण-विद्युतीकरण तक सीमित रखूंगा, जो इस देश में किया जा रहा है।

महोदय, आपको पता है कि इस देश में 6 लाख 30 हजार गांव हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार इस देश में 1300 शहर हैं। सभी शहरों का विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है। परन्तु महोदय, आपको यह भी मालूम है कि इस देश की ज्यादातर जनता गांवों में रहती है। 1981 की जनगणना के अनुसार इस देश की कुल जनसंख्या 68 करोड़ 30 लाख है जिसमें से 50 करोड़ एक लाख लोग, सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार गांवों में रह रहे हैं। आय का प्रमुख हिस्सा भी गांवों से ही प्राप्त होता है! महोदय, इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तव में कौन से लाभ दिए जा रहे हैं··· आपको विदित है कि ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन 6.30 लाख गांवों में से केवल 3,45,507 गांवों का 31-3-1984 तक विद्युतीकरण किया गया है। 1984-85 के दौरान जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है उनकी संख्या 21,916 है और उन पर 297.76 करोड़ रुपये की कुल राशि खर्च होगी। छठी योजना अवधि के दौरान 1,22,151 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया था परन्तु ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार केवल 1,19,541 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

जैसा कि मैंने पहले बताया कि 31-12-1985 तक लगभग 3,77,783 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था और अभी भी 1,78,343 गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना है। ये आंकड़े माननीय मन्त्री ने इस सभा में 3-3-1 86 को दिए थे। अभी भी जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है उनकी संख्या 1,78,343 है। यह आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि जिन गांवों का विद्युतीकरण पहले किया जा चुका है उनकी संख्या 3,45,517 है। कुल गांव जो इस देश में हैं उनकी संख्या 6.30 लाख है। अत: इस देश में 2.54 लाख से भी अधिक गांव हैं जिनका अभी विद्युतीकरण किया जानां बाकी है।

अतः, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि ?-3-1986 को दिए गये आंकड़े सही नहीं हैं।

[श्री एच० ए० डोरा]

ये आंकड़े सभा में एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दिये गये थे। अत: इसे ठीक करना होगा और सातवीं योजना में जो वर्तमान नियतन किया गया है उसे और अधिक बढ़ाना होगा।

इस योजना में जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है उनकी संख्या 1,17,509 है। अत: इसके बाद भी आठवीं योजना में लगभग 30,000 गांव विद्युतीकरण के लिए बच जायेंगे। ऐसी स्थिति में गांवों की पूर्णतया उपेक्षा हो रही है। उन्हें अब तक ऊर्जा के फायदे से वंचित रखा गया है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। उन्हें इन गांवों के लिए कम नियतन करके भी वंचित किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 1,18,101 गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। आपको यह भी मालूम है कि कुल 6.30 लाख गांवों में से 22,916 गांवों का विद्युतीकरण करना है और उस पर 297.6 करोड़ रुपये का परिव्यय आयेगा और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है। कारण नहीं बताये गये हैं। स्पष्ट रूप से चुप्पी साधी गयी है और ऊर्जा मन्त्रालय की ओर से यह एक गंभीर त्रुटि है कि लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं किया गया है। जो कुछ कहा गया है उसमें कारण नहीं बताये गये हैं। इन परिस्थितियों में ऊर्जा मन्त्रालय ने जो कम ध्यान दिया है उस पर विचार किया जाना है, नौवीं योजना में भी, इस देश के गांवों का विद्युतीकरण नहीं होगा। यही नहीं, अगर हम वर्तमान नियतन पर विचार करें तो भी हम नौवीं योजना में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। अत: मेरा कहना यह है कि गांवों की उपेक्षा की गयी है। हम गांवों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। आज इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। यह 1981 की जनगणना के अनुसार है। 1901 में, इस देश की कुल जनसंख्या का 90.1 प्रतिशत गांवों में रहता था और 1981 में, गांवों की जनसंख्या में 10 प्रतिशत की कमी आ गई और 80 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी गांवों में रहती है। परन्तु अभी भी जो नियतन किया गया है वह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जहां तक ऊर्जा का सवाल है उस मामले में मैं शहरी विकास और ग्रामीण विकास के बीच भेदभाव नहीं कर रहा हूं। परन्तु यह एक ऐसा घटक है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ध्यान में रखना होगा। अत: ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा इस देश के ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है। इस माननीय सभा के अधिकतर सदस्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में रुचि नहीं ले रहे हैं और ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सरकार की तरफ से कुछ 'अपराधिक उपेक्षा' हुई है। ऐसा कहने के लिए मुझे माफ किया जाये क्योंकि मैंने 'अपराधिक उपेक्षा' शब्दों का प्रयोग किया है। गांवों के विकास में जो उपेक्षा की गई है उसका स्वरूप वास्तव में अपराधिक है, परन्तु यह सिविल उपेक्षा या आकस्मिक उपेक्षा नहीं है। भारत सरकार द्वारा की गई यह एक क्रूर उपेक्षा है। सरकार के इस रुख को ठीक करना चाहिए। इन शब्दों के साथ महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : सभापति जी, किसी देश की प्रगति को नापने का एक ही

तरीका है कि वहां कितनी बिजली की प्रगति हुई और इसीलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इसको ओर बड़ा ध्यान दिया। जब हमने नियोजन की प्रक्रिया शुरू की तो सन् पचास में हमारे यहां कुल पन्द्रह सौ मैगावाट बिजली की स्थापित क्षमता थी और सन् 80 में लगभग 28 हजार मैगावाट थी। छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान हमने 14 हजार पांच सौ मैगावाट इसमें और जोड़ा है। लेकिन हमारा लक्ष्य था 19 हजार छह सौ मैगावाट। मैं यहां खास बात यह कहना चाहता हूं कि पैसे की कमी पड़ती है, और हमारे यहां जो प्रक्रिया है, जब हमारी योजना बनायी जाती है तो उस दौरान बढ़ने वाली कीमतों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, कोई प्रावधान नहीं किया जाता। हमारे प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को यह सोचना चाहिए कि इस दौरान कीमतों में जो वृद्धि हुई है, जितना कॉस्टएसकेलेशन हुआ है, उसका प्रावधान उसमें होना चाहिए।

सातवीं पंचवर्षीय योजना को शुरू हुए एक साल बीत चुका है और इस दौरान हमने 4200 मेगावाट की नई क्षमता पैदा की है जबकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमें 22,200 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें भी वही बात आयेगी और बढ़ती हुई कीमतों का हमें इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हमने उसके लिए उचित प्रावधान नहीं किया तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि वह 34 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान को फिर से निर्धारित करे और उसमें बढ़ती हुई कीमतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चाहे हम कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें या किसी अन्य विभाग की, कुछ भौतिक विभागों को छोड़ा जा सकता है, उन सब में जब तक हम विद्युत की आपूर्ति को ठीक नहीं बनायेंगे, हम उनकी व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते।

एक बात के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 में हमने जो 170 बिलियन यूनिट्स बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा था, तमाम कठिनाइयों के बावजूद, हमारे जलाशयों में पानी की मात्रा कम हो गई थी और कुछ इलाकों में पानी का अभाव था, फिर भी हमने उस लक्ष्य को पूरा कर लिया। यहां यह बात ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारा ताप विद्युत, जल विद्युत और एटामिक पावर स्टेशन्स से विद्युत का जितना उत्पादन करते हैं, उसके अनुपात में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जब हम संसार के अन्य प्रगतिशील देशों की ओर देखते हैं तो वहां अणुशक्ति का प्रयोग करके विद्युत उत्पन्न की जाती है और हमारे यहां जल-विद्युत पैदा करने की काफी क्षमता उपलब्ध है इसलिए हमें आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हुए, जल-विद्युत और अणुशक्ति से बिजली पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

इस बात के लिए भी सरकार बधाई की पात्र है कि कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव करके, उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके, रेलवे द्वारा ढुलाई का ठीक बंदोबस्त करके और मशीनों के नवीनीकरण और उनकी मरम्मत का ठीक इंतजाम करके जो कदम उठाये गए हैं उनकी वजह से प्लांट लोड फैक्टर 50 फीसदी से बढ़कर 52 फीसदी तक पहुंच गया है, यानी उसमें दो फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन इसमें अभी काफी गुंजाइश है और इसे हम आसानी से 58 फीसदी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि इसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है और इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। ये सारी चीजें जरूरी हैं। ईक्विप-मैंट्स बनाने वाली हमारी संस्था बी० एच० ई० एल० को आफ्टर सेल सर्विस का इंतजाम करना

[श्री ब्रह्मदत्त]

चाहिए, क्योंकि हमारे पास कई रेनोवेशन स्कीम आती हैं और जिस समय मैं उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग देख रहा था तो वहां 120 करोड़ रु० की एक रेनोवेशन स्कीम आई और मैंने बी०एच०ई०एल० के चेयरमैन से कहा कि आप हमसे बेशक पूरा 120 करोड़ रुपये का कान्ट्रैक्ट ले लीजिए लेकिन एक संगठनात्मक ढांचा, इंफ्रा-स्ट्रक्चरल आर्गेनाइजेशन खड़ा अवश्य कर दीजिए जो आफ्टर सेल सर्विस का काम करे। उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हमारे पास स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल हों लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव होना है। यह बात बहुत अच्छी है कि एक ही मन्त्रालय के अधीन कोयला और विद्युत दोनों विभाग हैं। कोयले का ज्यादा उत्पादन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि माइंस को बिजली कम मिलती है और बिजली इसलिए नहीं ज्यादा बनती क्योंकि कोयला अच्छा नहीं मिलता इसलिए कोयले की क्वालिटी इम्प्रूव होने से माइंस की क्षमता भी बढ़ जाएगी और उनकी एफीशियेंसी भी बढ़ जाएगी। इसके साथ हमें रेलवे की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि वह कोयले की ठीक मात्रा को तथा फरनेस ऑयल पहुंचाने की व्यवस्था कर सके। लेकिन खाली प्लांट लोड फैक्टर की बात करना भी काफी नहीं है। हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वितरण प्रणाली या पारप्रेषण प्रणाली को हमें सुधारना पड़ेगा। आज हमारे यहां ट्रांसमिशन लॉस करीब 21 फीसदी है जबकि वह 12 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम इसको सुधार सके तो हमारे आंतरिक साधन इतने बढ़ जाएंगे कि हमें बाहर से फिर साधन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठी पंचवर्षीय योजना में हमने देखा कि ट्रांसमिशन के ऊपर जितना खर्चा होना चाहिए था, मेरे अंदाज के अनुसार, उससे लगभग आधा ही खर्चा हो पाया है, जिसको बहुत जरूरी करना था। आपने जो राष्ट्रीय ग्रिड की कल्पना की है, आपका जो नेशनल ग्रिड का कंसैप्ट है, उसे आपको मजबूत करना पड़ेगा। कहीं बिजली ज्यादा है और कहीं बिजली की आवश्यकता है तो आप इसको कहीं भेज नहीं सकते जब तक कि आपकी यह राष्ट्रीय ग्रिड की कल्पना ज्यादा मजबूत न हो और इसके तहत ट्रांसमिशन लाइनें न हों। हमारे पड़ोस में डागा जी हैं, इनके क्षेत्र में अक्सर बिजली की कमी रहती है, अगर ट्रांसमिशन लाइनें हों, तो हम अपने यहां से बिजली इनके यहाँ भेज सकते हैं और जब हमें जरूरत हो, हम इनके यहाँ से मंगवा सकते हैं। इसलिए आप अपने इस नेशनल ग्रिड कंसैप्ट को मजबूत बनाइए।

हमारे राज्यों की जो विद्युत परिषदें हैं, उनके मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा वहां के जो कर्मचारी हैं, वहां के जो इंजीनियर्स हैं, उनमें स्टैगनेशन न हो, उनमें संतोष हो। इसके अलावा उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जो भी आदमी वहां नियुक्त किया जाए, उसको समयबद्ध तरीके से नियुक्त करना चाहिए। हर दो और डेढ़ साल में उसको बदल देना यह उचित नहीं है क्योंकि जब तक हमारे एस० ई० बीज० का मैनेजमेंट, प्रबंध ठीक नहीं होता तब तक हम आन्तरिक रिसोर्सेस जनरेट नहीं कर सकते।

मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में हमें, उत्तर प्रदेश में, यह कहा गया था कि हम एक हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त साधन जुटाएं, लेकिन हमने इससे ज्यादा चौदह सौ करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटाए, लेकिन हमने देखा कि उसमें से छः सौ करोड़ रुपए का इरोजन इस एस० ई० बी० के

कारण हो गया। इसलिए हमको इसके प्रबन्ध की ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी क्षमता को ठीक करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है।

यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का जिक्र हुआ। करीब-करीब 57 लाख पम्पसैट लगे हुए हैं जिनमें बहुत बिजली लग रही है। अगर इनको ज्यादा बिजली दी जाए, तो ये ज्यादा क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।

मान्यवर मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि इसका सीधा सम्बन्ध इस बात से नहीं है, अभी हाल ही में पता चला है कि हिमालय की फुट हिल्स भाग $\frac{1}{2}$ में पानी का बहुत बड़ा भण्डार है जो चौबीस-पच्चीस सौ फीट गहरा है। वह जम्मू कश्मीर से लेकर नार्थर्न रीजन, आसाम, सिक्किम और आगे तक चला जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बहुत ज्यादा है। अगर हम पच्चीस सौ फीट तक बोरिंग कर लें, तो आर्टीजन वैल्स बन सकते हैं और उनमें बिजली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बल्कि उसमें एक और बात हो सकती है आर्टिजन वैल्स लगाकर, हमारे पास वहां इतना ग्रेडिएंट है, इतना ढाल है कि हम वहां पर मिनी और माइक्रो हाइडल बना सकते हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि जिन हिमालय के ऊंचे इलाकों में माइक्रो हाइडल और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, वे हमें लगाने चाहिए और उनके ऊपर हमें जरूर ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहां पर ट्रांसमिशन लाइन ले नहीं सकते हैं।

अभी तक हमारे यहां करीब 70 प्रतिशत गांवों अर्थात् तीन लाख सत्तर हजार गांवों को बिजली दी गई है और बाकी गांवों को पूरी तरह से बिजली देने का हमारा प्रोग्राम पांच वर्ष का है जिसके अन्दर सम्पूर्ण ग्रामों को बिजली दे दी जाएगी, लेकिन मेरा एक नम्र निवेदन है कि यह एक बहुत बड़ा मजाक है कि सी०ई० ए० कहता है कि गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया, लेकिन वास्तव में वह गांव इलेक्ट्रिफाई नहीं हुआ है। सी० ई० ए० की डेफीनेशन में तो वह गांव इलेक्ट्रिफाई हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। वे तो किसी रेवेन्यू विलेज मेंमात्र खम्बा लगने या ट्रांसमिशन लाइन चले जाने को ही विलेज का इलेक्ट्रिफिकेशन मान लेते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उस गांव के मोहल्लों और खासकर हरिजन और आदिवासियों और गरीबों के मोहल्लों में जब तक बिजली न चली जाए, तब तक उस गांव को इलेक्ट्रिफाइड विलेज नहीं माना जाना चाहिए। मैं तो यह भी चाहता हूं कि उस गांव में हर पोल पर लाइट का बल्ब जलना चाहिए और उसका खर्चा राज्य विद्युत परिषद् न भुगते बल्कि उसकी बिजली का खर्च गवर्नमेंट को वहन करना चाहिए।

यहां पर यह बातचीत भी आई है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में, खासतौर से खेती के मामले में, विद्युत के सम्बन्ध में काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए उसका भार भी प्रदेश सरकार को उठाना चाहिए। मेरी भी इसमें सहमति है।

मान्यवर, मैं यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं क्योंकि यह बात मेरे अपने क्षेत्र से भी सम्बन्धित है इसलिए मैं कह रहा हूं, 1960 में, हमारे यहां हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन का जो रेश्यो था वह 67 परसेण्ट था और उसके बाद में वह रेश्यो घटता चला गया और अब हम लगभग 64 प्रतिशत थर्मल पावर पर पहुंच गये हैं और तैंतीस-चौंतीस प्रतिशत हाइडल पर रह

[श्री ब्रह्मदत्त]

गए हैं। इसको भी बदलना पड़ेगा क्योंकि हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रदूषण रहित है और इसकी कीमत भी कम आती है, हालांकि इस प्रोजैक्ट में एक दफा लागत तो ज्यादा आती है, लेकिन उस लागत को भी घटाया जा सकता है। इसके बारे में आम तौर पर एक ऐतराज यह किया जाता है कि इस में समय ज्यादा लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास डैम बनाने के इक्विपमेंट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन टनल बनाने के इक्विपमेंट उतने अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें टनल बनाने के इक्विपमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बात अपने चुनाव-क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। वहां के लिए एक बड़ी भारी यमुना स्कीम बनी लेकिन उसकी स्वीकृति बड़ी देर में मिली। मैं टिहरी डैम की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। टिहरी डैम बन रहा है और यह एक बहुत बड़ी योजना है। इससे हमें करीब एक हजार मैगावाट बिजली प्रथम चरण में और इतनी ही दूसरे चरण में मिलेगी जिससे करीब दो लाख सत्तर हजार हैक्टेयर जमीन हमारे यू० पी० के सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बिजनौर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद की सिंचित होगी और इसकी स्वीकृति 1972 में हो गई थी। लेकिन पर्यावरण विभाग से इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। स्वीकृति न मिलने का कारण यह रहा कि जो कमेटी आपने बनायी उसके जो चेयरमैन थे वह अपनी राय नहीं बना सके। करीब 50 हजार आदमी इसमें विस्थापित हो रहे हैं। आपने वादा किया था 35 करोड़ रुपये देने का इस साल और 15 करोड़ रुपया हमें देना था। वह 15 करोड़ हमने दे दिया। 35 करोड़ रुपया आपको देना चाहिए ताकि विस्थापितों को लगाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : आर्थिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मूलभूत आवश्यकताएं हैं—ऊर्जा और परिवहन और इन दो में से परिवहन का कुछ विकास हुआ है। परिवहन भी ऊर्जा की सप्लाई पर निर्भर है। अत: मैं ऊर्जा को हमारे आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण मूलभूत अंग समझता हूं। अत: ऊर्जा के विकास पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। समय के अभाव के कारण मैं इसके बारे में विस्तार में नहीं बताने जा रहा हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि ऊर्जा का विकास कैसे किया जाए और उसे प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं।

इस देश में ऊर्जा के कई स्रोत उपलब्ध हैं। प्रश्न केवल यह है कि इन स्रोतों का विकास कैसे किया जाए, इसके विकास में क्या व्यावहारिक समस्याएं हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और किस उद्देश्य के लिए किस तरह की ऊर्जा को उपयोग में लाया जाए। मन्त्रालय को इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा तथा इनकी जांच करनी होगी। भंडारों के खनन के बारे में हमें सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, यह समाप्त हो जाने वाली संपदा है।

हमारे यहां कोयले का बहुत बड़ा भंडार है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है और हम आज अधिकांशत कोयले पर ही निर्भर हैं क्योंकि हमारे अधिकांश तापीय संयंत्र इसी पर चल रहे हैं लेकिन

कोयला एक खत्म हो जाने वाली सम्पदा है और इसलिए हमें इस भण्डार के खनन के बारे में बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए।

निश्चय ही विद्युत संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई की भी समस्या है। यह भी एक समस्या है। उससे भी एक बाधा उत्पन्न होती है और मन्त्रालय को यह भली-भांति पता है इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं।

मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है। लेकिन समय के अभाव के कारण मैं विस्तार में इसकी चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैंने पृष्ठ 3 पर एक रूपरेखा देखी है। उन्होंने केवल तापीय विद्युत उत्पादन या क्षमता तथा जलीय और परमाणु ऊर्जा के बारे में रूपरेखा दी है। अन्यों के बारे में क्या हुआ ? मैं नहीं जानता मैं उस बारे में बताऊंगा। इनमें से जहां तक ऊर्जा के विकास अर्थात विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, मैंने देखा कि परमाणु ऊर्जा के मामले में यह बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। इसमें बहुत कम सुधार हुआ है। लेकिन मुझे सबसे अधिक हैरानी जल विद्युत के बारे में हुई। 1985-86 में जल विद्युत उत्पादन 1978-79 में हुए उत्पादन के बराबर ही है और यह जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई।

निश्चय ही ताप विद्युत के सम्बन्ध में 1978-79 तक हमने बड़ी तेजी से प्रगति की है लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई। उत्पादन क्षमता के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। मैं उस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता।

अब मैं 1985-86 के दौरान चालू की जाने वाली इकाइयों के बारे में बताऊंगा। मैंने उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के सभी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। अब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जहां का मैं रहने वाला हूं। अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में पूर्वोत्तर प्रदेश की कुल स्थापित क्षमता 72.5 मेगावाट है। कुल 4,349 मेगावाट क्षमता में से पूर्वोत्तर प्रदेश में कुल स्थापित क्षमता 72.5 मेगावाट ही है। इस बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक ऊर्जा उत्पादन का सम्बन्ध है, सरकार ने इस प्रदेश की कितनी उपेक्षा की, यह रिपोर्ट से साफ पता चलता है।

अब मैं रिपोर्ट के अन्य भाग के बारे में बताऊंगा। मेरे मित्र ने ग्रामीण विद्युतीकरण का जिक्र किया है। मुझे ग्रामीण विद्युतीकरण का कुछ व्यावहारिक अनुभव है क्योंकि मैं अपने राज्य में चार वर्षों तक 20-सूत्री कार्यक्रम का प्रभारी रहा हूं और ग्रामीण विद्युतीकरण 20-सूत्री कार्यक्रम की ही एक मद है। विभाग द्वारा किया जाने वाला अधिकांश कार्य महज एक धोखा है। वे गांव में एक खम्भा लगा देते हैं और सरकार को यह रिपोर्ट देते हैं कि गांव में बिजली दे दी गई है। यह मानदंड बनाया गया है कि उन्हें 1.5 किलोमीटर क्षेत्र लेना चाहिए। लेकिन वह अपर्याप्त है। मैंने 3 किलो मीटर का सुझाव दिया था। ठीक है 1.5 किलोमीटर अपर्याप्त है लेकिन उसे भी पूरा नहीं किया गया है। अतः मुझे इस रिपोर्ट में बताई गई रूपरेखा पर विश्वास नहीं है कि इतने गांवों में विद्युतीकरण किया गया है। जो भी है, मैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों को बधाई देता हूं जिन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण में भारी सफलता मिली है, अन्य राज्यों ने अधिक प्रगति नहीं की है। आपके विभागीय अधिकारियों ने जो जानकारी दी है कि धोखेबाजी हो रही है, उसके लिए साठे जी से मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने आप पर आरोप नहीं लगाया है किंतु आपको निश्चित रूप

[श्री बिपिन पाल दास]

से इसकी जांच करनी चाहिए।

जहां तक पम्प सैटों का सम्बन्ध है, इसके बारे में जितना कम कहा जाए अच्छा है। आप मान-चित्र देखिए। यहां भी एक रूपरेखा बनाई गई है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में पम्प सैटों को बिजली देने के लिए कुछ नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में इस सम्बन्ध में काम किया गया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, उन्होंने जल, ताप और परमाणु कार्यक्रम का जिक्र किया है। अन्य कार्यक्रमों का क्या होगा? क्या उन्होंने ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर विचार नहीं किया है? मैं उस बारे में बाद में कहूंगा। उन्होंने भू-तापीय ऊर्जा, ज्वारीय विद्युत आदि का जिक्र किया है। मैं उस बारे में बाद में कहूंगा। किंतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बारे में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। रिपोर्ट देखने से मुझे ऐसा पता चला है।

भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि यहां तेल और गैस काफी मात्रा में है किंतु उनके भण्डार सीमित हैं। 1977-78 में 3030 लाख टन तेल का भण्डार तथा 230 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भण्डार प्राप्त किया जाना था। किंतु 1977-78 में 100.19 लाख टन तेल और 2726 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन किया जा सका। मुझे नवीनतम आंकड़ों की जानकारी नहीं है। कम से कम इस रिपोर्ट में मुझे नवीनतम आंकड़े नजर नहीं आए हैं। मैं नहीं जानता कि विद्युत, मेरा अभिप्राय तेल और प्राकृतिक गैस से है, के उत्पादन के लिए ऊर्जा के इस विशेष स्रोत को उपयोग में क्यों नहीं लाया गया है।

मैं ऐसे राज्य से हूं जहां तेल का उत्पादन है, वह समूचे देश और सम्भवतः विश्व का सबसे पहला तेल शोधन कारखाना है। यह कारखाना बहुत पुराना अर्थात एक शताब्दी पूर्व का है। काफी वर्षों के बाद तेल क्षेत्र का पता लग पाया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग काफी समय से चुप बैठा था।

मैं दूसरे सदन में था। इस बारे में हमने उन्हें जानकारी दी जिसके बाद वे सक्रिय हुए। और उसके बाद ही गैस और तेल मिला। असम के तेल क्षेत्रों में रोजाना लाखों घन मीटर गैस जल रही है। मैं आपको निमन्त्रित करता हूं कि आप आइए और खुद अपनी आंखों से देखिए। इस गैस का उपयोग बिजली और ऊर्जा के उत्पादन के लिए करने हेतु कुछ नहीं किया गया है।

1960 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पन बिजली उत्पादन की क्षमता 40,000 लाख मेगावाट थी पर इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। यह सर्वेक्षण केवल उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं है। क्या मैं मन्त्री जी को और सरकार को बता सकता हूं कि विशेषज्ञों की राय के अनुसार केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही 20,000 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है? मैं विशेषज्ञों की राय बता रहा हूं अपनी नहीं।

ऊर्जा के इस स्रोत का इस्तेमाल करने और वहां पन बिजली का विकास करने के लिए कुछ नहीं किया गया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने शीघ्र ही एक मूल्यांकन किया था। उनका कहना था कि संयंत्र की 60% उत्पादन क्षमता का उपयोग करके 76200 मेगावाट पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। किंतु 7613 मेगावाट साधन क्षमता का विकास किया गया और 5190 मेगावाट का विकास किया जाना है।

मुझे परमाणु ऊर्जा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका काफी विकास नहीं किया है।

सौर ऊर्जा भी है। लेकिन सरकार ने इसके उत्पादन को कोई महत्व नहीं दिया है। हमने सौर पम्प सैट और सौर 'बास्केट' के बारे में कुछ सुना था। पश्चिम में सौर 'बास्केट' में चावल 10 मिनट और चिकन 20 मिनट में तैयार हो जाता है और इस 'बास्केट' की कीमत केवल 45 रुपए है। क्या आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : कांग्रेस दल के लगभग 34 व्यक्ति बोलना चाहते हैं और आपके दल ने निर्देश दिए हुए हैं कि किसी को भी पांच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी जाए।

श्री बिपिन पाल दास : अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : आप एक-दो मिनट और बोलकर अपना भाषण समाप्त कर दीजिए।

श्री बिपिन पाल दास : अमरीका में फोटो-वोल्टीय सेलों के माध्यम से ऊर्जा को परिवर्तित करने के सिद्धांत द्वारा सौर पम्प सैटों के कुछ नमूने तैयार किए गए हैं। इनका इस्तेमाल लिफ्ट सिंचाई के लिए किया जा सकता है। इससे 250 वाट तक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। रिपोर्ट यह है। लेकिन आपके मन्त्रालय के अनुसंधान और विकास अनुभाग या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है।

सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सौर वाटर हीटर के लिए भी किया जा सकता है। पश्चिम में यह लोकप्रिय है। प्रति 10 किलोवाट सिस्टम से एक पूरे गांव में बिजली की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। हमारे यहां सूरज की रोशनी बहुतायत में है पर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं।

जहां तक बायो गैस का सम्बन्ध है, कम से कम मेरे राज्य में गोबर गैस बहुत लोकप्रिय हो रही है। लेकिन प्रगति की गति बहुत धीमी है। हम बायो गैस का इस्तेमाल ग्रामीण जनता के सभी कार्यों के लिए, इसमें विद्युतीकरण भी शामिल है, कर सकते हैं। मैंने देखा है कि गोबर गैस संयंत्रों से छोटे चाय बागानों में बिजली की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में इस मद पर कोई

[श्री बिपिन पाल दास]

ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए मुझे खेद है। इस बारे में मुझे अपने मित्र श्री साठे से शिकायत है।

गरम पानी के झरनों से भू-तापीय ऊर्जा तैयार की जा सकती है। लेकिन इस देश में कुछ नहीं किया गया है। हमारे देश में गरम पानी के झरने हैं।

ज्वार भाटा विद्युत के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है। कृपया समाप्त करिए।

श्री बिपिन पाल दास : अभी समाप्त करता हूं। उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा।

मेरी जानकारी के अनुसार कच्छ और कैम्बे की खाड़ियों तथा सुन्दरवन में ज्वार भाटा विद्युत के सम्भावित विकास के बारे में कुछ खोज की गई हैं। लेकिन आगे इसकी खोज नहीं की गई।

पवन-बिजली के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

समुद्र तापीय ऊर्जा परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

महासागर तापीय ऊर्जा परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : दास जी कृपया समाप्त करिए।

श्री बिपिन पाल दास : अब मैं समाप्त करूंगा। मुझे बहुत कुछ कहना था पर आप अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो नीति वक्तव्य दिया है उसके बारे में कुछ सुझाव देकर मैं समाप्त करता हूं। देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने के लिए अर्थात् 21वीं शताब्दी में देश की जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मैं ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित ठोस सुझाव दे रहा हूं :—

2000 ई० तक सारे देश की ऊर्जा की कुल जरूरत का सही और उपयुक्त ढंग से मूल्यांकन किया जाए।

देश में विकास के लिए ऊर्जा के विभिन्न मोजूदा तथा सम्भावित संसाधनों का सही मूल्यांकन किया जाए।

ऐसी प्रत्येक साधन क्षमता का सही मूल्यांकन किया जाए।

इन संसाधनों के भौगोलिक वितरण का मूल्यांकन किया जाए।

ऊर्जा के ऐसे प्रत्येक साधन के विकास की प्रौद्योगिकी सम्भाव्यता का पता लगाया जाए।

ऐसे हरेक मामले की उत्पादन लागत का पता लगाया जाए।

इसका सही मूल्यांकन किया जाए कि किस ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा सकता है, ताकि ऊर्जा व्यर्थ न जाए और तदनुसार आबंटन किया जा सके।

लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। 15 वर्षीय योजना के लिए वार्षिक, पंचवर्षीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए।

परिवहन व्यवस्था खासकर कोयले की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह से ठीक किया जाए।

ट्रांसमिशन लाइनें टिकाऊ होनी चाहिये।

अनुसंधान और विकास कार्यों में तेजी लाई जाये।

एक राष्ट्रीय पावर ग्रिड बनाई जानी चाहिये।

कुछ शब्द विद्युत बोर्डों के बारे में भी हैं। आपने मुझे समय नहीं दिया अन्यथा मैंने रिपोर्टों में से उद्धृत किया होता। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार विद्युत बोर्डों में व्यावसायिक व्यक्तियों की, विद्युत इन्जीनियरों की नियुक्ति की जानी चाहिए और उसकी प्रबन्ध व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा की जानी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं किया गया है। वहां पूरी तरह राजनीति छाई हुई है। बिजली चले जाने के बहुत से कारण होते हैं। देश के विभिन्न भागों में बिजली चले जाने का एक कारण इन विद्युत बोर्डों की प्रबन्ध व्यवस्था 1948 से अब तक विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार व्यावसायिक व्यक्तियों, बिजली इन्जीनियरों द्वारा नहीं की जानी है। आशा है, मेरे मित्र वसंत साठे जी इस सुझाव की ओर ध्यान देंगे और इस सम्बन्ध में यथासम्भव कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद!

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : माननीय सदस्यों से मेरा एक विनम्र अनुरोध है। ऊर्जा मन्त्रालय के अन्तर्गत तीन विभाग हैं और सदन में तीन प्रतिवेदन रखे गये हैं। एक ऊर्जा के गैर-पारम्परिक साधनों पर, दूसरा बिजली तथा तीसरा कोयले पर और ये सभी दे दिये गये हैं।

श्री बिपिन पाल दास : मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हमारे पास यही एकमात्र रिपोर्ट है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, हमारे पास रिपोर्ट हैं।

श्री वसंत साठे : यदि मेरे अच्छे मित्र श्री बिपिन पाल दास ने इन रिपोर्टों को देखा होता तो उन्हें ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों के बारे में और काफी जानकारी मिल जाती।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

उन लोगों को, जिनकी भूमि कोयला खनन हेतु अधिगृहीत कर ली गई है, पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता। (1)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।

कोयला खानों में चोरी और उठाईगीरी को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता। (2)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक अनुदान देने की आवश्यकता ताकि वे अपने कार्यकरण में सुधार कर सकें। (3)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

गैर-परम्परागत विद्युत स्रोतों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (4)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

रामागुन्डम ताप विद्युत संयंत्र से कर्नाटक को और अधिक बिजली देने की आवश्यकता। (5)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मंगलौर, कर्नाटक में 2×210 मैगावाट बहु-ईंधन बायलर तापीय संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता। (6)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

बंगलौर में 120 मैगावाट टरबाइन संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता। (7)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें :

कर्नाटक में कोलार बीदर जामा खंडी और गडग में डीजल पर आधारित 4 लघु विद्युत-उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (8)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कोयले की उत्पादन लागत घटाने की आवश्यकता। (13)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कोयला खानों में कोयले का प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाकर कोयले की उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता। (14)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

विद्युत, सीमेंट और इस्पात जैसे प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला खानों से अधिक मात्रा में कोयला भेजने की आवश्यकता। (15)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कोयला खानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता। (16)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कोयला खानों में मरने वाले कर्मकारों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की आवश्यकता। (17)

कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कर्मकारों और कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धकों के बीच औद्योगिक संबंध सुधारने की आवश्यकता। (18)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आंध्र प्रदेश में पन-बिजली उत्पादन हेतु और अधिक धनराशि देने की आवश्यकता। (19)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

कृषि और लघु उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता। (20)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सूखा संभाव्य क्षेत्रों में उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता। (21)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत इंजीनियर्स ट्रेनिंग सोसायटी स्थापित करने की आवश्यकता। (22)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

सूखा संभाव्य रायल सीमा क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए और अधिक विद्युत वितरण केन्द्रों की स्थापना करने हेतु केन्द्र द्वारा उदार सहायता दिये जाने की आवश्यकता। (23)

कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

देश में चिरकालिक सूखा संभाव्य क्षेत्रों में कृषि के लिए बिजली देने हेतु उदार केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता। (24)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का नया सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता। (25)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

मेग्नेटो-हाइड्रो-डाइनामिक्स के सिद्धांत पर बिजली उत्पादन के अनुसंधान और विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता। (26)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

विद्युत उत्पादन के लिए मेग्नेटो-हाइड्रो-डाइनामिक संयंत्रों की स्थापना करने की आवश्यकता। (27)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

ऊर्जा के नये नवीकरणीय स्रोतों को लोकप्रिय बनाने के लिए] आन्ध्र प्रदेश को पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता । (28)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

आन्ध्र प्रदेश में फैमिली साइज बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए नकद पुरस्कारों के रूप में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता । (29)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम की एक शाखा स्थापित करने की आवश्यकता । (30)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर में, जहां तापमान काफी अधिक रहता है, सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता । (31)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

खाना पकाने के लिए धुंआरहित चूल्हों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में रायल सीमा के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता । (32)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

रायल सीमा में कृषि के लिए सौर ऊर्जा के उपयोगार्थ व्यापक प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता । (33)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।

आन्ध्र प्रदेश में कृषि के लिए वायु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता । (34)

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आन्ध्र प्रदेश में सौर पम्प सैटों और फोटोवोल्टिक प्रणाली की खरीद पर 75 प्रतिशत राज सहायता देने की आवश्यकता। (35)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

अधिक संख्या में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण कर रहे राज्यों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता। (36)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आन्ध्र प्रदेश के अनन्तापुर जिले में बायोमास प्रदर्शन परियोजना स्थापित करने की आवश्यकता। (37)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर में बायोमास अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (38)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पादन हेतु हैदराबाद में एक अपशिष्ट दाहक एवं विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता। (39)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (40)

कि गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत के विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।

उन स्थानों पर जहां सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है, ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता। (41)

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले ऊर्जा मंत्रालय के माननीय मंत्री जी तथा संबंधित सभी विभागों एवं अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं कि सन् 1980 से जनता रिजीम के बाद यह जो की सेक्टर का उद्योग है, कोयला और बिजली, इसमें उत्तरोत्तर सुधार आया है। आप यह देखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो 19 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा था, तमाम कठिनाइयों के बाद उसे भी 14,500 मेगावाट तक प्राप्त कर लिया है और बिजली का जितना उत्पादन था, उसको करीब 50 परसेन्ट और बढ़ाया है। तो इस तरह से हमारी उपलब्धि बहुत ही शानदार रही है। इस उपलब्धि का कारण रहा है हमारे मंत्रालय द्वारा बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयले में सुधार करना, स्पेअर पार्ट्स की उपलब्धि में सुधार करना और दूसरे क्षेत्रों में सुधार करान।

इस समय मैं आंकड़ों में न जा करके कहना चाहता हूं कि यदि आप बिजली का उत्पादन और बढ़ाना चाहते हैं, बिजली को विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मान कर इसका विकास करना चाहते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली पहुंचाना चाहते हैं और हर गांव में बिजली देना चाहते हैं तो आपको चार-पांच काम करने पड़ेंगे।

अभी हमारे ऊर्जा मंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश में गये थे। मैं खास तौर पर व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। जब से आप वहां गये—मैं ऐसा नहीं कहता कि आपने कोई जादू डाल दिया, लेकिन निश्चित तौर से पहले जहां 14 घंटे बिजली मिलती थी, आपके जाने के बाद से इस समय वहां 16 और 17 घंटे बिजली मिल रही है। ओवरआल रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, इन्होंने वहां जाकर कुछ डांट-फटकार की। उसका एक अच्छा इम्पेक्ट हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के मैनेजमेंट में सुधार हुआ है।

आज मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को व्हाईट एलिफेन्ट कहना ठीक नहीं है। आप उनके लिए तीन-चार काम कर दीजिए। आप उनको फाइनेंस दे दीजिए, आप उनको समय से स्पेअर पार्ट्स दे दीजिए, उनके मैनेजमेंट में जो अनुशासनहीनता फैली हुई है, उसको आप ठीक कर दीजिए और जो वहां पोलिटिकल कारणों से नुकसान होता है, उसको खत्म कर दीजिए।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एन० टी० पी० सी० का जो सिस्टम इवोल्व किया गया, वह अच्छा किया गया है। मैं आपको और मंत्रालय को बधाई देता हूं कि वह सिस्टम ऐसा है कि उसको सारे देश में लागू करना चाहिए। चाहे मैनेजमेंट का प्रश्न हो, चाहे परसोनल्स का प्रश्न हो, वह सिस्टम इतना अच्छा है कि, उसको आज हरेक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपनाना होगा। आप आज देखते है कि सिंगरोली प्रोजेक्ट 100 परसेंट केपेसिटी पर चलता है। एक लोड फेक्टर है। यह खुशी की बात है। अगर यह एन० टी० पी० सी० में हो सकता है, आंध्र प्रदेश जैसे एकाध राज्य में हो सकता है तो क्यों नहीं देश के दूसरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों में हो सकता है। मान्यवर, मुझे विश्वास है कि यह सारे देश में हो सकता है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

मान्यवर, मुझे याद है कि आपने मंत्रियों का सम्मेलन किया, और दूसरे सभी लोगों का किया। आप सबसे निश्चित तौर पर कह दीजिए कि सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी और एन० टी० पी० सी० ने जो सिस्टम इवोल्व किया है, उसको वे सब लागू करें।

आपके प्रयास से किसी भी पावर हाऊस के पास बीस रोज से कोयला कम नहीं है। उसमें वाशरीज लगा कर क्वालिटी ठीक कर दो और मेल से कह दो कि वह समय पर स्पेअर पार्ट्स दे। जो आन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको समय से साधन उपलब्ध होते रहें, जो अनुशासन फैला हुआ है, उसको भी दूर कर दो तो कोई कारण नहीं है कि बिजली के मामले में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर लें।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो फेवरेटिज्म फैला हुआ है, वह भाई भतीजावाद कहीं नहीं चलना चाहिए। चाहे एन० टी० पी० सी० हो, चाहे एच० पी० सी० हो, कहीं भी यह नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका सिस्टम खराब हो जायेगा।

आप जो प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन लेते हैं, जमीन-मालिकों को उसका मुआवजा दें, उनको पुनर्वासित करें। वहां यथाशक्ति हरेक परिवार से एक को नौकरी में लगावें। यह मेरी मांग है।

मेरी यह भी मांग है कि उत्तर प्रदेश बिजली में बहुत पिछड़ गया है। अभी हमारे ब्रह्मदत्त जी ने कुछ बातें कहीं। आपने अनपरा बी का जापान से समझौता करवा दिया है, अनपरा सी का भी करवा दीजिए।

एक बात और, हमारे यहां हिमालय क्षेत्र में नदियां हैं। उनमें हाईडल इलेक्ट्रिक के साधन प्रचुर मात्रा में है। आप उसके लिए भी हमें प्रोजेक्ट दीजिए।

4.00 म० प०

मान्यवर, जहां तक बिजलीकरण की बात है, गांवों में बिजली पहुंचाने के जो आंकड़े दिये गये हैं निश्चित तौर से उनसे सब लोग सहमत नहीं हैं। वहां न गांवों में हरिजनों में बिजली है, न आदिवासियों में बिजली है। न वहां पम्पिंग सेट्स में बिजली है। आप सबको दिखलवा लीजिए।

सबसे दुखद बात है कि यहां से जो रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया जाता है, आपका निगम देता है, वह रुपया दूसरे कामों पर खर्च कर दिया जाता है। आज हम 65 प्रतिशत विद्युतीकरण गांवों में दिखा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि कितना असन्तुलन है। आप जानते हैं कि मिर्जापुर में कितने पावर हाउस हैं, लेकिन 25 प्रतिशत गावों में भी विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिससे लोकल लोगों में काफी असन्तोष है। जहां पर बिजली बनाई जाती है वहां पर आप इस तरह के डायरेक्टिव्स दें कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लाइन लासेस, 21 परसेंट है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। आप उसको 10 परसेंट कीजिए। आप जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कानून में परिवर्तन करना चाहते थे, वह भी कीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है लेकिन वह इफेक्टिव नहीं है, आप निश्चित रूप से करें और यही नहीं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में और भी परिवर्तन आपको करना पड़े तो कीजिए।

विरोधी दल के लोग जब इलेक्ट्रिक का प्रश्न आता है तो सेंटर को दोष देते हैं और जब व्यवस्था की बात आती है तो सेंटर स्टेट का प्रश्न उठता है। बिजली बोर्ड जो बढ़िया व्यवस्था नहीं करते, जैसे वैस्ट बंगाल का है, जहां ऐसी बात है तो इसके लिए आप एक्ट में परिवर्तन कीजिए।

4.02 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्ट में परिवर्तन कीजिए, जिसमें आपको अधिकार हो, उसकी देखरेख आपके हाथ में हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जरूरत पड़े तो उसको सरकारिया कमीशन में दें, क्योंकि बिजली ऐसी चीज है जिस पर सारा विकास निर्भर करता है, चाहे औद्योगिक विकास हो या कृषि का विकास हो, इस व्यवस्था को अपने हाथ में लीजिए। इसके अलावा मान्यवर कोयले का प्रश्न है, कोयले के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जनता पीरियड में कोयले के उत्पादन में कितनी गड़बड़ी हुई कि कई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड परेशान थे, रेलें चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन आपने इसके लक्ष्य को प्राप्त किया है और 157 मिलियन टन से ऊपर इस साल कोयला प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं यह जानता हूं कि कोयले की कहानी कठिन है, लेकिन हमें उसमें सुधार करना होगा, हम उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार करें, उत्पादन में सुधार हुआ है, उत्पादकता बढ़ी है, लेकिन लोगों को जो कोयला मिल नहीं रहा है, उसको आप देखें। स्टाक यार्ड की स्थापना की गई थी, जब श्री गनी खां चौधरी मन्त्री थे तब यह ठीक चल रहा था, लेकिन ज्यों ही मन्त्री बदले तो कोल इण्डिया वालों ने इसको भी बन्द कर दिया। मेरी कांस्टीट्वेंसी राबर्ट्सगंज में एक कोल यार्ड था, उससे कुछ लोगों को कोयला मिल जाता था, उसको बन्द कर दिया गया हैं। मिर्जापुर के लोगों को रानीगंज और झरिया से कोयला अलाट किया जाता है, जबकि मिर्जापुर में खानें हैं। यह कहां का न्याय है, यह बहुत गलत है। आप ऐसी नीति बनाइए कि जिन क्षेत्रों में कोयले की खानें हैं, उनको दूर से नहीं अलाट किया जाना चाहिए, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि वहां के जिले के लोगों को प्रदेश के लोगों को वहीं से कोयला मिले। इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी और राबर्ट्सगंज में कोल यार्ड को जो बन्द कर दिया गया है, उसको आप फिर से चालू कीजिए।

इसके अलावा कोयला मजदूरों के बारे में मुझे खुशी है कि 4-5 वर्ष से आपकी नीति के कारण शांति है, यूनियन में समझौते होते रहे हैं, लेकिन तीन चार बातों के लिए वहां के लोग आंदोलित हैं। एक तो वेज बोर्ड का समझौता आपको लागू करना होगा, उनमें से एक था रिटायरिंग आदमी को नौकरी मिले, कानूनी दृष्टि से अगर यह ठीक नहीं हैं तो समझौता क्यों किया गया। जब समझौता हो गया है तो कुछ न कुछ वरीयता उसको देनी चाहिए, क्योंकि जब निर्णय लिया गया और आपके यहां कानून जानने वाले लोग हैं तो उसमें उनको कुछ न कुछ वरीयता जरूर देनी चाहिए। ऐसा समझौता क्यों किया गया जो अगेन्स्ट कांस्टीट्यूशन है, डिस्क्रिमिनेशन की बात है, मैं भी महसूस करता हूं, लेकिन उनको वरीयता दी जानी चाहिए। इसी तरह से कोल फील्ड की बात करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिंगरोली को कम्पनी बना दिया गया है और पहली तारीख से शायद सी० एम० डी० नियुक्त कर दिया गया होगा, लेकिन वहां जरूरत इस बात की हैं, हमारे सी० पी० एम० की

[श्री राम प्यारे पनिका]

पार्टी के लोगों को वहां मजदूरों को भड़काने का मौका मिल जाता है, जो मुआवजा जमीन का मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। एग्रीमेंट के मुताबिक अभी काम नहीं हुआ है। दूसरी जगह हिन्दुस्तान में जमीन मिलने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन वहां मैं आपका ऐसा एक सेवक हूं जो वहां सहयोग करता हूं और मैंने समझौता करके जमीन दिलवा दी, लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, जब कि उत्पादन शुरू हो गया है। उन लोगों को बसाया भी नहीं गया है। जो समझौता वहां के किसानों और लोकल मैनेजमेंट के बीच हुआ है, उसको लागू किया जाना चाहिए। यहां से आप डायरेक्ट कीजिए कि सेंट्रल का कोई ऐसा कानून लागू न करें जो उस समझौते को तोड़े, अगर वह समझौता टूटेगा तो असन्तोष होगा। सिंगरौली है, मध्य प्रदेश में जयन्त जगह है, उत्तर प्रदेश में खड़िया प्रोजेक्ट है, अभी तक वहां के लोगों को बसाने का काम नहीं किया गया है, न ही उनको मुआवजा दिया गया है। नौकरी के लिए जो समझौता हुआ था, उसको भी लागू नहीं किया गया है। एक समझौता हुआ है कि भूमिहीनों को भी एवलेबल पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा, अगर हमने समझौता कर लिया है तो उसको लागू होना चाहिए। इस बात पर भी हम आंदोलन करेंगे कि अगर बाहर से फोर्थ क्लास के लोगों को जो पद टेक्नीकल नहीं हैं, उनके ऊपर रखा जाएगा। समझौता हुआ था कि सात आठ सौ तक की या कितने की नौकरियां लोकल रूप से भरनी होंगी। जितनी कोल फील्ड हैं और सात आठ कम्पनियां हैं, सब जगह यही नियम लागू कीजिए। सबसे बड़ी चीज यह है कि इनके आवास, शिक्षा, जल पूर्ति, मनो-रंजन और चिकित्सा पर आप सौ करोड़ खर्च कर रहे हैं, उसको और बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी कठि-नाई यह है कि आपके यहां सिविल डिपार्टमेंट नहीं हैं इसलिए कोल इण्डियां भी दूसरों को ठेका देती है। इस वजह से समय पर मकान नहीं बन पाते। हर कम्पनी में एक सिविल विभाग हो ताकि समय से क्वार्टरों का निर्माण हो सके। उनको नौकरी और मुआवजा समय से दीजिए। उसके बाद मैं जिम्मे-दारी लेता हूं कि सिंगरौली में आपको कम से कम कोई कठिनाई नहीं होने दूंगा। मुझे खुशी है कि कुछ उस क्षेत्र में काम हुआ है। हमारे यहा विन्ध्याचल, सिंगरौली और रिहन्द में थर्मल पावर स्टेशन हैं। आप एक बार वहां चलें। हमारे कुछ लोग वहां असन्तोष पैदा कर रहे हैं। कुछ जेनुइन बातें भी हैं। ड्राइवर्स वहां नहीं मिलते इसलिए वहां एक ट्रेनिंग सेन्टर खोल दीजिए और लोकल आदमी को ही भर्ती कीजिए। बिहार, मध्य प्रदेश या पंजाब से भर्ती मत कीजिए। आज क्या हो रहा है कि बाहर से अपने मित्रों को बुलाकर ठेका दे देते हैं। एन० पी० सी० सी० का काम खराब थोड़े ही है। उस कम्पनी को काम नहीं मिलता जबकि बाहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को मिल जाता है। अगर एन० पी० सी० सी० का काम खराब है तो उसको ठीक कीजिए। आपको एक नीति निर्धारित करनी होगी और यहां से डाई-रेक्शन दीजिए कि लम्बी-लम्बी लाइन ले जाने से नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश में ओबरा में और रिहन्द मे पावर स्टेशन है। उद्योगों को सस्ते भाव पर बिजली मिलती है क्योंकि वे वहीं पर उद्योग लगाते हैं। यदि कोई उद्योग अपनी लाइन स्वयं बनाता है तो उसके लिए सस्ती बिजली देने हेतु आप प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी बोर्डस को निर्देश देने का कष्ट करें। जो हमारे छह प्रकार के प्लानिंग कमीशन ने बैकवर्ड इलाके घोषित किए हैं, उनको सस्ती बिजली देने का प्रावधान करें।

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मन्त्रियों की एक बैठक बुलाइए और इंजीनियर्स, जूनि-यर इंजीनियर्स तथा वर्कर्स और अन्य लोगों के लिए एक समान वेतन की नीति बनाइए ताकि रोज

रोज जिन्दाबाद और मुर्दाबाद की आवाज न आए। यह निश्चित तौर से आपको करना पड़ेगा चाहे आप एन० टी० पी० सी० या डी० वी० सी० का ग्रेड मान लें। कोई न कोई एक सिस्टम इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड हेतु आपको करना होगा। बहुत से इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड केन्द्र के आदेशों को नहीं मानते। आप उनके साथ सख्ती बरतें। यहां से उनको पैसा दिया जाता है। कलकत्ता और बिहार में भी बिजली की हालत ठीक नहीं है। जो क्षेत्रीय ग्रिड हैं, वे करीब-करीब तैयार हो रहे हैं। उनको नेशनल ग्रिड में जोडिए ताकि हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा अछूता बिजली से न रह जाए। अभी हमारे आसाम के साथी बता रहे थे कि रीजनल इमबैलेन्स कौन दूर करेगा, प्रदेश सरकार नहीं कर सकती। जिन प्रदेश सरकारों ने बिजली का अच्छा उत्पादन किया है तो वहां से बिजली ले सकते हैं। बहुत से इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड्स ने अपने कार्य में सुधार किया है। आपने जो पुरस्कार का एक नियम लागू किया है, वह चालू रहना चाहिए। हमारे इन्जीनियर्स और हमारे अधिकारी लगन से काम कर रहे हैं। मैंने जो भी कमियां देखी हैं, उनको आपसे कह दिया है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में यह देश निरन्तर आगे बढ़ता रहेगा और हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ता जाएगा जिससे हमारे देश में निश्चित तौर से उजाला आएगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं।

मुझे सातवीं योजना के दस्तावेज से पता चला है कि 58,421.26 करोड़ रुपये का भारी निवेश, यानि सार्वजनिक क्षेत्र में कुल योजना व्यय का लगभग 30.45% ऊर्जा के लिए रखा गया है। उसमें से ऊर्जा के लिए केन्द्र का हिस्सा 34,273 करोड़ रुपये और कोयले के लिए 12,627 करोड़ रुपये होगा।

छठी योजना में यह बात सुखद रही कि प्रतिष्ठापित क्षमता में 14,426 मे०वा० की वृद्धि हुई थी यानि पिछले साल से 49.4% की वृद्धि हुई थी।

सातवीं योजना में, इस बात की परिकल्पना की गई है कि प्रतिष्ठापित क्षमता में 37,677 मे०वा० की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि ऊर्जा पर इतना अधिक खर्च किया जा रहा है किन्तु एक बात है, यद्यपि हमारे मन्त्री महोदय बहुत सक्रिय हैं पर वे इस पूंजी को किस तरह और किसके द्वारा खर्च करने जा रहे हैं। बहुत से सदस्यों ने, जो अपनी बात कह चुके हैं, राज्य विद्युत बोर्ड का जिक्र किया है।

यह बताया गया है कि अब विद्युत उत्पादन का लगभग 84% राज्य बिजली बोर्ड के हाथों में है और केवल 16% केन्द्र सरकार के अधिकार में है। हम जानते हैं कि मौजूदा समय में राज्य बिजली बोर्ड किस तरह कार्य कर रहे हैं। उनके बारे में कम कहना ही बेहतर है। मेरे विचार में यह उचित समय है जब, इन राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली की जांच-पड़ताल के लिए मन्त्री महोदय उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करें और इस समिति से कहें कि वह सिफारिश करे कि इन बोर्डों

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

के कार्यकरण में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, और बताये क्या इनके कार्यकरण में सुधार किया भी जा सकता है।

सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार छठी योजना में राज्य विद्युत बोर्डों का संचित घाटा 4,500 करोड़ रुपये है। सातवीं योजना में यह घाटा बढ़कर 11,715 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। यह स्थिति है। साठे महोदय, विभिन्न परियोजनाओं को, जो उनके जेहन में हैं, किसके द्वारा क्रियान्वित करने जा रहे हैं? उसी दस्तावेज में वह कहते हैं कि मन्त्रियों के साथ बैठक के बाद वे घाटे को 7000 करोड़ तक कम करने को सहमत हो गये हैं। क्या वे जानते हैं कि 7000 करोड़ रुपया कितना होता है? 7000 करोड़ रुपये से हमारे गांवों की विकास दशा को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इस राशि द्वारा लाखों लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऊपर उठाया जा सकता है। जब यह स्थिति है तो जब तक राज्य बिजली बोर्ड घाटे को दूर करने अथवा कम करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाते, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको उन्हें बिजली उत्पादन का और अधिक कार्य नहीं सौंपना चाहिए। इसे आप स्वयं कीजिये। जब तक कि राज्य विद्युत बोर्ड अपनी हालत नहीं सुधार लेते आप उन्हें और अधिक उत्पादन कार्य न सौंपें।

सभापति महोदय : यदि केन्द्र सरकार में भी कार्य उसी भांति होता है, तब आप क्या करेंगे?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : भगवान हमारी रक्षा करेंगे। मैं एक बार फिर निवेदन करता हू कि आप एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करें क्योंकि स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मुझे बताया गया है कि कुछ राज्यों में वार्षिक घाटे की मात्रा 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक है। पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इतना अधिक घाटा होने पर आप विद्युत बोर्डों में किस तरह सुधार कर सकते हैं? आप कैसे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? प्रधान मन्त्री महोदय यहां कई बार कह चुके हैं कि जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, सातवीं योजना के अन्त तक हम आत्मनिभर हो जायेंगे। क्या इस तरह की संस्थाओं के सहारे ही आप वास्तव में लक्ष्य प्राप्ति की आशा रखते हैं—चाहे आप कितने ही सक्रिय क्यों न हों? यह सम्भव नहीं है। कृपया उनमें सुधार करने की कोशिश कीजिये। अन्यथा उन्हें अपने अधिकार में लीजिये और स्वयं उनकी दशा सुधारिये। यदि यह संयुक्त क्षेत्र में हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाये।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय परियोजनाओं में संयंत्र भार क्षमता से सम्बन्धित है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

हमें पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानि को कम भी करना चाहिए। वास्तव में यह आश्चर्यजनक बात है कि जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिन-प्रतिदिन एवं मास प्रति मास उन्नति की ओर बढ़ रही है—हमारी औसत पारेषण हानि 21% है। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि राज्य विद्युत बोर्डों की संयंत्र भार क्षमता मौजूदा 50% से बढ़ाकर 60% कर दी जाये और यदि पारेषण हानि

मौजूदा 21% से घटा कर 10% कर दी जाये तो तापीय विद्युत की कुछ उपलब्धता 35% से भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। यह मेरा अपना सर्वेक्षण नहीं है। यह विशेषज्ञों द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों में से एक है। फिर हमें बिल्कुल भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाये तो जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

दूसरी अत्यन्त महत्वपूर्ण बात विद्युत प्रबन्ध के सम्बन्ध में है। मैं राजाध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट पढ़ चुका हूं। राजाध्यक्ष कमेटी में इस बात का विशेषरूप से उल्लेख किया गया है कि बेहतर एवं उचित प्रबन्ध द्वारा हम उद्योगों में 20% विद्युत की बचत कर सकते हैं। यदि इन सब बातों को प्रयोग में लाया जाये तो आगे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परन्तु, दुर्भाग्यवश यह सम्भव नहीं हुआ है।

एक अन्य सर्वेक्षण में कहा गया है कि केवल 10% विद्युत कमी के कारण देश भर में औद्योगिक उत्पादन में 7000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष घाटा होगा। तब केवल उत्पादन घाटा ही नहीं होगा परन्तु विदेशी मुद्रा में 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा क्योंकि हमें डीजल सेटों और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाना पड़ेगा। निःसन्देह राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा घाटे के कुछ कारण हैं। मुझे वे ज्ञात नहीं हैं। आपने शायद इसका बारीकी से अध्ययन किया हो और आप इस सभा को इस बात की जानकारी अवश्य दे सकेंगे कि विद्युत बोर्ड घाटे में क्यों जा रहे हैं। मुझे कुछ रिपोर्टों से जानकारी मिली है कि सामान्य तौर पर जो एक कारण बताया जाता है वह यह है कि वे कृषि के लिए विद्युत कम दर पर सप्लाई कर रहे हैं। वे कहते हैं कि घाटा मुख्यतः इस कारण है। यदि यह सच है तो यह आवश्यक है कि आप राज्य सरकारों से कह दें कि वे शुल्क दर के हिसाब से भुगतान करें अथवा आर्थिक सहायता दें। मैं किसानों पर कर लगाने के पक्ष में नहीं हूं।

घाटे का एक बाह्य कारण यह है कि उनको बढ़िया किस्म का कोयला नहीं मिल रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे विचार में मैंने कल ही आपकी बात सुनी है। पिछले वर्ष के बजट में कोयले की खानों के बारे में जवाब देते हुए आपने कहा था कि आप यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सभी ताप संयंत्रों को अच्छी किस्म का कोयला मिले। कोयले की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आपने पहले ही कदम उठा लिए होंगे। निःसंदेह, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप यह भी प्रसन्नता से कहते थे कि यदि कोई घटिया किस्म का कोयला या पत्थर मिश्रित कोयला सप्लाई करता है तो आप सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध वहीं और उसी समय अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे। मुझे प्राप्त हुए समाचारों से पता चला है कि स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

दूसरी बात कोयले की सप्लाई की है। आपको याद होगा कि दो माह पहले रामागुण्डम में क्या हुआ। माननीय सभापति, इसके बारे में जानते हैं लगभग एक सप्ताह तक बिजली उत्पादन रुक गया था क्योंकि वहां कोयले का कोई भण्डार नहीं था। यह एक अच्छा शकुन है कि आप कोयला विभाग के साथ विद्युत विभाग के भी अध्यक्ष हैं अतः आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक तापीय संयंत्र में कम से कम चार सप्ताह के लिए कोयले की पर्याप्त सप्लाई हो। यहां एक अन्य महत्वपूर्ण बात है। आपने अभी ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों की एक आकर्षक रिपोर्ट दिखाई। मैं

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

इसे विस्तार में उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ सरसरी तौर पर इस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि आपने इस वर्ष ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के विभाग के लिए इस वर्ष कितना धन उपलब्ध कराया है। इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। इस वर्ष के लिए आपने ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के विभाग के लिए 101 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी है। अन्य दिन, एक प्रश्न की चर्चा में आपने एक बहुत ही अनुकूल उत्तर दिया और मैंने आशा की कि आप ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देते जायेंगे। 101 करोड़ रुपये की राशि से क्या किया जा सकता है? गांवों की क्या स्थिति है? बहुत से माननीय सदस्य इसके बारे में बोले हैं। गांवों में लोगों को ईंधन नहीं मिलता है। सभी जंगल वहां काटे जा रहे हैं। इसलिए जब तक आप वहां बायो-गैस या सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन नहीं देते हैं तब तक इस स्थिति का सामना करना हमारे लिए सम्भव नहीं है। आपने बहुत कम राशि उपलब्ध कराई है। आपने विद्युत विभाग के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराये हैं जबकि इसके लिए आपने 101 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं।

अब मैं अपने राज्य पर आता हूं। मुख्य मन्त्री ने आपको कई पत्र लिखे हैं। हमारे राज्य को अब घोर सूखे की स्थिति और विद्युत संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। वहां उद्योगों के लिए बिजली में भी 80 से 85 प्रतिशत तक कटौती है। औद्योगिक गतिविधियां प्राय: ठप्प हो गई हैं। हमने कई बार आपको तत्काल राहत देने के लिये अनुरोध किया है। इस बीच हमारी राज्य सरकार ने आपसे तीन या चार परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है। जिनमें से एक मंगलौर में 2 × 210 मेगावाट की क्षमता के बायलर ताप संयंत्र की स्थापना से सम्बन्धित है। आपने इस परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। परन्तु, दुर्भाग्यवश यह पेट्रोलियम मन्त्रालय में ही रुकी पड़ी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया इसे सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें ताकि इसे जल्दी स्वीकृति मिले क्योंकि इसके प्रारम्भ होने की अवधि थोड़ी है। इसलिए हम शीघ्र विद्युत का उत्पादन चाहते हैं।

दूसरी परियोजना बंगलौर में 120 मेगा वाट के गैस टर्बाइन संयन्त्र की स्थापना से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार के ज्यादातर उद्योग बंगलौर में स्थित हैं। इन उद्योगों द्वारा विद्युत का 30 प्रतिशत भाग उपयोग किया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप कृपया इसकी मंजूरी देंगे।

तीसरी कोलार, बीदर, अमार खन्डी, और इन्दिगी में चार छोटे उत्पादन संयन्त्रों की स्थापना से सम्बन्धित है। ये सभी नितान्त जरूरी है। वे सभी विचाराधीन है। नि:संदेह ! सी० ई० ए० ने उनकी स्वीकृति दी है। अन्तत: वे आपके पास विचाराधीन हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से इनकी स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करूंगा। आखिर में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं अर्थात् ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में। मैं कुछ माननीय सदस्यों से जो मुझसे पहले इसके बारे में बोले हैं सहमत हूं। आपको समान रूप से ध्यान देना चाहिए। स्वतन्त्रता के 37 वर्षों के बाद भी लगभग 40 प्रतिशत ग्रामीणों को यह मालूम नहीं है कि बिजली क्या होती है। आपको इसके लिए

धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रिड आवश्यक है। यह उपयुक्त समय है। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय ग्रिड अस्तित्व में आये। तत्काल कदम उठाने के लिए अनुरोध करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं, जोकि जहां तक विद्युत के घोर संकट का सम्बन्ध है अब तकलीफ में है। मेरा आशय राजनीतिक शक्ति से नहीं है परन्तु ऊर्जा से है। इसके परिणामस्वरूप यह राज्य की अर्थव्यवस्था को दल-दल में ले गयी है। मैंने आज कुछ अत्यन्त मूलभूत नीति संबंधी मामलों पर बोलने का फैसला किया है। यदि हम इस सरकार की मनोदशा को देखें और प्रधान मंत्री का देश को आगे ले जाने और 21वीं शताब्दी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भर बनने के लिए तैयार रहने के लिए मूल बल देने की बात पर गौर करे। मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाता हूं जो कि सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में अत्यन्त प्रगतिशील व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। वह मन्त्री परिषद में एक गतिशील मन्त्री हैं आज मैं वह बात बोलूंगा जो मैं साधारणतया नहीं बोलता हूं और यह मेरे लिए कुछ अनुपयुक्त भी है। मैं हमेशा, सरकारी क्षेत्र, राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं का समर्थन करता हूं। वास्तव में मैं मंत्री जी से ऊर्जा क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा। मंत्री महोदय पहले दो पहलुओं पर विचार करें। एक वह प्रणाली है जो अब इस देश में ऊर्जा, उद्योग और हमारे सामान्य आर्थिक मामलों में जारी है। क्या वस्तुतः देश को तेजी से 21वीं शताब्दी में उस पद्धति से आगे ले जाना सम्भव है जो विशेषतः ऊर्जा के क्षेत्र में अब अपनायी जा रही है। यही कारण है कि मैं ऐसा कह रहा हूं।

इस रिपोर्ट में बहुत सी खामियां है, परन्तु मैं पूरी विनम्रता से कह सकता हूं कि केन्द्र में मंत्रालय और विभाग के पास राज्य में कार्यरत विद्युत बोर्डों जैसे निकायों के सामान्य स्वायत्त स्वरूप के कारण कुछ भी करने को नहीं है। विद्युत केन्द्र जो हमें आजादी के बाद विरासत में मिले हैं, ज्यादातर गैर-सरकारी क्षेत्र से है और कुछ राजा और महाराजाओं के हैं। बाद में हमने अपने स्वयं विकसित किये और इनकी नीतियां औद्योगिक नीति संकल्प अधिनियम के अन्तर्गत आयी। ऊर्जा हमेशा सरकारी क्षेत्रों में ही उत्पादित की जाती रही है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज कुछ मूल और बुनियादी बातों पर बोलूंगा चाहे आप इसे पसंद करें या नही जिसमें देश का समस्त विद्युत उत्पादन कार्यक्रम पारेषण पहलू सहित सरकारी क्षेत्र में है।

आपने लोगों का चयन करना है, आपको यह पता लगाना है कि कौन उपयुक्त है आपको उस पार्टी के पास भी जाना है, जिसका माल लेना है। बिजली परियोजनाओं के प्रमुख सार्थ-संघ में उन्हें सहायता भी देनी है।

मेरा मन्त्री महोदय से पहला निम्न निवेदन यह है कि कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक यह देखें कि क्या विद्युत उत्पादन कार्यक्रम औद्योगिक नीति संकल्प को संशोधित करते हुए बड़े या मध्यम दर्जे

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

के लिए सोचा जा सकता है, अगर निजी क्षेत्र के लिए नहीं तो कम से कम संयुक्त क्षेत्र के लिए इसे कुछ हद तक अनुमति दी जा सकती है। यह मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो विकास गति और समय हमारे पास उपलब्ध है और जो परियोजनाएं हम पूरी करना चाहेंगे क्या इससे हम 21वीं शताब्दी में पहुंच पाएंगे। जैसा पिछले दस वर्षों से कार्य चल रहा है और जिसका इतिहास साक्षी है, मुझे शंका है कि वर्तमान व्यवस्था में यह सम्भव नहीं है।

केवल ऊर्जा क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 11000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। और 11000 करोड़ रुपये का घाटा राज्य बिजली बोर्डों से मैं दूसरों को सीख नहीं दे रहा हूं, और मैं राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की बात नहीं कर रहा हूं जिसे कुछ लाभ हो रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक केवल राज्य बिजली बोर्डों से 11000 करोड़ रुपये का वास्तविक घाटा हुआ है।

कल तक रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विद्युत संकट तथा दूसरे सम्बद्ध कारणों की वजह से, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग रुग्ण हुए और बन्द हुए, घाटा 5500 करोड़ रुपये का है। मेरा अनुमान है कि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक औद्योगिक रुग्णता और इनके बन्द हो जाने के कारण राष्ट्रीय राजकोष को 8000 करोड़ रुपये और, राज्य विद्युत बोर्डों से 11000 करोड़ रुपये का घाटा राष्ट्र के कुल घाटे को 20,000 करोड़ रुपये कर देगा।

अत: मैं मन्त्री महोदय को सुझाव दूंगा, मैं उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सी समितियां नियुक्त की जा चुकी हैं, मैंने सलाहकार समिति की रिपोर्ट देखी है, सभी मार्गदर्शी सिद्धांत बहुत अच्छे हैं। मैं अधिकारियों की योग्यता पर सन्देह नहीं कर रहा हूं। अधिकांश राजनीतिज्ञों की यह बुरी आदत है कि जब भी हमें गलती का पता चलता है, हम इसकी गहराई तक नहीं जाते और सिर्फ अधिकारियों पर दोषारोपण करते हैं। विद्युत बोर्डों और ऊर्जा मंत्रालय में अच्छे योग्य अधिकारी हैं। वहां तकनीकोविद भी हैं, जो हमारी तरह देशभक्त भी हैं। और वहां एक या दो खराब अधिकारी भी हो सकते हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं।

मुख्य आधारभूत क्षेत्र, माननीय मन्त्री सहमत होंगे, सम्भवतया कोयला क्षेत्र हैं। मैं वास्तव में अधिक जानकारी का दावा नहीं कर रहा हूं। सम्भवतया हमारे देश में, कोयले में राख की मात्रा बहुत ज्यादा है। कैसी भी मशीनरी क्यों न हो आप उस अधिक राख युक्त कोयले से इसे नहीं चला सकते। इस चुनौती का सामना कैसे किया जाए? जब विद्युत और ऊर्जा प्रौद्योगिकी के मामले में यह प्रश्न आता है, आप इसे पसन्द करें, या नहीं, तो पश्चिमी देशों की पूर्वी देशों की बजाए बहुत बेहतर स्थिति है। अतः हमारे लिए पश्चिमी देशों से ऐच्छिक सहायता लेना राजनीतिक तौर पर सिद्धान्त व्यवहार और दूसरी बातों के सम्बन्ध में शायद उपयुक्त अथवा सुविधाजनक न हो। यदि आप असली मायनों में देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं तो इस तकनीकी समस्या की क्षतिपूर्ति करने अथवा इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास उन देशों से उपलब्ध सम्भावित सहायता लेने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह एक राजनीतिक समस्या नहीं है, यह तंत्र की एक मूलभूत तक-

नीकी समस्या है।

मैं यह कहने के साथ-साथ माननीय मन्त्री को अपने सुझाव भी देना चाहूंगा। अगर आपने भारी निवेश करना ही है तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए क्या आप अब से आणविक विद्युत उत्पादन कार्यक्रम पर भारी निवेश करने के बारे में नहीं सोच सकते ? श्रीमान, अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की रिपोर्ट तथा श्री राजा रमन्ना की रिपोर्ट यह साबित करती हैं कि आणविक आधारित ऊर्जा की प्रति इकाई कोयला आधारित ऊर्जा से 65 पैसे कम लागत होगी। यद्यपि प्रारम्भिक चरणों में निवेश अधिक होगा लेकिन लम्बे समय में यह लाभदायक होगा। इसलिए, इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है ? आणविक विद्युत उत्पादन के लिए यहां सक्षमता तथा विशेषज्ञ हैं। इस क्षेत्र में विश्व में हमारा छठा स्थान है। अमरीका में भी 13 प्रतिशत वर्तमान उत्पादन क्षमता 80 क्रियाशील आणविक रिएक्टरों से है जिनकी कुल क्षमता 63,000 मेगावाट है। फ्रांस और जर्मनी मे यह कुछ कम हो सकते हैं।

भारत में जो आधारभूत संरचना बनाई गई है वह कम नहीं है। जब भारत में ही हम यह कहते हैं कि विश्व में हमारा छठा स्थान है हमारे पास 10,000 मेगावाट की प्रस्तावित योजना पहले से ही है। वास्तव में, हम जब भी इसे प्राप्त कर लेंगे, तो इससे बहुत अधिक फायदा होगा लेकिन फिर मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मद्रास में कालापक्कम परियोजना को शुरू करने और इस पर प्रयोग करने को छोड़कर आप अब भी देश के भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। मैं पश्चिमी बंगाल का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह एक ऐसा राज्य है जहां अब विद्युत संकट विद्यमान है। इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए मिदनापुर जिले के कुछ क्षेत्रों को चुनने का सुझाव दिया गया था लेकिन बाद में इन्हें अस्वीकार कर दिया गया। यहां पर कुछ मुख्य बातें हैं, जो एक आणविक केन्द्र के लिए अपेक्षित हैं और बंगाल क्षेत्रों के रद्द करने के कारण निम्नलिखित हैं :—

1. खरीदाबाद स्थल, दर्ज किए गए अधिकतम बाढ़ जल स्तर से नीचे है।

2. मानसून के दौरान इस स्थान पर ऊंची ज्वार लहरों तथा तूफानों के कारण बाढ़ आ सकती है।

3. वर्जित तथा बंजर दोनों क्षेत्रों में, जनसंख्या का घनत्व अधिक होना।

4. कमी वाले तथा घरेलू प्रयोग के लिए ताजा पानी की सुलभता अपर्याप्त होना।

5. जमीन की भार वहन क्षमता 60 टी/एम^2 नहीं है जैसा कि आणविक ऊर्जा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित है।

श्रीमान, इन अपेक्षाओं के पूरा न होने आधार पर मिदनापुर जिला क्षेत्र के स्थानों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन मैंने मद्रास में देख लिया है कि भूमि वहन क्षमता कम होते हुए भी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वहां पर कंकरीट जमाई जा रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि कंकरीट का जमाव भूमि वहन समस्याओं की क्षतिपूर्ति कर सकता है। अगर आप यह महसूस करते हैं कि आणविक

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

विद्युत कार्यक्रम अन्तिम समाधान होगा फिर आपकी योजना कोयला आधारित कार्यक्रम की बजाए जिससे घाटे पर घाटा होता है इस पहलू पर भी बहुत अधिक केन्द्रित होना चाहिए। इस प्रकार मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पहलू को भी देखें और उन स्थानों का पता लगाएं जो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करते हों और जहां ऐसे कार्यक्रम चलाये जा सकते हों। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार ने उसको तीसरा स्थान चुनने के लिए कहा है जो सभी अपेक्षाओं को पूरा करता हो और अब यह पश्चिम बंगाल सरकार पर है कि वह स्थान का चयन करे और भारत सरकार को इसकी सूचना दे।

अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं मुख्य विषय विद्युत उत्पादन के वर्तमान कार्यक्रम से संबंधित है, मैंने देखा है कि विद्युत उत्पादन मुख्य समस्या है क्योंकि मैं हावड़ा निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां औद्योगीकरण पर खास जोर हैं। मैं प्राय: बिजली के सम्बन्ध में लघु, मध्यम तथा बड़े उद्योग से सम्बन्धित लोगों से मिलता रहता हूं। प्राय: आरोप यही होता है कि विद्युत बोर्डों को कोयला ठीक समय पर नहीं मिलता है। इसीलिए कोयला मंत्रालय अथवा कोयला विभाग सौभाग्यवश आपके पास है। मैंने व्यक्तिगत रूप से दो या तीन क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। वे क्या करते हैं? राज्य विद्युत प्राधिकरण भविष्य के लिए अपनी योजना एक माह पहले भी बनाता है। मान लीजिए तीन माह पश्चात् मुझे 100 मेगावाट विद्युत पैदा करनी है, तब तीन महीने पहले मेरी योजना तैयार होनी चाहिए, अगले तीन महीनों के लिए मुझे मालूम होना चाहिए कि कितना कोयला भेजना होगा, इसे कहां रखा जाना चाहिए आदि। इन सब चीजों में पूरा समन्वय नहीं है इसलिए ज्ञापन देने और वस्तुएं प्राप्त करने में हमेशा देरी होती है। पिछला बकाया पूरे वर्ष में पूरा नहीं किया जाता जिसके कारण मशीनरी की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता, जिसके फलस्वरूप बिजलीघर की कार्यकुशलता का स्तर नीचे गिर जाता है और अनुशासनहीनता उत्पन्न हो जाती है जो कभी पूरी नहीं होती।

ऊर्जा मन्त्री की भरसक कोशिशों के बावजूद मैं कह सकता हूं कि कोई भी राज्य विद्युत बोर्ड इसे नहीं करेगा क्योंकि वास्तव में कोई भी राज्य विद्युत बोर्ड स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। उन्हें हमेशा यह डर लगा रहता है कि अगर वह मन्त्री का कहना नहीं मानते तो उनका वहां से स्थानांतरण कर दिया जायेगा। मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूं। विरोधी सदस्य यह सुनकर मुझ पर चिल्लाएंगे। परन्तु श्रीमन ऐसा होता है। मैं किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि बिजली क्षेत्र में राजनीतिक दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें तकनीकी निपुणता और तकनीकी विश्वास की जरूरत है। परन्तु हमारी राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों का बाहर निकाल दिया जाता है। अगर एक मुख्य मन्त्री विद्युत अभियन्ता के साथ विद्युत घर का उद्घाटन करता है तो यह विद्युत अभियन्ता की गलती नहीं है। अगर मैं फिर से सत्ता में आता हूं और उससे कहता हूं—ओह आप बिजलीघर के उद्घाटन के समय श्री ज्योति बसु के साथ थे और अब आप एक कांग्रेसी के अधीन हैं और सी० पी० एम० अब सत्ता में नहीं रही है। यह अब हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप प्रशासन और विद्युत पैदा करने की क्षमता में पूरी तरह घपलेबाजी हो रही है। कोई भी दायित्व को नहीं निभा रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : यहां आप राजनीति की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको ऊर्जा के बारे में बात करनी है। (व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अगर आप मेरी बात नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैं राजनीति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि राजनीति को ऊर्जा में नहीं लाना चाहिए।

श्री बी० एन० रेड्डी : ऊर्जा की पूरे देश को आवश्यकता है। इसका ध्यान केन्द्र को रखना है। आप विषय को बदल रहे हैं। आपको ऊर्जा तक सीमित रहना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। श्रीमन् कठिनाई यह है कि कुछ लोगों को मेरा भाषण भी अच्छा नहीं लगता। श्रीमन् मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहा हूं। मैं आन्ध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं प्रसन्न हूंगा अगर आप सरकार से पश्चिम बंगाल की ऊर्जा क्षेत्र में सहायता करने की प्रार्थना करेंगे। आपने एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं उचित समय पर आपकी मंत्रणा लूंगा इसलिए, श्रीमन्, मशीनों के उपयोग कोयले को बिजलीघरों में ले जाने और भावी आयोजन का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि अगर ऊर्जा मन्त्री एक समिति का गठन करें तो कोई भी राज्य बिजली बोर्ड अपने ही बोर्ड के भावी योजना कार्यक्रम पर एक वर्ष तक, यहां तक कि तीन महीने तक भी अमल नहीं करेगा। इसका परिणाम यह है कि प्राय: प्रत्येक बिजली बोर्ड में संकट विद्यमान है।

मैं नहीं जानता कि उपभोक्ताओं को क्यों परेशान किया जाता है। मैंने अपने ही राज्य में दस दर्जन मामलों का हवाला दिया है। यह खतरनाक बात प्रत्येक राज्य में मेरे राज्य तथा दिल्ली में भी घट रही है। विद्युत इकाइयों द्वारा उपभोक्ताओं के बिजली के जो बिल तैयार किए जाते हैं उनमें बिजली दफ्तर के ही कुछ लोग बड़ी धांधली करते हैं। अगर आप उन्हें घूस से सन्तुष्ट न करें तो वे बिजली का बिल 40,000 यूनिट से बढ़ाकर 80,000 यूनिट या एक लाख यूनिट कर देंगे और उस विषय में आपको नोटिस जारी कर देंगे।

इसके अलावा एक और धांधली चल रही है और वह है 'ट्रांसमीशन चोरी' या 'बिजली चोरी' देश में बड़े पैमाने पर यह चोरी हो रही है। इसमें बिजली बोर्ड के अन्दर के तथा बाहर के बड़े माफिया गैंग शामिल हैं। मैं नहीं जानता कि आप इसे किस तरह रोकेंगे।

अगर आप औद्योगिक नीति में परिवर्तन नहीं करना चाहते, और गैर-सरकारी क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र को बिजली का उत्पादन करने की अनुमति नहीं देना चाहते तो कम से कम परमाणु विद्युत कार्यक्रम पर जोर दीजिए। अगर आप भी नहीं कर सकते तब आप यही कम से कम बिजली पूर्ति अधिनियम तथा भारतीय बिजली अधिनियम में संशोधन करके सदन के माध्यम से कानून बनाकर आप वास्तविक

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

अधिकार अपने हाथ में लेने के बारे में विचार कर सकते हैं जिसके द्वारा बिजली पैदा करने का समूचा कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अधीन नियमित किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, ऊर्जा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण और जटिल क्षेत्र है। जटिल का अर्थ है कि विद्युत वितरण में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिजली का उत्पादन सरल काम नहीं है और सभी समस्याओं पर हमारा पूरा नियन्त्रण नहीं है। उदाहरण के लिए तापीय बिजली घरों को कोयले की पूर्ति विभिन्न कोयला क्षेत्रों से कोयले की सप्लाई की जाती है विभिन्न कोयला खानों से निकालें गए कोयले में राख की मात्र भिन्न होती है। यदि कोई बायलर किसी विशेष प्रकार के कोयले के लिए बनाया गया है तो उस बायलर में सभी प्रकार का कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता। वास्तव में कठिनाई यह है कि कोयले का वितरण उन लोगों द्वारा किया जाता है जो यह नहीं जानते कि किसी तापीय बिजली घर के लिए किस प्रकार के कोयले की आवश्यकता है वास्तव में किसी तापीय बिजली घर को किस प्रकार के कोयले की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखे बिना जो भी कोयला उपलब्ध होता है वह भेज दिया जाता है।

इसे ध्यान में रखते हुए मेरा मन्त्री जी से सुझाव है कि सुपर तापीय बिजली घर कोयला खानों के मुहानों पर ही स्थापित किये जाएं जिससे कोयले की चोरी को रोका जा सके और कोयले की खेप को परिवहन के दौरान बदला न जा सके। इसकी बजाय आप कोयला खानों के मुहानों पर पैदा की गई विद्युत का प्रेषण करें। इससे आप बहुत हानि और दूसरी कठिनाइयों से बच जायेंगे। बिजली के उत्पादन और नियन्त्रण पर आपका पूरा नियन्त्रण होना चाहिए।

जहां तक पन बिजली के संसाधनों का सम्बन्ध है, इस बारे में अभी तक सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया है। यह सच है जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री दास मुंशी ने कहा है कि हमें परमाणु शक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए लेकिन आपने उसकी क्षमता के बारे में अभी तक सर्वेक्षण पूरा नहीं किया है। मेरे राज्य में आप चेनाब का सर्वेक्षण कर रहे है लेकिन उसका सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं किया गया है। भगवान के लिए यह सर्वेक्षण किसी अन्य अभिकरण का नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसे केन्द्र को ही करना चाहिए।

हम जेहलम नदी को बिजली के उत्पादन के लिए प्रयोग कर रहे हैं लेकिन हमने अभी तक इसका भली प्रकार सर्वेक्षण नहीं किया है। लद्दाख में सिंधु नदी हमें काफी बिजली दे सकती है। इस उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग और सर्वेक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए कारगिल में सुरु नदी से भी काफी बिजली उत्पन्न की जा सकती है और सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है।

लद्दाख और कारगिल दोनों रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है परन्तु इनका ठीक प्रकार से सर्वे-

क्षण नहीं किया गया है। दूसरे दृष्णिकोणों से भी इनका काफी महत्व है। यह हमें काफी मात्रा में खनिज भी दे सकते हैं। विशेषतया जंसकर क्षेत्र खनिज पदार्थों और विद्युत क्षमता में बहुत समृद्ध हैं। वहां पर उचित सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है यह बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास भारी मात्रा में संसाधन हैं। हमें प्रथम प्राथमिकता पन बिजली परियोजनाओं को देनी चाहिए। हमारे पास कोयले के भण्डार असीमित नहीं है और इन भण्डारों को हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखना है। इसलिए हमें कोयले का अन्धाधुन्ध प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर पानी समुद्र में बेकार बहकर चला जाता है और वह वापिस नहीं आएगा। इसको आप इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं। आप कोयले के भण्डारों को अनाप शनाप ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। जो अधिक समय तक नहीं चलेंगे। आप इसे बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से ले रहे हैं लेकिन मैं कहूंगा कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी कोयले के अन्धाधुन्ध प्रयोग के लिए आपको कोसेगी क्योंकि 50 वर्षों के बाद आपको कोयले के भण्डार नहीं मिलेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आपको पन बिजली क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी काफी पन बिजली क्षमता है। हम भली प्रकार से इसका सर्वेक्षण करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा। जहां तक पन बिजली परियोजनाओं का सम्बन्ध है हम बड़े संयन्त्रों के पीछे भागते हैं। हमें मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को भी अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कठुआ जिले में बासौली में सेवा पन बिजली परियोजना है जो 60 मेगावाट बिजली दे सकती है। जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अनेक ऐसी परियोजनाएं हैं। अगर आपके पास अधिक मध्यम परियोजनाएं होंगी तो आपकी सभी कठिनाईयां दूर हो जाएंगी। जहां तक सामग्री एवं दूसरी चीजों का सम्बन्ध है, वे देश में मौजूद हैं। आप अपनी स्वदेशी मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं।

यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा। में पूंजीनिवेश की आपकी नीति से बहुत अधिक निराश हूं। मैं नहीं समझता कि आप घाटे की अर्थव्यवस्था से क्यों डर रहे हैं। मध्यम दर्जे की परियोजनाओं के लिए बड़े कारगर ढंग से इसको अपनाया जा सकता है। स्वर्गीय श्री सी० डी० देशमुख ने हमें यह रास्ता दिखाया है। लेकिन पाठ्य पुस्तकों में यह नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग इसको नहीं अपनाना चाहते। अगर आप घाटे की अर्थव्यवस्था की सहायता से चीजों का उत्पादन कर सकते हैं और कुल राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ा सकते हैं तो इसको क्यों नहीं अपनाया जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इस पर विचार करना चाहिए और इस तरीके को अपनाना चाहिए।

जहां तक मध्यम दर्जे की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, आप उन्हें राज्य सरकार पर छोड़ दीजिए। कुछ राज्य कार्य करने में बहुत कार्यकुशल है। लेकिन कुछ दूसरे राज्य जैसे मेरा राज्य कार्यकुशल नहीं है और कई स्थानों पर काम करने में रुचि नहीं रखते लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर, आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कई स्थानों पर जहां ऐसा करना आवश्यक हो आपको परियोजनाओं को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। जो राज्य मध्यम दर्जे की परियोजनाओं को चला सके वे चलायें। परन्तु जो राज्य ऐसा नहीं कर सकते वहां पर केन्द्र को इन परियोजनाओं को चलाना चाहिए।

[श्री गिरधारी लाल डोगरा]

मेरे राज्य में दो परियोजनायें हैं। उनमें से एक सलाल परियोजना है। यद्यपि इसे बहुत पहले शुरू किया गया था लेकिन इन पर काम हाल ही में श्री ओबराय के आने के बाद ही शुरू हुआ है। कभी-कभी देरी कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण हुई देरी का दूसरा कारण यह है कि काम शुरू करने से पहले इसका पूरी तरह तकनीकी ढंग से सर्वेक्षण नहीं किया गया। सम्भवत: हमें विश्वास नहीं था कि यह किस प्रकार की भूमि है। हमारा अनुभव मैदानों तक सीमित था। हम सोचते थे कि जिस प्रकार की भूमि यहां है वैसी ही वहां भी होगी। उन्हें कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र था। अब वे इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। हमें बताया गया था कि यह जल्दी ही तैयार हो जाएगा। श्री अरूण नेहरू ने जब वह ऊर्जा मन्त्री थे बताया था कि परियोजना का प्रथम चरण इस वर्ष जून में पूरा हो जाएगा। बाद में हमें बताया गया कि प्रथम चरण सितम्बर में शुरू होगा। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि प्रथम चरण दिसम्बर में पूरा होगा। मैं माननीय मन्त्री श्री वसन्त जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सलाल परियोजना का दौरा करें। मैं नहीं जानता कि मन्त्री जी इस दौरे म रुचि रखते हैं। लेकिन श्रीमन आपको अवश्य ही इस स्थान का दौरा करना चाहिएं जिससे आप स्वयं इन चीजों को जान सके। श्रम समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है। आप जानते हैं। आप जानते हैं कि कर्मचारियों का साहस कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप श्री ओबराय की भी सहायता कर सकते हैं। बहुत काम किया जा रहा है। चीजें सुव्यवस्थित की जा रही हैं। जब से एन० एच० पी० सी० के वर्तमान चेयरमैन श्री ओबराय आए हैं तब से अब सलाल में स्थिति अधिक अच्छी है। मुझे यही कहना चाहिए।

इसके बाद एक अन्य परियोजना अर्थात दुलहस्ती है जो एक बड़ी योजना है। इसका बुनियादी सुविधाओं का कार्य-सड़कें, इमारतें तथा प्रायोगिक सुरंग भी प्रगति पर है। उन्हें पूरा किया जा रहा है और वृक्षारोपण का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। जहां तक मुख्य बिजली घर का संबंध है आपके संसाधनों की स्थिति के कारण तथा उस मशीनरी के कारण, जिसे आपको आयात करना होगा, आप इसे शायद विदेश के माध्यम से करवा रहे हैं। अतः आपको देखना होगा कि सहायता संघ को ठेका बिना विलंब के सफलतापूर्वक दिया जाए, क्योंकि अन्यथा इससे पूरे क्षेत्र में निराशा पैदा होगी।

आपके पास बिजली की कमी है। आपको भारत में प्रत्येक जगह उत्तरी क्षेत्र में भी बिजली की आवश्यकता है। अतः यदि ये दोनों परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जाती हैं, तो इनसे उत्तरी भारत में बिजली की कमी पूरी की जा सकती है। आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ट्रांसमीशन लाइन के लिए भी धनराशि नहीं दे रहे हैं जो पंजाब में बिजली ला सकती है और इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ सकती है। राष्ट्रीय ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप एक समान वितरण नहीं कर सकेंगे।

बिजली एक ऐसी वस्तु है जिसकी हमेशा कमी होगी। जहां कहीं भी इसकी कम सप्लाई हो वहां इसे पूरा करने के लिए अन्य स्थान से लेना होगा। जहां तक पन-बिजली का संबंध है, कमी वाली अवधि में आपको इसे तापीय बिजली द्वारा पूरा करना होगा। मैंने सुझाव दिया है कि आपको मुहानों

पर एक अच्छा बिजली घर कायम करना चाहिए। मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूं परन्तु मैं मंत्री जी से फिर अनुरोध करता हूं कि उन्हें सलाल का दौरा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह पूरा हो जाये जहां तक बिजली की सप्लाई का संबंध है जम्मू और कश्मीर में हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम आपके आभारी है कि आप समय-समय पर हमें कुछ अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं परन्तु कभी-कभी यह आपके लिए भी कठिन हो जाता है। जब सलाल का पहला चरण कम से कम पूरा हो जाएगा उस समय स्थिति ठीक हो जाएगी। अतः मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं : देखिए कि दुलहस्ती ठेका जल्दी दिया जाए। यह किसी भी देश को, जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपको उपयुक्त लगता हो, दिया जा सकता है। इसके बाद न केवल सलाल का पहला चरण बल्कि दूसरा चरण भी बिना किसी विलंब के पूरा किया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहूंगा कि चेनाव का सर्वेक्षण पूरा किया जाना चाहिए तथा कुछ अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य को भी शुरू किया जाना चाहिए, ताकि कुछ सीमा तक यह स्थानीय लोगों के मनोबल को ऊपर उठा सकें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आभारी हूं कि अभी हमारे मंत्री जी ने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है उन्होंने इसे सशक्त करने की कोशिश की है। हालांकि मेरे राज्य उड़ीसा में गंभीर बिजली संकट के कारण पम्प सेट लगभग बेकार हो गये हैं मैं आभारी हूं कि मंत्री जी ने पूरे मंत्रालय को क्रियाशील करने का प्रयास किया है जो ऊर्जा संकट को दूर करने में देश की सहायता करेगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि 1951 से 1971 के बीच दो दशकों में बिजली उत्पादन में वृद्धि की दर 12.7 प्रतिशत थी परन्तु उसके बाद अगले दशक में 1970 से 1985 में बिजली उत्पादन की वृद्धि की दर 12.7 प्रतिशत से कम होकर 7.6 प्रतिशत रह गई; 1976-77 में हमारे देश में तापीय संयत्र की उत्पादन क्षमता 55.9 प्रतिशत थी। परन्तु दुर्भाग्यवश छठी योजना में यह घटकर 50 प्रतिशत रह गयी। यह केवल औसतन है। परन्तु यदि आप तालचेर तापीय विद्युत संयंत्र पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि आज यह क्षमता 32 और 34 प्रतिशत के बीच में है। मैं आशा करता हूं कि इन बुनियादी प्रश्नों पर माननीय मंत्री और मंत्रालय को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यदि हम सभी कमियों को पूरा कर सकें तो वृद्धि की दर स्वयं पहले दशक के स्तर 12.7 प्रतिशत और इसकी क्षमता अपने आप 1976-77 के दिनों की 55·9 प्रतिशत तक हो जाएगी। तब शायद हम अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करेंगे जो 20,000 करोड़ रुपए के बराबर अतिरिक्त पूंजी पैदा कर सकती हैं तथा इसलिए हमें इस 10,000 मेगावाट की कमी के लिए संसाधनों को मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वह अन्तर है जिसकी हम सातवीं योजना में परिकल्पना कर रहे हैं।

एक युक्तिसंगत और निश्चित ऊर्जा नीति न होने के कारण किस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और उत्पादन में भी क्षेत्रीय विषमता हर योजना में बढ़ती रही है।

देश में और कुल स्थापित क्षमता में प्रत्येक क्षेत्र का भाग क्या है ? उत्तरी क्षेत्र में 1979-80

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

में समूची स्थापित क्षमता उत्पादन का यह 29 प्रतिशत था; पश्चिमी क्षेत्र में यह 27 प्रतिशत था; दक्षिणी क्षेत्र में यह 25 प्रतिशत था और पूर्वी क्षेत्र में यह केवल 17 प्रतिशत था।

श्री बिपिन पाल दास : बिजली प्रणाली के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह बहुत कम है। यह लगभग 10.5 है। योजना प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह है कि कम से कम धीरे-धीरे एक योजना से दूसरी योजना तक ये क्षेत्रीय असमानताएं पूरी तरह से दूर की जायें।

लेकिन होता क्या है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लागू की जाने वाली इस ऊर्जा नीति के कारण यह अन्तर बढ़ रहा है। आप सातवीं योजना के परिव्यय पर नजर डालिए। पश्चिम बंगाल के लिए यह 1,248 करोड़ रुपए, बिहार के लिए 1,065 करोड़ रुपए, उड़ीसा के लिए यह 780 करोड़ रुपए; असम के लिए 485 करोड़ रुपए है। इस पूर्वी क्षेत्र में कुल 3578 करोड़ रुपए है। लेकिन यदि आप गुजरात की ओर ध्यान द तो उसके लिए आप पाएंगे कि यह 1,437 करोड़ रुपए है; महाराष्ट्र के लिए 3,045 करोड़ रुपए; उत्तर प्रदेश के लिए 3,394 करोड़ रुपए हैं।

योजना आयोग के सदस्य का ऊर्जा का प्रभार जिनके हाथ में हैं, एक वक्तव्य मुझे मिला है। हमेशा की तरह उन्होंने सरकार के कार्यों का बचाव करने का प्रयास किया है। इसका बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि हम क्या कर सकते हैं। यह गाडगिल फार्मूला है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए विभिन्न राज्यों में संसाधनों का आवंटन किस तरह से किया जाये। यदि गाडगिल फार्मूला से विभिन्न क्षेत्रों में विषमता पैदा हो रही है तो मैं आशा करता हूं कि संसद को यह देखने का पूरा अधिकार है कि गाडगिल फार्मूला को इस क्षेत्र में लागू न किया जाए। इन चीजों में कोई गलत बात नहीं है। गाडगिल फार्मूला कोई वेद नहीं है कि यह 2000 ई० तक निरन्तर रहेगा और इसके बाद यह हमेशा रहेगा। इसलिए, ये बुनियादी प्रश्न हैं जिन्हें मैंने समझा कि इन्हें माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाया जाए।

5.00 म० प०

ऊर्जा क्षेत्र में एक निश्चित और युक्तिसंगत राष्ट्रीय नीति न होने के कारण छठी योजना में यह हो रहा था। उनके पास क्षेत्रवार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम था। उत्तरी क्षेत्र के लिए 5,172 मेगावाट, पश्चिमी क्षेत्र के लिए 5,937 मेगावाट, दक्षिणी क्षेत्र के लिए 4,565 मेगावाट पूर्वी क्षेत्र-बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए यह 3,323 मेगावाट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जिसका उल्लेख श्री बिपिन पाल दास ने किया है, वह केवल 669 मेगावाट है। यदि हमें इसमें से कुछ नहीं देखना है तो यह ठीक है। तब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। परन्तु क्या हुआ है कि उड़ीसा में भी छठी योजना में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए निर्धारित लक्ष्य 560 मेगावाट था। हालांकि वह बहुत ही अपर्याप्त था फिर भी जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, छठी योजना में एक मेगावाट भी अतिरिक्त बिजली की क्षमता विकसित नहीं की गई थी। ये वे परियोजनाएं हैं जो चौथी

योजना से आगे चल रही हैं। उन्हें अभी भी पूरा नहीं किया गया है। सातवीं योजना में उन्हें पूरा किये जाने का प्रयास है। भारत सरकार ने चौथी योजना की सारी अपूर्ण परियोजनाओं को धनराशि आबंटन करने की कोशिश की है ताकि उन्हें सातवीं योजना में पूरा किया जा सके और 465 मेगावाट बिजली की वृद्धि हो सके। इसलिए हमें इन पर ध्यान देना होगा। जब तक हम इसे नहीं करते हैं तब तक देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को भारी भरकम शब्द पूरा नहीं कर सकते हैं जबकि हम 21वीं सदी में जाने के लिए तैयार हैं।

हालांकि उड़ीसा में बिजली का सैद्धांतिक उत्पादन आज 574 मेगावाट लिया गया है, आज बिजली की वास्तविक उपलब्धता केवल 413 मेगावाट है जबकि उड़ीसा की मांग आज 800 मेगावाट की है हालांकि स्थापित क्षमता 1184 मेगावाट है। क्योंकि तालचेर तापीय बिजली परियोजना की 410 मेगावाट उत्पादन क्षमता है जबकि यह केवल 32 से 34 प्रतिशत का उत्पादन कर रही है। यदि आप इसे 350 मेगावाट तक बढ़ा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आज उड़ीसा में अधिकांश ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। आज कई दिनों तक ग्रामीण क्षेत्र में अंधेरा रहता है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव पेश किया है और मुझे खुशी है कि राज्य में बिजली संकट को देखते हुए इब घाटी तापीय विद्युत संयंत्र और अन्य तालचेर सुपर तापीय विद्युत संयंत्र के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। कार्यकारी ग्रुप ने कहा है कि उड़ीसा को सातवीं योजना में 1200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। इसलिए, इनकी तुरन्त मंजूरी दी जानी चाहिए। इब घाटी तापीय सयंत्र राज्य क्षेत्र में है और दूसरा, अर्थात् तालचेर संयंत्र केन्द्रीय क्षेत्र में है। अब, क्या हो रहा है ? हालांकि ऊर्जा मंत्रालय तालचेर सुपर तापीय संयंत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण आदि लेने के लिए अपनी ओर से बहुत कोशिश कर रहा है, किसी ने कहीं कहा है, कि यदि सुपर तापीय संयंत्र वहां स्थापित किया जाता है तो क्षेत्र के पूरे वातावरण में बाधा उत्पन्न होगी। यदि वहां कहीं कोई रुकावट आती है तो यह विश्व बैंक को जायेगी और इसके बाद यह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को जायेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर्यावरण की समस्या का समाधान करने की तत्काल कोशिश करेंगे, ताकि तालचेर सुपर तापीय संयंत्र का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। कार्यकारी ग्रुप ने सिफारिश की है कि इसे 1985-86 में शुरू किया जाना चाहिए। यदि माननीय मंत्री और मंत्रालय पर्याप्त ध्यान देंगे तो कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा।

हम जिस क्षमता के बारे में सोच रहे हैं, उस पर गौर करें। छठी योजना में लक्ष्य 19,686 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का था। तीन वर्ष के पश्चात् मध्यावधि मूल्यांकन हुआ था। मध्यावधि मूल्यांकन में उन्होंने इसे संशोधित करके 14,500 मेगावाट कर दिया। लेकिन वास्तव में 14000 मेगावाट की उपलब्धि हुई। अब सातवीं योजना में उन्होंने 30,000 मेगावाट की सिफारिश की है। एक मेगावाट बिजली की लागत 1.5 करोड़ रुपए है। उस पर विचार करते हुए 25 प्रतिशत का अनुमान कम है फिर भी आप योजना आयोग के आबंटन को देख सकते हैं। अतः पिछले मानक द्वारा यह लक्ष्य फिर से बीच में संशोधित किया जाएगा दो वर्षों के बाद हम कहेंगे कि हमें 22,000 रहने दो और फिर वास्तविक रूप से हम 16,000 पर आ जायेंगे। यदि ये चीजें होती हैं तो फिर क्या होगा, हम समझ नहीं सकें है। मैं आपको अतिरिक्त क्षमता उत्पादन के बारे में कुछ आंकड़े देता हूं। तीसरी योजना के लिए, लक्ष्य 7040 मेगावाट था और उपलब्धि 4,520 मेगावाट थी। चौथी योजना

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

में लक्ष्य 9264 मेगावाट था और उपलब्धि 4,579 मेगावाट थी। इसी तरह, पांचवीं योजना में, लक्ष्य 12,499 मेगावाट था परन्तु उपलब्धि केवल 10,202 मेगावाट थी। अतः यदि आप इसी तरह से चलते हैं तो उपलब्धि में प्रत्येक जगह 45 प्रतिशत की कटौती होगी। इसलिए, ये समस्याएं हैं जिन पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। यदि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अन्ततः तीन वर्षों के पश्चात् लक्ष्यों को संशोधित किया जाता है और तक निर्धारित किए गए लक्ष्य से वास्तविक उत्पादन 50 प्रतिशत से कम होता है तो हम किस प्रकार से इसका समाधान निकालेंगे जब कि यह देश ऊर्जा की बड़ी कमी की समस्या का सामना कर रहा है और आने वाले वर्षों में यह और भी तीव्र हो जाएगी।

मुझे खुशी है कि सरकार ने इस वर्ष बिजली का उत्पादन 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना बनायी है। यह बहुत अच्छा उपाय है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 10,000 मेगावाट के अन्तर को समाप्त करने के लिए सरकार ने पहले ही केन्द्रीय विद्युत वित्त निगम की स्थापना की है। यह एक स्वागतपूर्ण कदम है। मैं आशा करता हूं कि जो भी कठिनाइयां या कमियां वहां हैं, उन्हें केन्द्रीय विद्युत वित्त निगम समाप्त कर सकेगा।

अब हम राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर ध्यान देते हैं। दूसरे पक्ष के कुछ सदस्यों ने बताया है कि छठी योजना के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को 4500 करोड़ रुपया की हानि हुई और सातवीं योजना के दौरान 11757 करोड़ की हानि होगी। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है जिसमें मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि इन्हें राज्य बिजली बोर्डों के बारे में कुछ करना है। हम उनके इस कथन का स्वागत करते हैं। परन्तु ऐसा हम कब करेंगे ? कौन से वर्ष करेंगे ? यह हानि राज-सहायता के अलावा है। केन्द्रीय सरकार उन्हें राज-सहायता भी देती है। वास्तव में माननीय बिपन पाल दास ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बता रहे थे। **(व्यवधान)**

श्री बिपिन पाल दास : मैंने राज्य बिजली बोर्डों के बारे में यह भी बताया था कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि इन बोर्डों में व्यवसायिक व्यक्ति होने चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं समझता हूं कि इस बारे में कुछ बोर्डों में हड़ताल भी हुई थी।

तलचर विद्युत संयंत्र के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं कि इस एकक की क्षमता का 32-34 प्रतिशत उपलब्ध होता है जबकि देश की औसत 50% है। ऐसा इसलिए है कि पूरी मशीनरी दोषपूर्ण है। दूसरे उन्हें प्रति वर्ष 7,000 टन कोयले की आवश्यकता होती है जोकि उन्हें वाहक बेल्टा द्वारा केवल 3,000 टन कोयला सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक अकुशलता भी विद्यमान है। यदि उसे सुधार कर आप बिजली उत्पादन में 50 मैगावाट की वृद्धि ला सकते हैं तो हमारे राज्य में बिजली संकट आधा समाप्त हो सकता है। अतः क्या इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक नहीं है ?

केन्द्रीय विद्युत अधिकरण के व्यक्ति कई बार तलचर गये हैं। परन्तु उन्होंने क्या किया है ?

कौन से सुधार लाये गये हैं। इन सभी गतिविधियों की जानकारी सभा को दी जानी चाहिए।

अब उड़ीसा के मामले को लें। मचकुण्ड विद्युत परियोजना में उड़ीसा का भाग 30% है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इसे 50% करके वर्तमान कठिनाइयां दूर की जायें। ऐसे राज्य हैं जिनमें बिजली फालतू होती है तथा ऐसे राज्य भी हैं जिनमें बिजली की कमी है। परन्तु बात यह है कि प्रत्येक राज्य अलग अलग कार्य करते हैं। क्या बात है कि राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का कार्य जिसके लिए धन का आबंटन किया गया था, पूरा नहीं हुआ…(व्यवधान)

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़) : कौन से राज्यों के पास फालतू बिजली है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यदि मैं कहूं कि महाराष्ट्र में भी बिजली फालतू है तो आप मेरी बात को मानेंगे नहीं। अतः मैं उसे नहीं लेता क्योंकि सभी राज्य कहेंगे कि उन्हें अधिक बिजली की जरूरत है। राज्यों में अधिक विद्युत खपत के घण्टे अलग अलग हो सकते हैं और इस तरह कमी वाले राज्यों की मदद की जा सकती है। मान लीजिए आज उड़ीसा में बिजली की कमी है तो हमें 50 अथवा 100 मैगावाट बिजली लेनी होगी। अगर राष्ट्रीय विद्युत पारेषण लाइने और ग्रिड बना हो परन्तु वह पूरा नहीं हुआ है। यह सभी कमियां हैं। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय ग्रिड के कार्य को पूरा क्यों नहीं किया गया। ऊर्जा मन्त्रालय ने इन सभी बातों के लिए धन दिया है। इन सभी बातों पर कौन ध्यान देगा। पूरे देश में स्थापित क्षमता कितनी है ? पूरी क्षमता है 48000 मेगावाट। वास्तव में कुल उत्पादन 22000 मेगावाट है। देश में विद्युत पारेषण में विद्युत की हानि काफी अधिक होती है। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया। इसे कम करके 15% तक भी ले आया जाये तो इससे हर दिन 500 मैगावाट विद्युत बचायी जा सकती है। ये समस्याएं हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने योग्य मन्त्री श्री साठे की सहायता से मेरे द्वारा बताई गयी कमियों पर काबू पा लिया जायेगा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम सातवीं योजना में हम इस समस्या का समाधान कर पायेंगे। 1990 तक हमें उम्मीद है देश विद्युत उत्पादन में आत्म-निर्भर हो जायेगा।

इन सुझावों के साथ मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, किसी भी देश के विकास के लिए ऊर्जा-तथा शिक्षा दो बातों की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश की प्रति व्यक्ति खपत 165 यूनिट है। पश्चिमी देशों में यह लगभग 1,000 यूनिट है। सातवीं योजना में ऊर्जा के विकास पर कुछ ध्यान दिया गया है। परन्तु उतना पर्याप्त नहीं है। 7वीं योजना के दौरान पूरे देश के लिए कुल प्राक्कलित खर्च 43000 करोड़ में से आंध्र प्रदेश को केवल 1160 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। आंध्र प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड ठीक से कार्य कर रहा है परन्तु आपने आंध्र प्रदेश के लिए बहुत कम धनराशि आबंटित की है जो बहुत निराशा की बात है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। 1986-87 के लिए आबंटन केवल 3029 करोड़ रुपए का है। जो पिछले वर्ष की तुलना में 100 करोड़ रुपए कम है। मन्त्री महोदय देश की आवश्यकताओं को कैसे पूरी करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

आन्ध्र प्रदेश में 85 प्रतिशत राजस्व ग्रामों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। 15 प्रतिशत छोटे ग्रामों में विद्युतीकरण कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 27,000 राजस्व ग्राम और 30,000 छोटे ग्राम हैं। मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की सभी लम्बित पड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाए। आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की लम्बित पड़ी परियोजनाओं के बारे में जो मैंने पत्र लिखे थे उनके केवल प्राप्त होने की ही सूचना मुझे मिली है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। मानुगुर में एक केन्द्रीय ताप विद्युत परियोजना लगाने का जो प्रस्ताव है उसके बारे में राज्य सरकार तथा मुख्य मन्त्री ने आपको अनेक पत्र लिखे हैं। परन्तु उस परियोजना को आज तक मंजूरी नहीं दी गई है। उसे मंजूरी दी जानी चाहिए। इसे केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना के दूसरे चरण के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए। इस समय विजयबाड़ा की थर्मल परियोजना अच्छा कार्य कर रही है। वहां पर 80% क्षमता का उत्पादन हो रहा है जोकि किसी भी थर्मल स्टेशन की तुलना में अच्छा कार्य है। देश के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में प्रति यूनिट प्रभार दर में अंतर है। इन दरों में ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। ये सभी टैरिफ दरें पूरे देश में एक समान होनी चाहिए। हमारा राज्य किसानों को रियायतें दे रहा है जिसका पूरे देश में अनुकरण किया जाना चाहिए तथा उसकी यह राजसहायता केन्द्रीय सरकार को वहन करनी चाहिए। राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधनों द्वारा इसे वहन नहीं कर सकतीं। किसी भी देश का विकास कृषि पर आधारित है तथा कृषि का विकास ऊर्जा पर निर्भर करता है।

बहुत सी परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं। बिजली पैदा करने के लिए बहुत सी जल विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता है। हमारी राज्य सरकार ऐसी कई परियोजनाओं के बारे में निवेदन करती रही है। बेशक आपका उनसे सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इचमपल्ली और पोलावरम आदि सिंचाई परियोजनाओं और श्री सेलम बांया तट परियोजना तथा नागार्जुन सागर बांया तट परियोजना जैसी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने का प्रयास करेंगे। ये सभी परियोजनाएं विचाराधीन पड़ी हैं तथा उन्हें मंजूरी दी जानी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर हम पड़ोसी राज्यों को भी बिजली दे सकते हैं। इचमपल्ली परियोजना तीन राज्यों की परियोजना है। इसका कार्य काफी समय से रुका पड़ा है। अत: कृपया आप उन परियोजनाओं को मंजूरी देने में अपने प्रभाव का उपयोग करें। इस परियोजना से उड़ीसा के लोगों को भी लाभ पहुंचेगा।

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : उसमें आदमजातियों के लोगों के पुनर्वास की समस्या निहित है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। हमारे पास विकल्पी व्यवस्था है। अत: आप इस परियोजना को मंजूरी दिलाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, प्रति वर्ष बिजली में कटौती की जाती है। इसके परिणामस्वरूप अनेक उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारी राज्य सरकार, आपसे नागार्जुन सागर में परमाणु बिजली घर स्थापित

करने का अनुरोध कर रही है। यद्यपि यह आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है, तो भी आप यह काम कर सकते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि आप सक्षम हैं क्योंकि आपके गतिशील नेतृत्व में हम पिछले वर्ष विशाखापटनम इस्पात संयंत्र के लिए 800 करोड़ रुपये प्राप्त कर सके। अतः मुझे आशा है आप नागार्जुन सागर में परमाणु बिजली घर स्थापित करने में सहायता करेंगे। एक तरह से इस बिजली घर से आपके विभाग को भी मदद मिलेगी। इसलिए मैं आपसे इस पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध करूंगा।

आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा में कोयला मिलता है। वहां पर हम कई कोयला परियोजनायें स्थापित कर सकते हैं। कोयला श्रमिकों की कई समस्याएं हैं। दुर्भाग्यवश हाल ही में कार्बन मोनोक्साइड के रिसाव के कारण 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारियों को भी अपनी जानकारी प्रदान करे। मैं यह भी चाहता हूं कि एक अनुसंधान प्रकोष्ठ बनाया जाये। अधिकारियों को कुछ प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

आंध्र प्रदेश में कुछ और परियोजनायें भी हैं जैसे कि सिगरैनी कोयला खानें। आप केन्द्र सरकार की ओर से सहयोग दे सकते हैं जिससे ये परियोजनायें चालू की जा सकें और कोयले का प्रयोग किया जा सके।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। वे अच्छा काम कर रही हैं। किंतु ऊर्जा के सभी गैर-परम्परागत स्रोतों के लिए केवल 101 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। इसके अतिरिक्त अनेक गोबर गैस संयंत्र भी लगाए जाने हैं। मैं चाहता हूं कि गोबर गैस संयंत्रों के लिए अधिक से अधिक धन दिया जाये। 101 करोड़ रुपए की राशि पर्याप्त नहीं होगी।

ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा का विकास करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके गतिशील नेतृत्व में न केवल कोयला परियोजनाओं बल्कि अन्य सिंचाई तथा जल-विद्युत परियोजना को भी जो भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं, यथासम्भव शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

हम अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करने में मदद कर सकते हैं, जो अन्य दक्षिणी राज्यों विशेषकर कर्नाटक को दी जा सकती है। वहां पर भी बिजली में भारी कटौती की जा रही है। वहां पर इससे अनेक उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में मैंने देखा है कि कुछ उद्योगों को बिजली की सप्लाई में 70 प्रतिशत तक कटौती की गई है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों में विद्युत उत्पादन बढ़ाना चाहिए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, यह माननीय मन्त्री द्वारा ऊर्जा के सम्बन्ध में पेश की गई पहली बजट मांग है। अत: मैं उन्हें विभाग के कार्यों में भी गतिशीलता लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। कोयला विभाग भी उनके अधीन लाया गया है। अत: उनके लिए अपने अधीन विभिन्न विभागों में समन्वय उत्पन्न करना सम्भव हो सकेगा।

मुझसे पहले बोलने वाले अनेक माननीय सदस्यों ने देश में विद्युत की स्थिति का उल्लेख किया

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

है। छठी योजना के अंत तक अधिष्ठापित क्षमता 42547 मेगावाट या इससे कुछ अधिक हो जाएगी। पहले 19600 मेगावाट के लिए योजना बनाई गई थी किंतु बाद में इसे संशोधित किया गया किंतु हमने केवल 14000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का ही लक्ष्य प्राप्त किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 22245 मेगावाट का प्रस्ताव रखा गया है अर्थात हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि से 60 प्रतिशत अधिक। यह अनुमान है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल क्षमता 64792 मेगावाट हो जाएगी। किंतु इसके लिए केवल 34273 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मैं नहीं जानता कि मंत्रालय सातवीं पंचवर्षीय योजना में इससे बेहतर कार्य कर सकेगा क्योंकि योजना आयोग ने इस गणना के आधार पर आबंटन किया है कि एक मेगावाट विद्युत उत्पादन पर लगभग 1.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

5.23 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

किंतु एक अन्य अध्ययन के अनुसार एक मेगावाट क्षमता अधिष्ठापित करने में 2.25 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करें। यदि योजना आयोग का अनुमान सही नहीं है जैसा कि एक अन्य अध्ययन से पता चला है, तो महोदय, यह आबंटन बहुत कम है और हम 14000 मेगावाट से अधिक विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ष 1985-86 के बारे में दावा किया गया था कि हमने 4460 मेगावाट अथवा इससे कुछ कम का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है किंतु 30 मार्च, 1986 के इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार में इस दावे को चुनौती दी गई थी। यह बताया गया है कि पिछले 10 माह में केवल 2240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ है। अब मैं माननीय मंत्री का ध्यान इंडियन एक्सप्रेस में छपे समाचार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें सरकार के लक्ष्य प्राप्ति के दावे को चुनौती दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस में आगे बताया गया है कि 210 मेगावाट की क्षमता वाले 9 ताप विद्युत केन्द्रों में से 6 में कोई उत्पादन नहीं हुआ। मार्च में छह और यूनिटों का इजाफा किया गया लेकिन अगले ही दिन उनमें से पांच यूनिट बन्द कर दिए गए। क्या यह सच है ? यदि ऐसा है तो इससे सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है।

हमें विद्युत के बारे में तीन पहलुओं से विचार करना है। पहला ताप बिजली घरों की कम क्षमता का उपयोग तथा ट्रांसमिशन में अधिक हानि। दूसरा, जल विद्युत के उत्पादन में होती जा रही कमी तथा तीसरा, राज्य मण्डलों के प्रबन्ध की खराब स्थिति। इस सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं केवल ऊर्जा परामर्शदाता दल के चेयरमैन श्री वोहरा की रिपोर्ट का उल्लेख करता हूं जिसमें यह बताया गया है कि ताप बिजली घरों के पी० एल० एफ० में 10 प्रतिशत वृद्धि और ट्रांसमिशन हानि को 21 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने से 35 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी जिससे इसकी सप्लाई में कटौती नहीं करनी पड़ेगी। अन्ततः

प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि हमें ताप बिजली घरों के कार्यकरण में सुधार करना पड़ेगा। 'फिक्की' के अध्यक्ष के अनुसार पी० एल० एफ० में 10 प्रतिशत वृद्धि करने से पूंजीनिवेश में 11000 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसलिए हमें इन तापीय विद्युत संयंत्रों के कार्य को सुधारने पर ध्यान देना होगा। 1984-85 में क्षमता उपयोग 50% थी। 198:-86 में 9 महीने तक क्षमता उपयोग 50.8 प्रतिशत रहा। मुझे बताया गया है कि हाल ही में गत दो महीनों के दौरान संयंत्र की उत्पादन क्षमता बढ़कर 59 प्रतिशत हो गई है। आप क्षमता उपयोग बढ़ा सकते हैं और संयंत्र की उत्पादन क्षमता भी बढ़ा सकते हैं। यदि संयंत्र की क्षमता 10 प्रतिशत बढ़ जाए तो अधिकांश समस्याएं सुलझ जायेंगी। संयंत्र की इस क्षमता को 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाना बहुत कठिन नहीं है। महाराष्ट्र सिंगरौली और आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा) में हरेक संयंत्र में 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अथवा 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हुई है। राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की क्षमता उपयोग 60 प्रतिशत है। किंतु बेहतर प्रबन्ध, बेहतर रख-रखाव और बेहतर किस्म के कोयले से क्षमता उपयोग और भी बढ़ सकता है। इसलिए मैं इन संयंत्रों के कार्य निष्पादन पर जोर दे रहा हूं।

दूसरे पारेषण में होने वाली हानि को हम निम्नलिखित उपायों से 21 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर सकते हैं :

(क) अधिक 'धारिक बैंकों' का इस्तेमाल करके, (ख) पारेषण लाइनों को 220 के० वी० से 440 के० वी० में परिवर्तित करके; यह कार्य किया जा रहा है, और (ग) विद्युत पारेषण में होने वाली चोरी रोकने के लिए हमें गंभीर कदम उठाने चाहिए। मुझे प्रतिवेदन में यह बात पढ़कर प्रसन्नता हुई है कि इस मामले पर गौर किया गया है और सरकार इसे संज्ञेय अपराध बनाने जा रही है और माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में शीघ्र ही एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

जहां तक पन विद्युत का प्रश्न है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पन-विद्युत का अपार भण्डार है और अपेक्षित आवश्यकता के अनुरूप इसका दोहन नहीं किया जा सका है। कालान्तर में यह सस्ती पड़ती है किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जल-विद्युत का अंशदान अथवा समूची उत्पादित विद्युत में इसका हिस्सा उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। पांचवीं योजना के अन्त तक उसका हिस्सा 40.60 था जबकि छठी योजना के अंत तक इसका हिस्सा 33.7 : 66.3 हो गया है। अब यह आशा की जा रही है कि सातवीं योजना के अंत तक इसका हिस्सा 69.3 की तुलना में 30.7 रह जायेगा। हमें पता है कि देश की मुश्किल से 10 से 12 प्रतिशत पन-विद्युत क्षमता का दोहन किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए जिससे कालान्तर में सस्ती बिजली प्राप्त हो सके। मैं यह कह चुका हूं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है।

32 तापीय विद्युत स्टेशनों में सुधार करने के लिए आपको 500 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इस वर्ष 90 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गयी है उसमें से केवल 8.6 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर और अधिक निगरानी और नियंत्रण रखा जाये। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं हमें अपने तापीय विद्युत संयंत्रों में सुधार करना होगा और बेहतर प्रबन्ध से यह किया जा सकता है।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

अब हम विद्युत बोर्डों को लेते हैं। इसके बारे में मेरे अनेक मित्र पहले ही बोल चुके हैं। उन्हें कुल 4500 करोड़ का घाटा हो चुका है और जैसा कि मैं देखता हूं उनके कार्य में सुधार नहीं हो रहा है। जैसा कि मेरे मित्र श्री अय्यर कह चुके हैं विद्युत उत्पादन की कुल 84 प्रतिशत क्षमता विद्युत बोर्डों के लिए है। किन्तु उनका कार्यनिष्पादन इतना खराब है कि यदि इसे सुधारा न गया तो इन विद्युत बोर्डों का कार्यकरण उत्तरोत्तर गिरता जायेगा और आने वाला समय देश के लिए बहुत ही कठिनाइयों का होगा। इनमें कर्मचारी अधिक हैं, इनका प्रबन्ध खराब है और इनका रख-रखाव दोषपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार इन अधिनियमों में भी संशोधन करे, ताकि वह विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर नियन्त्रण रख सके। इसमें बड़ी राजनीति चल रही है।

जहां तक बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का सम्बन्ध है, इसमें 44,000 कर्मचारी हैं और उसका कार्यनिष्पादन बहुत ही खराब है। उसकी स्थापित क्षमता 1100 मेगावाट है जबकि हमें केवल 400 मेगावाट प्राप्त हो रही है। इसे इस दृष्टिकोण से देखना होगा। कर्मचारियों में राजनीति बहुत घर कर गई है। और वे तोड़-फोड़ के कार्य भी करते हैं। हाल ही में बरौनी में एक यूनिट केवल इसलिए बन्द हो गया था क्योंकि टरबाइन में एक ईंट रख दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र ने काम करना बन्द कर दिया था। इस बात की छान-बीन की जा रही है कि यह तोड़-फोड़ का मामला था अथवा नहीं। मेरे विचार से यह तोड़-फोड़ का मामला था।

इसके बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि इन विद्युत स्टेशनों को अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई किया जाये। अब तक जो कोयला सप्लाई होता है, उसमें बहुत राख होती है। धोवनशालाएं स्थापित किये जा रहे हैं किन्तु उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। माननीय मन्त्री महोदय को पता है कि उत्पादन लागत 46 रुपये 30 पैसे प्रति टन है जो विक्रय मूल्य 37 रुपये 50 पैसे की तुलना में कहीं अधिक है। मूल्य बढ़ा देने के बावजूद कोयला खानों को घाटा होता रहेगा और इसका कारण यह है कि विश्व बैंक ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स को ऋण देना अस्वीकार कर दिया है। मेरे विचार में मन्त्री महोदय को धनबाद की ओर ध्यान देना चाहिए, जहां माफिया लोगों का शासन है। वहां कर्मचारी अधिक संख्या में अनुपस्थित रहते हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष ने कोयला खानों का पुनर्गठन करके उनका शासन समाप्त करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये थे और मुझे आशा है कि इन कदमों का अनुसरण दृढ़तापूर्वक किया जाता रहेगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि कार्यनिष्पादन न सुधारा गया तो शताब्दी के बीतने के साथ ही विद्युत की स्थिति और भी अधिक बिगड़ जाएगी और मैं यह बात पहले ही बता चुका हूं कि इसके लिए बहुत कम राशि नियत की जाती है। इसके लिए 8वीं योजना के लिए केवल अग्रिम कार्यवाही करने से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सातवीं योजना के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही आरम्भ करनी होगी जिससे कि वह कार्यवाही 8वीं योजना तक पूरी हो जाए। अतः नियत की गई राशि बहुत ही कम है। योजना आयोग का अनुमान दोषपूर्ण लगता है और जसा कि मैं पहले बता चुका हूं, माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। इन सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें ऊर्जा संरक्षण की नीति अपनानी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस मंत्रालय में एक संरक्षण कक्ष है।

मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। किन्तु मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगले 15 वर्षों तक हमें 5000 लाख टन कोयले की आवश्यकता पड़ेगी—जो आज के उत्पादन से तीन गुणा होगा। हमें 920 लाख टन तेल की आवश्यकता पड़ेगी जो वर्तमान उत्पादन का तीन गुणा होगा। उस समय 551 ट्रिलियन मेगावाट बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। जो इस समय की उत्पादन क्षमता से $2\frac{1}{2}$ गुणा अधिक होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करना तब तक कठिन होगा जब तक कि आप ऊर्जा संरक्षण के साधन नहीं अपनाएंगे और जब तक आप ऊर्जा संसाधनों का अधिकाधिक नवीकरण नहीं करेंगे। डा० डी० वी० कपूर का अनुमान है केवल उद्योग में ही प्रतिवर्ष 1925 करोड़ रुपये की बिजली की बचत हो सकती है। बिजली की खपत के मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए। ऊर्जा लेखापरीक्षा भी अनिवार्य बनाई जानी चाहिए जिससे कि इसे रोका जा सके।

कृषि क्षेत्र में दोषपूर्ण पम्पसेट सप्लाई किये जाते हैं। बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए इन्हें किसी प्रकार की रियायत नहीं देनी चाहिए। यदि आप इस नीति को कठोरतापूर्वक अपनाएंगे तो आपको 400 करोड़ रुपये की बचत होगी। हमें व्यस्ततम समय के अतिरिक्त समय में कृषि क्षेत्र में बिजली का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए इस समय विशेष प्रकार के मीटर उपलब्ध हैं। अमरीका में साथ-साथ विद्युत उत्पादन के माध्यम से 45 प्रतिशत की बचत सम्भव हो सकी है।

इसके अलावा हमारे यहां पी० सी० आर० ए० (पेट्रोलियम कन्जरवेशन रिसर्च एसोसिएशन) है, जिसका वित्तपोषण तेल उद्योग विकास बोर्ड करता है। वह कुछ ऐसे उपाय करता रहा है जिससे इंधन की बचत होना सुनिश्चित हो सका है इस समय उनका ध्यान डीजल बचाने के लिए परिवहन क्षेत्र पर और कृषि क्षेत्र पर तथा मिट्टी का तेल बचाने के लिए घरेलू क्षेत्र पर लगा हुआ है। इसलिए हमें ऊर्जा बचाने के लिए इंधन क्षमता स्वचालित इंजनों और बहु-क्रियावाहनों के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए।

गैर-परम्परागत ऊर्जा साधन विभाग के गठन से ही पता चलता है कि सरकार गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों के उपयोग करने तथा उसके महत्व को समझने के प्रति कितनी जागरूक है।

कुछ दिन पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए मन्त्री जी ने ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम के बारे में कहा था और उनके अनुसार शायद एक ऊर्जा ग्राम को अपनाने के लिए 10 लाख रुपये की आवश्यकता है। खांदिया गांव में जिसके बारे में भी मन्त्री जी ने भी कहा है, प्रौद्योगिकी की कमी नहीं है।

आगे मैं कहना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण नीति की बजाय ग्रामीण ऊर्जाकरण नीति अपनानी चाहिए और गांवों में ही उपलब्ध ऊर्जा पर निर्भर रहना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि आप पवन चक्की की व्यवस्था कर सकते हैं जो कि 15000 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा सकती हैं। कच्छ में ग्राम 1.5 कि० मी० × 75 मीटर 1.1 मेगावाट बिजली पैदा करता है। माइक्रो हाइडल पद्धति विकसित की जानी चाहिए। यह आपको 5000 मेगावाट बिजली देगी।

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह]

सौर ऊर्जा में असीमित शक्ति है और इसका जितना अधिक उपयोग आप कर सकते हैं, किया जाना चाहिए ताकि आपको उन स्रोतों का उपयोग न करना पड़े जो बाद में समाप्त हो जायेंगे। मैं अपने राज्य पर आ रहा हूं।

मन्त्री जी ने मुजफ्फरपुर ताप बिजलीघर के सम्बन्ध में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बिहार चिरकाल से कुप्रबन्ध का शिकार रहा है। मैंने उन्हें तत्काल लिखा कि कान्ती ताप बिजलीघर स्थापित करने में हुई देरी के लिए बिहार जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिम्मेदार है जिसे यह ठेका दिया गया है। उन्होंने कान्ती ताप बिजलीघर को जो 1985 में चालू किया गया था खराब उपकरण मुहैया किये और इसमें गड़बड़ी पैदा हो गई जिसे ठीक करने में काफी समय लगा। अब 110 मेगावाट की दूसरी इकाई चालू की गई है, परन्तु इसने वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितना समय लगेगा।

कोयल-कारो परियोजना काफी समय से लम्बित है। आपने कहा है कि भूमि झगड़े के कारण एन० एच० पी० सी० इसे नहीं ले सकी। मुख्य मन्त्री ने अब एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा है कि भूमि विवाद सुलझ गया है और आप अब इस काम को शुरू कर सकते हैं। यह लगभग 700 मेगावाट बिजली पैदा करेगी जो बिहार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

कहलगांव परियोजना जो कि एक केन्द्रीय परियोजना है, सोवियत सहयोग से स्थापित की जा रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस परियोजना को यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

इस समय आप केवल 800 मेगावाट क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं यद्यपि बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 2000 मेगावाट कर दी जायेगी।

कान्ती के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि आरम्भ में इसकी अनुमानित लागत केवल 48 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात तीन गुना बढ़ गई है। आपको इसे भी देखना है। परियोजना के निर्माण में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे लागत बढ़ती है। इस क्षेत्र के लिए धनराशि आवंटित की गई है, वह बहुत कम और अपर्याप्त सिद्ध हुई है और आप लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इसलिए हमें इस पर विचार करना है और योजना आयोग के साथ भी चर्चा करनी चाहिए। धनराशि नियत करते समय आयोग को कीमतों में वृद्धि और इस बीच रुपये के मूल्य में हुए ह्रास को ध्यान में रखना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या नियत की गई धनराशि से 7वीं योजना में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव होगा।

इन शब्दों के साथ महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय

पर चर्चा कर रहे हैं। मैं ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : सुमन तो वसन्त का समर्थन करेगा ही।

श्री राम प्यारे सुमन : धन्यवाद।

इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि आज मानव जीवन की आवश्यकताओं में से एक बिजली है और काफी कुछ हमारे देश में हमारी सरकार ने इस दिशा में करने का प्रयास किया है। और बहुत से मायनों में हम देख रहे हैं कि आज विद्युत का विस्तार पूरे देश के कोने-कोने में हो रहा है और विशेष कार्यक्रम चलाकर गांवों के अंचल तक बिजली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, हमारी जो ऊर्जा नीति है उसमें स्पष्ट रूप से सबसे पहला उल्लेख है कि न्यूनतम लागत पर ऊर्जा की पर्याप्त सप्लाई करना—दूसरी नीति है ऊर्जा की सप्लाई में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना और तीसरी नीति है ऊर्जा के अविवेकपूर्ण ढंग से प्रतिकूल प्रभाव से पर्यावरण को बचाना। आज हम सबसे पहले माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो हमारी पहली नीति है—न्यूनतम लागत पर ऊर्जा की पर्याप्त सप्लाई करना—कृपया वे उस पर ध्यान दें। इन शब्दों के जो भाव हैं, उन भावों के अनुरूप गांवों के अंचल में रहने वाले जो लोग हैं, उनको न्यूनतम लागत पर बिजली सप्लाई करने की, आपूर्ति करने की, व्यवस्था सुनिश्चित करें।

हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। विद्युत आपूर्ति की स्थिति इस वक्त जो गांवों में है, यह बात सही है कि इसमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि शहरी इलाकों की अपेक्षा गांवों के इलाके में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है। यह नहीं किया गया तो इससे जो हमारे जो किसान हैं, जो गांवों में रहने वाले लोग हैं, उनका अहित होगा और अगर उनका अहित होगा तो देश का अहित होगा।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि अभी हाल ही में फरवरी, 86 में ऊर्जा विकास सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में काफी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के बाद कुछ मानक निर्धारित किए गए थे। उनमें से पहला मानक था सातवीं योजना अवधि के अन्त तक विद्युत की मांगों को पूरा करना। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार बहुत जागरूक है। सातवीं योजना तक हम पूरे देश को बिजली उपलब्ध करा देंगे। ऐसी हमारी योजना है और उसी योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। इसी सम्मेलन मे ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में भी काफी चर्चा हुई थी। इस पर भी कुछ नीति निर्धारित की गई थी। ऊर्जा संरक्षण की बात कही गई थी और कोयल के उपयोग की कुशलता के बारे में भी काफी चर्चा हुई थी। ये सब ऐसे मुद्दे है, जिन पर हमे गम्भीरता से विचार ता करना ही है लेकिन जो हम नीति निर्धारित करें, उनका कार्यान्वित करन का दायित्व हमारे ऊपर है। उनका कार्यान्वयन निश्चित समय के अन्दर नहीं हुआ तो हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे और जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि जो हम नीति निर्धारित करें, जो प्राथमिकताए तय करें, जो हम पालिसी बनाएं, उसके तहत हम यह सुनिश्चित करें कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर हम उस काम को पूरा करें। निश्चित रूप में

[श्री राम प्यारे सुमन]

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

मुझे खुशी है कि जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, उन आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट है कि काफी कुछ हमने सुधार किया है। हमारा विद्युत उत्पादन बढ़ा है। इसके अलावा आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि पिछले सालों के अन्दर 1983-84 की अपेक्षा 1985-86 में हमने विद्युत उत्पादन में वृद्धि की है। हम उसी दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो नीति है, उसके तहत हम पूरे देशवासियों को बिजली उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं।

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना पूरे देश में बड़े जोर-शोर से चलाई जा रही है। मैं यहां खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है। इस बड़े प्रदेश के कुछ इलाके ऐसे हैं, जिनके पिछड़ेपन के बारे में आप सब विदित हैं। मुझे ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट देखने से कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के साथ उपेक्षा की है। ताज्जुब इसलिए नहीं हुआ कि हर विभाग उत्तर प्रदेश के साथ उपेक्षा करता है तो ऊर्जा मंत्रालय ही क्यों इसमें पीछे रहे। मंत्रालय की रिपोर्ट में ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना के बारे में उल्लेख किया गया है। 1985-86 में 20,648 गांवों और 3,95,743 पम्पसेटों का विद्युतीकरण पूरे देश में किया गया है। इसके अलावा जो इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण का जो लक्ष्य था, वह 1 लाख 10 हजार का था लेकिन उसमें 41,930 गांवों का ही विद्युतीकरण किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस दिशा में और ठोस कार्यक्रम चलाए जाएं और ग्रामीण इलाकों का विद्युतीकरण तेजी के साथ किया जाए ताकि गांवों के लोगों को बिजली मिल सके और किसान भाई खुशहाल हो सकें। मान्यवर, क्योंकि समय कम है, मैं और विस्तार में न जाकर दो-तीन मुद्दे खास तौर पर उठाना चाहता हूं।

पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे हमारी केन्द्रीय योजनाएं हों और चाहे राज्य बिजली बोर्डों द्वारा क्रियान्वित होने वाली योजनाएं हों, जब हमने उनको स्वीकृति दे दी, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उन योजनाओं का कार्य समय के अन्दर पूरा हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे संसदीय क्षेत्र में टाण्डा तापीय विद्युत परियोजना है। इसका पहला यूनिट 1983 में चालू होना था। उसके बाद कहा गया कि यह 1984 में चालू हो जाएगा, फिर 1985 में और फिर 1986 में और अब माननीय साठे जी ने जो हमें पत्र भेजा है, उसमें यह अवगत कराया गया है कि जून 1987 में इस योजना का एक यूनिट चालू हो जाएगा। उसका जो मूल्य था, जो व्यय था, जो स्वीकृत था, वह 159 करोड़ रुपये था। बाद में वह 163 करोड़ रुपये हुआ और छठी योजना अवधि में जो अनुमोदित धनराशि थी वह 221.42 करोड़ रुपये थी अभी मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा गया है कि 300 करोड़ रुपये उसकी लागत हो गई है। अब अगर चारों यूनिट चालू होती हैं, तो मेरे ख्याल से 450 और 500 करोड़ रुपये की वह योजना हो जाएगी जबकि मूल योजना 163 करोड़ रुपये की थी। अगर निश्चित अवधि के अन्दर वह कार्य पूरा कर लिया गया होता, तो निश्चित रूप से जितना धन हम लगा चुके हैं, दो परियोजनाएं उससे चल सकती थीं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस नाते

हमें दुगना और तीन गुना पैसा लगाना पड़ रहा है और कार्य अभी भी शेष है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह स्थिति टाण्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की है। आप ताज्जुब करेंगे कि 5 लाख 70 हजार रुपये का स्टील कलकत्ता की फर्म से चला प्रोजेक्ट के लिए और उसमें से 70 हजार रुपये का स्टील ही वहां पहुंचा और 5 लाख रुपये का स्टील गायब हो गया। मैंने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से इसके बारे में निवेदन किया था। उसकी विजीलेंस से जांच हुई और जांच होने के बाद 9 अभियन्ता दोषी पाये गये लेकिन यह जो विद्युत विभाग है, इसके अधिकारी ऐसे कारनामें दिखाते हैं कि उस विजीलेंस की जांच के बाद जबकि 9 अभियन्ता दोषी पाये गये थे और विधान सभा के सदन के पटल पर इस बात को लाने के बाद उस जांच को लटकाने के लिए पुन: विभागीय विजीलेंस को इसको दे दिया गया है। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप इस संबंध में राज्य बिजली बोर्ड को लिखें और उनसे यह कहें कि वे ऐसा न होने दें और एक निश्चित अवधि के अन्दर काम को पूरा कराएं। यह भी निश्चित हुआ था और पत्र द्वारा सूचित किया गया था कि 50 प्रतिशत या इससे अधिक जो प्रभावित किसानों के परिवार के लोग हैं, उनमें से प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को रोजी दी जाएगी और उनको सेवा में लिया जाएगा लेकिन इसकी उपेक्षा हो रही है। 469 प्रभावित परिवारों में से केवल 94 व्यक्तियों को जो लगाया गया है, वह भी डेली वेजेज पर लगाया गया है जबकि स्थायी जगहें रिक्त हैं।

मेरे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में सोहावल वाष्प विद्युत गृह कई वर्षों से बन्द पड़ा है। एक तरफ हम नई परियोजनाओं को बात कर रहे हैं और ज्यादा विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं और नई योजनाएं देने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं दूसरी तरफ जो परियोजना चल रही थी, वह गत कई वर्षों से बन्द है। मेरा निवेदन है कि इस पर पुन: विचार किया जाए क्योंकि इसके न चालू होने से वहां के लोग, वहां के किसान, वहां के मजदूर आन्दोलित हैं और उनकी यह भावना है कि सोहावल वाष्प विद्युत गृह पुन: चालू किया जाए जिससे वहां की समस्या का समाधान हो सके।

एक और निवेदन मैं यह करना चाहूंगा। बहुत बड़ा स्टाफ आपका पूरे देश में है और उस स्टाफ के मुताबिक जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का आरक्षण है, उसकी प्रतिशतता अभी पूरी नहीं है और जो प्रोमोशन होते हैं, उनमें भी उनकी उपेक्षा की जाती है, उनकी अवहेलना की जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा कि शासन की मंशा है, जो निर्देश यहां से जाते हैं, उनके तहत जो आरक्षण का मामला है वह पूरा किया जाए।

20-25 वर्षों में मस्टर रोल और डेली वेजिज पर एम्पलाई काम कर रहे हैं। उनको अस्थायी किया जाए। उनकी समस्या विकराल रूप लेती जा रही है इसलिए हमें मिल बैठ कर विचार करना है और जो दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे लोग हैं, मस्टर रोल पर काम कर रहे हैं, उनको स्थायी किया जाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक स्थिति का अन्दाजा वहां का प्रत्येक व्यक्ति कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, इस बात को देखकर

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

किया जा सकता है। क्योंकि ऊर्जा का जो पर केपिटा कंजम्पशन होता है, उसका सीधा-सादा सम्बन्ध वहां का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वहाँ के सकल घरेलू उत्पादन मे होता है।

हमारे एक साथी ने बताया कि विश्व के औसत में हमारे यहाँ परकेपिटा ऊर्जा का कंजम्पशन काफी कम है। यदि हम 1950 से 1985-86 में उपलब्ध पावर का जायजा लें तो जहाँ उस समय हमारे यहां परकैपिटा कंजम्पशन 18 यूनिट प्रति व्यक्ति था, वह आज करीब 225 यूनिट प्रति व्यक्ति है। हमारे यहां ऊर्जा का उत्पादन उस समय 23 सौ मेगावाट होता था, वह आज 43 हजार मेगावाट पहुंच चुका है। आज हमारे ऊर्जा मन्त्रालय ने न्यूक्लियर पावर, गैर परम्परागत ऊर्जा के साधनों का विकास करने की योजना बनाई है। वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे ऊर्जा विभाग ने जो देश की दीर्घकालीन योजना बनाई है, उसके जरिए हमने सन् 2000 तक 1 लाख 20 हजार मेगावाट का जो लक्ष्य रखा है उससे हमें निश्चित रूप से आशा बंधी है कि हमने आने वाले वर्षों में देश की कृषि और उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति कर पायेंगे।

इसकी मैं ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ऊर्जा के मामले में देश को आत्म निर्भर और कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पहल की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए हमें इस बात को देखना है कि हमारे देश में ऊर्जा की पूर्ति किन साधनों से हो सकती है। हमने अब तक बीसवीं सदी में हाइड्रो और थर्मल पावर को प्राथमिकता दी है। अब हमें आने वाले युग के लिए, 21 वीं सदी के लिए परमाण्विक, न्युक्लियर ऊर्जा के साधन, नान कंवेंशनल एनर्जी सोर्सिज की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी।

मैं आपका ध्यान खास तौर से परमाणु ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि परमाणु ऊर्जा का हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन है वह 3 या 4 प्रतिशत है। यदि हम औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों को देखें, चाहे यूनाइटेट स्टेट्स हो, चाहे योरोप के देश हो, दक्षिण कोरिया या जापान हो, उन देशों में टोटल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत 25 से लेकर 55 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एटोमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमेन श्री राजा रमन्ना को जिन्होंने कि सन् दो हजार तक दस हजार मेगावाट न्युक्लिर पावर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए धनराशि उपलब्ध करानी होगी। न्यू टेक्नोलोजी उपलब्ध करानी होगी।

6.00 म० प०

हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे यहां परमाणु ऊर्जा की टेक्नोलोजी विकसित की है जिसका उदाहरण मद्रास का कलपाक्कम प्रोजेक्ट है जो कि पूरी स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। उसकी 235 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसका उद्घाटन दिसम्बर 1985 में, हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था। इस तरह से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है।

माध्यम से हम उन देशों में, विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचे हैं जो स्वयं की तकनीक पर और के स्वदेशी संसाधनों की प्रगति करते हुए परमाणु ऊर्जा केन्द्र का निर्माण कर चुके हैं, चाहे यूना- स्टेट्स की बात हो, सोवियत यूनियन हो, फ्रांस, कनाडा या यू० के० की बात हो, इनके बाद भारत ो यह श्रेय मिला है। इसमें भी भारत के वैज्ञानिक एक कदम आगे रहें हैं जब फास्ट ब्रीडर टैस्ट ्टर 15 वाट की क्षमता की स्थापना हुई, उसका हमने सफलतापूर्वक संचालन किया और वह ब्धि हासिल करके दुनियां के देशों में भारत पहला देश बन गया है जहां पर नए प्रकार का जो मिक फ्यूअल है, कार्बाइड फ्यूअल, जिसमें 70 प्रतिशत प्लूटोनियम और 30 प्रतिशत यूरेनियम ा है, इसका प्रयोग करके उस ऊर्जा को हमने पैदा किया है। साथ ही साथ फास्ट ब्रीडर रियेक्टर रमाणु ऊर्जा के परमाणु फ्यूअल को पैदा करने का एक नया अनुसंधान उसमें किया गया है। आज हमारे देश में थोरियम की तादाद बहुत ज्यादा है और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जहां यला 250-300 वर्ष तक चलेगा। ऊर्जा देगा, वहीं थोरियम की एक लाख मेगावाट क्षमता इस देश स्थापित कर देंगे तो आने वाले 600 वर्षों तक ऊर्जा के साधन इस देश में चलेंगे। इस उपलब्धि लिए हमारे वैज्ञानिक निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना , आठवीं पंचवर्षीय योजना में और 2001 तक जो भी लक्ष्य बनाया गया है, उसकी प्राथमिकता ो ध्यान में रखकर उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आज थर्मल ऊर्जा को प्राथमिकता ने का समय नहीं है। इसमें जो कोयला लगता है, उसमें 40 प्रतिशत एश कंटेंट होता है और ससे प्रदूषण होता है। आज का इन्सान जागरूक हो गया है प्रदूषण के प्रति और उसके लिए आज हतियात रखने की आवश्यकता है। अगर इस एश कंटेंट का विश्लेषण करें तो आपको रेडियो एक्टिव ाभारेज मिलेंगी और करीब एक हजार मेगावाट के लिए 10 हजार टन कोयले की खपत होती है तो उसमें 6000 टन एश कंटेंट निकलेगी। इस तरह से कितने टन प्रदूषण हो रहा है। उसमें सल्फर-डाय- आक्साइड निकल रही है, उससे लगभग 40 टन से लेकर 80 टन तक प्रदूषण प्रतिदिन होता है। यह सब कहां जाएगा ? उसकी तुलना में आधुनिक साधनों का और हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश में जो खोज की है, उस तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों की तरफ दिलाना चाहूंगा। माननीय साठे जी स्वयं भी जहां दौरे पर जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां के लोगों को, वहां की संस्थाओं को, ग्रामवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में जो भरपूर प्राकृतिक साधन हैं, भारी मात्रा में सोलर एनर्जी है, जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल प्लेसेस हैं, वहां पर अच्छी तेज गति से चलने वाली हवायें हमको मिलती हैं और इसी प्रकार बायोगैस, बायोमास, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, जिनकी अच्छी सम्भावना और गुंजाइश हमारे देश में है, हमको आने वाले वर्षों में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम यह कह पायेंगे कि हम दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में जहां पर परम्परागत साधनों से बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां पर इसको पहुंचाना चाहते हैं। वैसे 65 प्रतिशत गावों में विद्युतीकरण किया गया है और करीब 4 लाख से अधिक गांव आर० ई० सी० के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से विद्युतीकृत हुए हैं, परन्तु इसके बावजूद आज भी ऐसे दूर- दराज के सैकड़ों, हजारों गांव जो आदिवासी बाहुल्य के हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, कठिन इलाकों में हैं, जंगल हैं, जहां पर हम बिजली की लाइन से आसानी से बिजली नहीं पहुंचा सकते, वहां पर हमें सोलर एनर्जी, सोलर की थर्मल एनर्जी, सोलर वोल्टेज सिस्टम की जो डिवाइसेस है, उनका प्रयोग

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

किया जा सकता है। क्योंकि ऊर्जा का जो पर केपिटा कंजम्पशन होता है, उसका सीधा-सादा सम्बन्ध वहां का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वहाँ के सकल घरेलू उत्पादन मे होता है।

हमारे एक साथी ने बताया कि विश्व के औसत में हमारे यहाँ परकेपिटा ऊर्जा का कंजम्पशन काफी कम है। यदि हम 1950 से 1985-86 में उपलब्ध पावर का जायजा लें तो जहाँ उस समय हमारे यहां परकैपिटा कंजम्पशन 18 यूनिट प्रति व्यक्ति था, वह आज करीब 225 यूनिट प्रति व्यक्ति है। हमारे यहां ऊर्जा का उत्पादन उस समय 23 सौ मेगावाट होता था, वह आज 43 हजार मेगावाट पहुंच चुका है। आज हमारे ऊर्जा मन्त्रालय ने न्यूक्लियर पावर, गैर परम्परागत ऊर्जा के साधनों का विकास करने की योजना बनाई है। वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे ऊर्जा विभाग ने जो देश की दीर्घकालीन योजना बनाई है, उसके जरिए हमने सन् 2000 तक 1 लाख 20 हजार मेगावाट का जो लक्ष्य रखा है उससे हमें निश्चित रूप से आशा बंधी है कि हमने आने वाले वर्षों में देश की कृषि और उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति कर पायेंगे।

इसकी मैं ज्यादा विस्तार में चर्चा नहीं करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ऊर्जा के मामले में देश को आत्म निर्भर और कृषि और उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पहल की थी। उसको आगे बढ़ाते हुए हमें इस बात को देखना है कि हमारे देश में ऊर्जा की पूर्ति किन साधनों से हो सकती है। हमने अब तक बीसवीं सदी में हाइड्रो और थर्मल पावर को प्राथमिकता दी है। अब हमें आने वाले युग के लिए, 21 वीं सदी के लिए परमाण्विक, न्युक्लियर ऊर्जा के साधन, नान कंवेंशनल एनर्जी सोर्सिज की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी।

मैं आपका ध्यान खास तौर से परमाणु ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि परमाणु ऊर्जा का हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन है वह 3 या 4 प्रतिशत है। यदि हम औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों को देखें, चाहे यूनाइटेट स्टेट्स हो, चाहे योरोप के देश हो, दक्षिण कोरिया या जापान हो, उन देशों में टोटल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का प्रतिशत 25 से लेकर 55 प्रतिशत तक पहुंच गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एटोमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमेन श्री राजा रमन्ना को जिन्होंने कि सन् दो हजार तक दस हजार मेगावाट न्युक्लिर पावर पैदा करने का लक्ष्य रखा है। आवश्यकता इस बात की है कि यदि हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसके लिए धनराशि उपलब्ध करानी होगी। न्यू टेक्नोलोजी उपलब्ध करानी होगी।

6.00 म० प०

हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारे यहां परमाणु ऊर्जा की टेक्नोलोजी विकसित की है जिसका उदाहरण मद्रास का कलपाक्कम प्रोजेक्ट है जो कि पूरी स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। इसकी 235 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इसका उद्घाटन दिसम्बर 1985 में, हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने किया था। इस तरह से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है।

सके माध्यम से हम उन देशों में, विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचे हैं जो स्वयं की तकनीक पर और वयं के स्वदेशी संसाधनों की प्रगति करते हुए परमाणु ऊर्जा केन्द्र का निर्माण कर चुके हैं, चाहे यूनाटेड स्टेट्स की बात हो, सोवियत यूनियन हो, फ्रांस, कनाडा या यू० के० की बात हो, इनके बाद भारत को ही यह श्रेय मिला है। इसमें भी भारत के वैज्ञानिक एक कदम आगे रहें हैं जब फास्ट ब्रीडर टैस्ट रेएक्टर 15 वाट की क्षमता की स्थापना हुई, उसका हमने सफलतापूर्वक संचालन किया और वह उपलब्धि हासिल करके दुनियां के देशों में भारत पहला देश बन गया है जहां पर नए प्रकार का जो एटामिक फ्यूअल है, कार्बाइड फ्यूअल, जिसमें 70 प्रतिशत प्लूटोनियम और 30 प्रतिशत यूरेनियम होता है, इसका प्रयोग करके उस ऊर्जा को हमने पैदा किया है। साथ ही साथ फास्ट ब्रीडर रियेक्टर में परमाणु ऊर्जा के परमाणु फ्यूअल को पैदा करने का एक नया अनुसंधान उसमें किया गया है। आज जो हमारे देश में थोरियम की तादाद बहुत ज्यादा है और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि जहां कोयला 250-300 वर्ष तक चलेगा। ऊर्जा देगा, वहीं थोरियम की एक लाख मेगावाट क्षमता इस देश में स्थापित कर देंगे तो आने वाले 600 वर्षों तक ऊर्जा के साधन इस देश में चलेंगे। इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिक निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में और 2001 तक जो भी लक्ष्य बनाया गया है, उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आज थर्मल ऊर्जा को प्राथमिकता देने का समय नहीं है। इसमें जो कोयला लगता है, उसमें 40 प्रतिशत एश कंटेंट होता है और उससे प्रदूषण होता है। आज का इन्सान जागरूक हो गया है प्रदूषण के प्रति और उसके लिए आज एहतियात रखने की आवश्यकता है। अगर इस एश कंटेंट का विश्लेषण करें तो आपको रेडियो एक्टिव गाभारेज मिलेंगी और करीब एक हजार मेगावाट के लिए 10 हजार टन कोयले की खपत होती है तो उसमें 6000 टन एश कंटेट निकलेगी। इस तरह से कितने टन प्रदूषण हो रहा है। उसमें सल्फर-डायआक्साइड निकल रही है, उससे लगभग 40 टन से लेकर 80 टन तक प्रदूषण प्रतिदिन होता है। यह सब कहां जाएगा ? उसकी तुलना में आधुनिक साधनों का और हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश में जो खोज की है, उस तकनीक को अपनाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों की तरफ दिलाना चाहूंगा। माननीय साठे जी स्वयं भी जहां दौरे पर जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, वहां के लोगों को, वहां की संस्थाओं को, ग्रामवासियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में जो भरपूर प्राकृतिक साधन हैं, भारी मात्रा में सोलर एनर्जी है, जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल प्लेसेस हैं, वहां पर अच्छी तेज गति से चलने वाली हवायें हमको मिलती हैं और इसी प्रकार बायोगैस, बायोमास, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, जिनकी अच्छी सम्भावना और गुंजाइश हमारे देश में है, हमको आने वाले वर्षों में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी हम यह कह पायेंगे कि हम दूर-दराज के ग्रामीण अंचलों में जहां पर परम्परागत साधनों से बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां पर इसको पहुंचाना चाहते हैं। वैसे 65 प्रतिशत गावों में विद्युतीकरण किया गया है और करीब 4 लाख से अधिक गांव आर० ई० सी० के माध्यम से या अन्य योजनाओं के माध्यम से विद्युतीकृत हुए हैं, परन्तु इसके बावजूद आज भी ऐसे दूर-दराज के सैकड़ों, हजारों गांव जो आदिवासी बाहुल्य के हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, कठिन इलाकों में हैं, जंगल हैं, जहां पर हम बिजली की लाइन से आसानी से बिजली नहीं पहुंचा सकते, वहां पर हमें सोलर एनर्जी, सोलर की थर्मल एनर्जी, सोलर वोल्टेज सिस्टम की जो डिवाइसेस है, उनका प्रयोग

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

करके, उनको विकसित कर सकते हैं।

मैं माननीय ऊर्जा मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि—ऊर्जा ग्राम की अभिनव योजना इस गैर परम्परागत ऊर्जा विकास के विभाग ने तैयार की है, उसका प्रयोग हमने दुर्ग जिले के अंजोरा ग्राम में देखा : वहां पर बायोमास, बायोगैस, सोलर एनर्जी, सोलर थर्मल एनर्जी, फोटो वोल्टेक और विंड एनर्जी. सबका उपयोग सफलतापूर्वक किया गया और दो दिन पूर्व एक प्रश्न के जवाब में आपने मुझे बताया कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक विकास खण्ड में एक ऊर्जा ग्राम बनाया जाएगा। इसमें 10 लाख की लागत प्रत्येक गांव पर आएगी, लेकिन संसाधनों के अभाव में रुपयों के अभाव में हम इनको बनाने में असमर्थ हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों की हमारे देश में अच्छी सम्भावनायें हैं और प्रयोगशाला से ऊर्जा ग्राम तक हम पहुंच चुके हैं, उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। अच्छी से अच्छी टेक्नोलोजी स्वदेश में विकसित कर चुके हैं इसलिए उस पर अधिक धनराशी खर्च करें। सौ करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है, उससे काम चलने वाला नहीं है। कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये की धनराशि सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिर्फ ऊर्जा ग्राम के विकास के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। मैं, आपका ध्यान वैकल्पिक ऊर्जा साधनों की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। आपने उन्नत किस्म के दस लाख चूल्हे ग्रामीण अंचल में पहुंचाए हैं, उससे भारत की गृहिणियों को बहुत सुविधा मिली है। इससे हमारे यहां काफी टन जलाऊ लकड़ी की बचत हुई है। उन्नत चूल्हे से और जो बायोगैस है, उसके प्रयोग से करीब चालीस लाख टन जलाऊ लकड़ी की बचत हुई है। उससे 164-65 करोड़ रुपये की धनराशि की बचत हुई है, उतना जंगल कटने से बचा है। ऐसे जो प्रयोग हमने सफलतापूर्वक देश के दूर-दराज के इलाकों में आदरणीय प्रधान मन्त्री जी की भावना के अनुसार किए हैं। इन प्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि की कमी न आने दें। जो नान कन्वेंशनल सोर्स आफ़ एनर्जी हमारे देश में सफलतापूर्वक विकसित हो चुकी है, उसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें जिससे उसका लाभ देश के दूर-दराज के इलाकों में और देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवारों को भी पहुंच सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 अप्रैल, 1986/14 चैत्र, 1908 (शक) को 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 3 अप्रैल, 198[illegible]/13 चैत्र, 1908(शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (IV), "श्री गिरधारा लाल डोगरा" के स्थान पर "श्री गिरधारी लाल डोगरा" पढ़िये।

पृष्ठ 35, पंक्ति 2, "श्री नि रंजी लाल शर्मा" के स्थान पर "श्री चिरंजी लाल शर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 75, पहली पंक्ति, "औपधि-सलाहकार" के स्थान पर "औषधि-सलाहकार" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 12, "श्री एस0अलाकोंड्रायुडू" के स्थान पर "श्री एस0पलाकोंड्रायुडू" पढ़िये।

पृष्ठ 140, पंक्ति 4, "श्री सलीम शेरवानी" के स्थान पर "श्री सलीम आई0 शेरवानी" पढ़िये।

पृष्ठ 176, पंक्ति 11, "श्री एस0पल्ला कोंड्रायुडू" के स्थान पर "श्री एस0पलाकोंड्र पढ़िये।

पृष्ठ 177, पंक्ति 12, "श्री साइमन टिग्गा" के स्थान पर "श्री साईमन तिग्गा" पढ़िये।

पृष्ठ 184, नीचे से पंक्ति 5, "श्री विवकम पुरुजोत्तमन" के स्थान पर "श्री वक्कम पुरुषोत्तमन" पढ़िये।